

बीर सेवा मन्दिर  
दिल्ली



८८८ - ८८

क्रम संख्या

काल नं० १५०.५। सूरज

लग्न







टैक्ट नं० ८

# जैनधर्म और विधवा विवाह (प्रथम भाग)

लेखकः—

श्रीयुत “सव्यसाची”

प्रकाशकः—

दौलतराम जैन, मंत्री  
जैन वाल विधवा सहायक सभा  
दरीबा कलाँ, देहली

शान्तिचन्द्र जैन के प्रबन्ध से  
“चैतन्य” प्रिन्टिंग प्रेस, चित्तनार मै छपी।

प्रथम बार	१९००	पौष	वीर निं० सम्बत् २४५५	मूल्य	—।।
-----------	------	-----	----------------------	-------	-----

## \* धन्यवाद \*

---

इस दृष्टि के छपवाने के लिये निम्न लिखित महानुभावों  
ने सहायता प्रदान की है, जिनको सभा हार्दिक धन्यवाद देती  
है। साथ ही समाज के अन्य खी पुरुषों से निवेदन करती है  
कि वे भी निम्न श्रीमानों का अनुकरण करके और अपनी  
दुवित बहिनों पर तरस खाकर इसी प्रकार महायता प्रदान  
करने की उदारता दिखलावें :—

- १०) लाला दौलतराम जैन, कटग गौरीशंकर देहली ।
  - १०) लाला केसरीमल श्रीराम चावल वाले देहली ।
  - १०) लाला शिखरचन्द्र जैन ।
  - ५) लाला कश्मीरीलाल पटवारी बदर्विवाले  
डाकखाना छपरोली ।
  - १०) मुसद्दीलाल लेखराज कमरे मेरठ छावनी ।
  - १०) गुपदान ( एक जौहरी ) ।
  - १०) गुपदान ( एक बाबू माहिव ) ।
  - १०) गुपदान ( एक जौहरी ) ।
  - १०) गुपदान ( एक ठेकेदार ) ।
  - ५) गुपदान ( एक सराफ ) ।
  - १०) गुपदान ( एक गोदेवाले ) ।
  - १०) लाल मन्नूलाल शिवसिंहराय जैनी, शाद्रा देहली
  - ११०) कुल जोड़
-

## नम्र निवेदन

यह पाठकों से छिपा नहीं है कि विधवा विवाह का प्रश्न दिन २ देश व्यापी होता जा रहा है। एक समय था कि जब विधवा विवाह का नाम लेने ही में लोग भय खाते थे: आज यह समय आगया है कि सब से पीछे रहने वाले सनातन धर्मी और जैन धर्मी बड़े २ विद्वान् भी इसका प्रचार करने में नन मत और धन से जुटे हुए उपर्याह पड़ते हैं। यह देश के पास सौभाग्य की वात है कि अब सर्व साधारण को विधवा विवाह के प्रचार की आवश्यकता का अनुभव हो चला है। यद्यपि कहीं २ थोड़ा २ इमका विरोध भी किया जा रहा है, लेकिन सभ्य और शिक्षित समाज के सामने उम विरोध का अब कोई मूल्य नहीं रहा है। जैन समाज में भी यह प्रश्न ज़ोरों से चल रहा है। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इस विषय पर निर्णय करने के लिये जैन समाज के परम विद्वान्, अखिल भारतवर्षीय सनातन धर्म महा सभा द्वारा 'विद्या वार्गिक' की पदवी में विभृषित श्रीमान पं० चम्पनगर जी जैन द्वारा—गुरु—ला, हरदोई ने जैन समाज के सामने कुछ प्रश्न हल करने को श्रीमान माहिन्य गन्न पं० दग्धवारीलाल जी न्यायर्तार्थ द्वारा समादित मुप्रसिद्ध पत्र "जैन जगत्" ( अज-मेर ) में प्रकाशित कराये थे। इन प्रश्नों को श्रीयुत "मध्य सार्ची" महोदय ने इसी पत्र में वड़ी योग्यता से हल किया है कि जिसका उत्तर देने में लोग अब तक असफल रहे हैं। हम चाहते हैं कि समझदार जैन समाज पक्षपात को न्याय कर श्रीयुत 'सव्यसाची' की विद्वना से लाभ उठाये। अतः

“श्री बैरिस्टर साहब के प्रश्नों का उत्तर” जैन जगत (आजमेर) से उद्घत करके दृ॑कृ॒रूप में जैन समाज के लाभार्थ प्रकाशित किया जाता है। जो जैनी भाई विधवा विवाह के प्रश्न से डर कर दूर भागते हैं उनको चाहिये कि वे कृपा करके इस दृ॑कृ॒को अवश्य पढ़ लेवें। आशा की जाती है कि जो जैन बन्धु ज्ञानावरणी कर्मों के उदय से “विधवा विवाह” को बुरा समझते हैं और समाज सुधार के शुभ कार्य में अन्तराय डाल कर पाप कर्म के भागी बनते हैं, उनको इसकी स्वाध्याय कर लेने पर विधवा विवाह की वास्तविकता का सच्चा स्वरूप सहज ही में दर्पणवत् भ्यष्ट दीखने लग जावेगा।

श्रीयुत “सव्य साची” महोदय द्वारा दिये हुए उत्तर को जैन जगत में पढ़कर कल्याणी नामक किसी बहन की इसी पत्र में एक चिट्ठी छपी है। उस चिट्ठी में बहन कल्याणी ने श्री ‘सव्य साची’ जी से कुछ प्रश्न भी किये हैं। इन प्रश्नों का उत्तर भी श्री० ‘सव्यसाची’ जी ने उक्त ‘जैन जगत’ में छपवाये हैं। लिहाज़ा, बहन कल्याणी का पत्र व श्रीयुत सव्य साची द्वारा दिया हुआ इसका उत्तर भी इसी दृ॑कृ॒में ‘जैन जगत’ से लेलिया गया है। जो बातें पूर्व में रह गई थीं, वे प्रश्न करके बहन कल्याणी ने लिखवादी हैं।

यह बात नहीं है कि यह दृ॑कृ॒ केवल जैनियों के ही लिये लाभदायक हो, बल्कि जैनेतर बन्धु भी इसमें प्रकाशित विधवा विवाह की समर्थक युक्तियों से लाभ उठाकर विरोधियों को मुँह तोड़ उत्तर दे सकते हैं। किस उत्तमता के साथ धर्म चर्चा की गई है, यह बात इसके स्वाध्याय से ही मालूम होगी।

—मन्त्री

# जैनधर्म और विधवा विवाह

—०८५२४७३६५५५०—

प्रश्न (१) — विधवा विवाह से सम्यग्दर्शन का नाश हो जाता है या नहीं ? यदि होता है तो किसका ? विवाह करने कराने वालों का या पूरी जाति का ?

उत्तर — विधवा विवाह से सम्यग्दर्शन का नाश नहीं हो सकता । सम्यग्दर्शन अपने आत्मस्वरूप के अनुभव का कहते हैं । आत्मस्वरूप के अनुभव का, विवाह शादी से कोई ताल्जुक नहीं । जब सातवें नरक के नारकी और पाँचों पाप करने वाले प्राणियों का सम्यग्दर्शन नष्ट नहीं होता तब, विधवा विवाह तो ब्रह्मचर्यागुब्रत का साधक है उससे सम्यक् दर्शन का नाश कैसे होगा ? विधवा विवाह अप्रत्याख्यानावरण कथाय से सम्यग्दर्शन का घात नहीं हो सकता ।

कहा जा सकता है कि विधवा विवाह को धर्म मानना तो मिथ्यात्व कर्म के उदय से होगा, और मिथ्यात्व कर्म सम्यग्दर्शन का नाश करदेगा । इसके उत्तर में इतना कहना बस होगा कि यों तो विधवा विवाह ही क्यों, विवाह मात्र धर्म नहीं है: क्योंकि कोई भी प्रवृत्तिरूप कार्य जैन शास्त्रों की अपेक्षा धर्म नहीं कहा जा सकता । यदि कहा जाय कि विवाह सर्वथा प्रवृत्यात्मक नहीं है किन्तु निवृत्यात्मक भी है, अर्थात् विवाह से एक स्त्री में राग होता है तो संसार की बाकी सब

ख्यों से विराग भी होता है। विराग अंश धर्म है, जिसका कारण विवाह है। इस लिए विवाह भी उपचार से धर्म कहलाता है। तो यही बात विश्वा विवाह के बारे में भी है। विश्वा विवाह से भी एक खो में राग और बाकी सब ख्यों में विराग पैदा होता है। इस लिये कुमारी विवाह के समान विश्वा विवाह भी धर्म है।

यदि कहा जाय कि शास्त्रों में तो कन्या का ही विवाह लिखा है, इस लिए विश्वा विवाह, विवाह ही नहीं हो सका, तो इसका उत्तर यह है कि शास्त्रों में विवाह के सामान्य लक्षण में कन्या शब्द का उल्लेख नहीं है। राजवार्तिक में लिखा है—“सद्देव्यचारित्रमोहोदयाद्विवहने विवाहः”—माता बेदनीय और चारित्र मोहनीय के उदय से “पुरुष का स्त्री को और स्त्री का पुरुष को स्वीकार करना” विवाह है। ऊपर जिस सिद्धान्त से विवाह धर्म-साधक माना गया है, उसी सिद्धान्त से विश्वा विवाह भी धर्मसाधक सिद्ध हुआ है। इसलिए चरणानुयोग शास्त्र ऐसी कोई आक्षा नहीं दे सकता जिसका समर्थन करणानुयोग शास्त्र से न होता हो। राजवार्तिक के भाष्य में तथा अन्य ग्रंथों में जो कन्या शब्द का उल्लेख किया गया है, वह तो मुख्यता को लेकर किया गया है। इस तरह मुख्यता को लेकर शास्त्रों में सैंकड़ों शब्दों का कथन किया गया है। इसी विवाह प्रकरण में विवाह योग्य कन्या का लक्षण क्या है, वह भी विचार लीजिए। त्रिवर्णचार में लिखा है—

अन्यगोत्रभाषां कन्यामनातङ्कां सुलक्षणाम् ।  
आयुष्मनीं गुणाद्यां च पितृदत्तां वरद्वरः ॥

**अर्थात्—**दूसरे गोत्र में पैदा हुई, नीरंग, अच्छे लकण वाली, आयुष्मती, गुणशालिनी और पिता के द्वारा दी हुई कन्या को वरण करे ।

यदि कन्या बीमार हो, या वह जल्दी मर जाय, तो क्या उसका विवाह अधर्म कहलायगा ? जिस कन्या का पिता मर गया हो तो उसे कौन देगा और क्या उसका विवाह अधर्म कहलायगा ? यदि यह कहा जाय कि पिता का तात्पर्य गुरुजन से है तो क्या यह नहीं कहा जा सकता कि कन्या का तात्पर्य विवाह योग्य स्त्री से है ? कुपारी के अतिरिक्त भी कन्या शब्द का प्रयाग हाता है । दि० जैनाचार्य श्रीधरसेनकृत विश्वलोचन कोष में कन्या शब्द का अर्थ कुमारी के अतिरिक्त स्त्री सामान्य भी किया गया है । 'कन्या कुमारिका नार्यं गशिभेदोपधीभिदाः ।' (विश्वलोचन, यान्तवर्ग, श्लांक ५ वाँ) । इसी तरह पश्चिमाण में भी सुग्रीव की स्त्री सुनारा को उस समय कन्या कहा गया है जब कि वह दो बच्चों की माँ हो गई थी । 'कनोपायेन तां कन्यां लङ्घ्ये निर्विदायिनीं ॥'

सुनारा को कन्या कहने का मतलब यह है कि साहस-गति विद्याधर उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था । श्रम संग्रह श्रावकाचार में देवाङ्गनाओं को भी कन्या कहा है—

एवं चतुर्थ वीथीषु नृत्यशालादयः स्मृताः ।

परमत्र प्रनृत्यन्ति वैमाना मरकन्यकाः ॥

देवाङ्गनाओं को कन्या इसी लिंग कहा जाता है कि वे एक देव के मरने पर दूसरे देव की पत्नी बन सकती हैं ।

अगर कन्या शब्द का अर्थ कुमारी ही रखा जावे

( ६ )

तो दीक्षान्वय किया में स्त्री पुरुष का पुनर्विवाह संस्कार कैसे होगा ?

पुनर्विवाह संस्कारः पूर्वः सर्वोस्य संमतः ।

मिद्धाचिनां पुग्स्कृत्य पत्न्याः संस्कारपिच्छतः ।

—आदिपुराण ३६ वाँ पर्व । ६० वाँ श्लोक ।

अर्थात्—जब कोई अजन्म पुरुष जैनधर्म की दीक्षा से तो उसका और उसकी स्त्री का फिर विवाह करना चाहिए । जो लोग कन्या का अर्थ कुमारी ही करेंगे उनके मत से उस पुरुष की पत्नी का विवाह कैसे होगा ? क्या भगवज्जिनसेनाचार्य के द्वारा बताया गया पुनर्विवाह भी अधर्म है ?

इससे साफ़ मालूम होता है कि शास्त्रों में कन्या शब्द कुमारी के लिए नहीं, किन्तु विवाह योग्य स्त्री के लिये आया है । शास्त्रों में विवाह का कथन आदर्श या बहुलता को लेकर किया गया है । सागारधर्मामृत में कन्या के लिए निर्दोष विशेषण दिया गया है । निर्दोष का अर्थ किया है—सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार दोषों से गहत । परन्तु ऐसी बहुत धोड़ी ही कन्याएँ होंगी जिनमें सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार दोष न हो । तो क्या उनका विवाह धर्म विरुद्ध कहलायगा ? इस लिये जिस प्रकार कन्या के स्वरूप में उसके अनेक विशेषण अनिवार्य नहीं हैं, उसी प्रकार विवाह के लक्षण में भी कन्या का उल्लेख अनिवार्य नहीं है । क्योंकि कन्या और विधवा में करणानुयोग की हाइ में कोई अन्तर नहीं है, जिसके अनुसार कन्या और विधवा के लिये जुदी जुदी दो आशाएँ बनाई जायें । जो लोग कन्या शब्द को अनुचित

( ७ )

महत्व देना चाहते हों उनको समझना चाहिये कि कन्या शब्द का अर्थ कुमारी नहीं, किन्तु विवाह योग्य स्त्री है । इस तरह भी विधवा विवाह आगम की आज्ञा के प्रतिकूल नहीं हैं । इस लिये उसका मिथ्यात्व के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है जिससे वह सम्यग्दर्शन का नाशक माना जा सके ।

प्रश्न (२) — पुनर्विवाह करने वाले सम्यक्तरी होने पर स्वर्ग जा सकते हैं या नहीं ?

उत्तर — जा सकते हैं । जब पुनर्विवाह व्रहत्वर्य अणुवत का साधक है तब उससे स्वर्ग जाने में क्या वाधा है ? स्वर्ग तो मिथ्यादृष्टि भी जाने हैं, फिर विधवा विवाह करने वाला तो अपनी पत्नी के साथ रहकर सम्यग्दृष्टि और छठवीं प्रतिमा तक देशवती श्रावक भी हो सकता है और यीच्छे मुनिवत ले ले तो मात्र को भी जा सकता है । विधवा विवाह मात्रमार्ग में उतना ही वाधक है जिनना कि कुमारी विवाह । स्वर्ग में दोनों ही वाधक नहीं हैं । दोनों से सोलहवें स्वर्ग तक जा सकता है । राजा मधुने चन्द्राभा को रख लिया था, फिर भी वह मरकर सोलहवें स्वर्ग गई । पहिले प्रश्न के उत्तर से इस प्रश्न के उत्तर पर पूरा प्रकाश पड़ जाता है ।

प्रश्न (३) — विधवा विवाह से तिर्यञ्च और नरक गति का बंध होता है या नहीं ?

उत्तर — विधवा विवाह से तिर्यञ्च और नरक गति का बंध कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि तिर्यञ्च गति और नरक गति श्रुभ नाम कर्म के भीतर शामिल हैं । श्रुभ नाम कर्म के बंध के कारण योग वक्ता और विसंवादन हैं । “योगवक्ता

( = )

विसंवादनं चाशुभस्य नाम्नः” अर्थात् मन, वचन, काय की कुटिलता से अशुभ नाम कर्म का बन्ध होता है। विधवा विवाह में मन, वचन, काय की कुटिलता का कोई सम्बन्ध नहीं है, वलिक प्रत्येक वान की सफाई अर्थात् सरलता है। इस लिए अशुभ नाम कर्म का बन्ध नहीं हो सकता। हाँ, जो विधवा-विवाह के विरोधी हैं, वे अधिकतर नरकगति और तिर्यच्छगति का बन्ध करते हैं, क्योंकि उन्हें विसंवादन करता पड़ता है। विसंवादन से अशुभ नाम कर्म का बन्ध होता है। गजवार्तिक में विसंवादन का खुलासा इस प्रकार किया है—

सम्यग्भ्युदयनि श्रेयसार्थासु क्रियासु प्रवर्तमानमन्यं  
कायवाड्मनोभिर्विसंवादयति मैवं कार्यरिवं कुर्विति कुटिलतया  
प्रवर्तनं विसंवादनं ।

अर्थात् कोई मनुष्य स्वर्गमोक्षोपयोगी कियाएँ कर रहा है उसे रोकना विसंवाद है। यह तो सिद्ध ही है कि विधवा विवाह अणुवत का साधक होने से स्वर्गमोक्षोपयोगी है। जो विधवाण् पूरा ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकती है, उन्हें विधवा विवाह के द्वारा अविरति से हटा कर देशविरति दीक्षा देना है। इस दीक्षा को जो रोकते हैं, धर्म विलम्ब घताते हैं, वहिष्कारादि करते हैं, वे पूज्यंपाद अकलंक देव आदि के अभिप्राय के अनुसार विसंवाद करते हैं जिससे नरकगति और तिर्यच्छगति का बन्ध होता है।

यदि नरकगति और तिर्यच्छगति से नरकायु और तियचायु की विवक्षा हो तो इनका भी बन्ध विधवा विवाह से नहीं हो सकता; क्योंकि बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह से नरकायु का बन्ध होता है। विधवा विवाह में कुमारी विवाह

की वनिस्त्रत आगम और परिग्रह अधिक है ही नहीं, तब वह नरकायु का कारण कैसे हो सकता है ? तिर्यञ्चाय् के बन्ध वा कारण है मायाचार । सो मायाचार तो विश्वा विवाह के विरोधी ही बहुत करते हैं—उन्हें गुप पाप छिपाना पड़ते हैं—इसलिये वे तिर्यञ्चाय् का बन्ध अवश्य ही करते हैं । विश्वा विवाह के पोषकों को मायाचारी से क्या मतलब ? इस लिए वे तिर्यञ्चाय का बन्ध नहीं करते ।

हाँ यह वात दूसरी है कि कोई विश्वा विवाह करने के बाद पाप करे जिसमें इन अगुभ कर्मों का बन्ध हो जाय । लेकिन वह बन्ध विश्वा विवाह से न होगा, किन्तु पाप से होगा । कुमारी विवाह के बाद और मुनी वेष लेने के बाद भी तो लोग बड़े बड़े पाप करते हैं । इससे कुमारी विवाह और मुनिवेष बुरा नहीं कहा जा सकता । इसी तरह विश्वा विवाह भी बुरा नहीं कहा जा सकता ।

**प्रश्न (४)**—यदि विश्वा विवाह पाप कार्य है तो साधारण व्यभिचार से उसमें कुछ अन्तर होता है या नहीं ? यदि हाँ, तो कितना और कैसा ?

**उत्तर**—जब विश्वा विवाह पाप ही नहीं है तो साधारण व्यभिचार से उसमें अन्तर दिखलाने की क्या ज़रूरत है ? खैर ! दोनों में अन्तर तो है, परन्तु वह ‘कुछ’ नहीं, ‘बहुत’ है । विश्वा विवाह श्रावकों के लिये पाप नहीं है और व्यभिचार पाप है । वर्तमान में व्यभिचार को हम तीन श्रेणियों में बांट सकते हैं—( १ ) परश्री सेवन, ( २ ) वेश्या सेवन और ( ३ ) विवाह के विना ही किसी खो को एकी बना लेना । पहिला सबसे बड़ा है; दूसरा उससे छोटा

है। सोमदेव आचार्य के मन से वेश्यासेवी भी ब्रह्मचर्याणुवती हो सकता है \* परन्तु परस्त्री सेवी नहीं हो सकता। इससे वेश्या सेवन हल्के दर्जे का पाप सिद्ध होता है। किसी स्त्री को विवाह के बिना ही पल्ली बना लेना वेश्यासेवन से भी कम पाप है, क्योंकि वेश्यासेवी की अपेक्षा रबैल स्त्री वाले की इच्छाएँ अधिक सीमित हुई हैं। विधवा विवाह इन तीन श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि ये तीनों विवाह से कोई सम्बन्ध नहीं रखते।

कहा जा सकता है कि विधवा विवाह परस्त्री सेवन में ही अन्तर्गत है, क्योंकि विधवा परस्त्री है। इसके लिये हमें यह समझ लेना चाहिये कि परस्त्री किसे कहते हैं और विवाह क्यों किया जाता है ?

अगर कोई कुमारी, विवाह के पहले ही संभोग करे तो वह पाप कहा जायगा या नहीं ? यदि पाप नहीं है तो विवाह की ज़रूरत ही नहीं रहती। यदि पाप है तो विवाह हो जाने पर भी पाप कहलाना चाहिये। यदि विवाह हो जाने पर पाप नहीं कहलाना और विवाह के पहिले पाप कहलाना है तो इससे सिद्ध है कि विवाह, व्यभिचार दोष को दूर करने का एक अव्यर्थ साधन है। जो कुमारी आज परस्त्री है और जो पुरुष आज पर पुरुष है, वे ही विवाह हो जाने पर स्वस्त्री और स्वपुरुष कहलाने लगते हैं। इससे मालूम होता है कि कर्मभूमि में स्वस्त्री और स्वपुरुष जन्म से पैदा नहीं होते, किन्तु बनाये जाते हैं। कुमारी के समान विधवा

\* वृद्धित्तस्त्रियौ मुक्त्वा सर्वशान्यत्र तन्जने ।  
मातास्वसा तनूजेति मनिर्वद्म गृहाश्रमे ॥ —यशस्तिलक

भी स्वस्त्री बनाई जा सकती है। विवाह के पहिले विश्वा परम्परी है, परन्तु विवाह के बाद स्वस्त्री हो जायगी। तब उसे व्यभिचार कैसे कह सकते हैं? जब विवाह में व्यभिचार दोष के अपहरण की ताकत है और कन्याओं के विषय में उसका प्रयोग किया जा चुका है तो विवाहियों के विषय में क्यों नहीं किया जा सकता है?

यहा जा सकता है कि स्त्री ने जब एक पति (स्वामी) बना लिया तब वह दूसरा पति कैसे बना सकती है? इसका उत्तर यही है कि जब पुरुष, एक पत्नी (स्वामिनी) के रहने पर भी दूसरा पत्नी बना लेता है तो स्त्री विश्वा होने पर भी क्यों नहीं बना सकती? मुनि न बन सकने पर जिस प्रकार पुरुष दूसरा विवाह कर लेता है, उसी प्रकार स्त्री भी आर्थिका न बन सकने पर दूसरा विवाह कर सकती है। स्त्री किसी की सम्पत्ति नहीं है। अगर सम्पत्ति भी मान ली जाय तो सम्पत्ति भी मालिक से वश्चित नहीं रहती है। एक मालिक मरने पर उरन्तर उसका दूसरा मालिक बन जाता है। दूसरा मालिक बनाना या बनना कोई पाप नहीं है। इससे साफ़ मालम होता है कि विश्वा विवाह और व्यभिचार में धरती आममान का अन्तर है जैसे कि कुमारी विवाह और व्यभिचार में है।

**प्रश्न (५)**—वेश्या और कुराला विश्वा के आन्तरिक भावों में मायाचार की दृष्टि से कुछ अन्तर है या नहीं?

**उत्तर**—यद्यपि मायाचार सम्बन्धी अंतरंग भावों का निर्णय होना कठिन है, फिर भी जब हम वेश्या सेवन और परस्त्री सेवन के पाप में तरतमता दिखला सकते हैं तो इन दोनों के मायाचार में भी तरतमता दिखाई जा सकती

है। कुशीला विश्वा का मायाचार बहुत अधिक है। वेश्या व्यभिचारिणी के बेश में व्यभिचार करती है, किन्तु कुशीला तो पतिव्रता के बेश में व्यभिचार करती है। वेश्या को अपने पाप छिपाने के लिये विशेष पाप नहीं करना पड़ते, परन्तु कुशीला को तो—छोटे मोटे पापों की बात छाँड़िये—भ्रणहत्या सरीखे महान पाप तक करना पड़ते हैं। कहा जा सकता है कि वेश्या को तो पाप का थोड़ा भी भय नहीं है, परन्तु कुशीला को है तो इस प्रश्न की मीमांसा करने के पहिले यह ध्यान में रखना चाहिये कि यहाँ प्रश्न मायाचार का है—वेश्या और कुशीला की तरतमता दिखलाना नहीं है किन्तु मायाचार की तरतमता दिखलाना है। सो मायाचार तो कुशीला विश्वा का अधिक है, साथ ही साथ भयझर भी है।

इन दोनों में कौन बुरी है और कौन भली, इसके उत्तर में यही कहना चाहिये कि दोनों बुरी हैं। हाँ, हम पहिले कह चुके हैं कि परस्ती सेवन से वेश्या सेवन में कम पाप है इसलिये कुशीला विश्वा, वेश्या से भी बुरी कहलाई। कुशीला को जो पापका भय बतलाया जाता है वह पाप का भय नहीं है, किन्तु स्वार्थनाश का डर है। व्यभिचार प्रकट होजाने पर लोकनिदा होगी, अपमान होगा, घर से निकाल दी जाऊंगी, सम्पत्ति छिन जायगी, आदि बातों का डर होता है; यह पापका डर नहीं है। अगर पापका डर होता तो वह ऐसा काम ही क्यों करती? और किया था तो छिपाने के लिये फिर और भी बड़े पाप क्यों करती? नैर! इन बातों का इस प्रश्नसे विशेष सम्बन्ध नहीं है। हाँ, इतना निश्चित है कि कुशीला विश्वा का मायाचार वेश्या से अधिक है और कुशीला विश्वा अधिक भयानक है।

**प्रश्न (६) —**ऐसी कुशीला, मायाचारिणी, भ्रूणहत्याकारिणी, विधवा को तीव्र पाप ( नरकायु आदि ) का बन्ध होता है या नहीं ? और उसके सहकारियों को भी कृत कारित अनुमोदन के कारण तीव्र पापका बन्ध होता है या नहीं ?

**उत्तर —**ऐसे पापियों को तीव्र पाप का बंध न होगा तो किसे होगा ? साथ में इतना और समझना चाहिये कि विधवाविवाह के विरोधी भी ऐसे पापियों में शामिल होते हैं, क्योंकि उनकी कठोरताओं और पञ्चपातपूर्ण नियमों के कारण ही विद्युतों को पेसे पाप करने पड़ते हैं । यद्यपि विधवाविवाह के विरोधियों में सभी लोग भ्रूणहत्याओं को पसन्द नहीं करते फिर भी उनमें फी सदी नव्वे ऐसे हैं जो भ्रूणहत्या पसन्द करते, परन्तु विधवाविवाह का न्यायोचित मार्ग पसन्द न करते । अगर हम वृद्ध स्वादिष्ट भोजन करें और दूसरों को एक दुकड़ा भी न खाने दें तो उन्हें स्वाद के लिये नहीं तो क्षुधा शान्ति के लिये चोरी करना ही पड़ेगी । और इसका पाप हमें भी लगता है । इसी तरह भ्रूणहत्या का पाप विधवा विवाह के विरोधियों का भी लगता है ।

**प्रश्न (७) —**वर्तमान समय में कितनी विधवाएँ पूर्ण पवित्रता से वैधव्य वत पालन कर सकती हैं ?

**उत्तर —**यों तो भव्यमात्र में मोक्ष जाने तक की ताकूत है, लेकिन अवस्था पर विचार करने से मालूम होता है कि वृद्ध विधवाओं को छोड़कर वाकी विधवाओं में फी सदी पाँच ही ऐसी हाँगी जो पवित्रता से वैधव्य का पालन कर सकती हैं । विधुरों में कितने विधुर जीवन पर्यन्त विधुरत्व का पालन करते हैं ? विधवाओं के लिये भी यही बात है ।

( १४ )

प्रश्न (८) — व्यभिचार से किन २ प्रकृतियों का बन्ध होता है और विधवा-विवाह से किन किन प्रकृतियों का बन्ध होता है ?

उत्तर — व्यभिचार से चारित्र मांहनीय का तीव्र बन्ध होता है और विधवाविवाह से कुमारीविवाह के समान चारित्र मोह का अल्प बन्ध होता है । व्यभिचार से पुण्यबन्ध नहीं होता, परन्तु विधवाविवाह से पुण्यबन्ध होता है । और वर्तमान परिस्थिति में तो कुमारीविवाह से भी अधिक पुण्यबन्ध विधवाविवाह से होता है, क्योंकि वर्तमान में जो विधवा विवाह करता है वह भ्रूणहन्त्या और व्यभिचार आदि को रोकने की कोशिश करता है, स्त्रियों के मनुष्यांचित अधिकार दिलाता है । इस प्रकार के कहणा तथा परोपकार के भावों से उसे तीव्र पुण्य का बन्ध होता है, जो कि व्यभिचारी के और विधवाविवाह के विरोधियों के नहीं हो सकता । विधवाविवाह से दर्शनमोह का बन्ध नहीं हो सकता, क्योंकि विधवाविवाह धर्मनुकूल है । विधवाविवाह में योग देने वाला धर्म के मर्म को जान जाता है, स्याद्वाद के रहस्य से परिचित हो जाता है । येही तो सम्यक्ष्व के चिन्ह हैं । विधवा विवाह के विरोधी एकान्तमिथ्यात्मी हैं, वे श्रुत और धर्म का अवर्गवाद करते हैं इसलिये उन्हें तीव्र मिथ्यान्ध का बन्ध होता है । अन्य पाप प्रकृतियों का तो कहना ही क्या है ?

प्रश्न (९) — विवाह के विना, काम लालसा के कारण जो संझेश परिणाम होते हैं, उनमें विवाह होने से कुछ न्यूनता आती है या नहीं ?

उत्तर—‘कुछ’ नहीं, किन्तु ‘बहुत’ न्यूनता आती है। विवाह के बिना तो प्रत्येक व्यक्ति को देख कर पापवासना जाग्रत होती है और वह वासना सदा ही जाग्रत रहती है; किन्तु विवाह से तो एक व्यक्ति को छोड़कर वाकी सभके विषय में उमस्की वासना मिट जाती है और वह वासना भी सदा जाग्रत नहीं रहती।

कहा जा सकता है कि जिनकी काम लालसा अतिप्रबल हैं उनकी विवाह होने पर भी शान्त नहीं होती। अनेक विवाहित पुरुष और सभवा स्त्रियाँ व्यभिचारदूषित पायी जाती हैं, यह ठीक है। किन्तु विवाह तो व्यभिचार को रोकने का उपाय है। उपाय, मौ में दस जगह असफल भी होता है, किन्तु इससे यह निरर्थक नहीं कहा जा सकता। चिकित्सा करने पर भी लोग मरते हैं, शास्त्री बत करके भी धर्म को नहीं समझते, मुनि बत करके भी बड़े २ पाप करते हैं, इससे चिकित्सा आदि निरर्थक नहीं कहे जा सकते।

यदि विवाह होने पर भी किन्हीं लोगों की काम वासना शान्त नहीं होती तो इससे सिर्फ़ विधवाविवाह का ही निषेध कैसे हो सकता है? फिर तो विवाह मात्र का निषेध करना चाहिये और समाज से कुमार, कुमारियों के विवाह की प्रथा उड़ा देना चाहिये, क्योंकि व्यभिचार तो विवाह के बाद भी होता है। यदि कुमार कुमारियों के विवाह की प्रथा का निषेध नहीं किया जा सकता तो विधवाविवाह का भी निषेध नहीं किया जा सकता।

एक महाशय ने लिखा है—“वास्तव में विवाहका उद्देश्य काम लालसा की निवृत्ति नहीं है। विवाह इस जगत्य एवं

कुनिमत उद्देश्य से सर्वथा नहीं किया जाता है, किन्तु वह मोक्ष मार्गोपसंवी स्वपर हितकारक शुद्ध संतान की उन्पत्ति के लिये ही किया जाता है। इस लिये वह शास्त्रविहित, मोक्षमार्ग साधक, धर्म कार्य माना गया है। इस लिये विवाह होने पर काम लालसा के संकेश परिणामों की निवृत्ति उनना ही गोण कार्य है जितना किसान को भूसे का लाभ।”

जो लोग विवाह का उद्देश्य काम लालसा की निवृत्ति नहीं मानते हैं और काम लालसा की निवृत्ति को जघन्य और कुनिमत उद्देश्य समझते हैं उनकी विढ़ता पर हमें दया आती है। ऐसे लोग जब कि जैन धर्म की वर्णमाला भी नहीं समझते तब क्यों गहन विषयों में टांग अड़ाने लगते हैं? क्या हम पूछ सकते हैं कि ‘काम लालसा की निवृत्ति’ यदि जघन्य और कुनिमत है तो क्या काम लालसा में प्रवृत्ति करना अच्छा है? सच है, जो लोग एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी आदि चिर्यों के साथ मौज उड़ा रहे हैं, वे काम लालसा के न्याग को कुनिमत और जघन्य समझते हैं इसमें आश्वर्य की क्या वात है? खैर, अब हमें यह देखना चाहिये कि विवाह का उद्देश्य क्या है?

विवाह गृहस्थाश्रम का मूल है गृहस्थाश्रम धर्म, अर्थ, काम तीनों पुरुषार्थों का साधक है। काम लालसा की जितनी निवृत्ति होती है उतना अंश धर्म है; जितनी प्रवृत्ति होती है उतना काम है। अर्थ इसका साधक है। इसमें साफ़ मालूम होता है कि विवाह काम-लालसा की आंशिक निष्पत्ति के लिये किया जाता है। शास्त्रकार कहते हैं—

न्याज्यानजस्त्रं विषयान् पश्यतोऽपि जिनाशया ।

मोहात्यक्तुम् शक्त्य गृहिधर्मानुमन्यते ॥

**अर्थात्**—जिनेन्द्र की आज्ञा से जो विषयों को छोड़ने योग्य समझता है, किन्तु फिर भी चारित्र मांह कर्मकी प्रबलता से उनका त्याग नहीं कर सकता, उसको गृहस्थ धर्म धारण करने की सलाह दी जाती है ।

इससे साफ़ मालूम होता है कि विवाह लड़कों बच्चों के लिए नहीं, किन्तु मुनि वनने की असमर्थना के कारण किया जाता है । हमारे जैन पंडितों ने जब से वैदिक धर्म की नकल करना सीखा है, तब से वे धर्म के नाम पर लड़कों बच्चों की बातें करने लगे हैं । वैदिक धर्म में तो अनेक ऋण माने गये हैं जिनका चुकाना प्रत्येक मनुष्य को आवश्यक है । उनमें एक पितृ ऋण भी है । उनके ख्याल से सन्तान उत्पन्न कर देने में पितृ ऋण चुकजाता माना गया है किन्तु जैन धर्म में ऐसा कोई पितृ ऋण नहीं माना गया है जिसके चुकाने के लिये सन्तानोन्पत्ति करना धर्म कहलाता है । विवाह का मुख्य उद्देश्य काम लालसा की उच्छ्वासलता को रोकना है । हाँ, ऐसी हालत में सन्तान भी पैदा हो जाती है । यह भी अच्छा है, परंतु यह गौण फल है । सन्तानोन्पत्ति और काम लालसा की निवृत्ति, इनमें गौण कौन है और मुख्य कौन है, इसका निवारा इस तरह हो जायगा—मान लीजिए कि किसी मनुष्य में मुनिवत धारण करने की पूर्ण योग्यता है । ऐसी हालत में अगर वह किसी आचार्य के पास जावे तो वह उसे मुनि वनने की सलाह देंगे या शावक बनकर पुत्रोन्पत्ति करने की सलाह देंगे ? शाखकार तो इस विषय में यह कहते हैं—

( १८ )

वहुशः समस्त विरति प्रदर्शितां यो न जानु गृहणाति ।  
 तस्यैक देश विरतिः कथनीयानेन वीजेन ॥  
 यो यति धर्ममकथयनुपदिशति गृहस्थ्यर्थं मल्यमतिः ।  
 तस्य भग्वत्प्रवचने, प्रदर्शितं निग्रहस्थानं ॥  
 अक्रमकथनेन यतः प्रोत्स्महमानोऽति दूरमपिशिष्यः ।  
 अपदेऽपि संप्रतृप्तः प्रताग्निं भवति तेन दुर्मतिना ॥

महाव्रत का उपदेश देने पर जो महाव्रत ग्रहण न कर सके उसे अणुव्रत का उपदेश देना चाहिये । महाव्रत का उपदेश न देकर जो अणुव्रत का उपदेश देता है वह निग्रहीत है । क्योंकि अगर किसी के हृदय में मुनिव्रत धारण करने का उत्साह हो और बीच में ही अणुव्रत का उपदेश मुनकर वह सन्तुष्ट हो जाय तो उसके महाव्रत पालन करने का मौका निकल जायगा । इससे साफ़ मालूम होता है कि आचार्य, अणुव्रत धारण करने की मलाह तभी देते हैं जब कोई महाव्रत न पाल सकता हो । अणुव्रत लड़कों वब्बों के लिए नहीं, किन्तु महाव्रत पालन करने की असमर्थता के कारण किया जाता है । अणुव्रत के साथ आंशिक प्रवृत्ति होने से सन्तान भी उत्पन्न हो जाती है । यह अणुव्रत का गौणफल है, जैसे किसान के लिये भूमा । लड़कों वब्बों को जो मुख्यता देढ़ी जाती है उसका कारण है समाज का लाभ । वृत्त से वर्ती का कल्याण होता है और सन्तान से समाज का । इस लिये वृत्ती को वृत्त मुख्य फल है और सन्तान गौण फल है । दृसरे लोगों को सन्तान ही मुख्य है । जैसे-अन्न किसान को मुख्य है भूसा गौण । किन्तु किसान के घर रहने वाले बैलों को तो भूसा ही मुख्य है और अन्न गौण, क्योंकि बैलों को तो

भूमा ही मिलेगा, अन्न नहीं। व्रती के व्रत का लाभ तो वृती ही पायेगा। दूसरों को नहीं मिल सका, भिन्नतु उसकी संतान से दूसरे भी लाभ उठावेंगे, समाज की स्थिति कायम रहेगी। इस लिये सामाजिक दृष्टि से सन्तान मुख्य फल है, परन्तु धार्मिक दृष्टि से व्रत ही मुख्य फल है, पुत्रादिक नहीं। धार्मिक दृष्टि में 'पुत्रसम्मो वैरिआणवित्य' (पुत्र के समान कोई वैरी नहीं है) इत्यादि वाक्यों से संतान की निन्दा ही की गई है। इस लिये धार्मिक दृष्टि से संतान के लिये विवाह मानना अनुचित है। वह काम धासना को सीमित करने के लिए किया जाता है। इसी गत को दूसरे स्थान पर और भी अच्छे शब्दों में कहा है।

विषय विप्रमाशनोत्थित मोहज्वर जनिततोव तृणम्य ।

निःशाल्किकस्य भवतः प्रायः पेयाद्युपक्रमः श्रेयान् ॥

“विषय रूपी अपथ्य भोजन से उत्पन्न हुआ जो मोह रूपी उवर, उस उवर से जिसको बहुत ही तेज़ प्यास लग रही है, और उस प्यास को सहने की जिसमें ताकत नहीं है उसको कुछ पीने योग्य औपचर देना अच्छा है।

मतलब यह है कि उसे प्यास तो इतनी लगी है कि लोटे दो लोटे पानी भी पी सकता है, परन्तु चैद्य समझता है कि ऐसा करने से बीमारी बढ़ जायगी। इसलिए वह पीने योग्य औपचर देना है जिससे वह प्यास न बढ़ने पाये। इसी तरह जिसकी विषय की आकांक्षा बहुत तीव्र है, उसको विवाह ढाग पेय औपचर दी जाती है जिससे प्यास शांत रहे और रोग न बढ़ने पाये। मतलब यह की जैन शास्त्रों के अनुसार विवाह का मुख्य उद्देश्य विषय धासना को सीमित

करना है। यह बात विधवा विवाह से भी होती है। अगर किसी विधवा वाई को विषय वासना रूपी तीव्र प्यास लगी है तो उसे विवाह रूपी पेय औषध क्यों न देनी चाहिये? मर्द तो औषध के नाम पर लोटे के लोटे गटका करें और विधवाओं को एक वृंद औषध भी न दी जाय, यह कहाँ की दया है? कहाँ का न्याय है? कहाँ का धर्म है? विवाह में जिस प्रकार दुरुप्यों के संक्लेश परिणाम मंद होते हैं, उसी प्रकार स्त्रियोंके भी होते हैं। फिर पुरुषों के साथ पक्षपात और स्त्रियों के साथ निर्दयता का व्यवहार क्यों? धर्म तो पुरुषों की ही नहीं, स्त्रियों की भी सम्पत्ति है। इस लिये धर्म ऐसा पक्षपात कभी नहीं कर सकता।

**प्रश्न (१०)**—प्रत्येक बाल विधवा में तथा प्रौढ़ विधवा में भी आजन्म व्रह्मचर्य पालने की शक्ति का प्रगट होना अनिवार्य है या नहीं?

**उत्तर**—नहीं। यह बात अपने परिणामों के ऊपर निर्भर है। इसलिये जिन विधवाओं के परिणाम गृहस्थाश्रम से विरक्त न हुए हॉ उन्हें विवाह कर लेना चाहिये। कहा जा सकता है कि “जैसे मुनियोंमें वीतरागता आवश्यक होने पर भी सरागता आजाती है, उसी प्रकार विधवाओं में भी होसकती है, लेकिन वे शीलभ्रष्ट ज़रूर कहलायेंगी। मुनि भी सरागता से भ्रष्ट माना जाता है।” यह बात ठीक है। शक्ति न होने से हम अधर्म को धर्म नहीं कह सकते। परन्तु यहाँ यह बात विचारणीय है कि जो कार्य मुनिधर्म से भ्रष्ट करता है क्या वही श्रावकधर्म से भी भ्रष्ट करता है? विवाह करने से प्रत्येक व्यक्ति मुनिधर्म से भ्रष्ट हो जाता है, परन्तु क्या विवाह से श्रावक धर्म भी छूट जाता है? क्या

विवाह करने वाले का अणुवृत्त मुरक्कित नहीं रह सकता ? हमारे स्थायाल से तो कन्या भी अगर आर्थिका होकर फिर विवाह करे तो भ्रष्ट है और विधवा अगर आर्थिका आदि की दीक्षा न लेकर विवाह करले तो भ्रष्ट नहीं है । यह ठीक है कि पति के मरजाने पर स्त्री वैधव्यदीक्षा ले तो अच्छा है, परन्तु लेना न लेना उसकी इच्छा पर निर्भर है । यह नहीं हो सकता कि वह नो वैधव्यदीक्षा लेना न चाहे और हम जबर-दस्ती उसके बिर दीक्षा मढ़दें । स्त्री के समान पुरुष का भी कर्तव्य है कि वह पत्नी के मर जाने पर दीक्षा लेले । बुद्धों को तो स्वासकर मुनि बनजाना चाहिये । परन्तु आज कितने बृह्म मुनि बनते हैं ? कितने विधुर दीक्षा लेते हैं ? जो लोग मुनि नहीं बनते और दूसरा विवाह करलेते हैं वे क्या भ्रष्ट कहे जाते हैं ? अगर वे भ्रष्ट नहीं हैं, तो विधवाएँ भी भ्रष्ट नहीं कही जासकती । पुरुषों का शीलभङ्ग तभी कहलायगा जबकि वे विवाह न करके संभोग करें । इसी तरह विधवाएँ शीलभ्रष्ट तभी कहलावेंगी जबकि वे विवाह न करके संभोग करें या उसकी लालसा रखें ।

**प्रश्न (११) — धर्मविरुद्ध कार्य, किसी हालत में (उससे भी बढ़कर धर्मविरुद्ध कार्य अनिवार्य होने पर) कर्तव्य हो सकता है या नहीं ?**

**उत्तर —** जैनधर्म का उपदेश अनेकान्त की अपेक्षासे है । जो कार्य किसी अपेक्षासे धर्मविरुद्ध है वही दूसरी अपेक्षा से धर्मानुकूल भी है । मुनि के लिये विवाह धर्मविरुद्ध है, आवक के लिये धर्मानुकूल है । पति के मरने पर जिसने आर्थिका की दीक्षा ली है उसके लिये विवाह धर्मविरुद्ध है और जिस

विधवा के ब्रत, सप्तम प्रनिमासे नीचे है उसके लिये विवाह धर्मानुकूल है। श्रावक अगर आहार दान दे तो धर्मानुकूल है औंग मुनि अगर ऐसा करे तो धर्मविषद्ध है। भाषा गुणि का पालन करने वाला (मानवती) अगर सच वात भी बोले तो धर्म विषद्ध है और सभिति का पालन करने वाला बोले तो धर्मानुकूल है। मतलब यह है कि जैनधर्म में कोई कार्य सर्वथा धर्मविषद्ध नहीं कहा जाता। उसके साथ अपेक्षा रहती है। यद्यपि जैनधर्म में यह नहीं कहा गया है कि एक अनर्थ के लिये दूसरा अनर्थ करो; फिर भी इतनी आज्ञा अवश्य है कि यहुत अनर्थ को गंकने के लिये थोड़े अनर्थ की आवश्यकता हो तो उसका प्रयोग करो। दूसरे अनर्थ का निषेध है, परन्तु उस अनर्थ के कम करने का निषेध नहीं है—त्रैसं एक आदमी सब तरह के मांस खाता था, उसने काक मांस छोड़ दिया तो यद्यपि वह अन्य मांस खाता रहा, फिर भी जितना अनर्थ उसने रोका उतना ही अच्छा किया। नासमझ यकि जैनधर्म के ऐसे कथन को युक्ति-प्रमाणण्य प्रमत्त उपदेश लमझते हैं, परन्तु जैनधर्म के उपदेश में कोरी लट्टुवाड़ी नहीं है—उसके भीतर वैतानिक विचार पद्धति मोजूद है। अगर कोई कहे कि क्या बड़े बड़े पापों की अपेक्षा छोटे छोटे पाप ग्राह्य हैं? तो जैनधर्म कहेगा—अवश्य। सप्तव्यसन का सेवी अगर सिर्फ व्यभिचारी रहजाय तो अच्छा (यद्यपि व्यभिचार पाप है); व्यभिचारी अगर परम्परी का त्याग कर सिर्फ वेश्या सेवी रहजाय तो अच्छा है (यद्यपि वेश्या सेवन पाप है); वेश्या सेवन का भी त्याग करके अगर कोई स्वस्त्री सेवी ही रहजाय तो अच्छा (यद्यपि महात्रत की अपेक्षा स्वस्त्री सेवन भी पाप है); यह विषय इतना स्पष्ट है कि ज्यादा

प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं। जैनधर्म का मामूली विवाही भी कह सकता है कि जो कार्य एक व्यक्ति के लिये धर्मविरुद्ध है वही दूसरे के लिये धर्मानुकूल भी हो सकता है।

प्रश्न (१२) — छोटे २ दुधमुँहे बच्चों का विवाह धर्म विरुद्ध है या नहीं ?

उत्तर— दुधमुँहे अर्थात् विवाह के विषय में नासमझ बच्चों का विवाह नहीं हो सकता। समाज के चार आदमी भले ही उसे विवाह मान लें, परन्तु धर्मशास्त्र उसे विवाह नहीं मानता। जो लोग उसे विवाह मानते हैं उनका मानना धर्म विरुद्ध है। अगर ऐसे विवाह हो जायें तो उन्हें विवाह न मानकर उचित अवस्था में उनका फिर विवाह करना चाहिये। अन्यथा उनकी सन्तान कर्ण के समान नाजायज्ञ सन्तान कहलावेगी। विवाह के लिये वर कन्या में दो बातें आवश्यक हैं— विवाह के विषय में अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान और चारित्र मोहनीय के उदय से होने वाले राग परिणाम अर्थात् वह कामलालसा जा कि मुनि, आर्यिका अथवा उच्चवर्ती न बनने दे। इन दो बातों के बिना तीन लोक के समस्त प्राणी भी अगर किसी का विवाह करें तो भी नहीं हो सकता। जो लोग इन दो बातों के बिना विवाह नाटक कराते हैं वे धर्मद्रोही हैं। छोटी उमर में शास्त्रानुसार नियतविधि के अनुसार विवाह का नाटक हो सकता है, परन्तु विवाह नहीं हो सकता। क्योंकि जब उपदान कारण का सहयोग प्राप्त नहीं है तब भिर्ण निमित्तों के ढेर से क्या हो सकता है ? विवाह के लिये शास्त्रानुसार नियत विधि की आवश्यकता अनिवार्य नहीं है, परन्तु उपर्युक्त दो बातें अनिवार्य हैं। गान्धर्व विवाह में शास्त्रानु-

सार नियत विधि नहीं होती, किर भी वह विवाह है और उस विवाह से उत्पन्न संतान मोक्षगामी तक होती है। इसी विवाह से एकमणीजी कृष्णजी की पटगानी बनी थीं और उनसे तद्देव मोक्षगामी प्रद्युम्न पैदा हुए थे। इसलिये शास्त्रानुसार विधि हो या न हो, परन्तु जहाँ पर उपर्युक्त दो बातें होंगी वहाँ पर धर्मानुकूलता है और उनके बिना धर्मविरुद्धता है।

**प्रश्न (१३)**—विधवा होने के पहिले जिन्होंने पत्नीत्व का अनुभव नहीं किया, उन्हें विधवा कहना कहाँ तक उचित है ?

**उत्तर**—१२ वें प्रश्न के उत्तर में इसका भी उत्तर आ सकता है। वहाँ कही हुई दो बातों के बिना जो विवाहनाटक होजाता है उसके द्वारा उन दोनों वृच्छों को पनि पत्नीत्व का अनुभव नहीं होता। वे नाटकीय पति पत्नि कहलाते हैं। पेसी हालत में अगर वह नाटकीय पति मरजाय तो वह नाटकीय पत्नी नाटकीयविधवा कहलायेगी। पत्नीत्व के व्यवहार और पत्नीत्व के अनुभव में बहुत अन्तर है। व्यवहार के लिये तो चारों निक्षेप उपयोगी हो सकते हैं, परन्तु अनुभव के लिये सिर्फ़ भावनिकों प ही उपयोगी है। बालविवाह के पति-पत्नी व्यवहार में स्थापना निक्षेप से काम लिया जाता है। जो लोग उसे भाव निक्षेप समझ जाते हैं अथवा व्यवहार और अनुभव के अन्तर को नहीं समझते, उनकी विद्वत्ता (?) दयनीय हैं।

**प्रश्न (१४)**—क्या पत्नी बनने के पहिले भी कोई विधवा हो सकती है ? और पत्नी बनकर घ्रत ग्रहण करने में वर्ती के भावों की ज़रूरत है या नहीं ?

उत्तर—पत्नी बनने के पहिले कोई विधवा नहीं हो सकती। इस लिये यह दृढ़ता से कहा जा सकता है कि जिन बालिकाओं को लोग विधवा कहते हैं वे विधवा नहीं हैं क्योंकि बाल्यावस्था का विवाह उपर्युक्त दो बातों के न होने से विवाह ही नहीं है। जिसका विवाह ही नहीं उसमें न तो पत्नीपन आ सकता है न विधवापन।

वृत्त ग्रहण करने में वृत्ती के भावों की ज़रूरत है—भाव के बिना किया किसी काम की नहीं। शास्त्रकार तो कहते हैं—‘यस्मान्त्क्रियाः प्रतिफलन्ति न भावशृन्याः’ अर्थात् भाव-रहित क्रियाओं का कुछ फल नहीं होता। अर्थात् भावशृन्य क्रियाओं के द्वारा शुभाशुभ बंध और संवर आदि नहीं होते। जो लोग यह कहते हैं कि ‘अनेक संस्कार बाल्यावस्था में ही कराये जाने हैं इस लिये भावों के बिना भी वृत्त कहलाया’ वे लोग वृत्त और संस्कार का अन्तर नहीं समझते। वृत्त का लक्षण स्वामी समन्त भद्राचार्य ने यह लिखा है :—

अभिसन्धिकृता विरतिः विषयाद्योगाद् वृत्तं भवति ।

अर्थात्—योग्य विषय से अभिप्राय (भाव) पूर्वक विरक्त होना वृत्त कहलाता है। वाहादृष्टि से त्यागी हो जाने पर भी जब तक अभिप्राय पूर्वक त्याग नहीं होता तब तक वृत्त नहीं कहलाता है। संस्कार कोई वृत्त नहीं है, परन्तु वृत्ती बनने को योग्यता प्राप्त करने का एक उपाय है। वृत्त आठ वर्ष की उमर के पहिले नहीं हो सकता, परन्तु संस्कार तो गर्भावस्था से ही होने लगते हैं। लैकौर से योग्यता पैदा हो सकती है (योग्यता का होना अवश्यमावधी नहीं है) लेकिन वृत्त तो योग्यता पैदा होने के बाद उसके उपर्योग होने पर

ही हो सकते हैं। संस्कार से हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है और वह प्रभाव प्रायः दूसरों के द्वारा डाला जाता है: परंतु वन दूसरों के द्वारा नहीं लिया जा सकता। संस्कार तो पात्र में श्रद्धा, समझ और न्याग के बिना भी ढाले जा सकते हैं, परंतु वन में इन तीनों की अन्यंत आवश्यकता रहती है। इस लिये भावों के बिना वन प्रहण हो ही नहीं सकता। वर्तमान में जो अनिवार्य वैधव्य की प्रथा चल पड़ी है, वह वन नहीं है, किन्तु अन्याचारी, समर्थ, निर्दय पुरुषों का शाप है जो कि मिथ्रियों को उनकी कमज़ोरी और मूर्खता के अपराध (?) में दिया गया है।

**प्रश्न ( १५ )**—जिसने कभी अपनी समझ में ब्रह्मचर्याणुवन प्रहण नहीं किया है उसका विवाह करना धर्म है या अधर्म ?

**उत्तर**—जो मुनि वा आर्यिका वनने के लिये नैयार नहीं है या सप्तम प्रतिमा भी धारण नहीं कर सकता उसे विवाह कर लेना चाहिये—चाहे वह विधुर हो या विधवा, कुमार हो या कुमारी। ऐसी हालत में किसी को भी विवाह की इच्छा होने पर विवाह कर लैना अधर्म नहीं है।

**प्रश्न ( १६ )**—जिसका गर्भाशय गर्भधारण करने के लिये पुष्ट नहीं हुआ है उसका गर्भ रह जाने से प्रायः मृत्यु का कारण हो जाता है या नहीं ?

**उत्तर**—इस प्रश्न का सम्बन्ध वैद्यक शास्त्र से है। वैद्यक शास्त्र तो यही कहता है कि १६ वर्ष की लड़की और बीस वर्ष का लड़का होना चाहिये: तभी योग्य गर्भाशान हो सकता है। इससे कम उमर में श्रगर गर्भाशान किया जायता

सन्तान अल्पायु या रोगी होगी अथवा गर्भ स्थायी न रहेगा । बहुत से लोग यह समझते हैं कि स्त्री से पुष्पवति हो जाने से ही गर्भाधान की पूर्ण योग्यता प्राप्त हो जाती है । लेकिन प्राकृतिक नियम इसके विलक्षण विपरीत है । अंड, पोषण्या आदि फलों के वृक्षोंमें जब पुष्प आते हैं तो उन्हें माली उन्हें निष्फल ही भड़ा देता है । क्योंकि अगर ऐसा न किया जाय तो फल बहुत छोटे, बेस्ताद और रही होते हैं । आम के वृक्ष में अगर सब फलों के आम बनने लगें तो आम विलक्षण रही होंगे, उनका आकार गई के दाने से शायद ही बड़ा हो सके । इसलिये प्रकृति फी सदी हृष पुष्पों को निष्फल भड़ादेती है । तब कहीं अच्छे आम पैदा होते हैं । सभी वृक्षों के विषय में यह नियम है कि अगर आप उनसे अच्छा फल लेना चाहते हैं तो प्रारम्भ के पुष्पों को फल न बनने दीजिये और मात्रा से अधिक फल न लगने दीजिये । नारी के विषय में भी यही बात है । वहाँ भी रजोदर्शन के बाद तुरन्त ही गर्भाधान के साधन न मिलना चाहिये, अन्यथा मृत्यु आदि की पूरी सम्भावना है । कहा जा सकता है—मृत्यु भले ही हो, परंतु उसका पाप नहीं लग सकता । लेकिन यह बात ठीक नहीं है, क्योंकि यन्नाचार न करने से प्रमाद होता है और 'प्रमत्त योगान् प्राणव्य-परोपणं हिसा' इस मूल के अनुसार वहाँ हिसा भी है । जब हम जानते हैं कि ऐसा करने से हिसा हो जायगी, फिर भी हम वही काम करें तो इससे हिसा का अभिप्राय, अथवा हिसा होने से लापर्वाही मिल होती है जो कि पापवंश का कारण है । घरमें क्षियों को यह शिक्षा दी जाती है कि पानी को ढककर रक्खा करो, नहीं तो कीड़े मकोड़े गिर कर मर

जायेंगे। यद्यपि स्त्रियों के हृदय में कीड़े मकोड़े मारने का अभिप्राय नहीं है फिर भी अयत्नाचार से जो प्रमाद होता है उसका पाप उन्हें लगता है। जब इस अयत्नाचार से पाप लगता है तब जिस अयत्नाचार से मनुष्यों को भी प्राणों से हाथ धोना पड़े तो उसमें पाप का बंध कर्यों न होगा?

**प्रश्न (१७)**—किसी समाज की पांच लाख औरतों में एक लाख तेतालीस हजार विधवाएँ शोभा का कारण हो सकती हैं या नहीं?

**उत्तर**—जिस समाज में विधवाओं को पुनर्विवाह करने का अधिकार है, उनका पुनर्विवाह किसी भी तरह से हीनदृष्टि से नहीं देखा जाता, स्त्रियों को इस विषय में कोई संकोच नहीं रहता, उस समाज में कितनी भी विधवाएँ हों वे शोभा का कारण हैं। क्योंकि ऐसी समाजों में जो वैधव्य का पालन किया जायगा वह ज़बर्दस्ती से नहीं, त्यागवृत्ति से किया जायगा और त्यागवृत्ति तो जैनधर्म के अनुसार शोभा का कारण है ही, लेकिन जिस समाज में वैधव्य का पालन ज़बर्दस्ती करवाया जाता है, वहाँ पर कोई भी विधवा शोभा का कारण नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई वैधव्यदीक्षा नहीं लेता—वह तो बन्दी जीवन है। बन्दियों से किसी भी समाज की शोभा नहीं हो सकती। ऐसी समाजों के साक्षरों को भी स्वीकार करना पड़ता है कि “एक विधवा भी शोभा का कारण नहीं है—शोभा का कारण तो सौभाग्यवती स्त्रियाँ हैं”। इससे साफ मालूम होता है कि विधवाओं का स्थान सौभाग्यवतियों से नीचा है। अगर ऐसी समाजों में वैधव्य कोई वत होता तो क्या विधवाओं का येसा नीचा स्थान रहता? उनके विषय में

क्या ऐसे अपमानजनक शब्द लिखे जाते ? बती के आगे अबती को क्यी शोभा का कारण कहा जाता ? वैधव्य दीक्षा से दीक्षित महिलाएँ तो सौभाग्यवती और सौभाग्यवानों से भी पूज्य हैं। गृहस्थाश्रम में वे वीतरागता की एक किरण हैं। परन्तु उनको इतना मूल्य तो तब मिले जब समाज में विधवा विवाह का प्रचार हो। तभी उनके न्याग का मूल्य है। जो वस्तु ज्ञवद्दीर्घती छिन गई, जिसके ऊपर अधिकार ही नहीं रहा, उसका न्याग ही क्या ? कहा जा सकता है कि 'वैवी आपत्ति पर कौन विजय प्राप्त कर सकता है ?' ऐसे, इन्फूरेंज़ा आदि से मनुष्य ज्ञान हो जाती है, वहाँ क्या किसी के हाथ की बात है ? ऐसी बात करने वालों से हम पूछते हैं कि वीमारी हो जाने पर आप चिकित्सा करते हैं या नहीं ? अगर दैव पर कुछ वश नहीं है तो आपधालय क्यों खुलवाये जाते हैं ? दैव के उदय से कंगाल हो कर भी लोग अर्थोंगार्जन की चेष्टा क्यों करते हैं ? दैव के उदय से तो सब कुछ होता है, फिर पुरुषार्थ की कुछ झ़रण है या नहीं ? तथा यह बात भी विचारणीय है कि दैव के द्वारा जैसे विधवाएँ बनती हैं; उसी प्रकार विधुर भी बनते हैं। विधुरों के लिये तो दैव का विचार नहीं किया जाता है और विधवाओं के लिये किया जाता है—यह अन्धेर क्यों ? यदि कहा जाय कि विधुरण की चिकित्सा भी दैव के उदय से होती है तो विधवापन की चिकित्सा भी दैव के उदय से हो जायगी और होने लगी है। मनुष्य को उद्योग करना चाहिये, अगर सफल हो जाय तो ठीक है। अगर सफलता न होगी तो क्या दोष है ?

“यत्ने कृते यदि न सिद्धयति कोऽत्र दोषः”

अगर कोई विवाह विवाह में वैधव्य की चिकित्सा करता है तो हमें उसको धन्यवाद देना चाहिये । यहाँ कोई शीलभ्रष्टा की सम्भावना करें तो यह भी अनुचित है । इसका उत्तर हम दें चुके हैं । दैवकृत विवरत्व के दृश्य को हम दूर करते हैं और इससे समाज की शोभा नहीं बिगड़ती तो वैधव्य दुःख को दूर करने से भी शोभा न बिगड़ेगी ।

प्रश्न (१८) — जैन समाज की संख्या घट रही है उससे जैन समाज को हानि है या लाभ ?

उत्तर — गवर्नरमेट को मर्दुमशुमारी की रिपोर्टों के देखने से साफ़ मालूम है कि प्रतिवर्ष ७ हज़ार के हिसाब से जैनी घट रहे हैं । गवर्नरमेट की रिपोर्ट पर अविश्वास करते का कोई कारण नहीं है । समाज का आदर्श जिनना चाहे ऊँचा हो, परन्तु उसे अपना माध्यम ऐसा अवश्य रखना चाहिये जिससे समाज का नाश न हो जाय । उच्च धर्म का पालन करना अच्छी बात है, परन्तु वह समाज का अनिवार्य नियम न होना चाहिये । जिनमें शक्ति हो वे पालन करें, न हो तो न करें । समाज की संख्या कायम रहेगी तो उच्च धर्म का पालन करने वाले भी मिलेंगे । जब समाज ही न रहेगी तो कौन उच्च धर्म का पालन करेगा और कौन मध्यम धर्म का । इस लिये समाज को कोई भी आत्मघातक रिवाज न बनाना चाहिये । वर्तमान में अनिवार्य वैधव्य के रियाज से संख्या घट रही है और इससे बहुत हानि हो रही है ।

प्रश्न (१९) — जैनसमाज में काफ़ी संख्या में आविवाहित हैं या नहीं ?

उत्तर — हैं । परन्तु इसका कारण स्त्रियों की कमी नहीं,

किन्तु अनिवार्य वैधव्य की कुप्रथा है। धर्म के वेप में छिपी हुई यह धर्मनाशक प्रथा बंद हो जाय तो अविवाहित रहने का मान्या न आवे।

**प्रश्न (२०)**—एक लाख तेतालीम हज़ार विधवाएँ अगर समाजमें न होतीं तो जनसंख्या बढ़ सकती थी या नहीं?

**उत्तर**—इतनी विधवाओं के म्थान में अगर सधवाएँ होतीं तो संख्या अवश्य बढ़ती। मट्टुमण्डारी की रियोटी से मालूम होता है कि जिन समाजों में विधवा-विवाह का रिवाज है उनकी जनसंख्या नहीं घट रही है, बल्कि बढ़ रही है। जो लोग ऐसा कहते हैं कि “क्या कोई ऐसी शक्ति है जो कि दैव-बल का अवरोध करके विधवा न होने दे ?” ऐसा कहने वालों को बुद्धि मिथ्यात्व के उदय से भ्रष्ट होगाई है—वे दैव-कांतवादी बन गये हैं। कुमारपन और कुमारीपन, तथा विधुरपन भी दैव के उदय से होते हैं, किन्तु उनके दूर करने का उपाय है। इसी प्रकार वैधव्य के दूर करने का भी उपाय विधवा-विवाह है। हाथकंकण को आगसी क्या ? सौ पचास विधवा-विवाह करके देख लो। जितने विवाह होंगे उतनी विधवाएँ घट जायँगी। अगर विधवाओं का संसारी जीवों की तरह होना अनिवार्य है तो जैसे संसारी जीवों को सिद्ध बनाने की चेष्टा की जाती है उसी तरह विधवाओं को भी सधवा बनाने की चेष्टा करना चाहिये। छः महीना आठ समय में ६०८ जीव संसारी से सिद्ध बन जाते हैं। अगर इतने समय में इतनी ही विधवाएँ सधवा बनायी जायें तो सब विधवाएँ न घटने पर भी बहुत घट जावेंगी।

अगर कोई कहे कि “विधवा-विवाह से नित्य नये उत्पात

और विशाल अनर्थ होंगे, इसीलिये संख्यावृद्धि के प्रलोभन में हमें न पड़ना चाहिये” लेकिन यह भूल है। प्रत्येक रिवाज से कुछ न कुछ हानि और कुछ लाभ होता ही है। विचार सिर्फ़ इतना किया जाता है कि हानि इयादा है या लाभ? अगर लाभ ज्यादा होता है तो वह ग्रहण किया जाता है। अगर हानि इयादा होती है तो छोड़ दिया जाता है। विवाह के रिवाज से ही बाल-विवाह, बृद्ध-विवाह, कन्या-विक्रिय, खियों की गुलामी आदि कुरीतियाँ और दुःपरिस्थितियाँ पैदा हुई हैं। अगर विवाह का रिवाज न होता तो न ये कुरीतियाँ होतीं, न विजातीय-विवाह, विधवा-विवाह आदि के भगाड़े खड़े होते। इसलिये क्या विवाह ग्रथा बुरी हो सकती है? मनुष्य को बहुतसी बीमारियाँ भोजन करने से होती हैं। तो क्या भोजन न करना चाहिये? हमारे जीवन में ऐसा कौन सा कार्य या समाज में ऐसी कौनसी ग्रथा है जिनमें थोड़ी बहुत बुराई न हो? परंतु हमें वे सब काम इस लिये करना पड़ते हैं कि उनसे लाभ अधिक है। विधवा-विवाह से कितने अनर्थ हो सकेंगे, उससे उयादा अनर्थ तो आज विधवा-विवाह न होने से हो रहे हैं। विधवाओं का नारकीय जीवन, गुप्त व्य-भिचार का दौर दौरा, अविवाहित पुरुषों का वनगञ्ज की तरह ढोलना और कसाइयों को भी लड्डित करने वाले भ्रूण-हत्या के दृश्य, ये क्या कम अनर्थ है? इन सब अनर्थों को दूर करने के लिये विधवा-विवाह एक सर्वोत्तम उपाय है। विधवा-विवाह से समाज क्षीण नहीं होती, अन्यथा योरोप, अमेरिका आदि में यह तरक्की न होती। अगर विधवा-विवाह के विरोध से समाज का उद्धार होता तो हमें पशुओं की तरह गुलामी की

ज़ंजीर में न बँधना पड़ता । हमने विधवा-विवाह का विरोध करके स्त्रियों के मनुष्योचित अधिकारों को हड़पा, इसलिये आज हमें दुनियाँ के सामूहने औरत बन के रहना पड़ता है । मनुष्यों को अद्भूत समझा: इसलिये आज हम दुनियाँ के अद्भूत बन रहे हैं । हमारे राज्ञसी पापों का प्रकृति ने गिन गिनकर दंड दिया है । फिर भी हम उन्हीं राज्ञसी अत्याचारों को धर्म समझते हैं । कहते हैं—विधवा-विवाह से शरीर की विशुद्धि न पट हो जायगी ! जिस देह के विषय में जैन समाज का वचा वचा जानता है—

पल स्थिर राघ मल थैली, कीकस बसादि तै मैली ।  
नव द्वार वहैं धिनकारी, अस देह करे किम यारी ॥

ऐसी देह में जो विशुद्धि देखते हैं उनकी आँखें और हृदय किन पाप परमाणुओं से बने हैं, यह जानना कठिन है । व्यभिचारजान शरीर से जब सुहृष्टि सरीखे व्यक्ति मोक्ष तक पहुँचे हैं तब जो लोग ऐसे व्यक्तियों वां जैन भी नहीं समझते उन्हें किन मूर्खों का शिरोमणि माना जाय ? जैन धर्म आत्मा का धर्म है न कि रक्त, मांस और हड्डियों का धर्म । चमार भी रक्त, मांस में धर्म नहीं देखते । फिर जो लोग इन चोज़ों में धर्म देखते हैं, उन्हें हम क्या कहें ?

**प्रश्न ( २१ )**—व इसका उत्तर इस में से हटा दिया गया है क्योंकि इसका सम्बन्ध सम्प्रदाय विशेष के साथुओं से है ।

**प्रश्न ( २२ )**—क्या रजस्वला के रक्त में इतनी ताकत है कि वह सम्यग्दर्शन का नाश कर सके ? यदि नहीं तो क्या सम्यग्दर्शन के रहते अविवाहित रजस्वला के माता

पिता आदि नरक में जा सकते हैं ? यदि मान लिया जाय कि उस रक्त में वैसी शक्ति है तो क्या विवाह कर देने से वह नष्ट हो जाती है ?

उत्तर—रजस्वला के रक्त में सम्यग्दर्शन नष्ट करने की ताक़त नहीं है। अविवाहित अवस्था में रजोदर्शन होने से पाप बन्ध नहीं, किन्तु पुण्य बंध होता है। क्योंकि जिनने दिन तक व्रह्मचर्य पलना रहे उतने दिनतक, अच्छा ही है। हाँ, अगर कोई कन्या वा विधवा, विवाह करना चाहे और दूसरे लोग उसके इस कार्य में बाधा ढालें तो वे पाप के भागी होते हैं, क्योंकि इससे व्यभिचार फैलता है। गर्भधारण की योग्यता व्यर्थ जाने से पाप का बंध नहीं होता, क्योंकि यदि ऐसा माना जाय तो उन राजाओं को महापापी कहना पड़ेगा जो सैकड़ों क्षियोंको छोड़कर मुनि बन जाते थे और रजोदर्शन बन्द होने के पहिले आर्यिका बनना भी पाप कहलायगा। विधवा विवाह के विरोधी इस युक्ति से भी महापापी कहलायेंगे कि वे विधवाओं की गर्भधारण शक्ति को व्यर्थ जाने देते हैं। जो लोग यह समझते हैं कि “रजोदर्शन के बाद गर्भधानादि संस्कार न करने से माता पिता संस्कारलोपक और जन्मार्गलोपी हो जाते हैं” वे संस्कार का मतलब ही नहीं समझते। विवाह भी तो एक संस्कार है; फिर जिन तीर्थकरों ने विवाह नहीं कराये वे क्या संस्कार लोपक और जन्मार्गलोपी थे ? ब्राह्मी और सुन्दरी जीवनभर कुमारी ही रहीं तो क्या उनके पिता भगवान ऋषभदेव और माता मरुदेवी, भाई भरत, बाहुषली आदि नरक गये ? ये लोग भी क्या जिन्मार्गलोपी ही थे ? गर्भधानादि संस्कार तभी करना चाहिये जब कि स्त्री

पुरुष के हृदय में गर्भाधान की लीब्र इच्छा हो, फिर भले ही वह संस्कार २५ वर्ष की उम्र में करना पड़े। इच्छा पैदा होने के पूर्व ऐसे संस्कार करना बलान्तकार के समान पैशाचिक कार्य है।

**प्रश्न (२३)**—चतुर्थ, पंचम, सैतावाल आदि जातियों में विश्वा विवाह क्य से प्रचलित है और ये जातियाँ क्य से जैन जातियाँ हैं?

**उत्तर**—जैन समाज की वर्तमान सभी जातियाँ हजार वर्ष से पुरानी नहीं हैं। जिन लोगों को मिलाकर ये जातियाँ बनाई गई थीं उनमें विश्वा विवाह का रिवाज पहिले से ही था। यह इन जातियों की ही नहीं किन्तु दक्षिण प्रान्त मात्र की न्यायोचित रीति है। दक्षिण में अन्य अजैन लोगों में भी जोकि उच्चवर्णी हैं—यह रिवाज पत्ना जाता है। येतिहासिक सत्य तो यह है कि उत्तर भारत में पदे का रिवाज आजाने से यहाँ की स्त्रियाँ मकान के भीतर कैद हो गईं और पुरुषों के चड्गुल में फँस गईं। पुरुषों ने इस परिस्थिति का बुरी तरह उपभोग किया। उन्होंने स्त्रियों के मनुष्योचित अधिकार हड्डप लिये। परन्तु दक्षिण की स्त्रियाँ घर और बाहर दोनों जगह काम करती थीं, इस लिये स्वार्थी पुरुषों का कुचक उनके ऊपर न चल पाया और उनके पुनर्विवाह आदि के अधिकार सुरक्षित रहे। हाँ, जिन घरों की स्त्रियाँ आराम तलव हो कर घर में पड़ी रहीं उन घरों के स्वार्थी पुरुषों ने मौका पाकर उनके अधिकार हड्डप लिये। इस लिये थोड़े से घरों में यह रिवाज नहीं है। उत्तर प्रान्त में भी शद्रों में विश्वा विवाह का रिवाज है। इसका का कारण यही है कि

उनकी स्त्रियाँ घर के अनिरिक्त बाहर का काम भी करती हैं। अब ज़माना बदल गया है। लेकिन जिस ज़माने में स्त्री पुरुषों का संघर्ष हुआ था उस ज़माने में जहाँ की स्त्रियाँ आर्थिक दण्ड से पुरुषों की पूरो गुलाम वरीं वहाँ की स्त्रियों के बहुत से अधिकार छिन गये। उनमें पुनर्विवाह का अधिकार मुख्य था; जहाँ स्त्रियाँ अपने पैरों पर खड़ी रहीं वहाँ यह अधिकार बचा रहा।

**प्रश्न (२४)**—विधवा विवाह से इनके कौन कौन से अधिकार छिन गये हैं तथा कौन कौन सी हानियाँ हुई हैं?

**उत्तर**—विधवा विवाह से किसी के अधिकार नहीं छिनते। अधिकार छिनते हैं कमज़ोरी से और मूर्खता से। अफ्रिका, अमेरिका आदि में अनेक जगह भारतीयों के साथ अछूत कैसा व्यवहार किया जाता है। इसका कारण भारतीयों की कमज़ोरी है। दक्षिण के उपाध्यायों में विधवा विवाह का रिवाज़ है, वे निर्मालिय भक्त भी करते हैं। फिर भी उनके अधिकार सबसे ज्यादा हैं; इसका कारण है समाज की मूर्खता। उत्तर प्रान्त के दस्से अगर विधवा विवाह न करे तो भी उन्हें पूजा के अधिकार नहीं मिलेंगे, परन्तु दक्षिण के लोगों को सर्वाधिकार हैं। अधिकार छिनने के कारण तो दूसरे ही होते हैं। हाँ, धार्मिक दण्ड से विधवा विवाह वालों का कोई अधिकार नहीं छिनता। स्वर्गों में भी विधवा विवाह है, फिर भी देव लोग नंदीश्वर में, समवशरण में तथा अन्य कृत्रिम कृत्रिम चैत्यालयों में भगवान की पूजा बन्दना आदि करते हैं। विधवा विवाह, कुमारी विवाह के समान धर्मानुकूल है; यह बात हम पहिले सिद्ध कर चुके हैं। जब

( ३७ )

कुमारीविवाह से कोई अधिकार नहीं छिनते तो विधवा विवाह से कैसे छिनेंगे । कुछ लोग नासमझी से, विधवा विवाह से उन अधिकारों का छिनना बतलाते हैं जो व्यभिचार से भी नहीं छिन सकते ! इस मम्बन्य के कुछ शास्त्रीय उदाहरण सुनिये—

कौशाम्बी नगरी के राजा सुमुख ने वीरक सेठ की स्त्री को हर लिया: फिर दोनों ने मुनियों को आहार दिया और मरकर विद्याधर, विद्याधरी हुए । इन्हीं से हरिवंश चला । पश्चुराण और हरिवंशपुराण की इस कथा से मालूम होता है कि व्यभिचार से मुनिदान अधिकार नहीं छिनता । राजा मधु ने चन्द्रामा का हरण किया था । पीछे से दोनों ने जिनदीक्षा ली और मोलहवे स्वर्ग गये । इससे मालूम होता है कि व्यभिचार से मुनि, आर्यिका यनने का भी अधिकार नहीं छिनता । प्रायश्चित्त ग्रन्थों के देखने से मालूम होता है कि आर्यिका भी अगर व्यभिचारणी हो जाय तो प्रायश्चित्त के बाद फिर आर्यिका बनाई जानकती है । व्यभिचार जात सुदृष्टि सुनार ने मुनिदीक्षा ली और मोक्ष गया, यह बात प्रमिष्ट ही है । इस से मालूम होता है कि व्यभिचार से या व्यभिचार जात होने से किसी के अधिकार नहीं छिनते । विधवाविवाह तो व्यभिचार नहीं है, उससे किसी के अधिकार कैसे छिन सकते हैं ?

प्रश्न (२५) — इन जातियों में कोई मुनिदीक्षा ले सकता है या नहीं ? यदि ले सकता है तो क्या उनके खानदान में विधवाविवाह नहीं हुआ और क्या विधवाविवाह करने वाले खानदानों से वेशी व्यवहार नहीं हुआ ?

उत्तर — इन जातियों में मुनिदीक्षा लेने हैं । वेशी व्यव-

हार भी सब जगह होता है। यह सब धर्मानुकूल है। इसका खुलासा २३ और २४ वें प्रश्न के उत्तर में हो चुका है।

**प्रश्न (२६)**—व्यभिचार से पैदा हुई सन्तान मुनिदीना ले सकती है या नहीं? यदि नहीं तो व्यभिचारिणी का पुत्र सुदृष्टि सुनार उसी भव से भोक्त बयाँ गया? क्या यह कथा मिथ्या है?

उत्तर—यदि कथा मिथ्या भी हो तो इससे यह मालूम होना है कि जिन जिन आचार्योंने यह कथा लिखी हैं उन्हें व्यभिचारजात सन्तान को मुनि दीना लेने का अधिकार स्वीकार था। यदि कथा सत्य हो तो कहना ही क्या है? मनुष्य किसी भी तरह कहीं भी पैदा हुआ हो, वैराग्य उन्पन्न होने पर उसे मुनिदीना लेने का अधिकार है। इसमें तो सन्देह नहीं कि सुदृष्टि सुनार था, क्योंकि दोनों भवों में आभूषण बनानेका धंधा करता था, जोकि सुनार का काम है। रन्नविज्ञानिक शब्द से इतना ही मालूम होता है कि वह रन्नों के जड़ने के काम में बड़ा हेशियार था; व्यभिचार जातता तो स्पष्ट ही है, क्योंकि जिस समय वह मरा और अपनी स्त्री के ही गर्भ में आया उसके पहिले ही उसकी स्त्री व्यभिचारिणी हो चुकी थी और जार से ही उसने सुदृष्टि की हत्या करवाई थी। वह अपने वीर्य से ही पैदा हुआ हो, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि वीर्य व्यभिचारिणी के गर्भ में डाला गया था। इतने पर भी जब कोई दोष नहीं है तो विधवा-विवाह में क्या दोष है? विधवा विवाह से जो संतान पैदा होगी वह भी तो एक ही वीर्य से पैदा होगी।

**प्रश्न (२७)**—शैवर्णिकाचार के ग्यारहवें अध्याय में

( ३६ )

१७४ वें आदि श्लोकों से स्त्री-पुनर्विवाह का समर्थन होता है या नहीं ?

उत्तर—होता है । वैवर्णिकाचार के रचयिता सोमसेन ने हिन्दू-स्मृतियों की नक़ल की है, यहाँ तक कि वहाँ के श्लोक चुरा चुरा कर ग्रन्थ का कलेवर बढ़ाया है । हिन्दू-स्मृतियों में विधवा-विवाह का विधान पाया जाता है इसलिये उनमें भी इसका विधान किया है । दूसरी बात यह है कि दक्षिण प्रान्त में ( जहाँ कि सोमसेन भट्टारक हुए हैं ) विधवा-विवाह का रिवाज सदा से रहा है । यह बात हम तेर्सवे प्रश्न के उत्तर में कह चुके हैं । इसलिये भी सोमसेन जी ने विधवा-विवाह का समर्थन किया है । सब से स्पष्ट बात तो यह है कि उनने गालवऋषि का मत विधवा-विवाह के पक्ष में उद्धृत किया है लेकिन उसका खण्डन विलकृत नहीं किया । पाठक ज़रा निम्न लिखित श्लोक पर ध्यान दें :—

कलौतु पुनरुद्धाहं वर्जयेदिति गालवः ।

कस्मिमश्चिदेशे इच्छन्ति न तु सर्वत्र केचन ॥

“गालव ऋषि कहते हैं कि कलिकाल में पुनर्विवाह न करे । परन्तु कुछ लांग चाहते हैं कि किसी किसी देश में करना चाहिये ।”

इससे साफ़ मालूम होता है कि दक्षिण प्रान्त में उस समय भी पुनर्विवाह का रिवाज चालू था जिसका विरोध भट्टारकजी भी नहीं कर सके । इसलिये उनने विधवा-विवाह के विरोध में एक पंक्ति भी न लिखी । जो आदमी ज़रा ज़रा सी बात में सात पुश्त को नरक में भेजता है वह विधवा-विवाह की ज़रा भी निंदा न करे यह बड़े आश्वर्य की बात है

सोमसेन ने गालवऋषि का मत उद्धृत करके उसका खगड़न करना तो दूर, अपनी असम्मति नक ज़ाहिर नहीं की । इससे साफ़ मालूम होता है कि सोमसेन विधवा-विवाह के पक्ष में थे, अथवा विपक्ष में नहीं थे । अन्यथा उन्हें गालवऋषि के मतको उद्धृत करने की क्या ज़रूरत थी ? और अगर किया था तो उसका विरोध तो करते ।

इससे एक बात और मालूम होती है कि हिन्दू लोगों में कलिकाल में पुनर्विवाह वर्जनीय है सो भी, किसी के मत से नहीं है ) लेकिन पहिले शुगों में पुनर्विवाह वर्जनीय नहीं था । श्रीमान पं० जुगलकिशोरजी मुख्तार ने जैन जगत् के १८ वें अङ्क में पश्चाशर, वस्त्रिष्ठ, मनु, याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों के वाक्य देकर हिन्दू-धर्मशास्त्रों में स्त्री-पुनर्विवाह को बड़े अकाल्य प्रमाणों से सिद्ध किया है । जो लोग “नष्टे मृते प्रवर्जिते क्लीवे च पतिते पतौ । पञ्चस्वापन्मुनारीणां पतिरन्तो विधीयते” इस श्लोक में पतौ का अपतौ अर्थ करते हैं वे बड़ी भूल में हैं । अमितगति आचार्य ने इस श्लोक को विधवा-विवाह के समर्थन में उद्धृत किया है । वेद में पति शब्द के पतये आदि रूप बीसों जगह मिलते हैं । मुख्तार साहिव ने व्याकरण आदि के प्रकरणों का उल्लेख करके भी इस बात को सिद्ध किया है । हिंतोपदेश का निम्नलिखित श्लोक भी इसी बात को सिद्ध करता है—

‘शशिनीव हिमार्त्तिनाम् धर्मार्त्तिनाम् रवाविव ।

मनो न रमते स्त्रीणां जराजीर्णेन्द्रिये पतौ’ ॥

शान्तिपुराण में भी ‘पतौ’ ऐसा प्रयोग मिलता है । हिन्दू-धर्मशास्त्रों से विधवा-विवाह के पोषण में बहुत ही

अधिक प्रमाण हैं। इस लिये यह बात सिद्ध होती है कि हिन्दुओं में पहिले आमतौर पर पुनर्विवाह होता था। ऐसे विवाहों की सन्तान धर्मपरिवर्तन करके जैनी भी बनती होगी। जिस प्रकार आज दक्षिण में विश्वा-विवाह चालू है उसो तरह उस ज़माने में उत्तर प्रान्त में भी रहा होगा। कौटिलीय अर्थ-शास्त्र के देखने से यह बात विलकृत स्पष्ट हो जाती है। चाणिक्य ने यह अन्य महाराजा चंद्रगुप्त के राज्य के लिये बताया था, और जैनग्रन्थों से यह सिद्ध है कि महाराजा चंद्रगुप्त जैनी थे। एक जैनों के राज्य में पुनर्विवाह के कैसे नियम थे, यह देखने योग्य है—

“हस्त्र प्रवासिनां शूद्र वैश्य लक्ष्मिय व्राह्मणानां भार्याः  
संबन्धसरोत्तरं कालमाकां क्षेत्रं रम्भजाताः संबन्धसराधिकं प्रजाताः।  
प्रतिविहिता द्विगुणं कालं ॥ अप्रतिविहिताः सुखावस्था विभूयुः  
परं चत्वारिंशत्तर्गयष्टौवा ज्ञातयः ॥ ततो यथा दत्त मादाय  
प्रमुच्ययुः ॥ व्राह्मणमधोयानं दश वर्षाणय प्रजाता द्वादश प्रजाता  
राजपुरुषमायुः लक्ष्मिदाढ़क्षेत ॥ सर्वर्णतश्च प्रजाता नापवादं  
लभेत् । कुटुम्बद्विं लोपे वा सुखावस्थै विमुक्ता यथेष्ट विन्देत  
जीविनार्थम् ।”

अर्थात्—थोड़े समय के लिये बाहर जाने वाले शूद्र वैश्य, लक्ष्मिय और व्राह्मणों की पुत्रहीन स्त्रियाँ एक वर्ष तथा पुत्रवती इससे अधिक समय तक उनके आनेकी प्रतीक्षा करें। यदि पति उनकी आजीविका का प्रबन्ध कर गये हों तो वे दुगुने समय उनकी प्रतीक्षा करें और जिनके भोजनाच्छादन का प्रबन्ध न हो उनका उनके समृद्ध वंशुबांधव चार वर्ष या अधिक से अधिक आठ वर्ष तक पालन पोषण करें। इसके

बाद प्रथम विवाह में दिये धन को वापिस लेकर दूसरी शादी के लिये आका देवै । पढ़ने के लिये बाहर गये हुए ब्राह्मणों की पुत्ररहित स्त्रियाँ दश वर्ष और पुत्रवती स्त्रियाँ बारह वर्ष तक प्रतीक्षा करें । यदि कोई व्यक्ति राजा के किसी कार्य से बाहर गये हों तो उनकी स्त्रियाँ आगु पर्यंत उनकी प्रतीक्षा करें । यदि किसी समाज वर्ण ( ब्राह्मणादि ) पुरुष से किसी स्त्री के बचा पैदा होजाय तो वह निन्दनीय नहीं । कुटुम्ब की सम्पत्ति नाश होने पर अथवा समृद्ध बन्धुवांशवौं से छोड़े जाने पर कोई स्त्री जीवन निर्वाह के लिये अपनी इच्छा के अनुसार अन्य विवाह कर सकती है ।

प्रकरण ज़रा लम्बा हैः इसलिये हमने थोड़ा भाग ही लिया है । इसमें विधवाविवाह और सध्वा विवाह का पूरा समर्थन किया है । यह है सब दो हज़ार वर्ष पहिले की एक जैन नरेश की राज्यनीति । अगर चन्द्रगुप्त जैनी नहीं थे तो भी उस समय का यह आम रिवाज मालूम होता है ।

आचार्य सोमदेव ने भी लिखा है—विकृत पत्यूदापि पुनर्विवाहमर्हतीति स्मृतिकाराः—अर्थात् जिस स्त्री का पति विकारी हो, वह पुनर्विवाह की अधिकारिणी है, ऐसा स्मृति-कार कहते हैं । सोमदेव आचार्य ने ऐसा लिखकर स्मृतिकारों का बिल्कुल खगड़न नहीं किया है, इससे सिद्ध है कि वे भी पुनर्विवाह से सहमत थे । इसी रीति से सोमसेन ने भी लिखा है—उनने गालव ऋषि के बचन उद्धृत करके विधवाविवाह का समर्थन किया है ।

**प्रश्न (२८)**—अगर किसी अबोध कन्या से कोई बलात्कार करे तो वह कन्या विवाह योग्य रहेगी या नहीं ।

उत्तर—क्यों न रहेगी ? यह बात तो उन्हें भी स्वीकार करना चाहिये जां क्योंकि के पुनर्विवाह के विरोधी हैं, क्योंकि उन लोगों के मन से विवाह आगम की विधि से होता है । बलात्कार में आगम की विधि कहाँ है ? इस लिये वह विवाह तो है नहीं और अविवाहित कन्या को तो सभी के मन से विवाह का अधिकार है । रही बलात्कार की बात सो उसका दंड बलात्कार करने वाले पापी पुरुष को मिलना चाहिये—बेचारी कन्या को क्यों मिले ? कुछ लोग यह कहते हैं कि “यदि बलात्कार करने वाला पुरुष कन्या का सजातीय थोग्य हो तो उसी के साथ उस कन्या का पाणिग्रहण कर देना चाहिये; अन्यथा कन्या जीवनभर ब्रह्मचारिणी रहे ।” जो लोग बलात्कार करने वाले पापी, नीच, पिशाच पुरुष को भी योग्य समझते हैं उनकी धर्मवुद्धि की बलिहारी ! ब्रह्मचर्य पालना कन्या की इच्छा की बात है, परन्तु अगर वह विवाह करना चाहे तो धर्म उसे नहीं रोकता । न समाज को ही रोकना चाहिये । जो लोग पुनर्विवाह के विरोधी हैं उनमें अगर न्याय वुद्धि का अनंतवाँ हिस्सा भी रहेगा तो वे भी न रोकेंगे क्योंकि ऐसी कन्या का विवाह करना पुनर्विवाह नहीं है ।

प्रश्न (२६)—बैवणिकाचार से तलाक के रिवाज का समर्थन होता है । क्या यह उचित है ?

उत्तर—दक्षिण प्रांतमें तलाक का रिवाज है इसलिये सोमसेन ने इस रिवाज की पुष्टि की है । वे किसी को दसवें वर्ष में, किसी को १२ वें वर्ष में, किसी को पांद्रहवें वर्ष में, तलाक देने की (छोड़ देने की) व्यवस्था देते हैं । जिसका बोलचाल अच्छा न हो उसको तुरंत तलाक देने की व्यवस्था

है। इस प्रथा का धर्म के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। समाज की परिस्थिति देखकर उसी के अनुसार इस विषय में विचार करना चाहिए। परंतु जिन कारणों से सोमसेन जी ने तलाक देने का उपदेश दिया है उनसे तलाक देना अन्यथा है। यौं भी तलाक प्रथा अच्छी नहीं है।

प्रश्न (३०) — किस कारण से पुराणों में विधवा विवाह का उल्लेख नहीं मिलता? उस समय की परिस्थिति में और आज की परिस्थिति में अंतर है या नहीं?

उत्तर—पुराणों के टटोलने के पहिले हमें यह देखना चाहिये कि पौराणिक काल में विधवा विवाह या विवाह के पुनर्विवाह का रिवाज था या नहीं?

ऐनिहासिक दृष्टि से जब हम इस विषय में विचार करते हैं तब हमें कहना पड़ता है कि उस समय पुनर्विवाह का रिवाज ज़रूर था। २७ वें प्रश्न के उत्तर में कहा जा चुका है कि हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार विधवा विवाह सिद्ध है। गालव आदि के मत का उल्लेख सोमसेन जी ने भी किया है। इससे सिद्ध है कि जैनसमाज में यह रिवाज हो या न हो परंतु हिंदू समाज में अवश्य था। हिंदू पुराणों के देखने से यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है। उनके ग्रंथों के अनुसार सुग्रीव की छोटी का पुनर्विवाह हुआ था; धृतराष्ट्र पांडु और विदुर नियोग की सन्तान हैं। यदि यह कहा जाय कि ये कहानियाँ भूठी हैं तो भी हानि नहीं, क्योंकि इससे इतना अवश्य मालूम होता है कि जिन लोगों ने ये कहानियाँ बनाई हैं उन लोगों में विधवा विवाह और नियोग का रिवाज ज़रूर था और इसे वे उचित समझते थे। दमयंती ने नल को

दूँढ़ने के लिये अपने पुनर्विवाह के लिये स्वयम्भर किया था । माना कि उसे दूसरा विवाह करना नहीं था, परंतु इससे यह अवश्य ही सिद्ध होता है कि उस समय पुनर्विवाह का रिवाज था और राजा लोग भी उसमें योग देते थे । उपर्युक्त विवेचन से इतनी बात सिद्ध हुई कि चतुर्थकाल में अजैन लोगों में मिथियों के पुनर्विवाह का रिवाज था । अब हम आगे बढ़ते हैं ।

चतुर्थ काल में ऋषभदेव भगवान के बाद शास्त्रिनाथ भगवान के पहिले प्रत्येक तीर्थकर के अंतराल में ऐसा समय आता रहा है जब की जैन धर्म का विच्छेद हो जाता था । ऐसे समय में अजैनों के धार्मिक विश्वास के अनुमार विधवाविवाह, नियोग आदि अवश्य होते थे । धर्मविच्छेद का वह अंतराल असंख्य वर्षों का होना था । इससे करोड़ों पीढ़ियों इसी तरह निकल जाती थीं और इतनी पीढ़ियों तक विधवा विवाह, नियोग आदि की प्रथा चलती रहती थी । फिर इन्हीं में जैनी लोग पैदा होते थे अर्थात् दीक्षा लेकर जैनी बनते थे । इस लिये जैनी भी इस प्रथा से अबूते नहीं थे । दूसरी बात यह है कि दीक्षान्वय किया के ढारा अजैनों को जैनी बनाया जाता था । इस तरह भी इस प्रथा की कूत लगती रहती थी । जैन शास्त्रों के अनुमार ही जब इतनी बात सिद्ध हो जाती है तब विधवा विवाह का प्रथमानुयोग में उल्लेख न होना सिर्फ़ आश्चर्य की बात रह जाती है; विशेष महत्व की नहीं । परंतु ज़रा और गम्भीर विचार करने पर इसकी आश्चर्यजनकता भी घट जाती है और महत्व तो बिलकुल नहीं रहता ।

आजकल हमारे जितने पुराणे हैं वे सब श्रेणिक के पूछने पर गौतम गणधर के कहे हुए बतलाये जाने हैं । आजकल जो रामायण, महाभारत प्रभिद्ध हैं, श्रेणिक ने उन सब पर विचार किया था और जब वह चरित्र उन्हें न जँचे तो गौतम से पूछा और उनने सब चरित्र कहा और बुराइयों की बीच बोच में निन्दा की । लेकिन इसके बीच में उनने कहीं विधवा विवाह की निन्दा नहीं की । हमारे पंडित लोग विधवा विवाह को परस्त्रीसेवन से भी बुरा बनलाने हैं लेकिन गौतम गणधर ने इतने बड़े पाप (?) के विरोध में एक शब्द भी नहीं कहा । इससे साफ़ मालूम होता है कि गौतम गणधर की दृष्टि में भी विधवा विवाह की बुराई कुप्रारी विवाह से अधिक नहीं थी अन्यथा जब परस्त्रीसेवन की निन्दा हुई और मिथियान्व की भी निन्दा हुई तब विधवा विवाह की निन्दा क्यों नहीं हुई ?

एक बात और है । शास्त्रों में परस्त्रीसेवन की निन्दा जिस कारण से की गई है वह कारण विधवा विवाह को लागू ही नहीं होता । जैसे—

यथा च जायते दुःखं रुद्धायामात्म यांशिति ।

नरान्तरेण सर्वेषामित्रमन्व व्यवस्थितिः ॥

“जैसे अपनी स्त्री को कोई गोकले तो अपने को दुःख होता है उसी तरह दूसरे की स्त्री रोक लेने पर दूसरे को भी होता है ।”

पाठक ही विचारें, जिसका पति मौजूद है उसी स्त्री के विषय में ऊपर की युक्ति ठीक कही जा सकती है । लेकिन विधवा का तो पति ही नहीं है, फिर दुःख किसे होगा ? अगर

कहा जाय कि कोई सम्बन्धी तो होंगे, उन्हें तो दुःख हो सकता है; लेकिन यह तो ठीक नहीं, क्योंकि इस विषय में स्वामी को छोड़ कर किसी दूसरे के दुःख से पाप नहीं होता। हाँ अगर स्त्री स्वयं राजी न हो तो वात दूसरी है। अन्यथा रुक्मणीहरण आदि वीरों उदाहरण दिये जा सकते हैं जिनमें माता पिता को दुःख हुआ था फिर भी वह पाप नहीं माना गया। इसका कारण यही है कि रुक्मणी का कोई स्वामी नहीं था जिसके दुःख की पर्वाह की जाती और वह तो स्वयं राजी थी ही। विधवा के विशय में भी विलक्षण यही वात है। उसका कोई स्वामी तो है नहीं जिसके दुःख की पर्वाह की जाय और वह स्वयं राजी है। हाँ, अगर वह राजी न हो तो उसका विवाह करना अवश्य पाप है। परंतु यह वात कन्या के विशय में भी है। कन्या अगर राजी न हो तो उसका विवाह करना अन्याय है; पाप है।

इस विवेचन से हमें यह अच्छी तरह मालूम हो जाता है कि गौतमगणधर ने विधवा विवाह की निन्दा क्यों नहीं की? शास्त्रों में विधवा विवाह का उल्लेख क्यों नहीं है? इस के पहले हमें यह चिन्चारना चाहिये कि विधवाओं का उल्लेख क्यों नहीं है? विधवाएँ तो उस समय भी होती थीं? परंतु जिस प्रकार कन्याओं के जीवन का चित्रण है, पत्नीजीवन का चित्रण है, उसी प्रकार प्रायः वैधव्य का चित्रण नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि वैधव्य दीक्षा किसी ने ली इसका भी चित्रण नहीं है। इस कारण क्या हम यह कह सकते हैं कि उस समय विधवाएँ नहीं होती थीं या वैधव्य दीक्षा कोई नहीं लेना था? यदि इन विश्वरूपों के अभाव में भी विधवा

और वैधव्यदीना का उस समय सद्भाव माना जा सकता है तो विधवाविवाह के चित्रण के अभाव में भी उस समय विधवाविवाह का सद्भाव माना जा सकता है, क्योंकि जो ग्रिवाज धर्मशास्त्र के अनुकूल है उसके प्रचार में चतुर्थकाल के धार्मिक और उदार लोग बाधा डालते होंगे इसकी तो स्वप्न में भी कल्पना नहीं की जा सकती ।

प्रथमानुयोग शास्त्र कोई दिनचर्या लिखने की डायरी नहीं । उनमें उन्हाँ घटनाओं का उल्लेख है जिनका सम्बन्ध शुभाशुभ कर्मों से है । वर्णन का सरम बनाने के लिये उनने मरस रचना अवश्य की है लेकिन अनावश्यक चित्रण नहीं किया, वल्कि अनेक आवश्यक चित्रण भी रह गये हैं । दीक्षान्वय किया का ऐसा विधान आदिपुराण में पाया जाता है, उसका चित्रण किसी पात्र के चरित्र में नहीं किया, जब कि सैकड़ों अज्ञानों ने जनर्म की दीक्षा ली है । इस लिये क्या यह कहा जा सकता है कि उस समय दीक्षान्वय की वह विधि चालू नहीं थी ? यही बात विधवाविवाह के बारे में भी है ।

विवाह-विधान के आठ भेद बतलाये हैं, परन्तु प्रथमानुयोग के चरित्रों में दो एक विधानों के अतिरिक्त और कोई विधान नहीं मिलते । लेकिन इससे यह नहीं कहा जा सकता कि उस समय वैसे विधान चालू नहीं थे ।

इससे यह बात सिद्ध होती है कि विधवाविवाह कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना नहीं थी जिसका चित्रण किया जाता । यहाँ शंका हो सकती है कि 'कुमारी-विवाह भी ऐसी क्या महत्वपूर्ण घटना थी जिसका चित्रण किया गया ?' इसका उत्तर थोड़े में यही दिया जा सकता है कि प्रथमानुयोग

( ४६ )

ग्रन्थों में कुमारी-विवाह का उल्लेख सिफ़्र वहीं हुआ है जहाँ पर कि विवाह का सम्बन्ध किसी महत्वपूर्ण घटना से हो गया है। जैसे सुलोचना के विवाह का सम्बन्ध जयकुमार अर्ककीर्ति के युद्ध से है, सीता के विवाह का सम्बन्ध धनुष चढ़ाने और भासंडल के समागम से है इत्यादि। बाकी विवाहों का कुछ पता ही नहीं लगता; सिफ़्र लियों की गिनती से उनका अनुमान किया जाता है।

प्रचीन सभ्यता में कुमारी विवाहों में किसी किसी विवाह का सम्बन्ध किसी महत्वपूर्ण घटना से हो जाता था इस लिये उनका उल्लेख पाया जाता है। परन्तु विश्वा-विवाह में ऐसी महत्वपूर्ण घटना की सम्भावना नहीं थी या घटना नहीं हुई इस लिये उनका उल्लेख भी नहीं हुआ।

शास्त्रों में सिफ़्र महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख मिलता है। महत्वपूर्ण घटनाएं अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी हो सकती हैं। इसीलिये परस्त्रीहरण आदि तुरी घटनाओं का भी उल्लेख है। बुरे कार्यों को निन्दा और उनका बुरा फल बतलाने के लिये यह नित्रण हुआ है। अगर विश्वाविवाह भी बुरी घटना हाती तो उसका बाप फल बतलाने के लिये क्या एक भी घटना का उल्लेख न होता। इसमें साफ मालूम होता है कि विश्वाविवाह का अनुलेख उसकी बुराई को नहीं, किन्तु साधारणता को बतलाता है। जब शास्त्रों में परस्त्रीहरण और बाप बेटी के विवाह का उल्लेख मिलता है (देखा कार्त्तिकेय स्वामीकी कथा—आराधना कथा-कोश में) और उनकी निन्दा की जाती है, किन्तु विश्वाविवाह का उल्लेख उसकी निन्दा करने और दुष्प्रल बताने को भी नहीं

मिलना: इतने पर भी जो लोग विधवाविवाह को बड़ा पाप समझते हैं उनकी समझ की बलिहारी । साराँश यह है कि विधवा विवाह न तो कोई पाप है, न कोई महत्वपूर्ण बात है जिससे उसका उल्लेख शास्त्रों में किया जाता ।

जब यह बात सिद्ध हो चुकी कि विधवाविवाह जैनशास्त्रों के अनुकूल और पुरानी प्रथा है तब इस बात की ज़रूरत नहीं है कि दोनों कालोंकी परिस्थितिमें अन्तर दिखलाया जाय, फिर भी कुछ अन्तर दिखला देना हम अनुचित नहीं समझते:—

पहिले ज़माने में विवाह तभी किया जाता था जब मातापिता देख लेते थे कि इनमें एक तरह का रागभाव पैदा हो गया है, जिसको सीमित करने के लिये विवाह आवश्यक है, तब वे विवाह करते थे । परन्तु आजकल के माता पिता असमय में ही बिना ज़रूरत विवाह कर देते हैं; बस फिर उनकी बला से । पहिले ज़माने में भ्रूणहत्याएँ नहीं होती थीं । परन्तु आजकल इन हत्याओं का बाज़ार गर्म है ।

पहिले ज़माने में अगर किसी स्त्री से कोई कुकर्म हो जाता था तो भी वह और उसकी संतान जाति से पतित नहीं मानी जाती थी । उनकी योग्य व्यवस्था की जाती थी । ज्येष्ठा आर्यिका का, उदाहरण काफ़ी होगा । उस समय जैनसमाज में जन्मसंख्या की अपेक्षा मृत्युसंख्या अधिक नहीं थी ।

विधवा स्त्रियोंके साथऐसे अत्याचार नहीं होतेथे; जैसे कि आजकल होते हैं । इस प्रकार अन्तर तो बहुत से हैं, परन्तु प्रकरणके लिये उपयोगी थोड़ेसे अन्तर यहाँ लिख दिये गये हैं ।

प्रश्न (३१)—सामाजिक नियम अथवा व्यवहार धर्म आवश्यकतानुसार बदल सकता है या नहीं ?

उत्तर—सामाजिक नियम अथवा व्यवहार धर्म, इन दोनों शब्दों के अर्थ में अन्तर है, परंतु सामाजिक नियम, व्यवहार धर्म की सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। इस लिये उनमें अभेद रूप से व्यवहार किया जाता है। जो सामाजिक नियम व्यवहार धर्म रूप नहीं हैं अर्थात् निश्चय धर्म के पोषक नहीं हैं वे नादिरशाही के नमूने अथवा भेड़ियाधसानी मुख्ती के चिन्ह हैं। व्यवहार धर्म ( तदन्तर्गत होने से सामाजिक नियम भी ) सदा बदलता रहता है। व्यवहार धर्म में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा है। जब द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावमें सदा परिवर्तन होता है, तब तदाश्रित व्यवहार धर्म में परिवर्तन क्यों न होगा ? व्यवहार धर्म में अगर परिवर्तन न किया जाय तो धर्म जीवित ही नहीं रह सकता।

मात्रमार्ग में ज्यों ज्यों उच्चता प्राप्त होती जाती है ज्यों ज्यों भेद घटते जाते हैं। भिन्नों में परम्पर जितना भेद है उसमें इयादा भेद अरहतों में है और उसमें भी इयादा मुनियों में और उसमें भी इयादा श्रावकों में है।

ऊपरी गुण स्थानों में कर्मों का नाश, केवलज्ञानादि की उत्पत्ति, शुक्ल ध्यान आदि की इष्टि से समानता है; परन्तु शुक्ल ध्यान के विषय आदिक की इष्टि से भेद भी है। और भी बहुत सी वातों में भेद है। कोई सामायिक संयम रखता है, कोई छेदोपस्थापना। कोई स्त्री वेदी है, कोई पुंवेदी, कोई नपुंसक वेदी। इन जुदे जुदे परिणामों से भी सब यथाख्यात संयम को प्राप्त करते हैं। भगवान् अजितनाथ से लेकर भगवान् महावीर तक छेदोपस्थापना संयम का उपदेश ही नहीं

था । भगवान् ऋषभदेव और भगवान् महावीर ने इसका भी उपदेश दिया ! मुनियों के लिये कमङ्डलु रखना आवश्यक है, परन्तु तीर्थঙ्कर और सप्त ऋद्धि वाले कमङ्डलु नहीं रखते । मतलब यह कि व्यवहार धर्म का पालन आवश्यकता के अनुसार किया जाता है—उसका कोई निश्चित रूप नहीं है ।

श्रावकाचार में तो यह अन्तर और भी अधिक हो जाता है । छुट्टी प्रतिमा में कोई रात्रि भोजन का त्याग बताते हैं तो कोई दिनमें स्त्री सेवन का त्याग ! अष्ट मूलगुण तो समय समय पर बदलते ही रहे हैं और वे इस समय चार तरह के पाये जाते हैं ! किसी के मतसे वेश्यासेवी भी ब्रह्मचर्यालुवती हो सकता है किसी के मत से नहीं ! जो लोग यह समझते हैं कि निश्चयधर्म एक है इसलिये व्यवहारधर्म भी एक होना चाहिये, उन्हें उपर्युक्त विवेचन पर ध्यान देकर अपनी बुद्धि को सत्यमार्ग पर लाना आवश्यक है ।

कई लोग कहते हैं—“ऐसा कोई सामाजिक नियम अथवा किया नहीं है जो धर्म से शून्य हो; सभी के साथ धर्म का सम्बन्ध है अन्यथा धर्मशून्य किया अधर्म ठहरेगी” । यह कहना बिलकुल ठीक है । परन्तु जब येही लोग कहने लगते हैं कि सामाजिक नियम तो बदल सकते हैं, परन्तु व्यवहार धर्म नहीं बदल सकता तब इनकी अक्ल पर हँसी आने लगती है । वे व्यवहार धर्म के बदलने से निश्चय धर्म बदलने की बात कहके अपनी नासमझी तो प्रगट करते हैं, किन्तु धर्मानुकूल सामाजिक नियम बदलने की बात स्वीकार करके भी धर्म में परिवर्तन नहीं मानते । ऐसी समझदारी तो अवश्य ही अजायबघर में रखने लायक है ।

यहाँ हम इस बात का युलासा कर देना चाहते हैं कि व्यवहारधर्म के बदलने से निश्चय धर्म नहीं बदलता। इवाइयाँ हजारों तरह भी होती हैं और उन सबसे बीमार आदमी निर्गोग बनाया जाता है। गोगियों की परिस्थिति के अनुसार ही दवाई की व्यवस्था है। एक रोगी के लिये जो दवाई है दूसरे को वही विष हो सकता है। एक के लिये जो विष है, दूसरे को वही दवाई हो सकती है। प्रत्येक रोगी के लिये औपचार्य का विचार जुदा जुदा करना पड़ता है। इसी प्रवार प्रत्येक व्यक्ति के लिये व्यवहारधर्म जुदा जुदा है। सभी रोगों के लिये एक ही तरह की दवाई बनाने वाला वैद्य जितना मूर्ख है उससे भी ज़्यादा मूर्ख वह है जो सभी व्यक्तियों के लिये सभी समय के लिये एक ही ना व्यवहार धर्म बतलाता है। इस पर थांडासा विवेचन हमने ग्यारहवें प्रश्न के उत्तर में भी किया है। विषवा-विवाह से सम्बन्धित और चारित्र में काई दूषण नहीं आता है इस बात को भी इस विस्तार से पहिले कहनुके हैं। विषवा-विवाह से चारित्र में उतनी ही चुटी होती है जितनी कि कुमारी विवाह से। अब इस विषय को दुहराना व्यर्थ है।

### उपसंहार

३१ प्रश्नों का उत्तर हमने संक्षेप में दिया है फिर भी लेख बढ़ गया है। इस विषय में और भी तर्क हो सकता है जिसका उत्तर सरल है। विचारणात्मक कुछ बातें रहगई हैं। उन सबके उल्लेख से लेख बढ़ जावेगा। इसलिये उन्हें छोड़ दिया जाता है। इति

---

## प्रेरित पत्र

**श्रीमान सम्पादकजी महोदय !**

मैं “जैन जगत्” पढ़ा करती हूँ और उसकी बहुतसी बातें मुझे अच्छी मालम होती हैं। लेकिन श्रीयुत सव्यसाची जी के द्वारा लिखे गये लेख को पढ़कर मैं बड़ी चिन्ता में पड़ गई। उस लेखमें विधवाविवाह का धर्म के अनुसार पोषण किया गया है। वह लेख जितना जबर्दस्त है उतना ही भयानक है। मैं पंडिता तो हूँ नहीं, इस लिए इस लेख का खगड़न करना मेरी ताकूत के बाहर है; परन्तु मैं सीधी साधी दो चार बातें कह देना उचित समझती हूँ।

पहिली बात तो यह है कि सव्यसाचीजी विधवाओंके पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हैं ? वे वेचारी जिस तरह जीवन व्यतीत करती हैं उसी तरह करने दीजिए। जिस गुलामी के बन्धन से वे क्लूट चुकी हैं, क्या उसी बंधनमें डालकर सव्यसाचीजी उनका उद्धार करना चाहते हैं ? गुलामीका नाम भी क्या उद्धार है ?

जो लोग विधवाविवाह के लिये एड़ीमे चोटी तक पसीना बहाते हैं उनके पास क्या विधवाओं ने दरख्बाम्त भेजी है ? यदि नहीं तो इस तरह अनावश्यक दया क्यों दिखलाई जाती है ? फिर वह भी ऐसी हालतमें जबकि स्त्रियाँ ही स्वयं उस दया का विरोध कर रही हैं।

भारतीय महिलाएँ इस गिरी हुई अवस्थामें भी अगर सिर ऊँचा कर सकती हैं तो इसीलिये कि उनमें सीता, सावित्री सरीखी देवियाँ हुई हैं। विधवाविवाह के प्रचार से क्या सीता सावित्रीके लिये अहूल भर जगह भी बचेगी ? क्या

वह आदर्श नष्ट न हो जावेगा ? आदर्श बने रहने पर उन्नति के शिखर से गिर पड़ने पर भी उन्नति हो सकती है, परन्तु आदर्श के नष्ट होजाने पर उन्नति की बात ही उड़ जायगी ।

सम्पादकजी ! मैं धर्मके विषयमें तो कुछ समझती नहीं हूँ । न बालकी खाल निकालने वाली युक्तियाँ ही दे सकती हूँ । सम्भव है सव्यसाची सरीखे लेख कों की कृपा से विधवा विवाह धर्मानुकूल ही सिद्ध हो जाय, परन्तु मेरे हृदय की जो आवाज़ है वह मैं आपके पास भेजती हूँ और अन्त में यह कह देना भी उचित समझती हूँ कि शास्त्रों में जो आठ प्रकार के विवाह कहे हैं उनमें भी विधवाविवाह का नाम नहीं है । आशा है सव्यसाचीजी हमारी बातोंका समुचित उत्तर देंगे ।

आपकी भगिनी—कल्याणी ।

## कल्याणी के पत्र का उत्तर ।

( लेखक—श्रीयुत 'सव्यसाची' )

बहिन कल्याणी देवीने एक पत्र लिखकर मेरा बड़ा उपकार किया है । वैरिस्टर साहिव के प्रश्नों का उत्तर देने समय मुझे कई बातें ल्होड़नी पड़ी हैं । बहिन ने उनमें से कई बातों का उल्लेख कर दिया है । आशा है इसमें विधवाविवाह की सचाई पर और भी अधिक प्रकाश पड़ेगा ।

पहली बात के उत्तर में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि विधवाविवाह से लियोंको गुलाम नहीं बनाया जाता है । हमारे ख्याल से जो विधवाएँ ब्रह्मचर्य नहीं पाल सकतीं उनके लिये पति के साथ रहना गुलामी का जीवन नहीं है । क्या सध्वा जीवन को स्त्रियाँ गुलामी का जीवन समझती हैं ? यदि हाँ, तो

उन्हें विधवा बनने के लिये आतुर होना चाहिये—पति के मरने पर खुशी मनाना चाहिये; क्योंकि वे गुलामी से छूटी हैं; परन्तु ऐसा नहीं देखा जाता। हमारी समझ में भिन्न वैधव्य को अपने जीवनका सबसे यड़ा दुख समझती हैं और पतिके साथ रहने को बड़ा सुख। नमाज की दशा देखकर भी कहना पड़ता है कि जितनी गुलामी विधवा को करना पड़ती है उतनी सध्वा को नहीं। सध्वा एक पुरुष की गुलामी करती है, साथ ही में उससे कुछ गुलामी कराती भी है; परन्तु विधवा को समस्त कुदम्ब की गुलामी करना पड़ती है। उसके ऊपर सभी आँख उड़ाते हैं, परन्तु वह निसीके सामने देख भी नहीं सकती। उस के आँसुओंका मूल्य करीब 'नहीं' के बराबर हो जाता है। उसका पवित्र जीवन भी शंका की इष्टि से देखा जाता है। अपश्कुन की मूर्ति तो यह मानी ही जाती है। क्या गुलामी की ज़ंजीर दूरने का यही शुभ फल है? क्या स्वतन्त्रता के येही चिन्ह हैं। थोड़ी देर के लिये मान लीजिये, कि वैधव्य-जीवन बड़ा सुखमय जीवन है, परन्तु विधवा-विवाह वाले यह क्य कहते हैं कि जो विधवा-विवाह न करेगी वह नरक जायगी? उनका कहना तो इतना ही है कि जो वैधव्य को पवित्रता से न पाल सकें वे विवाह करलें; क्योंकि कुमारी-विवाह के समान विधवा-विवाह भी धर्मानुकूल है। किन्तु जो वैधव्य को निभा सकती हैं वे ब्रह्मचारिणी बनें! आर्थिका बनें! कौन मना करता है? विधवा-विवाह के प्रचारक कोई ज़बर्दस्ती नहीं करते। वे धर्मानुकूल सरल यार्ग बताते हैं। जिसकी खुशी हो चले, न हो न चले। हाँ, इतनी बात अवश्य है कि ऐसी वहाँने गुप्त व्यभिचार और भ्रूण-हन्त्याओं से दूर रहें।

दूसरी बात के उत्तर में मेरा निवेदन है कि विश्ववाचों ने मेरे पास दरख्वास्त नहीं भेजी है। आम तौर पर भारतवर्ष में विवाह के लिये दरख्वास्त भेजने का विवाज भी नहीं है। मैं पूँछता हूँ कि हमारे देश में जितनी कन्याओं के विवाह होते हैं उनमें से कितनी कन्याएँ विवाह के लिये दरख्वास्त भेजती हैं यदि नहीं भेजती तो उनका विवाह क्यों किया जाता है? क्या कन्याओं का विवाह करना अनावश्यक दया है? यदि नहीं तो विश्ववाचों का विवाह करना भी अनावश्यक दया नहीं है।

दूसरी बात यह है कि दरख्वास्त सिर्फ़ कागज पर लिख कर ही नहीं दी जाती—वह कार्यों के द्वारा भी दी जाती है। विश्ववा समाज ने भूग-हन्या, गुप्त व्यविचार आदि कार्यों से समाज के पास ज़बर्दस्त से ज़बर्दस्त दरख्वास्त भेजी हैं। इस लिये उनका विवाह क्यों न करना चाहिये? कन्याएँ न तो कागजों पर दरख्वास्त भेजती हैं, न भूग हन्या आदि कुकार्यों से; फिर भी उनका विवाह एक कर्तव्य समझा जाता है। तब विश्ववाचों का विवाह कर्तव्य क्यों न समझा जाय?

कुछ दिनों से कुछ महापुरुषों (?) ने म्हियों के द्वारा भी विश्ववाचिवाहक विग्रेध का स्वाँग कराना शुरू कर दिया है, परंतु कुमारी विवाह के निषेध के लिये हम कुमारियों को खड़ा कर सकते हैं। फिर क्या कल्याणीदेवी, कुमारियों के विवाह का भी अनुचित दया का परिणाम समझेंगी? बात यह है कि शताव्दियों की गुलामी ने म्हियों के शरीर के साथ आत्मा और हृदय को भी गुलाम बना दिया है। उनमें अब इतनी हिम्मत नहीं कि वे हृदय की बात कह सकें। अमेरिका में जब गुलामी की प्रथा के विरुद्ध अवाहमतिकन ने युद्ध क्लेडा तो स्वयं गुलामों

ने अपने मालिकों का पक्ष लिया, और जब वे स्वतन्त्र हो गये तो मालिकों की ही शरण में पहुँचे। गुलामी का ऐसा ही प्रभाव पड़ा है। ज़रा स्वतन्त्र नारियों से ऐसी बात कहिये—योरोप की महिलाओं से विधवाविवाह के विरोध करने का अनुरोध कीजिये—तब मालूम हो जायगा कि स्त्री-हृदय क्या चाहता है? हमारे देश की लज्जालु स्त्री छिपे छिपे पाप कर सकती हैं; परन्तु स्पष्ट शब्दों में अपने न्यायोनित अधिकार भी नहीं माँग सकतीं। एक विधवा से—जिसके चिन्ह वैधव्य पालन के अनुकूल नहीं थे—एक महाशय ने विधवाविवाह का ज़िकर किया तो उनको पचासों गालियाँ मिलीं, घर बालों ने गालियाँ दीं और बेचारों की बड़ी फ़ज़ीहत की। परन्तु कुछ दिनों बाद वह एक आदमी के घर में जाकर बैठ गई! इसी तरह हज़ारों विधवाएँ मुसलमानों के साथ भाग सकती हैं, भ्रूणहत्या कर सकती हैं, गुप्त व्यभिचार कर सकती हैं, परन्तु मुँह से अपना जन्म सिद्ध अधिकार नहीं माँग सकतीं। प्रायः प्रत्येक पुरुष को इस बात का पता होगा कि ऐसे कार्यों में हित्रयां मुँह से 'ना', 'ना' करती हैं और कार्य से 'हाँ', 'हाँ' करती हैं, इस लिये स्त्रियों के इस विरोध का कुछ मूल्य नहीं है।

बहिन कल्याणी ने अपने पत्रमें सीता सावित्री आदि की दुहाई दी है। कथा बहिन ने इस बात पर विचार किया है कि आज सैकड़ों वर्षों से उसर प्रान्तके जैनियों में विधवाविवाह का रिवाज बन्द है लेकिन तब भी कोई सीता जैसी पैदा नहीं हुई है? बात यह है कि पशुओंके समान गुलाम स्त्रियोंमें सीता जैसी स्त्री पैदा हो हा नहीं सकतीं, क्योंकि डंडे के बलपर जो धर्म का ढोंग कराया जाता है वह धर्म ही नहीं कहलाना है। बहिनका कहना

है कि “विधवाविवाह के प्रचार से क्या सीता सावित्री के लिये अंगुल भर भी जगह बचेगी ?” हमारा कहना है कि जहाँ धर्म के लिये अंगुल भर भी जगह नहीं है, वहाँ हाथ भर जगह निकाल लेने वाली ही सीता कहलाती है। जबर्दस्ती या मौका न मिलने से ब्रह्मचर्य का ढोंग करने वाली यदि सीता कहलावें तो बेचारी सीताओं का कोड़ी भर भी मूल्य न रहे। सीता जी का महत्व इसी लिये है कि वे जंगल में रहना पसंद करती थीं और तीन खंड के अधिपति रावण की विभूतियों को नुकराती थीं। जब सीता जी नंका में पहुँचीं और उन्हें मालूम हुआ कि हरण करने वाला तो विद्याधरों का अधिपति है तभी उन्हें करीब २ विश्वास हो गया कि अब छुटकारा मुश्किल है। रावण जब युद्ध में जाने लगा और सीता जी से प्रसन्न होने को कहा तो उस समय सीता जी को विश्वास हो गया था कि राम लक्ष्मण, रावण से जीत न सकेंगे। इसीलिये उनने कहा कि मेरा संदेश बिना मुनाये तुम राम लक्ष्मण को मत मारना। मतलब यह कि रावण की शक्ति का पूरा विश्वाश होने पर भी उनने रावण को बरण न किया। इसीलिये सोता का महन्व है। आजकल जो विधवाएँ समाज के द्वारा जबर्दस्ती बन्धन में डाली गई हैं, उन्हें सीता समझना सीता के चरित्र का अपमान करना है।

विधवाविवाह के आनंदोलन से सिर्फ़ विधवाओं को अपने विवाह का अधिकार मिलता है—उन्हें विवाह के लिये कोई विवश नहीं करता। अगर वे चाहें तो युशी से वैधव्य का पालन करें। परन्तु वहिन कल्याणी का कहना है कि विधवाविवाह से सीताकं लिये अंगुल भर भी जगह न बचेगी। इसका मतलब यह है कि आजकल की विधवाएँ पुनर्विवाह के अधि-

कार सरीखा इलके से हलका प्रलोभन भी नहीं जीत सकतीं ! क्या हमारी वहिन एसी ही स्त्रियों से राष्ट्रण के प्रलोभन जीतने की आशा रखती हैं ? वहिन, सब्जी विधवाएँ तो उस समय पैदा होंगी जिस समय समाज में विधवाविवाह का खुब प्रचार होगा । विधवा और ब्रह्मचारिणी में बड़ा अन्तर है । पति मरने से विधवा होती है न कि ब्रह्मचारिणी । उसके लिये त्याग की ज़रूरत है और त्याग तभी हो सकता है, जब प्राप्ति हो या प्राप्ति की आशा हो ।

अन्त में वहिन ने कहा है कि आठ प्रकार के विवाह में विधवाविवाह का उल्लेख नहीं है । परन्तु इन आठ तरह के विवाहों में कुमारी-विवाह, अन्यगोप्त्र विवाह, सज्जातीय विवाह आदि का उल्लेख भी कहाँ है ? क्या ये सब विवाह भी नाजायज्ञ हैं ? बात यह है कि ये आठ भेद विधवा की रीतियों के भेद हैं अर्थात् विवाह आठ तरह से हो सकता है । अर्थात् सज्जातीय विवाह, विज्ञातीय विवाह, कुमारीविवाह, विधवा विवाह, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, आदि सभी तरह के विवाह आठ रीतियों से हो सकते हैं । इसीलिये कुमारीविवाह विधवा विवाह आदि भेदों को रीतियों में शामिल नहीं किया है । जैसे कुमारीविवाह के आठ भेद हैं उसी तरह विधवाविवाह के भी आठ भेद हैं ।

आशा है वहिन को हमारे उत्तरों से सन्तोष होगा । अगर फिर भी कुछ शंका रहे तो मैं उत्तर देने को तैयार हूँ ।



# ज़रूरी निवेदन ।

१—आजकल हिन्दी “जैनगजट” में जो श्रीयुत “सव्यसाची” के लेख (जो कि “जैन जगत्” में निकल चुका है) के उत्तर में एक लेख क्रमशः निकल रहा है, उसका मुंह तोड़ जवाब श्रीयुत “सव्यसाची” जी भी तयार करते जा रहे हैं। वह शीघ्र ही हिन्दी “जैन गजट” में पूर्ण रूप चुकने पर “विधवा विवाह और जैन धर्म” के दूसरे भाग के रूप में प्रकाशित होगा।

२—“उजले पोश बदमाश” की भूमिका में जो “सेठ जी की काली करतृत” के लिये सूचित किया गया था, वह पुस्तक भी लिखी जा रही है, शीघ्र ही प्रकाशित होगी।

निवेदक—मंत्री ।

# अन्य उपयोगी पुस्तकें

१. शिळाप्रद शास्त्रीय उदाहरण—लेखक  
श्री पं० जुगलकिशोर जी मुख्तार मृत्यु ॥
२. विवाह क्षेत्र प्रकाश— „ „ ।
३. जैन जाति सुदृशा प्रवर्तक—लेखक  
श्री वानू मरज भानु चक्रील „ ।
४. मंगलादेवी— „ „ ।
५. क्षारों की दुर्दशा— „ „ ।
६. एहस्थ धर्म— „ „ ॥
७. राजदुलारी— „ „ ।
८. विधवाविवाह और उनके संग्रहकों  
से अपील—लेखक व० शीतलप्रसादजी „ ॥
९. उजलेपोश वटमाश—लेखक पंडित  
श्रीयोध्याप्रसाद गोयलीय „ ।
१०. जैनधर्म और विधवाविवाह—लेखक  
श्री० सञ्जयसाची „ ।
११. विधवाविवाह समाधान— „ „ ॥  
मिलने का पता :— जौहरीमल सर्फ़  
वडा दरीबा, देहली ।

# जैनधर्म और विधवाविवाह

( दूसरा भाग )



लेखक :—

श्रीयुत “सच्यमाना”



द्वैकट नं० १३

# जैनधर्म और विधवा-विवाह ( दूसरा भाग )

लेखक—

श्रीयुत “सव्यसाची”

प्रकाशक—

मंत्री जैन वालविधवा-सहायक सभा  
दरीबा कलाँ, देहली

मुद्रक—

“चैतन्य” प्रिन्टिङ् प्रेस,  
बिजनौर ( य०पी० )

प्रथमवार  
१०००

मन. १६३६८०

मूल्य  
५-

प्रकाशक—

ला० जौहरीमल जैन सराफ  
मन्त्री जैन बाल विधवासहायक मभा,  
दरीबा कलाँ, देहली



मुद्रक—

शान्तिचन्द्र जैन,  
“चैतन्य” प्रिण्टिंग प्रेस,  
बिजनौर (यू० ३०)

# शुद्धाशुद्धि-पत्र



४७	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
२०	१६	डीप्	डीप्
२०	१६	टीप्	टाप्
२१	२६	पदत्रायं	यदत्रायं
२६	१३	वह पुरुष मदोन्मत्त	वे पुरुषत्व-मदोन्मत्त
२८	=	में	के लिये
३४	१७	ब्रृशल	ब्रृशल
३८	५	नियम	नियम
४१	१६	मिहों	मिहों
४१	२०	यात्यानश्च	यात्यनिश्च
४१	२२	स पथ	स एव
४६	२१	खुद ही	खुद
४८	१७	चाहियें	चाहिये
४९	११	छेदक	छेदक
७१	१८	भोक्ती	गोक्त्री
१३३	४	युक्ति से जीतने पर	युक्ति से न जीतने पर
१७६	१५	सन्धेर	अन्धेर
१८०	२५	क	को
१८२	=	नावत्री	नवाबी

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१८२	२३	मूलाकार	मूलाचार
१८२	२७	मूलापार	मूलाचार
१८३	६	मूलापार	मूलाचार
१८५	७	कुभि	कुंभि
१८८	५	आदि	अनादि
१९३	१	व्यमिचार नहीं है	व्यमिचार नीं नहीं है
२०४	१३	अपतिरन्त्या	अपनिरन्त्या
२०६	१	प्रप्रोग	प्रयोग
२११	१	व्याख्यास्यायः	व्याख्यास्यामः
२१३	२०	सुखावस्थेविमुक्ता	सुखावस्थैर्विमुक्ता
२१४	१२	जिसका	जिसका
२२७	१२	सदा	रुद्धा
२२९	८	निरोग	नीरोग
२२९	६	निरोग	नीरोग

— — —

# \* आवश्यक निवेदन \*

---

जैन समाज और हिन्दू समाज की घटी का मुख्य कारण विधवाविवाह से घृणा करना व उसको व्यभिचार या पाप समझना है। लाखों हो संतान बिन विवाहे कुमारे रह जाते हैं, क्योंकि उनको कन्याएँ नहीं मिलतीं; इसलिये वे जब मरते हैं तब अपने घरों में सदा के लिये ताले लगा जाते हैं। उधर विधुर पुरुष अपने पक जीवन में कई २ बार शादियाँ करते हैं, तृद्ध होने पर भी नहीं चूकते हैं; जिसका फल यह होता है कि बहुत सी युवान विधवाएँ बिना संतान रह जाती हैं। कोई जो धनवान होती है वे गोद ले लेती हैं शेष अनेक निःसंतान मरकर अपने घरमें ताला देजाती है। इस तरह कुचारे पुरुषोंके कारण व बहुसंख्यक विधवाओं के कारण जैन समाज तथा हिन्दू समाज बड़े बेग से घट रहा है। जहां २५ वर्ष पहले १०० घर थे वहां अब ४०-५० ही घर पाप जाते हैं। जैपुर में २५ व ३० वर्ष पहले जैनियों के ३००० घर थे, अब मात्र १८०० ही रह गए हैं। उधर युवान विधवाओं को अनेकों गुप्त पापों में फँसकर घोर व्यभिचार व हिंसा के पाप में सनना पड़ता है। वे ब्रह्मचर्य के भार को न सह सकने के कारण पतिन हो जाती हैं।

यह सब वृथा ही कष्ट व हानि उठाई जा रही है, केवल

इन ही विचार से कि विधवाविवाह की इजाजत जैन सिद्धांत व हिन्दू शास्त्र नहीं देता। हिन्दू शास्त्रों में तो अर्थर्ववेद व स्मृतियों में पुनर्विवाह का स्पष्ट कथन है। जैन सिद्धान्त द्वारा यह सिद्ध है या असिद्ध इस प्रश्न को माननीय बैण्डुर चम्पनराय जी ने उठाया था। उसका समाधान 'सव्यसाची' महोदय ने बड़ी ही अकाट्य व प्रौढ़ युक्तियों के द्वारा देकर यह सिद्ध कर दिया था कि विधवाविवाह कन्याविवाह के समान है व इससे गृहधर्म में कोई वाधा नहीं आती है। यह सब समाधान 'जैनधर्म और विधवाविवाह' नामक दृक् कृ में प्रकाशित हो चुका है। इस समाधान पर परिणित श्रीलालजी पाठनी अलीगढ़ तथा पं० विद्यानन्द शर्मा ने आक्षेप उठाए थे—उनका भी समाधान उक्त सव्यसाचीजी ने 'जैन जगत' में प्रकाशित कर दिया है। वही सब समाधान इस पुस्तक में दिया जाता है, जिसे पढ़कर पाठकगण निश्चिक हो जावेंगे कि विधवाविवाह न तो व्यभिचार है और न पाप है—मात्र कन्याविवाह व विधुरविवाह के समान एक नीति पूर्ण लौकिक कार्य है—इतना ही नहीं—यह उस अबला को व्यभिचार व हिंसा के घोर पापों से बचाने वाला है। सर्व ही जैन व हिन्दू भाइयों को उचित है कि इस पुस्तक को आदि से अन्त तक पढ़ें। उनका चित्त बिलकुल मानलेगा कि विधवाविवाह निषिद्ध नहीं है किन्तु विधेय है।

पाठकों को उचित है कि भारत में जो गुप्त व्यभिचार व हिंसा विधवाओं के कारण हो रही है उसको दूर करावें—

[ ग ]

उसका उपाय यही है कि दूर एक कुटुम्ब अपने २ घर में जो कोई विधवा हो जाय उससे एकान्त में बात करें। यदि उस की बातचीत से व उसके रहन सहन के ढंग से प्रतीत हो कि यह ब्रह्मचर्य व्रत को पाल लेगी तब तो उसे वैराग्य के साधनों में रख देना चाहिये और जो कोई कहें कि वह पूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं पाल सकती है तब जो उसके संरक्षक हों—चाहे पिता घर वाले चाहे श्रसुर घर वाले—उनका यह पवित्र कर्तव्य है कि उसको कन्या के समान मानकर उसका विवाह योग्य पुरुष के साथ कर देवें। श्री लज्जा के कारण अपने मनका हाल स्पष्ट नहीं कहती है। उसके संरक्षकों का कर्तव्य है कि उसकी शक्ति के अनुसार उसके जीवन का निर्णय करदें।

समाज की रक्षा चाहने वाला—

मन्त्री

# \* धन्यवाद \*

इस दूर्कृ के छपवाने के लिये निम्नलिखित महानुभावों  
ने सहायता प्रदान की है, जिनको सभा हार्दिक धन्यवाद देती  
है, साथ ही समाज के अन्य स्त्री पुरुषों से निर्वंदन करनी है कि  
वे भी निम्न श्रीमानों का अनुकरण करके और अपनी दुखित  
बहिनों पर तरस खाकर इसी प्रकार सहायता प्रदान करने की  
उदारता दिखलावें :—

- २५) ला० धनकुमार जी जैन कानपुर ।
- २५) गुप्तदान ( एक जैन ; कानपुर )
- २०) गुप्तदान ( एक वकील ) लखनऊ ।
- १०) ला० रामजीदास सदग बाजार देहली ।
- १०) बा० उलफतराय इंजीनियर देहली ।
- १०) बा० महावीर प्रसाद देहली ।
- १०) ला० किशनलाल देहली ।
- १०) ला० गुलाबर्मिह चंडीगढ़ मल देहली ।
- १०) ला० भोलानाथ मुख्तार बुलन्दशहर ।
- १०) बा० माईदयाल बी० ए० आनस अम्बाला ।
- १०) ला० केशर्मल श्रीराम देहली ।
- १०) ला० ललताप्रसाद जैन अमराहा ।
- १०) बा० पंचमलाल जैन तहमीलदार जबलपुर ।
- १०) ला० विश्वम्भर दास गार्गीय भाँसी ।
- १०) गुप्तदान ( एक बाबू साहब ) देहली ।
- १०) गुप्तदान ( एक बाबू साहब ) केराना ।
- १०) गुप्तदान ( एक डेंकदार साहब ) देहली ।
- १०) गुप्तदान ( एक रईस साहब ) विजनौर ।
- ५) गुप्तदान ( एक सराँफ ) देहली ।
- ५) गुप्तदान ( एक जैन ) गोहाना ।

# विधवाविवाह और जैनधर्म !

०७०२० - ४५५६

## आक्षेपों का मुहूर्तोड़ उत्तर

सबसे पहली और मुद्रे की बात में पाठकों से यह कह देना चाहता हूँ कि मेरे स्थायाल से जैनधर्म पारलौकिक उन्नति के लिये जिनना सर्वोत्तम है उनना ही लोकिक उन्नति के लिये सुविधाजनक है। समाज की उन्नति के लिये और समाज की रक्षा के लिये ऐसा कोई भी रीतिरिचाज नहीं है जाकि जैनधर्म के प्रतिकूल हो। जैनधर्म किसी घूसखार व अन्यायी मजिस्ट्रेट की तरह पक्षपात नहीं करता जिससे पुरुषों के साध वह गियायत करे और लियों को पीस डाले। लियों के लिये और शद्रों के लिये उसने वही सुविधा दी है जो कि पुरुषों के लिये और छिंजों के लिये। जैनधर्म की अनेक सुविधाओं में ये

इस पैराग्राफ के प्रत्येक वाक्य को मैं अच्छी तरह विचार कर लिख रहा हूँ। इसमें मैंने उत्तेजना या अतिशयोक्ति से काम नहीं लिया है। इसके किसी वाक्य या शब्द के लिये अगर कोई तया आन्दोलन उठाना पड़े तो मैं उसके लिये भी तैयार हूँ। अगर कोई महाशय आक्षेप करने का कष्ट करें तो बड़ी कृपा होगी, क्योंकि इस बहाने से एक आन्दोलन को खड़ा करने का मौक़ा मिल जायगा।

—लेखक

दोनों स्त्रियाँ बहुत बड़ी स्त्रियाँ हैं । सामाजिक-रक्षा और उच्चतिके साथ आत्मिक-रक्षा और उच्चतिके लिये सुविधा देना और किसीके अधिकारको न छोनना, ये दोनों बातें अगर जैन-धर्म में न होंगी तो किस धर्म में होंगी ? अगर किसी धर्म में ये दोनों बातें नहीं हैं तो यह इन दोनों बातों का दुर्भाग्य नहीं है, किन्तु उस धर्मका ही दुर्भाग्य है । यह स्मरण रखना चाहिये कि धर्मग्रन्थों में न लिखी होने से अच्छी बातों की क़ीमत नहीं घटती, किन्तु अच्छी बातें न लिखी होने से धर्मग्रन्थों की क़ीमत घटती है ।

प्रत्येक स्त्री पुरुष को किशोर अवस्था से लेफर युवा अवस्था के अन्त तक विवाह करने का जन्मसिद्ध अधिकार है । पुरुष इस अधिकार का उपयोग मात्रा से अधिक करता रहे और स्त्रियोंको ज़रूरत होने पर भी न करने दे; इनना ही नहीं किन्तु वह अपनी यह नादिरशाही धर्म के नाम पर—उसमें भी जैनधर्म के नाम पर—चलावे, इस अन्धेर का कुछ ठिकाना है ! मुझे तो उनकी निर्लज्जता पर आश्रय होता है कि जो पुरुष अपने दो दो चार चार विवाह कर लेने पर भी विधवाओं के पुनर्विवाहको धर्मविरुद्ध कहने की धृष्टता करते हैं । जिस काम-देव के आगे वे नहँ नाचते हैं, वृद्धावस्थामें भी विवाह करते हैं, एक कसाई की तरह कन्याएँ स्त्रीदत्ते हैं, उसी 'काम' के आक्रमणसे जब एक युवती विधवा दुखी होती है और अपना विवाह करना चाहती है तो ये करता और निर्लज्जता के अवनार धर्म-विरुद्धता का डर दिखलाते हैं ! यह कैसी बेशरमो है !

विधवाविवाह के विरोधी कहते हैं कि पुरुषों को पुनर्विवाह का अधिकार है और स्त्रियों को नहीं । ऐसे अत्याचार-

पूर्ण अहङ्कार के ये लोग शिकार हो रहे हैं, जब कि विधवा-विवाह के समर्थक इस विषय में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार देना चाहते हैं। विधवाविवाह के समर्थक, पुरुष होने पर भी अपने विशेषाधिकार, बिना स्त्रियों की प्रेरणा के, छोड़ना चाहते हैं। स्त्रियों के दुःख से उनका हृदय द्रवित है; इसीलिये स्वार्थी पुरुषों के विरोध करने पर भी वे इस काम में लगे हैं। अपमान तिरस्कार आदि की बिलकुल पर्वाह नहीं करते। विधवाविवाह-समर्थकों की इस निस्वार्थता, उदारता, त्याग, दया, महनशीलता, कर्तव्यपरायणता और धार्मिकता को विधवाविवाह के विरोधी कोटजन्म तप तपने पर भी नहीं पा सकते। ये स्वार्थ के पुतले जब विधवाविवाह समर्थकों को स्वार्थी कह कर “उल्टा चोर कोनवाल को डाँटे” की कहावत चरितार्थ करते हैं तब इनकी धृष्टिता की पराकाष्ठा हो जाती है। शैतान जब उल्ट कर ईश्वर से ही शैतान कहने लगता है तब उस की शैतानियत की सीमा आजाती है। विधवाविवाह के विरोधी शैतानियत को ऐसी ही सीमा पर पहुँचे हैं।

समाज के भीतर छिपी हुई इम शैतानियत को दूर करने के लिये मैंने विधवाविवाह के समर्थन में बैरिष्टर चंपत-रायजी के प्रश्नों के उत्तर दिये थे। उसके खंडन का प्रयास जैनगड़ द्वारा दो महाशयों ने किया है—एक तो पं० श्रीलाल जी अलीगढ़, दूसरे पं० विद्यानन्दजी रामपुर। उन दोनों लेखों को अनावश्यक रूप से बढ़ाया गया है। लेख में व्यक्तित्व के ऊपर बड़ी असभ्यता के साथ आक्रमण किया गया है। असभ्यता से पेश आने में कोई बहादुरी नहीं है। इसलिए असभ्य शब्दों का उत्तर मैं इस लेख में न दूँगा।

उन दोनों लेखों से जहाँ कुछ भी खंडन नहीं बन पड़ा है वहाँ उन्होंने “छिल्कि:”, “धिक् धिक्”, “यह तो धृण्णित है”,

आदि शब्दों की भरमार की है। ऐसे शब्दों का भी उत्तर न दिया जायगा। विद्यानन्दजी ने मेरे लेख के उद्धरण अधूरे अधूरे लिये हैं और कहीं कहीं अत्यावश्यक उद्धरण छोड़ दिया है। इस विषय में तो मैं प० श्रीलाल जी को धन्यवाद दूँगा जिन्होंने मेरे पूरे उद्धरण लेने में उदारता दिखलाई। उद्धरण अधूरा होने पर भी ऐसा अवश्य होता चाहिये जिसमें पाठक उलटा न समझले।

दोनों लेख लम्बे लम्बे हैं। उनमें बहुत सी देखी बातें भी हैं जिनका विधवाविवाह के प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है, परन्तु दोनों महाश्रायों के सन्तोषार्थ में उन बातों पर भी विचार करूँगा। इसमें पाठकों को भी इतना लाभ जुरूर होगा कि वे जैनधर्म की अन्यान्य बातों से भी परिचित हों जावेंगे। मेरा विश्वास है कि वह परिचय अनावश्यक न होगा।

चम्पनरायजी के ३१ प्रश्नों के उत्तर में जो कुछ मैंने लिखा था उसके लिंगड़न में दोनों महाश्रायोंने जो कुछ लिखा है, उसका सार मैंने निकाल लिया है। नीचे उनके पूरे एक आक्षेप का अलग समाधान किया जाता है। पहिले श्रीलालजी के आक्षेपों का, फिर विद्यानन्दजी के आक्षेपों का समाधान किया गया है। मैं विरोधियों से निवेदन करता हूँ या चैलेज देता हूँ कि उनसे जिनना भी आक्षेप करते बने, युशीमे करें। मैं उत्तर देने को तैयार हूँ।

### पहला प्रश्न

**आक्षेप ( अ )—**सम्यक्त्व की घातक सात प्रकृतियों में चार अनन्तानुबन्धी कथायें भी शामिल हैं। विधवाविवाह के लिये जिननी तीव्र कथाय की ज़रूरत है वह अनन्तानुबन्धी के उदय के बिना नहीं हो सकती। जैसे परखीसेवन अनन्तानुबन्धी

के उदय के बिना नहीं हो सकता। इसलिये जब विधवाविवाह में अनन्तानुवन्धो का उदय आ गया तो सम्यक्त्र नष्ट होगया।

**समाधान (अ) —** जब स्त्री के मर जाने पर, पुरुष दूसरा विवाह करता है तो तोव्र रागी नहीं कहलाता, तब पुरुष के मर जाने पर स्त्री अगर दूसरा विवाह करे तो उसके नीव्र राग कामान्धता क्यों मानी जायगी ? यदि कोई पुरुष एक स्त्री के रहते हुए भी ६६ हज़ार विवाह करे या स्त्रियाँ रखते तो उस का यह काम बिना तीव्र रागके नहीं हो सकता। लेकिन ६६ हज़ार पत्नियों के तीव्रराग से भी सम्यक्त्रका नाश नहीं होता, बल्कि वह ब्रह्मचर्याणुवनी भी रह सकता है। जब इतना तीव्र राग भी सम्यक्त्र का नाश नहीं कर सकता तब पति मर जाने पर एक पुरुष से शादी करने वाली विधवा का सम्यक्त्र या अणुवन कैसे नष्ट होगा ? और अणुवन धारण करने वाली विधवा ऐसी पतित क्यों मानी जायगी कि जिससे उसे ग्रहण करने वाले का भी सम्यक्त्र नष्ट हो जावे ? विधवाविवाह से व्यभिचार उतना ही दूर है, जितना कि कुमारी विवाह से । जैसे विवाह होने के पहिले कुमार और कुमारियों का संभोग भी व्यभिचार है, किन्तु विवाह होने के बाद उन दोनों का संभोग व्यभिचार नहीं कहलाता, उसी तरह विवाह होने के पहिले अगर विधवा सम्भोग करे तो व्यभिचार है, परन्तु विवाह के बाद होने वाला सम्भोग व्यभिचार नहीं है। गृहस्थों के लिये व्यभिचार की परिभाषा यही है कि — “जिसके साथ विवाह न हुआ हो उसके साथ सम्भोग करना” । यदि विवाह हो जाने पर भी व्यभिचार माना जायगा तो विवाह की प्रथा बिलकुल निकम्मी हो जायगी और आजन्म ब्रह्मचारियों का छोड़ कर सभी व्यभिचारों साथित होंगे ।

तीव्रता मन्दता की वृष्टि से सकाय प्रवृत्ति छः भागों में बाँटी गई है, जिन्हें कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्र शब्दों से कहते हैं। इनमें सबसे उयादा तीव्र कृष्ण लेश्या है। लेकिन कृष्ण लेश्या के हो जाने पर भी सम्यक्त्व का नाश नहीं होता। इसीलिये गोमटसार में लिखा है—

“अयदोत्ति छु लेस्साआ”

अर्थात् अविरत सम्यग्विष्टि जीव तक छुहों लेश्यापैं होती है। अगर विधवाविवाह में कृष्ण लेश्यारूप परिणाम भी होते तो भी सम्यक्त्व का नाश नहीं हो सकता था। फिर तो विधवाविवाह में शुभ लेश्या रहती है, तब सम्यक्त्व का नाश कैसे होगा ?

आक्षेपक ने परस्त्रीसेवन अनन्तानुबन्धी के उदय से बतलाया है। यह बात भी अनुचित है। मैं परस्त्रीसेवन का समर्थन नहीं करता, किन्तु आक्षेपक की शास्त्रीय नासमझी को दूर कर देना उचित है। परस्त्री सेवन अप्रत्याख्यानावरण कथाय देशवत-अणुवत की घातक है और अणुवत के घात होने पर ही परस्त्री सेवन होता है। आक्षेपक को यह जानना चाहिये कि अणुवती, पांच पापों का त्यागी होता है न कि अविरत सम्यग्विष्टि। खैर ! मुझे व्यभिचार की पुष्टि नहीं करना है। व्यभिचार और विधवाविवाह में बड़ा अन्तर है। व्यभिचार अप्रत्याख्यानावरण और विधवा विवाह ऐ प्रत्याख्यानावरण कथाय के उदय से होता है। ऐसी हालत में विधवा

\* मेरे पहिले लेखमें इस जगह अप्रत्याख्यानावरण छप गया है। पाठक सुधारकर प्रत्याख्यानावरण करते। —लेखक

विवाहको अनन्तानुबन्धीके उदयसे मानना और उससे सम्यक्त्व नाश की बात कहना विलकुल मिथ्या है ।

**आक्षेप (आ)**—परस्त्री सेवन सम व्यसनों में है । सम्यक्त्वी सम व्यसन सेवी नहीं होता । विधवाविवाह परस्त्री-सेवन है । इसलिये त्रिकालमें सम्यक्त्वीके नहीं हो सकता ।

**समाधान**—परस्त्री-सेवन व्यसनों में शामिल ज़रूर है, परन्तु परस्त्री सेवी होने से ही कोई परस्त्री व्यसनी नहीं हो जाता । परस्त्री-सेवन व्यसन का त्याग पहिली प्रतिमामें माना जाता है, परन्तु परस्त्री सेवन एहिली प्रतिमामें भी हो सकता है, क्योंकि परस्त्रीसेवन का त्याग दूसरी प्रतिमा में माना गया है । यहाँ आक्षेपक को व्यसन और पाप का अन्तर समझना चाहिये । अविरत सम्यग्दण्डिकों पहिली प्रतिमा का धारण करना अनिवार्य नहीं है । इस लिये समव्यसन का त्याग भी अनिवार्य न कहलाया । हाँ, अभ्यास के रूप में वह बहुत सी बातों का त्याग कर सकता है, परन्तु इस से वह त्यागी या ब्रती नहीं कहला सकता । हाँ, सम्यक्त्वी परस्त्री-सेवी रहे या परस्त्री-त्यागी; परन्तु सम्यक्त्व का विधवा विवाहसे कोई विरोध नहीं हो सकता, क्योंकि विधवा-विवाह परस्त्री सेवन नहीं है । यह बात में “अ” नम्बर के समाधान में सिद्ध कर दुकाँ है ।

**आक्षेप (इ)**—यह नियम करना कि सातवें नरक में सम्यक्त्व नष्ट नहीं होता, लेखक की अज्ञता है । क्या वहाँ ज्ञायिक सम्यक्त्व हो जाता है ? नरकों में नारकी अपने किये हुए पापों का फल भोगते हैं । यदि वहाँ भी वे विधवा-विवाह से अधिक पाप करने वाले ठहर जायें तो उस किए हुए पाप का फल कहाँ भोगें ?

**समाधान—** सातवें नरक में सम्यक्त्व नष्ट न होने की बात में नियम करने की बात आक्षेपकने अपने मनसे छुसेड़ी है। सातवें नरक के नारकी के न तो सम्यक्त्व होने का नियम है न सदा स्थिर रहनेका। बात इतनी ही है कि सातवें नरक का नारकी औपशमिक और क्षायोपशमिक सम्यक्त्व पैदाकर सकता है और वह सम्यक्त्व ( क्षायोपशमिक ) कुछ कम तेतीस सागर तक रह सकता है। तात्पर्य यह कि वहाँ की परमकृष्ण लेश्या और रौद्रपरिणामों से इतने समय तक उसके सम्यक्त्व का नाश नहीं होता। उसके सम्यक्त्वका कभी नाश ही नहीं होता—यह मैंने नहीं कहा। सातवें नरक के नारकी एक दूसरे को घानी में पेल देते हैं, गड़ में भूँज देते हैं, आरे से चीर डालते हैं, गरम कड़ाही में पका डालते हैं ! क्या ऐसे कुर कामों से भी विधवाविवाह का काम दुरा है ? क्या उनके इन कामों से पाप बन्ध नहीं होता ? सातवें नरक के नारकी यदि पापी न होते तो वे तिर्यञ्चगतिमें ही क्यों जाते ? और उनका वह पाप इनना जबर्दस्त क्यों होता कि उन्हें एक बार फिर किसी न किसी नरक में आने के लिये बाध्य करता ? तत्वार्थसारके इस श्लोक पर विचार कीजिये—

न लभन्ते मनुष्यत्वं सप्तस्या निर्गताः क्षितेः ।

तिर्यक्त्वे च समुत्पद्य नरकं यान्ति ते पुनः ॥१४७॥

**अर्थात्—** सातवें नरक से निकला हुआ जीव मनुष्य नहीं हो सकता। तिर्यञ्च गति में पैदा होकर उसे फिर नरक में ही जाना पड़ता है।

क्या विधवाविवाह करने वालों के लिये भी शास्त्र में ऐसा कहीं विधान है ? आक्षेपक की यह बात पढ़ कर हँसी आती है कि सातवें नरक के नारकी यदि ज्यादा पाप करेंगे तो फल कहाँ भोगेंगे ? तत्वार्थसारके उपर्युक्त श्लोक में बन-

लाया हुआ विधान क्या फल भोगने के लिए कम है ? हाँ तो सातवें नरक के नारकी जीवन भर मार काट करते हैं और उनका पाप यहाँ तक बढ़ जाता है कि नियम से उन्हें तिर्यक्त गति में ही जाना पड़ता है और फिर नियम से उन्हें नरक में ही लौटना पड़ता है । ऐसे पापियों में भी सम्यक्त्व कुछ कम तैतीस सागर अर्थात् पर्याप्त होने के बाद से मरण के कुछ समय पहिले तक सदा रह सकता है । वह “सम्यक्त्व विधवा-विवाह करने वाले के नहीं रह सकता” ! वलिहारी है इस समझदारी की !

**आक्षेप ( ई )**—नारकियोंके सप्तव्यसन की सामग्री नहीं है जिससे कि उनके सम्यक्त्व न हो और होकर भी छूट जावे । अतः यह सातवें नरक का दृष्टान्त विधवा-विवाह के विषय में कुछ भी मूल्य नहीं रखता ।

**ममाधान**—आजेपक के कहनेसे यह तात्पर्य निकलता है कि अगर नरकों में सप्तव्यसन की सामग्री होती तो सम्यक्त्व न होता और छूट जाता (नष्ट होजाता) । वहाँ सप्तव्यसन की सामग्री नहीं है; इसलिए सम्यक्त्व होता है और होकर के नहीं छूटता है (नष्ट नहीं होता है) । नरक में सम्यक्त्व के नष्ट न होने वी बात जब हमने कही थी, तब आप विगड़े थे । यहाँ वही बात आपने स्वीकार करली है । कैसी अद्भुत सतर्कता है ! सातवें नरक के दृष्टान्त से यह बात अच्छी तरह सिद्ध हो जाती है कि जब परम कृष्ण लेश्या बाला कूर कर्मा, घोर पापों नारकी सम्यक्त्वी रह सकता है तो विधवा-विवाह बाला—जो कि अणुद्रनी भी हो सकता है—सम्यक्त्वी क्यों नहीं रह सकता ?

**आक्षेप ( ३ )**—पाँचों पाँपों में एक है संकल्पी हिंसा,

सा संकल्पी हिसा करने वाला आखेट वालों की तरह समव्यसनी है। उसके कभी सम्यक्त्व नहीं हो सकता। भला जहाँ प्रश्नम्-संवेग हो गये हों वहाँ संकल्पी हिसा होना त्रिकाल में भी सम्भव नहीं है।

**समाधान**—यहाँ पर आक्षेपक व्यसन और पापके भेद को भूल गया है। प्रत्येक व्यसन पाप है, परन्तु प्रत्येक पाप व्यसन नहीं है। इसलिये पापके सद्ग्राव से व्यसनके सद्ग्राव की कल्पना करना आचार शास्त्र से अनभिज्ञता प्रगट करना है। आक्षेपक अगर अपनी पाठी के विद्वानों से भी इस व्यापक व्यापक सम्बन्धका समझते की चेष्टा करेगा तो समझ सकेगा। आक्षेपक के मतानुसार समव्यसन का त्याग दर्शन प्रतिमा के पहिले है, जब कि संकल्पी हिसा का त्याग दूसरी प्रतिमा में है। इससे सिद्ध हुआ कि दर्शन प्रतिमा के पहिले और सातिचार होने से दर्शन प्रतिमामें भी समव्यसन के न होने पर भी संकल्पी हिसा है। क्या आक्षेपक इनी माझी बात भी नहीं समझता? 'प्रश्नम् संवेग होजाने से संकल्पी हिसा नहीं होती' यह भी आक्षेपक को समझ की भूल है। प्रश्नम् संवेगादि तो चतुर्थ गुणस्थानमें हो जाते हैं, जबकि संकल्पी त्रस हिसा का त्याग पाँचवें गुणस्थानमें होता है। इससे सिद्ध हुआ कि चतुर्थ गुणस्थानमें—जहाँ कि जीव सम्यक्त्वी होता है—प्रश्नम् संवेगादि होने पर भी सङ्कल्पी त्रस हिसा होती है। स्वैर, आक्षेपक यहाँ पर बहुत भूला है। उसे गोमठसार आदि ग्रन्थों से अविरतसम्यग्दण्डि और देशविरत के अन्तर को समझ लेना चाहिये।

**आक्षेप (ऊ)**—जब पुरुष के स्त्री वेद का उदय होता है, तब विवाहादि की सूझती है। भला अप्रत्याख्यानावरण कषाय वेदनीय से क्या सम्बन्ध है?

**समाधान—**स्त्रीवेद के उदय से विवाहादि की समझती है—आक्षेपक की यह बात पाठक ध्यान में रखें क्योंकि आगे इसी वाक्य के विरोध में स्वयं आक्षेपक ने बकवाद किया है। और, स्त्रीवेद के उदय से विवाह की नहीं, सम्मोग की इच्छा होती है। सम्मोग की इच्छा होने पर अगर अप्रत्याख्यानावरण का उदयाभावी ज्ञय होता है तो वह अणुवत धारण का किसी कुमारी से या विधवा से विवाह कर लेता है। अगर अप्रत्याख्यानावरण का उदयाभावी ज्ञय न होकर उदय ही होता है तो वह व्यभिचारी होने की भी पर्वाद नहीं करता। वेद का उदय तो विवाह और व्यभिचार दोनों के लिये समान कारण है, परन्तु अप्रत्याख्यानावरण का उदयज्ञय, अथवा प्रत्याख्यानावरण का उदय, व्यभिचार से दूर रख कर उसे विवाह के बन्धन में रखता है। इसलिये विवाहके लिये अप्रत्याख्यानावरणके उदयाभावी ज्ञय का नाम विशेष रूप में लिया जाता है। बेचारा आक्षेपक इनना भी नहीं समझता कि किस कर्म प्रकृतिका कार्य क्या है? फिर भी सामना करना चाहता है! आश्वर्य!

**आक्षेप (ऋ)**—राजवार्तिकके विवाह लक्षण में जैसे कन्या का नाम नहीं है वैसे ही स्त्री पुरुषका नाम नहीं है। फिर स्त्री पुरुष का विवाह क्यों लिखा? स्त्री स्त्री का क्यों न लिखा?

**समाधान—**राजवार्तिक के विवाह लक्षणमें चारित्रमोह के उदय का उल्लेख है! चारित्र मोह में स्त्रीवेद पुरुषवेद भी है। स्त्रीवेद के उदय से स्त्री, स्त्री को नहीं चाहती—पुरुष को चाहती है। और पुरुषवेद के उदय से पुरुष, पुरुष को नहीं चाहता—स्त्री को चाहता है। इसलिये विवाह के लिये स्त्री और पुरुष का होना अनिवार्य है। योग्यता की दुहाई देकर यह नहीं कहा जा सकता कि स्त्रीवेद के उदय से कुमार के हो साथ रमण

करने की इच्छा होती है और वह कुमारी को दो होती है । इसी तरह पुरुषवेद के उदय से यह नहीं कहा जा सकता कि पुरुष को कुमारी के साथ ही गमण करने की इच्छा होती है—विधवा के साथ नहीं होती । मनलब यह कि स्त्रीपुरुष वेदादय के कार्य में स्त्री पुरुष का होना आवश्यक है, कुमार कुमारी का होना आवश्यक नहीं है । इसीलिये राजवार्तिक के लक्षण के अर्थ में स्त्रीपुरुष का नाम लिया—कुमार कुमारी का नाम नहीं लिया ।

**आचोप ( ल् )**—स्त्री वेद के उदय से तो स्त्री मात्र में भोग करने की निरर्यात प्रवृत्ति होती है । वह विवाह नहीं है—द्युभिचार है । तब्बीं मर्यादा रूप कन्या पुरुष में स्त्रीकारना है वही विवाह है । कामभेदन के लिये दोनों वद्ध होते हैं । मैं कन्या तुम ही पुरुष से मैथुन करूँगी और मैं पुरुष तुम ही कन्या से मैथुन रहूँगा’ यह स्त्रीकारना किस की है ? जबतक कि कुमार अवस्थामें दोनों ब्रह्मचारी हैं । यहाँ समयकी अवधि नहीं है, अतः यह कन्या पुरुष की स्त्रीकारना यावज्जीव है ।

**समाधान**—स्त्री वेद के उदय का कोई विवाह नहीं कहता । उससे तो काम लालसा होती है । उस काम लालसा को मर्यादित करने के लिये विवाह है । इसलिये स्त्रीवेद के उदय के बिना विवाह नहीं कहला सकता और स्त्रीवेदके उदय होने पर भी काम लालसा का मर्यादित न किया जाय तो भी विवाह नहीं कहला सकता । काम लालसा का मर्यादित करने का मनलब यह है कि संसारको भ्रमस्त क्षियोंमें काम लालसा हटाकर किसी एक स्त्रीमें नियत करना । वह स्त्री चाहे कुमारी हो या विधवा, अगर काम लालसा वहीं बढ़हो गई है तो मर्यादा की रक्षा हो गई । सैकड़ों कन्याओं के साथ विवाह करते रहने पर भी काम लालसा मर्यादित कहलाती रहे और

ममस्त स्त्रियों का त्याग करके एक विधवा में काम लालसा को बढ़ा करने से भी काम लालसा मर्यादित न मानी जावे, इस नासमझी का कुछु उिकाना भी है ? आक्षेपक के कथनानुसार जैसे कन्या 'तुम ही पुरुष' से मैथुन करने की प्रतिज्ञा करती है, उसी तरह पुरुष भी नो "तुमही कन्या" ने मैथुन करने की प्रतिज्ञा करता है । पुरुष नो विशुर हो जाने पर या सपत्नीक होने पर भी अनेक स्त्रियों के साथ विवाह करता रहे—फिर भी उसको 'तुम ही कन्या' की प्रतिज्ञा बनी रहे और स्त्री, पति के मर जाने के बाद भी किसी एक पुरुष से विवाह करे नो इनने में ही 'तुम ही पुरुष' बाली प्रतिज्ञा नहीं हो जावे ! बाहरे 'तुमही' !

यह 'तुम ही' का 'ही' नो बड़ा विचित्र है जो एक तरफ तो सैकड़ों बार मारे जाने पर भी बना रहता है और दूसरी तरफ ज़रा सा शक्ता लगते ही स्मास हो जाता है । कथ आक्षेपक इस बात पर विचार करता कि जब उसके शब्दों के अनुसार ही स्त्री और पुरुष दोनों की प्रतिज्ञा यावज्जीव थी तो पुनर्विवाह से स्त्री, प्रतिज्ञाच्युत क्यों कही जाती है और पुरुष क्यों नहीं कहा जाता है ? यहाँ आक्षेपक को अपने 'यावज्जीव' और 'ही' का बिलकुल ल्याल ही नहीं रहा । इनीजिये अपनो धुन में मस्त होकर वह इक तरफा डिगरी देता हुआ कहता है—

**आक्षेप ( प . )**—जब यावज्जीव की प्रतिज्ञा कन्या करती है तो फिर पति के मर जाने पर वह विधवा हुई तो यदि पुरुषान्तर ग्रहण करती है तो अकलङ्कदेव प्रणीत लक्षण से उसका विवाह नहीं कहा जा सकता । वह व्यभिचार है ।

**ममाधान**—ठीक इसी तरह आक्षेपक के शब्दानुसार कहा जा सकता है कि जब यावज्जीव की प्रतिज्ञा पुरुष करता है तो फिर पत्नी के मर जाने पर वह विशुर हुआ । सो यदि

वह दूसरी कन्या ग्रहण करता है तो अकलङ्क देव प्रणीत लक्षण से उसका विवाह नहीं कहा जा सकता । वह व्यभिचार है ।

यदि इतने पर भी पुरुष का पुनर्विवाह विवाह है, व्यभिचार नहीं है, तो स्त्रीका पुनर्विवाह भी विवाह है, व्यभिचार नहीं है । आज्ञेयक के शब्द ही पूर्वायरविरुद्ध होने से उसके वक्तव्य का खंडन करते हैं । वे काने की दृष्टि के समान इक तरफ़ा तो हैं ही ।

**आज्ञेय ( ऐ )—**राजवातिक के भास्यमें विवाह के लिए कन्या शब्द का प्रयोग किया गया है । यह बात लेखक स्वयं मानते हैं ।

**समाधान—**कन्या शब्द का अर्थ 'विवाह योग्य स्त्री है—विवाह के प्रकरणमें दूसरा अर्थ हो हो नहीं सकता । यह बात हम पहिले लेखमें सिद्ध कर चुके हैं, यहाँ भी आगे सिद्ध करेंगे । परन्तु "तुष्यतु दुर्जनः" इस न्याय का अवलम्बन करके हमने कहा था कि कन्या शब्द, कन्या के अन्य विशेषणों की भाँति आदर्श या बहुलता को लेकर ग्रहण किया गया है । इसीलिए वार्तिक में जो विवाह का लक्षण किया है उस में कन्या शब्द नहीं है । टीका में कन्या-विवाह का दृष्टान्त दिया गया है, इस से कन्या का ही वरण विवाह कहलायेगा, यह बात नहीं है । अकलङ्क देव ने अन्यत्र भी इमीं शैली से काम लिया है । वे वार्तिक में लक्षण करते हैं और उसकी टीका में बहुलता को लेकर किसी दृष्टान्तको इस तरह मिला देते हैं जैसे वह लक्षण ही हो । अकलङ्क देव की इस शैली का एक उदाहरण और देखिये—

संचुत्तस्य प्रकाशनम् रहोभ्याख्यानं ( वार्तिक ) स्त्री पुंसाभ्यां एकान्तेऽनुष्ठितस्य कियाविशेषस्य प्रकाशनं यत् रहो-

भ्याख्यानं तद्रेदितव्यं ( भाष्य ) । वार्तिक में ‘ रहोभ्याख्यान ’ का अर्थ किया गया है ‘किसी की गुप्त बात प्रगट करना’ परन्तु भाष्य में बहुलता की अपेक्षा लिखा गया है कि ‘स्त्री पुरुष ने जो एकांतमें कार्य किया हो उसका प्रकाशित करना’ रहोभ्याख्यान है । भाष्य के अनुसार ‘स्त्री पुरुष’ का उल्लेख आचार्य प्रभाचन्द्रने रत्नकरणडी टाकामें, आशाधरजीने अपने सागरधर्मसूत्र में भी किया है । आचार्य पूज्यपाद भी इसी तरह लिख चुके हैं । इस विवेचनसे आक्षेपक सभीखे लोग तो यही अर्थ निकालेंगे कि ‘स्त्री-पुरुष’ की गुप्त बात प्रगट करना रहोभ्याख्यान है । अन्य लोगों की गुप्त बात प्रगट करना रहोभ्याख्यान नहीं है । परन्तु विद्यानन्द म्वामी ने श्लोक वार्तिक में जो कुछ लिखा है उसमें बात दूसरी ही हो जाती है ।

“संबृतस्य प्रकाशनं रहोभ्याख्यानं, स्त्री पुरुषानुष्ठित गुप्त किया विशेष प्रकाशनवत्” अर्थात् गुप्त किया का प्रकाशन, रहोभ्याख्यान है । जैसे कि स्त्री-पुरुष की गुप्त बात का प्रकाशन । यहाँ स्त्री पुरुष का नाम उदाहरण रूपमें लिया गया है । इससे दूसरों की गुप्त बात का प्रकाशन करना भी रहोभ्याख्यान कहलाया । यही बात रायचन्द्र ग्रन्थमाला से प्रकाशित नवार्थ भाष्य में भी मिलती है—“स्त्री पुंस्याः परम्परेणान्यस्यवा”

मेरे कहने का सार यह है कि जैसे रहोभ्याख्यान की परिभाषा में बहुलता के कारण वृष्टांत रूप में ‘स्त्री पुरुष’ का उल्लेख कर दिया है उसी तरह विवाह की परिभाषा में मूलमें कन्या-शब्द न होने पर भी, बहुलता के कारण उदाहरण रूप में कन्या-शब्दका उल्लेख हुआ है । जिसका अनुकरण रहोभ्याख्यान की परिभाषा के ‘स्त्री पुरुष’ शब्द की तरह दूसरों ने भी किया है । परन्तु विद्यानन्द म्वामी के शब्दोंसे यह बात साफ़

जाहिर होता है कि रहोभ्याख्यान का 'रह' स्त्री पुरुष में ही कैद नहीं है और न विवाह का 'वरण' कन्या में ही कैद है। इसीलिये श्लोक वार्तिक में विवाहकी परिभाषा में 'कन्या'शब्द का उल्लेख ही नहीं है।

इस ज़रास्ती वात को समझाने के लिये हमें इतनी पंक्तियाँ लिखनी पड़ी हैं। पर करें क्या ? ये आक्षेपक लोग इतना भी नहीं समझते कि किस ग्रन्थ की लेखन शैली किस ढङ्ग की है। ये लोग 'धर्म-विरुद्ध, धर्म-विरुद्ध' चिज्जाने में जितना समय बरबाद करते हैं उनमा अगर शास्त्रों के मनन करने में लगावें तो योग्यता प्राप्त होने के साथ सत्य की प्राप्ति भी हो। परन्तु इन्हें सत्य की परवाह हो तब तो !

**आचोप—**( ओ ) जो देने के अधिकारी हैं वे सब उपलक्षणसे पितृ सदृश हैं। उनके समान कन्याके स्थानमें विधवा जोड़ना सर्वथा असंगत है। क्योंकि विधवा के दान करने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर पुरुष किसी के नाम वसीयत कर जाय तो यह कल्पना स्थान पा सकती है।

पिता ने कन्या जामाता को दी, अगर जामाता फिर किसी दूसरे पुरुषको देना चाहे तो नहीं देसकता है; फिर दूसरा कौन दें सकता है ?

**समाधान-**जिस प्रकार देने के अधिकारी उपलक्षण से पितृ सदृश हैं उसी प्रकार विवाह योग्य सभी स्त्रियाँ कुमारी सदृश हैं; इस में न कोई विषमता है न असङ्गतता। आक्षेपक का हृदय इतना पतित है कि वह स्त्रियों को गाय, भैस आदि की तरह सम्पत्ति या देने लेने की चीज़ समझता है। इसीलिए वह लिखता है "कन्या पिता की है, पिता न हो तो जो कुटुम्बी हों वे ही उसके स्वामी हैं" लेकिन जैन शास्त्रोंके अनुसार पिता वर्गेरह उसके संरक्षक हैं—स्वामी नहीं। स्त्री कोई सम्पत्ति नहीं

है यहाँ तक कि वह पति की भी सम्पत्ति नहीं है । सम्पत्ति, इच्छानुसार स्वामी को नहीं छोड़ सकती, जबकि खीं अपने 'पति' को छोड़ सकती है । यही कारण है कि अग्निपरीक्षा के बाद सीताजी ने राम को छोड़कर दीक्षा लेली । रामचन्द्र प्रार्थना करते ही रहगये । क्या सम्पत्ति इस तरह मालिक की उपेक्षा कर सकती है ? खियों को सम्पत्ति कहकर अपनी मां बहिनों का धोर अपमान करने वाले भी जैनी कहलाते हैं, यह आश्चर्य की बात है ।

यदि खियाँ सम्पत्ति हैं तो स्वामी के मरने पर उन का दृसग स्वामी होना ही चाहिये, क्योंकि सम्पत्ति लावारिस नहीं रहती है । खियों को सम्पत्ति मान लेने पर तो विधवा-विचाह की आवश्यकता और भी ज्यादः हो जाती है । हम पूछते हैं कि एनि के मर जाने पर विधवा, लावारिस सम्पत्ति बनती है या उसका कोई स्वामी भी होता है । यदि आक्षेपक उसे लावारिस सम्पत्ति मानता है तब तो गवर्नमेन्ट उन विधवाओंको हथिया लेगी, क्योंकि 'अस्वामिकस्य द्रव्यस्य दायादो मेदिनी पति' अर्थात् लावारिस सम्पत्ति का उत्तराधिकारी राजा होता है । क्या आक्षेपक की यह मन्दा है कि जैनसमाज की विधवाएँ अंग्रेज़ोंको देदो जायँ ? यदि वे किसीकी संपत्ति हैं तो आक्षेपक बनलावे कि वे किसकी सम्पत्ति हैं ? जैसे वाप की अन्य सम्पत्ति का स्वामी उसका बेटा होता है, क्या उसी प्रकार वह अपनो मां का भी स्वामी बने ? कुछ भी हो, खियों को सम्पत्ति मानने पर उनका कोई न कोई स्वामी अवश्य सिद्ध होता है और उसी को अधिकार है कि वह उस विधवा को किसी योग्य पुरुष के लिये देवे ।

इस तरह खियोंको सम्पत्ति मानने का सिद्धांत जंगली-पन से भरा होने के साथ विधवाविचाह-विरोधियों के लिये

आत्मघातक है। एक तरफ नो आक्षेपक कहता है कि पिताको दी कन्या जामाता की सम्पत्ति है, दूसरी तरफ कहता है कि जामाता भी किसी को देना चाहे तो नहीं दे सकता। जब कि सम्पत्ति है तब क्यों नहीं दे सकता ? क्या इससे यह नहीं सिद्ध होता कि स्त्री किसी की सम्पत्ति नहीं है ? स्त्रियों को सम्पत्ति मानने वाले कन्या विक्रय के साथ भार्या-विक्रय, मातृ-विक्रय की कुप्रथाओं का भी मूल्यपात करते हैं । और, स्त्रियाँ किसी की सम्पत्ति हों चाहे न हों, दोनों ही अवस्थाओं में विवाहाओं को विवाह का अधिकार रहता है । इस तरह विवाह योग्य सभी स्त्रियाँ उपलक्षणसे कुमारी सदृश हैं; जैसे कन्या के सभी संरक्षक उपलक्षण से पितृसदृश ।

**आक्षेप (ओ)**—कन्या नाम स्त्री सामान्य का भी है, हम भी इसे स्वीकार करते हैं । विश्वलोचन कोष ही क्या, हेम और मेदिनी कोष भी ऐसा लिखते हैं, परन्तु जहाँ जैसा सम्बन्ध होगा, शब्द का अर्थ भी वहाँ वैसा मानना होगा ।

**समाधान**—जब आक्षेपक कन्या का अर्थ स्त्री-सामान्य स्वीकार करता है और विवाह के प्रकरण में मैं कन्या शब्द का अर्थ 'विवाह योग्य स्त्री' करता हूँ तो इसमें सम्बन्ध-विरुद्धता या प्रकरण-विरुद्धता कैसे हो गई ? विवाह के प्रकरण में विवाह योग्य स्त्री को प्रकरण-विरुद्ध कहना बुद्धि का अद्भुत परिचय देना है । भोजन करते समय सैन्यव शब्दका अर्थ घोड़ा करना प्रकरण-विरुद्ध है, क्योंकि घोड़ा खाने की चीज़ नहीं है, परन्तु विवाहयोग्य स्त्री तो विवाह की चीज़ है । वह विवाह के प्रकरण में प्रकरण-विरुद्ध कैसे हो सकती है ? आक्षेपक कहेगा कि विवाह तो कुमारी का ही होता है, इसलिये कन्या का कुमारा अर्थ ही प्रकरण-सङ्गत है । परन्तु यह तो आक्षेपक की मत गढ़त वात है; जैनधर्म के अनुसार तो कुमारी और विवाह

दोनों का विवाह हो सकता है। इसलिये सुधारकों के लिये “विवाह योग्य स्त्री अर्थ” ही प्रकरण-सङ्गत है। आक्षेपक के समान सुधारक लोग तो जैनधर्म को तिलाजिल दे नहीं सकते।

**आक्षेप (अं)**—साहसगति के मुँह से सुतारा को कन्या कहलाकर कवि ने माहित्य की लुट्रा लिखलाई है। उसकी दृष्टि में वह कन्या समान ही थी। साहसगति के भावों में सुतारा की कामवासना सूचित करने के लिये कवि ने नारी भार्या आदि न लिखकर कन्या शब्द लिखा। यदि ऐसा भाव न होता तो कन्या न लिखकर रगड़ा लिख देता।

**ममाधान**—कविने रगड़ा इसलिये न लिखा कि सुतारा तब राँड़ नहीं हुई थी। साहसगति सुग्रीवसे लड़कर या उसे मार कर सुतारा नहीं छीनना चाहता था—वह धोखा देकर छीनना चाहता था। इसीलिये उसने रूप-परिवर्तिनी विद्या सिद्ध की। आवश्यकता होने पर लड़ना पड़ा यह बात दूसरी है। खँॱर ! जब तक सुग्रीव मरा नहीं तब तक सुतारा को राँड़ कैसे कहा जा सकता था।

दधौचेतभि कामग्रिदग्धो निःसार मानसः ।

केनोपायेनतां कन्यांलप्ये निवृतिदायिनी ॥१७१४॥

यह श्लोक हमने यह सिद्ध करने के लिये उद्धत किया था कि कन्याशब्द का ‘मत्री सामान्य’ अर्थ भी है और इसके उदाहरण साहित्यमें मिलते हैं। आक्षेपक ने हमारे दोनों अर्थों को स्वीकार कर लिया है; तब समझमें नहीं आता कि वह उस अर्थ के समर्थन को क्यों अस्वीकार करता है। यह श्लोक विधवाविवाह के समर्थन के लिये नहीं दिया है। सिर्फ़ कन्या-शब्द के अर्थ का खुलासा करने के लिये दिया है, जो अर्थ आक्षेपक को मान्य है।

नारी, भार्या न लिखकर कन्या लिखने से कामवासना

कैसे सूचित हुई ? अगर कन्या शब्द का अर्थ कुमारी रक्खा जावे तब तो भार्याहरण की अपेक्षा कन्याहरण में कामवासना कम ही मालूम होती है ।

अमली बात नो यह है कि साहसगति विद्याधर दो पुत्रों की माना हो जाने पर भी सुतारा को ग्रोड़ा नहीं मानता था । उसको दृष्टिमें उस समय भी वह परम सुन्दरी थी; उस में विवाह योग्य स्त्री के सब गुण मौजूद थे । इसीलिये उसने सुतारा को कन्या कहा । सुतारा में इस समय भी विवाहयोग्य स्त्री के समान सौंदर्यादि थे, इसलिये कविने उसे कन्या कहला कर यह बात और भी साफ़ कर दी है कि विवाहयोग्य स्त्रीको कन्या कहते हैं । अगर कवि को यह अर्थ अभिमत न होता तो इस जगह वह 'बाला' शब्द का प्रयोग करना जिसमें साहसगति की कामातुरता का चित्र और अधिक खिल जाता ।

सैर, ज़रा व्याकरण की दृष्टिसे भी हमें कन्या शब्द पर विचार करना है । व्याकरण में पुर्णिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के कई तरीके हैं । कहीं डीप्, कहीं टीप्, कहीं इन ( हिंदी में ) आदि प्रत्यय लगाये जाते हैं तो कहीं शब्दोंका रूप बिलकुल बदल जाता है । जैसे पुत्र पुत्री आदि शब्दों में प्रत्यय लगाये जाते हैं जबकि माना पिता, भाई बहिन में शब्द ही बदल दिया जाता है । भाई और बहिन दोनों शब्दों का एक अर्थ है; अन्तर इतना है कि भाई शब्द से पुरुष जातीय का बोध होता है जबकि बहिन शब्द से स्त्री जातीय का । इसी तरह वर और कन्या शब्द हैं । दोनों का अर्थ एक ही है; अन्तर इतना ही है कि एक से पुरुष का बोध होता है दूसरे से स्त्री का । अपने विवाह के समय प्रत्येक पुरुष वर कहा जाता है, चाहे उस का पहिला विवाह हो, चाहे दूसरा । ऐसा नहीं है कि पहिले विवाह के समय 'वर' कहा जाय और दूसरे विवाह के समय वर न

कहा जाय । तथा हर एक कुमार को वर नहीं कह सकते । इसी प्रकार अपने विवाह के समय प्रत्येक लो 'कन्या' कही जाती है, चाहे वह उसका पहिला विवाह हो चाहे दूसरा । ऐसा नहीं हो सकता कि पहिले विवाह के समय वह कन्या कही जाय और दूसरे विवाह के समय न कही जाय । मनलब यह कि विवाह कराने वाली प्रत्येक लो कन्या है और विवाह न कराने वाली कुमारी भी कन्या नहीं है । अन्य प्रकरण में कन्या शब्द के भले ही दूसरे अर्थ हों, परन्तु विवाह के प्रकरण में अर्थात् वरण करने के प्रकरण में कन्या शब्द का 'विवाह कराने वाली लो' अर्थ ही हो सकता है । इसी अर्थ को ध्यान में रख कर कवि ने साहसगति के मुँह से सुनारा का कन्या कहलाया है । इसी प्रयोग से कवि ने बतला दिया है कि कवि को वाच्य वाचक सम्बन्ध का कैसा सूक्ष्म परिचय है ।

कविवर ने अपने इस मृदम ज्ञान का परिचय अन्यथा भी दिया है कि जिस से सिद्ध होता है कि कविवर, कन्या शब्द का अर्थ 'विवाह कराने वाली लो' या 'ग्रहण को जाने वाली स्त्री' करते हैं । यहाँ पर कविवर ने कन्या शब्द का प्रयोग किसी साधारण पात्र के मुँह से न करके एक अवधिज्ञानी मुनि के मुँह से कराया है ।

राजा कुण्डलमणिडत ने पिगल ब्राह्मण की स्त्री का हरण कर लिया था । जन्मान्तर की कथा सुनाते समय अवधिज्ञानी मुनिग्राज इस घटना का उल्लंघन इन शब्दों में करते हैं—

अहरनिगलान् कन्यां तथा कुण्डल मंडितः ।

पद्मायं पुरा वृत्तः सम्बन्धः परिकीर्तिः ॥ ३०-१३३ ॥

अर्थात्—कुण्डलमणिडत ने पिगल ब्राह्मण की स्त्री

का हरण किया । यह बात पहिले ही ( पद्मपुराण में ) कही गई है ।

( कुरुडलमरिडत ने पिंगल की स्त्री का ही हरण किया था, किसी कुमारी का नहीं । यह बात पाठक पद्मपुराण में देख सकते हैं । यहां भी वह श्लोक दिया जाता है :—  
भृतस्थे विदभ्याख्ये पुरे कुरुडलमरिडनः ।  
अधार्मिकोऽहरत्कांतं पिंगलस्यमनः पियरं ॥

॥ ३० । ६६ ॥

इस श्लोक में जिस का उल्लेख कान्ता शब्द से किया गया है, उसी का १३३ वें श्लोक में कन्या शब्द से किया गया है ।

इन घटनाओं की अन्य बातों से हमें कोई मतलब नहीं । हमें तो आक्षेपक के हठ के कारण इन का उल्लेख करना पड़ा है । इस से हमें सिर्फ़ यही सिद्ध करना है कि कन्या शब्द का अर्थ 'अहण—वरण—करने योग्य स्त्री' है । इस लिए "कन्यावरणं विवाहः" ऐसा कह कर जो विधवाविवाह का नियेध करना चाहते हैं, वे भूलते हैं ।

आक्षेप—( अः ) कन्या शब्द का अर्थ नारी भी है: इसलिये देवाङ्नाओं के लिये 'देव-कन्या' शब्द का प्रयोग किया गया है । यह नहीं हो सकता कि जो स्त्री दूसरा पति करे, वही कन्या कहलावे । विधवा होकर दूसरा पति ग्रहण करने वाली भी कन्या कहलाती हो सो सारे संसार में कहीं नहीं देखा जाता । जिन योरोप आदि देशों में या जिन जातियों में विधवा-विवाह चालू है, उन में भी विवाह के पूर्व लड़कियों को कन्या माना जाता है और विवाह के बाद बधू आदि ।

समाधान—कुमारी के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों ( सधवा,

विधवा ) को भी कन्या कह सकते हैं, यह बात आप पहिले स्वीकार कर चुके हैं और यहाँ भी स्वीकार कर रहे हैं । यही बात हम सिद्ध करना चाहते हैं । 'जो दूसरा पति ग्रहण करे वही कन्या है' यह तो हमारा कहना नहीं है । हम तो यह कहना चाहते हैं कि वह भी कन्या है; इस अर्थ को आप भी स्वीकार करते हैं । हाँ साहसगति विद्याधर और कुण्डल-मणिडत के उपान्त से यह बात अवश्य मालूम होती है कि जब कोई पुण्य किसी स्त्री को ग्रहण करना चाहता है, तभी प्रायः वह कन्या कही जाती है । अन्य अवस्थाओं में अकुमारी को कन्या कहने के उदाहरण प्रायः नहीं मिलते । इन उदाहरणों से निश्चय यह अवस्था शब्द की समानार्थकता से यह बात साफ़ मालूम होती है कि कन्या का अर्थ विवाह करने वाली या विवाह-योग्य स्त्री है ।

योरोप का उदाहरण देकर तो आप ने अपना ही विरोध किया है । आप ने कन्या शब्द का अर्थ अकुमारी स्त्री भी किया है, जब कि योरोप का उदाहरण देकर आप यह सिद्ध करना चाहते हैं कि अविवाहिता को ही कन्या कहते हैं । परन्तु आप ने शब्दों का प्रयोग पेसा किया है, जिस से हमारी बात सिद्ध होती है । आप का कहना है कि—योरोप में विवाह के पहिले लड़कियों को कन्या माना जाता है । इस पर हमारा कहना है कि—अगर कोई बालविधवा दूसरा विवाह करे तो उस विवाह के पहिले भी वह कन्या कहलायगी । यह तो आप विलक्षण हमारे सरीखी बात कह गये । आपने यह तो कहा नहीं है कि प्रथम विवाह के पहिले कन्या कहलानी है और दूसरे विवाह के पहिले कन्या नहीं कहलाती ! छोर । अब इस तर्क वितर्क के बाद सीधी बात पर आइये । योरोप में भारतीय भाषा के कन्या आदि शब्दों का प्रयोग नहीं होता ।

अङ्गरेजी में कन्या के बदले Miss ( मिस ) शब्द का प्रयोग होता है, परन्तु कन्या शब्द का अर्थ जब कुमारी किया जायगा तभी उसका पर्याय शब्द Miss ( मिस ) होगा; जब नारी अर्थ किया जायगा तब Miss ( मिस ) शब्द उसका पर्याय-वाची नहीं बन सकता। असली बात तो यह है कि 'बर' और 'कन्या' इसका ठीक हिंदी अनुवाद होगा 'दूल्हा' और 'दुल्हन'। जिस प्रकार 'दूल्हा' को 'बर' कहते हैं उसी प्रकार दुल्हन को 'कन्या' कहते हैं। वर शब्द का अङ्गरेजी अनुवाद है Bride-groom ( ब्राइडग्रम ); इसलिये कन्या शब्द का अनुवाद होगा Bride ( ब्राइड )। विवाह के प्रकरण में कन्या शब्द का दुल्हन अर्थात् Bride अर्थ लगाना ही उचित है। जिस प्रकार भोजन के समय सैन्धव शब्द का घोड़ा अर्थ करना पागलपन है, उसी प्रकार विवाह के प्रकरण में कन्या शब्द का कुमारी अर्थ करना पागलपन है। उस समय तो कन्या शब्द का दुल्हन अर्थ ही होना चाहिये। वह दुल्हन कुमारी भी हो सकती है और विधवा भी हो सकती है। इसलिये कन्या शब्दके कारण विधवाविवाह का नियेध नहीं किया जा सकता।

**आक्षेप—**(क) सभी देवियों को दूसरे देवों के साथ नहीं रहना पड़ता। देवी जिसे चाहे उसी देव को अपना पति नहीं बना सकती, परन्तु अपने नियोगी को ही पति बना सकती है। देवियों के दृष्टान्त से विधवाविवाह की पुष्टि न करना चाहिये। दृष्टान्त जिस विषय का है पुष्टि भी बैसी करेगा। देवाङ्गना दूसरी गति है। वे रजस्वला नहीं होतीं, गर्भधारण नहीं करतीं, उन के पलक नहीं गिरते, जब कि मनुष्यनी की ये बातें होती हैं।

**समाधान—**सभी देवियों को दूसरा पति नहीं करना पड़ता, परन्तु जिन देवियों का पति मर जाता है वे पति के

स्थान पर पैदा होने वाले अन्य देव को पति बना लेती हैं,  
यह बात तो विलकृत सत्य है । जैसा कि आदिपुराण के निम्न-  
लिखित श्लोकों से मालूम होता है ।—

**भीमः साधुः पुरे पुङ्गरीकिरणां घातिघातनात् ।**

—पर्व० ४६ । श्लो० ३४८ ।

**रथ्ये शिवंकरोद्याने पञ्चमङ्गान पूजितः ।**

**तस्थिवर्णस्तं समागत्य चतस्रो देवयोषितः ॥ ४६ । ३४९ ॥**

**वंदित्वाधर्ममाकर्त्य पापाद्भूतपतिर्मृतः ।**

**त्रिलोकेशवदास्माकं पतिः कोन्या भविष्यति ॥ ४६३५० ॥**

पुराणरीक्षुपुर के शिवंकर नामक बगीचे में भीम नामक  
साधु को घातिया कर्मों के नाश करने से केवल ज्ञान हुआ ।  
उन के पास चार देवाङ्गनाएँ आईं । बन्दना की, धर्म सुना ।  
फिर पूछा—हे त्रिलोकेश ! पापकर्म के उदय से हमारा पति मर  
गया है, इसलिये कहिये कि हमारा दूसरा पति कौन होगा ?

यह बात दूसरी है कि बहुतसो देवाङ्गनाओं को विश्ववा-  
नहीं होना पड़ता, इससे दूसरा पति नहीं करना पड़ता । परन्तु  
जिन्हें करने की ज़रूरत होती है वे दूसरे पति का त्याग नहीं  
कर देतीं । हाँ, देवाङ्गनाएँ दूसरे देव को नहीं पकड़तीं, अपने  
नियोगी को ही पकड़ती हैं; सो यह बात कर्मभूमि में भी है ।  
मध्यलोक में भी नियोगी के साथ ही दाम्पत्यसम्बन्ध होता  
है । हाँ, देवगति में नियोगी पुरुष और नियोगिनी स्त्री का  
चुनाव (नियोग = नियुक्ति) दैव ही कर देता है जबकि कर्म-  
भूमि में नियोगी और नियोगिनी के लिये पुरुषार्थ करना पड़ता  
है । सो इस प्रकार का पुरुषार्थ विश्ववाङ्गोंके लिये ही नहीं करना  
पड़ता, कुमारियों के लिये भी करना पड़ता है । दैवकृत  
और प्रयत्नकृत नियोग की बात से हमें कुछ मतलब नहीं ।  
देखना यह है कि देवगति में देविर्याँ एक देव के मरने पर

दूसरा देव प्राप्त कर लेनी हैं। इनना ही नहीं, दूसरे देव को प्राप्त करने की लालसा इतनी बढ़ जाती है कि वे थोड़ी देर भी शान्त न बैठ कर केवली भगवान के पास पूछने जाती हैं। केवली भगवान भी दूसरे पनि के विषय में उत्तर देते हैं। अगर दूसरे पनि को ग्रहण करना पाप होता तो वे देवियाँ धर्म श्रवण करने के बाद केवली भगवान से ऐसा प्रश्न न करतीं। और न केवली भगवान के पास से इस का उत्तर मिलता। जब केवली भगवान ने उन्हें धर्म सुनाया तो उसमें यह बात क्यों न सुनाई कि दूसरा पनि करना पाप है? क्या इससे यह बात साफ़ नहीं हो जाती कि जैनधर्म में विधवाविवाह को प्राप्त है। इनने पर भी जो लोग विधवाविवाह को धर्मविरुद्ध समझते हैं वह पुरुष मदोन्मत्त, मिथ्यादृष्टि नहीं तो क्या है? देवांगना दूसरी गति में हैं और उनके शरीर में रस रक्तादि नहीं हैं, तो क्या हुआ? जैनधर्म तो सब जगह है। मिथ्यान्त्व और दुराचार शरीर के विकार नहीं, आत्मा के विकार हैं। इस लिये शरीर की गुणगाथा से अधर्म, धर्म नहीं बन सकता। यहाँ धर्म अधर्म की मीमांसा करना है, हाड़ माँस की नहीं। हाड़ माँस तो सदा अपवित्र है, वह न तो पुनर्विवाह से अपवित्र होता है और न पुनर्विवाह के बिना पवित्र। अगर यह कहा जाय कि 'देवगति में ऐसा ही रिवाज है, इसलिये वहाँ पाप नहीं माना जाता; विधवा देवियों को ग्रहण करने वाले भी क्षायिक सम्यग्दृष्टि होते हैं और दूसरे देव को ग्रहण करने वाली देवियाँ, स्त्री होने से क्षायिक सम्यन्तव तो नहीं पा सकतीं, परन्तु बाकी दोनों प्रकार के सम्यक्त्व प्राप्तकर सकती हैं।' यदि रिवाज होने से देवगति में यह पाप नहीं है तो यहाँ भी पुनर्विवाह के रिवाज हो जाने पर पाप नहीं कहला सकता।

**आक्षेप—( ख )** दीक्षान्वय किया में जो पुरुष दीक्षा ले रहा है, उसका विवाह उसी की स्त्री के साथ होता है। इससे विधवाविवाह कैसे सिद्ध होगया ?

**समाधान—**जो लोग कन्या शब्द का अर्थ कुमारी करते हैं और कुमारी के सिद्धाय किसी दूसरी स्त्री का विवाह ही नहीं मानते, उनको मुँहतोड उत्तर देने के लिये हमने दीक्षा-न्वय किया का वह श्लोक उद्धृत किया है । दीक्षित मनुष्य भले ही अपनी स्त्री के साथ विवाह करता हो, परन्तु उस की स्त्री कन्या है कि नहीं ? यदि कन्या नहीं है तो 'कन्यावरणं विवाहः' इस परिभाषा के अनुसार वह विवाह ही कैसे कहा जा सकता है ? लेकिन जिनसेनाचार्य ने उसे विवाह कहा है । अगर वह स्त्री, विवाह होने के कारण कन्या मानो जासकता है तो विधवा भी कन्या मानो जा सकती है । सध्वा तो कन्या कहला सके और विधवा कन्या न कहला सके—यह नहीं हो सकता ।

**आक्षेप (ग)—**कन्याएँ जिस प्रकार शह्नी पश्चिनी आदि होती हैं, उसी प्रकार पुरुष भी । जब स्त्री पुरुष समान गुणवाले नहीं होते तब वैमनस्य, सन्तानादि का अभाव होता है । इसलिये सागारधर्मसूत्र में कन्या के लिये निर्देश विशेषण दिया है । तुम इन महत्वपूर्ण शब्दों का भाव ही नहीं समझें ।

**समाधान—**समान गुणवाले स्त्री पुरुष होने से लाभ है । परन्तु हमारा कहना यह है कि अगर शह्नी पश्चिनी आदि भेदों की समानता नहीं पाई जाय तो विवाह धर्मविरुद्ध कहलायगा या नहीं ? यदि धर्मविरुद्ध कहलायगा तब आजकल के की सदी ६० विवाह धर्मविरुद्ध ठहरेंगे, क्योंकि इन भेदों का विचार ही नहीं किया जाता । अन्य प्रकार के वृद्धविवाहादि अनमेलविवाह भी धर्मविरुद्ध ठहरेंगे । फिर केवल विधवाविवाह के पीछे

इतना तूफान मचाना किस काम का ? यदि अनमेल आदि विवाह धर्मविरुद्ध नहीं हैं तो विधवाविवाह भी धर्मविरुद्ध नहीं है। इसलिये जिस प्रकार 'निर्दोष' विशेषण सदांया के विवाह को धर्मविरुद्ध नहीं ठहरा सकता, उसो प्रकार 'कन्या' विशेषण विधवा के विवाह को धर्मविरुद्ध नहीं ठहरा सकता। इसके लिये हमने पहिले लेख में खुलासा कर दिया है कि 'कन्या' और विधवा में करुणानुयोग की दृष्टि में कुछ अन्तर नहीं है जिससे कन्या और विधवा में जुड़ी जुड़ी दो आशाएँ बनाई जायँ। इस अनुयोग सम्बन्धी प्रश्न का आप कुछ उत्तर नहीं दे सके।

**आन्त्रेप ( घ )—**जैन सिद्धान्त में कन्या का विवाह होता है, यह स्पष्ट लिखा है। विधवा को आर्थिका होने का या वैधव्य दीक्षा धारण करने का स्पष्ट विधान है। इसलिये विधवाविवाह का विधान व्यभिचार को पुष्टि है।

**समाधान—**कन्या शब्द का अर्थ 'विवाह करने वाली स्त्री' या 'दुलिहन' है ( स्त्री सामान्य आपने भी माना है। )। दुलिहन कुमारी भी हो सकती है और विधवा भी हो सकती है, इसलिये जैन सिद्धान्त को आशासे विधवाविवाह का कुछ विरोध नहीं। शास्त्रों में तो अनेक तरह की दीक्षाओं के विधान हैं, परन्तु जो लोग दीक्षा ग्रहण नहीं करते, वे धर्मभ्रष्ट नहीं कहलाते। जिनमें विरक्ति के भाव पैदा हुए हैं, कथाये शान्त होगई हैं, वे कभी भी दीक्षा ले सकती हैं। परन्तु जब विरक्ति नहीं है, कथाये शान्त नहीं हैं, तब ज़बर्दस्ती उनसे दीक्षा नहीं लिवाई जा सकती। 'ज्यों ज्यों उपशमत कथाया, त्यों त्यों तिन त्याग बताया' का सिद्धान्त आपको ध्यान में रखना चाहिये। इस विषय की प्रायः सभी बातें पहिले कही जा चुकी हैं।

**आन्त्रेप ( झ )—**प्रबोधसार में लिखा है कि 'कन्या का

दुष्कारा विवाह नहीं होता'। यशस्तिलक में लिखा है कि 'एक-बार जो कन्या स्त्री बनाई जाती है वह विवाह द्वारा फिर दुष्कारा स्त्री नहीं बनाई जाती'। आदिपुराण में श्रक्कीर्ति कहते हैं 'कि मैं उस विधवा सुलोचना का क्या करूँगा'। नीतिवाक्यामृत में श्रेष्ठ शूद्रों में भी कन्या का एकबार विवाह माना जाता है।

**ममाधान—**जैतगङ्गट में श्लोक नहीं छपते, इस की ओट लेकर पण्डित लोग गृह मनमानी गप्टे हाँक लिया करते हैं। अगर श्लोक देने लगे तो सारी पोल वृल जाय। स्त्रै, प्रबोध-सार में तो किसी भी जगह के ४४ नम्बर के श्लोक में हमें विधवा विवाह का नियेध नहीं मिला। यशस्तिलक के श्लोक के अर्थ करने में आन्त्रेपक ने जान दूभकर धोखा दिया है। जरा वहाँ का प्रकरण और वह श्लोक देखिये।

किस तरह की मूर्ति में देवकी स्थापना करना चाहिये, इसके उत्तर में सोमदेव लिखते हैं कि विष्णु आदिकी मूर्ति में अरहन्त की स्थापना न करना चाहिये। जैसे—जब तक कोई स्त्री किसी की पत्नी है तब तक उस में ( परपरिग्रहे ) स्वस्त्री का सङ्कल्प नहीं किया जा सकता। कन्याजन में स्वस्त्री का सङ्कल्प करना चाहिये।

**शुद्धेवस्तुति सङ्कल्पः कन्याजन इवोचितः ।**

नाकारान्तर संकान्ते यथा परपरिग्रहे ॥

मतलब यह कि मूर्ति का आकार दूसरा हो और स्थापना किसी अन्य की की जाय नो वह ठीक नहीं। हनुमान की मूर्ति में गणेश की स्थापना और गणेश की मूर्ति में जिनेन्द्र की स्थापना अनुचित है। परन्तु मूर्ति का आकार बदलकर अगर स्थापना के अनुरूप बना दिया जाय तब वह स्थापना के प्रनिकूल नहीं रहती। अन्य धर्माविलंबियों में तो पत्थरों के ढेर और पहाड़ों तक को देवता की मूर्ति मान लेते हैं। इसलिये क्या

पत्थरों के ढेर में से या पहाड़ में से किसी पत्थर की जिनेन्ड्र-  
मूर्ति बना लेना अनुचित हो जायगा ? स्थापना में सिर्फ़ इनना ही  
देखना चाहिये कि वर्तमान में यह पत्थर आकारान्तरसंकान्त  
तो नहीं है । पहिले किस आकारमें था, इसके विचार की कोई  
ज़रूरत नहीं है । इसी प्रकार वर्तमान में जो किसी दूसरे पुरुष  
की लीडी है उसे स्वखी नहीं बनाना चाहिये; जैसे कि तिघ्यन में अनेक  
पुरुष एक ही ली को अपनी अपनी पत्नी बनाते हैं या जैसे कि  
हिंदू शाल्मो में द्रोपदी के विषय में प्रसिद्ध है । परन्तु जो ली  
विधवा होगई है वह तो कुमारी के समान किसी की पत्नी नहीं  
है । वह आकारान्तरसंकान्त अर्थात् किसी की पत्नी थी ज़रूर,  
परन्तु अब नहीं है । इसलिये उसमें स्वपत्नीत्वका सङ्गलप अनु-  
चित नहीं है । आदेषपक ने प्रकरण को छिपाकर, कन्या शब्दका  
अर्थ भुलाकर, ज़बरदस्ती भूतकाल के रूपको वर्तमान का रूप  
देकर या तो खुद धोखा लाया है या दूसरों को धोखा दिया है ।

आचार्य सोमदेवके वाक्यों से विधवाविवाह का विरोध  
करना दुःसाहस है । जो आचार्य श्रगुवनी को वेश्यासंवन तक  
की खुलासी देते हैं वे विधवाविवाह का क्या विरोध करेंगे ?  
बलिक दूसरी जगह खुद उन्होंने ली के पुनर्विवाह का समर्थन  
किया है । नीतिवाक्यामृत में वे लिखते हैं कि—‘विकृत पत्यू-  
द्वापि पुनर्विवाहमर्हतोनि स्मृतिकारा’ अर्थात् शाल्मकार कहते  
हैं कि जिस ली का पति विकारी अर्थात् सदोष हो, वह ली भी  
पुनर्विवाह की अधिकारिणी है । इस वाक्य के उत्तर में कुछ लोग  
कहा करते हैं कि यह तो दूसरों की स्मृतियों का हवाला है—  
सोमदेव जी इससे सहमत नहीं हैं । परन्तु सोमदेव जी अगर  
सहमत न होते तो उन्हें इस हवाले की ज़रूरत क्या थी ? यदि  
सोमदेवजी ने विधवाविवाह का खंडन किया होता और खंडन  
के लिये यह वाक्य लिखा होता तब तो कह सकते थे कि वे

विधवाविवाह से महमत न थे; परन्तु जब विधवाविवाह का वे खण्डन नहीं करते और विधवाविवाह आदि के समर्थक वाक्य को उद्भव करते हैं तो मूर्ख से मर्ख भी कह सकता है कि सोमदेव जी विधवाविवाह के पक्षपाती थे। दूसरी बात यह है कि स्मृति शब्द से अजैनों के धर्मशास्त्र ही प्रहण नहीं किये जा सकते। जैनशास्त्र भी श्रवणि स्मृति आदि शब्दों से कहे गये हैं, जैसाकि आदिपुराण के ऐसे वै पर्व में कहा गया है—

सनातनोऽस्ति मार्गोऽयम् श्रुतिस्मृतिषु भाषितः ।

विवाहविधि भेदेषु वरिष्ठोहि स्वयंवरः ॥४४॥३२॥

यहाँ पर जैन शास्त्रों का उल्लेख श्रवणि स्मृति शब्द से हुआ है। और भी अनेक स्थानों पर ऐसा ही शब्द उद्यवहार देखा जाता है। मनलब यह कि नीतिवाक्यामृत में जो लोकों के पुनर्विवाह का समर्थक वाक्य पाया जाता है उससे सोमदेव जी नो पुनर्विवाह समर्थक उहरते ही हैं, साथ ही अन्य जैनाचार्यों के द्वारा भी इसका समर्थन होता है। ऐसे सोमदेवाचार्य के यशस्तिलक के श्लोक में विधवाविवाह का विशेष सिद्ध करने की कुचेष्टा करना दुःसाहस नहीं तो क्या है ?

पाठक आव जरा अर्ककीर्ति के वाक्य पर विचार करें। जब मुलोचनाने जयकुमार को वर लिया तब अर्ककीर्तिके मिथ्र दुर्मरण ने अर्ककीर्ति को समझाया—

रत्नं रत्नेषु कन्यैष नत्राष्यैषैव कन्यका ।

तस्यां स्वगृहमानीय दौष्ट्यं पश्यास्य दुर्मतेः ॥४५॥५॥

रत्नों में कन्यारत्न ही श्रेष्ठ है; उसमें भी यह कन्या (पाठक यह भी ख्याल रखें कि जयकुमार को वर लेने पर भी सुलोचना कन्या कही जा रही है) और भी अधिक श्रेष्ठ है। इसलिये तुम उसे अपने घर लाकर उस दुर्बुद्धि की दुष्टता देखो (बदला लो) ।

दुर्मरण की बातों में आकर अर्ककीर्ति जयकुमार को मार कर उसकी वरमाला छीनने को उतारू हो गया । इसी-लिये वह कहता है कि—

द्विधा भवतु वा मा वा वलं तेन किमाशुगः ।

मात्सं प्रत्यानयिष्यन्ति जयवक्षो विभिद्यमे ॥ ४४ । ६४ ॥

अर्थात् सेना दो भागोंमें बट जाय चाहे नहीं, मेरा उस से क्या ? मेरे तो बाय जयकुमार का वक्षम्थल चीरकर वर-माला लौटा लावेंगे ।

पाठक विचार करें कि वरमाला को छीन लेना सुलोचना को ग्रहण कर लेना था, जिसके लिये अर्ककीर्ति नैयार हुआ था । निःसन्देह यह काम वह जयकुमार से ईश्याके कारण कर रहा था । परन्तु अर्ककीर्ति का अनवद्यमति नामका मन्त्री जानता था कि सुलोचना सरीखी राजकुमारी अपनी इच्छा के विरुद्ध किसी को नहीं वर सकती । इसीलिये तथा अन्य आपत्तियों की आशङ्का से उसने अर्ककीर्ति को समझाया कि 'तुम चक्रवर्ती के पुत्र होकर के भी क्या अनर्थ कर रहे हो ? तुम्ही से न्याय की रक्षा है और तम्ही ऐसे अन्याय कर रहे हो ! तुम इस यग के परस्त्रीगामियों में पहिले नम्बर के परस्त्रीगामो मत बनो' ।

परदाराभिलापस्य प्राथम्यं मा वृथा कृथाः ।

अवश्यमाहताप्येषा न कन्याते भविष्यति ॥४४ । ४७॥

अनवद्यमति कीबातें सुनकर अर्ककीर्ति लज्जित तो हुआ, परन्तु जयकुमार से बदला लेने का और सुलोचना छीनने का उसने पक्का निश्चय कर लिया था, इसलिये युद्ध का प्राप्राम न बदला । हाँ, अपनी नैतिक सफाई देने के लिये उसने अपने मन्त्री को निम्नलिखित वाक्य बोल कर भाँसा अवश्य दिया :—

नाहं सुलोचनार्थमिम मत्सगी मच्छ्रैरथम् ।

परसुरघ्नैवस्यात्कि मे विधवयातया ॥

मुझे सुलोचनासे कुछ मतलब नहीं, यह घमरडी जय-  
कुमार मेरे बाणों से मर जाय। मुझे उम्म विधवा से क्या  
लेना है ?

बस, अन्याचारी अर्ककीर्तिकी यह बात ही श्रीलालजी  
के लिए आगम बन बैठी है। आक्षेपक प्रकरण को छिपा कर  
इस प्रकार समाज को धोखा देना चाहता है। दुर्मिथण ने जब  
सुलोचना को, कन्या-रत्न कहकर प्रशन्ना की, तब अर्ककीर्ति  
से नहीं कहा गया कि मैं उम्म विधवा का क्या करूँगा ? उस  
समय तो मुँह में पानी आ गया था। अनवद्यमति की फट-  
कार से कहने लगा कि मैं विधवा सुलोचना को ग्रहण न  
करूँगा—मैं तो सिर्फ बदला लेना चाहता हूँ। अर्ककीर्ति की  
यह कांगो चाल थी तथा उससे यह नहीं मालूम होता कि वह  
विधवा होने के कारण उसको ग्रहण नहीं करना चाहता था।  
उसने तो परस्तीहरण के अन्याय से निलिपि रहने की सफाई  
दी थी। प्रकरण को देखकर कोई भी समझदार कह सकता है  
कि इससे विधवाविवाह का खगड़न नहीं होता।

नीतिवाक्यामृत के वाक्य से विधवाविवाह का विरोध  
करना बड़ी भारी धोखेबाज़ी है। नीतिवाक्यामृत उन्हीं साम-  
दंव का बनाया हुआ है जो विधवाविवाह का अनुमोदन करते  
हैं। तब सोमदंव के वाक्य से विधवाविवाह का विरोध कैसे  
हो सकता है ? जिस वाक्य से विधवाविवाह का विरोध किया  
जाना है उसे आक्षेपक ने समझा ही नहीं है, या समझ कर  
छिपाया है। वह वाक्य यह है—

सकृत्परिणयन व्यवहाराः सच्छ्रूद्राः ।

अर्थात् अच्छ्रूद्र वे हैं जो एक ही बार विवाह करते

हैं, अर्थात् एक ही स्त्री रखने हैं। यह नियम उस समय के लिये था जब अनुलोम विवाह की पृथा ज्ञार पर थी। उच्चवर्णी, शूद्र की कन्याएँ लेते थे, लेकिन शूद्रों को देते न थे। ऐसी हालत में शूद्र पुरुष भी अगर वहुपत्नी रखने लगते तब तो शूद्रों के लिये कन्याएँ मिलना भी मुश्किल हो जाता। इन्हाँलिये उन्हें अनेक पत्नी रखने की मनाई की गई। जो शूद्र अनेक स्त्रियाँ रखते थे वे असच्छूद्र कहे जाते थे। एक प्रकार से यह नियम भङ्ग करने का दराड था। आक्षेपक ने स्त्रियोंके पुनर्विवाह न करने की बात न मालूम कहाँ से खोच ली ? उस वाक्य की संस्कृत शीका में आक्षेपक की यह चालाकी स्पष्ट हो जाती है—

शीका—“ये सच्छूद्राः शोभनशूद्रा भवन्ति ते सकृतपरिणयनाः एकवारं कृतविवाहाः, द्वितीयं न कुर्वन्तीत्यर्थः । तथा च हार्गीतः द्विभार्योयोत्रशूद्रः स्याद्वृपालः स हिवि श्रुतः । महत्वं तस्य ना भावि शूद्र जाति समुद्धर्वन् ।”

अर्थात्—जो अच्छे शूद्र होते हैं वे एक ही वार विवाह करते हैं, दूसरा नहीं करते हैं। यही बात कही भी है कि दो पत्नी रखने वाला शूद्र वृपाल कहलाता है—उसे शूद्र जाति का महत्व प्राप्त नहीं होता।

‘शूद्रों को बहुत पत्नी न रखना चाहिये’, पेसे अर्थवाले वाक्य का ‘किसी को विधवाविवाह न करना चाहिये’ ऐसा अर्थ करना सरामर धोखेबाज़ी है। यह नहीं कहा जा सकता कि आक्षेपक को इसका पता नहीं है, क्योंकि त्रिवर्णाचार की परीक्षा में श्रीयुत जुगलकिशोर जी मुख्तार ने इसका खूब खुलासा किया है।

इस प्रकार पहिले आदोपक के समस्त आदोप बिलकुल निर्वल हैं। अब दूसरे आदोपक के आदोपों पर विचार किया जाता है।

**आन्तेप ( च )**—यदि विवाह शादी से सम्यकत्व का कोई सम्बन्ध नहीं तो क्या पारसी, अंग्रेज़ लेडी, यवनकन्या आदि के साथ विवाह करने पर भी सम्यकत्व का नाश नहीं होता ? यदि नहीं होता तो शास्त्रोंमें विहित समदत्तिका क्या अर्थ होगा ?

समाधान पारसी अङ्गरेज़ आदि तो आर्य हैं: सम्यकत्व का नाश तो म्लेच्छ महिलाओंके साथ शादी करने परभी नहीं होता । चक्रवर्ती की ३२ हजार म्लेच्छ पत्नियोंके दण्डान्त से यह बात विलकुल स्पष्ट है । चक्रवर्तियोंमें शान्तिनाथ, कुन्तुनाथ, अरगाथ, इन तीन तीर्थद्वारों का भी समावेश है । अन्य अनेक जैनी राजाओं ने भी म्लेच्छ और अनार्य लियोंके साथ विवाह किया है । हाँ विवाह में इतनी बात का विचार यथासाध्य अवश्य करना चाहिये कि व्याधि जैनधर्म पालने वाली हो अथवा जैनधर्म पालन करने लगे । इस से धर्मपालन में सुभीता होता है । इसीलिये समदत्ति में साधर्मी के साथ गोटी वेटी व्यवहार का उपदेश दिया गया है । अगर कोई पारसी, अङ्गरेज़ या यवन महिला जैनधर्म धारण करले तो उसके साथ विवाह करने में कोई दोष नहीं है । पुराने ज्ञानमें तो ऐसी अजैन कन्याओंके साथ भी शादी होती थी, फिर जैनकी तो बात हो क्या है ? आचार शास्त्रोंमें लौकिक और पारलौकिक आचारों का विधान रहता है । उन का पालन करना सम्यग्दृष्टि की योग्यता और इच्छा पर निर्भर है । उन आचार नियमोंके पालन करने से सम्यकत्व आना नहीं है और पालन न करनेसे ज्ञाना नहीं है । इस लिए आचार नियमोंके अनुकूल या प्रतिकूल किसी भी महिलासे शादी करने से सम्यकत्व का नाश नहीं होता ।

**आन्तेप ( छ )**—सराग सम्यकत्व की अपेक्षा वीतराग सम्यकत्व विशेष ग्राह्य है । फिर भी वीतराग सम्यकत्वी में प्रशम

संवेग अनुकम्पा आभितकय गुण ज़रूर प्रकट होने चाहिये । निश्चय और व्यवहार दोनों का स्थाल रखना चाहिये । व्यवहार, निश्चयका निमित्त कारण नहीं—उपादान कारण है ।

समाधान—सम्यग्विष्ट प्रशम सम्वेगादि होना चाहिये तो रहे । सम्यग्विष्ट विधवाविवाह करते हुए भी प्रशम सम्वेग अनुकम्पा आभितकयादि गुण रख सकता है । प्रशम से राग, द्वेष कम हो जाते हैं, सम्वेग से संमार से भय हो जाता है । इतने परभी वह हज़ारों म्लेच्छ कन्याओंसे विवाह कर सकता है, बड़े २ युद्धकर सकता है और नरकमें हो तो परम कुरुणा लेश्या बाला रौद्रपरिणामी बनकर हज़ारों नारकियोंसे लड़सकता है ! तबभी उस के सम्यक्स्तवका नाश नहीं होता । उसके प्रशम संवेगादि बन सकते हैं, तो विधवाविवाह बाले के क्यों नहीं बन सकते ? व्यवहार निश्चय का कारण है । परन्तु विधवाविवाह भी तो व्यवहार है । जिस प्रकार कुमारी विवाह धर्म से दृढ़ रहने का कारण है उसी प्रकार विधवाविवाह भी है । व्यवहार तो द्रव्य देव काल भाव के भेद से अनेक भेद रूप है । व्यवहार के एक भेद से उसी के दूसरे भेद की जाँच करना व्यवहारैकान्तवादी बन जाना है । निश्चय को कसौटी बना कर व्यवहार की परीक्षा करना चाहिये । जो व्यवहार निश्चय अनुकूल हो वह व्यवहार है, जो प्रतिकूल हो वह व्यवहाराभास है । विधवा-विवाह निश्चय सम्यक्स्तव के अनुकूल अथवा अविरुद्ध है । इसलिये वह सज्जा व्यवहार है । व्यवहार सम्यक्स्तव के अन्य चिन्हों के साथ भी उस का कोई विरोध नहीं है ।

व्यवहार को निश्चय का उपादान कारण कहना कार्य कारण भाव के ज्ञान का दिवाला निकाल देना है । व्यवहार पराश्रित है और निश्चय स्वाश्रित । क्या पराश्रित, स्वाश्रित का उपादान हो सकता है ? यदि व्यवहार निश्चय का उपादान

कारण है तो वह सिद्धों में भी होना चाहिये; क्योंकि उन के भी निश्चय-सम्यकत्व है। परन्तु मिद्धों में गागादि परिणति न होने से सराग सम्यक्त्व हो नहीं सकता। तब वह उपादान कारण कैसे कहलाया ? यदि व्यवहार निश्चय को पूर्वोत्तर पर्याय मान कर उपादान उपादेय भाव माना हो तो दोनों का साहचर्य ( साथ रहना ) बनलाना व्यर्थ है। नथा इस दृष्टि से तो सम्यक्त्व के पहिले रहने वाली मिथ्यात्व पर्याय भी उपादान कारण कहलायगी। तब सम्यक्त्व की उपादानता में महत्व दी क्या रह जायगा ? खंग, हमारा कहना तो यही है कि विधवाविवाह निश्चय सम्यक्त्व और व्यवहार सम्यक्त्व के प्रशमादि गुणों के विरुद्ध नहीं है। इसलिये व्यवहार सम्यक्त्व की दुहाई देकर भी उस का विरोध नहीं किया जा सकता।

**आसेप ( ज )**—विवाहों की अष्ट प्रकार की संख्या से बाह्य होने के कारण और इसीलिये भगवन् प्रतिपादित न होने के कारण क्या आस्तिक्य सम्बद्धिविधवाविवाह को मान्य ठहरा सकता है ?

**ममाधान**—विवाह के आठ भेदों में तो बालविवाह, वृद्धविवाह, युवतीविवाह, सजातीयविवाह, विजातीयविवाह, अनुलोमविवाह, प्रतिलोमविवाह, सगांत्रविवाह, विगोच्रविवाह, कुमारीविवाह, विधवाविवाह, आदि किसी नाम का उल्लेख नहीं है; तब क्या ये सब आस्तिक्य के विरुद्ध हैं ? तब तो कुमारी विवाह भी आस्तिक्य के विरुद्ध कहलाया, क्योंकि आठ भेदों में कुमारी विवाह का भी नाम नहीं है। अगर कहा जाय कि कुमारीविवाह, सजातीय विवाह आदि विवाहों के उपर्युक्त आठ भेद हैं तो वस, विधवाविवाह के भी उपर्युक्त आठ भेद सिद्ध हुए। जैसे कुमारीविवाह

आठ तरह का हो सकता है उसी प्रकार विधवाविवाह भी आठ तरह का हो सकता है ।

**आक्षेप (भ)**—सम्यग्दण्डितीव में राग द्वेष की उत्कटता का क्षयोपशम हो गया है । उस के बून निमय न सही, परन्तु स्वरूपाचरण चारित्र तो है, जो संसार से भयभीत, सद्यमांस आदि से विरक्त, विधवाविवाह आदि राग-प्रवृत्ति से बचता है । यदि उस के स्वरूपाचरण चारित्र न माना जाय तो वह दुनियाँ भर के सभी रौद्र कर्म करके भी सम्यक्त्वी बना रहेगा ।

**समाधान**—स्वरूपाचरण तो नारकियों के भी होता है, पाँचों पाप करने वालों के भी होता है, कृष्णलेख्या वालों के भी होता है । तब विधवाविवाह से ही उस का क्या विरोध है ! सम्यग्दर्शन, भेद विज्ञान, स्वरूपाचरण चारित्र, ये सहचर हैं ? इसलिये जो वात एक के लिए कही गई है वही तीनों के लिये समझना चाहिये । अनन्तानुवन्धी के उदय क्षय से स्वरूपाचरण होता है । इस विषय में लेख के प्रारम्भ में आक्षेप नम्बर 'अ' का समाधान देखना चाहिये ।

**आक्षेप (अ)**—मानवे नरक में सम्यक्त्व नए न होने की वात आप ने कहाँ से लिखी ?

**समाधान**—इसका समाधान पहिले कर चुके हैं । देखो आक्षेप नम्बर 'इ' का समाधान ।

**आक्षेप (ट)**—सम्यग्दण्डितीव पञ्च पापोपसेवी नहीं होता, किन्तु उपभोगी होता है अर्थात् उसकी हृचिपूर्वक पञ्च पापों में प्रवृत्ति नहीं होती । ...पाप तो सदा सर्वथा धोर पाप-बन्धन का ही कारण है । फिर तो सम्यक्त्वी को भी धोर पाप बन्ध सिद्ध हो जायगा और सम्यक्त्वीको बन्धका होना कहने पर अमृतचन्द्र सूरि के "जिस दण्डित से सम्यग्दण्डित है उस दण्डित से बन्ध नहीं होता" इस वाक्य का क्या अर्थ होगा ?

ममाधान—हमने सम्यक्तवी को पञ्चपापोपसेवी नहीं लिखा है, पाँच पाप करने वाल लिखा है। भले ही वह उपभोग हो। उस की अचिपूर्वक प्रतुक्तिता पाप में ही क्या, पुण्य में भी नहीं होती। वह तो दोनों को हेय और शुद्ध परिणति को उपादेय मानता है। उसकी अचिन्ता न तो कुमारी-विवाह में है न विधवा-विवाह में, किन्तु अप्रयाख्यानावरणादि कपायों के उदय से वह अरुचिपूर्वक जैसे कुमारी-विवाह करता है उसा प्रकार विधवा-विवाह भी करता है। उसकी अरुचिन्ता विधवा-विवाह को गोके और कुमारी विवाह का न रोक, यह कैसे हा सकता है? आक्षेपक का कहना है कि “पाप तो सदा मर्वथा धार पाप-बन्धका कारण है”, तब तो सम्यग्दृष्टि को भी घोर पापबन्ध का कारण होगा; क्योंकि वह भी पापोपयोगी है। लेकिन आक्षेपक सम्यग्दृष्टिको घोर पाप बन्ध नहीं मानता। तब उस का ‘सदा सर्वथा’ शब्द आपही ज़रिङ्डत हा जाता है। असृत-चन्द्र का हवाला देकर तो आक्षेपक ने विलक्ष्मि ऊटपटाँग बका है, जिस से विधवा-विवाह विरोध का काई ताज़्ज़ुक नहीं। सम्यक्तव तो बन्ध का कारण है ही नहीं, किन्तु उसके साथ रहने वाली कपाय बन्ध का कारण ज़रूर है। यही कारण है कि अविरत सम्यग्दृष्टि ७७ प्रकृतियों का बन्ध करता है जिन में बहुभाग पाप प्रकृतियों का है। सम्यक्तव और स्वरूपाचरण होने से उस के  $16 + 24 = 40$  प्रकृतियों का बन्ध रुकता है। सम्यग्दृष्टि जीव अगर विधवा-विवाह करे तो उसके इन ४० प्रकृतियों का बन्ध नहीं होगा। हाँ, बाकी प्रकृतियोंका बन्धहो सकेगा। सो वह तो कुमारी विवाह करने पर भी हो सकेगा और विवाह न करने पर भी हो सकेगा। हमारा कहना तो यही है कि जब सम्यग्दृष्टि जीव—अरुचि पूर्वक ही सही—

पाँचों पाप कर सकता है, कुमारीविवाह कर सकता है, तब विधवाविवाह भी कर सकता है।

**आक्षेप (ठ)**—विधवाविवाह इसीलिए अधर्म नहीं है कि वह विवाह है बल्कि इस लिए अधर्म है कि आगम विरुद्ध है। “कोई प्रवृत्त्यात्मक कार्य धर्म नहीं है” यह लिखना सर्वथा असङ्गत और अज्ञानतापूर्ण है। विवाहको निवृत्त्यात्मक मानना भी व्यर्थ है। अगर निवृत्त्यात्मक होता तो पाँचवें गुणस्थान के भेदोंमें निवृत्तिरूप ब्रह्माचर्य प्रतिमाकी आवश्यकताही क्या थी?

**ममाधान**—विधवाविवाह आगमविरुद्ध नहीं है, यह हम सिद्ध कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। यहाँ हमारा कहना यही है कि अगर विवाह अधर्म नहीं है तो विधवाविवाह भी अधर्म नहीं है। अगर विधवाविवाह अधर्म है तो विवाह भी अधर्म है। सच पूछा जाय तो जैनधर्म के अनुसार कोई भी प्रवृत्त्यात्मक कार्य धर्म नहीं है। क्योंकि धर्म का मतलब है रत्नत्रय या सम्यक्चारित्र। सम्यक्चारित्रका लक्षण शास्त्रकारों ने “वाह्याभ्यन्तर क्रियाओं की निवृत्ति” किया है। जैसे कि—“संसार कारण निवृत्तिप्रत्यागूर्णस्य ज्ञानवतः वाह्याभ्यन्तर क्रिया विशेषो परमः सम्यक्चारित्रम्” (राजवार्तिक और सर्वार्थसिद्धि)

भवहेतु प्रहाणाय वहिरभ्यन्तरक्रिया—

विनिवृत्तिः परं सम्यक् चारित्रम् ज्ञानिनो मतम् ।

—श्रोक वार्तिक ।

वहिरभ्यन्तर क्रिया रोहो भवकारण पणासद्गम ।

णाणिस्स जं जिणुत्तं तं परमम् सम्मचारित्तम् ॥

—द्रव्यसंग्रह ।

चरणानुयांग शास्त्रों में भी इसी तरह का लक्षण है—

हिंसा नृतचौयेभ्यो मैथुनसेवा परिग्रहाभ्यांच ।  
पापप्रणालिकाभ्यो विरतिः संब्रस्य चारित्रम् ॥ ४६ ॥

—रत्नकरणडश्चावकाचार ।

ज्यादा प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं । प्रायः सर्वत्र चारित्र का लक्षण निवृत्यात्मक ही किया है । हाँ ! व्यवहारनय से प्रवृत्यात्मक लक्षण का भी उल्लेख मिलता है; जैसे—

असुहादो विणिवित्ती सुह पवित्रीय जाण चारितं ।

त्रृदसमिदि गुत्तिरुद्य ववहारणयादुजिण भणियं ॥

—द्रव्यसंग्रह ।

यहाँ पर अणुम से निवृत्ति और शुम में प्रवृत्ति को व्यवहारनय से चारित्र कहा गया है । परन्तु व्यवहारनय से कहा गया चारित्र, वास्तविक चारित्र नहीं है । क्योंकि व्यवहारनय का विषय अभूतार्थ (अवास्तविक) है । अमृतचन्द्राचार्य ने इस का बहुत ही अच्छा खुलासा किया है—

निश्चयमिह भूनाथै व्यवहारं वर्णयन्त्य भूतार्थम् ।

भूतार्थं वोधविमुखः प्रायः सर्वोऽपि संसारः ॥

अवृद्धस्य वोधनाथै मुनीश्वरा वर्णयन्त्य भूतार्थम् ।

व्यवहारमेव तेवलमवैति यस्तम्य देशना नास्ति ॥

माणवक पव सिंहां यथा मवन्यनवगीत सिंहस्य ।

व्यवहार पवहि तथा निश्चयतां यात्यानश्चयङ्गस्य ॥

व्यवहार निश्चयौ यः प्रवृद्धतन्वेन मवति मध्यस्थः ।

प्राप्नोति देशनायाः सप्तफलमविकलमशिष्यः ॥

अर्थात्—वास्तविकता को विषय करने वाला निश्चयनय है और अवास्तविकताको विषय करने वाला व्यवहारनय है । प्रायः समस्त संमार वास्तविकता के ज्ञान से रहित है । अल्प-चुम्हि वाले जीवों को समझाने के लिये व्यवहारनय का कथन किया जाता है । जो व्यवहारनय को ही पकड़ के रह जाता है

उसको उपदेश देना व्यर्थ है। जैसे जिसने सिंह नहीं देखा वह क्रान्ति शूरता वाले व्यक्ति को ही सिंह समझ जाता है, उसी प्रकार जो निश्चय ( वास्तविक ) को नहीं जानता वह व्यवहार ( अवास्तविक ) को ही निश्चय समझ जाता है। जो व्यवहार और निश्चय इन दोनों को समझकर मध्यम होता है, वही उपदेश का पूर्ण फल प्राप्त करता है।

मतलब यह कि व्यवहार चारित्र, वास्तव में चारित्र नहीं है—वह तो चारित्र के प्राप्त करने का एक ज़रिया है, जो कि अख्यवुद्धि वालों को समझाने के लिये कहा गया है। हाँ, यहाँ पर आचार्य यह भी कहते हैं कि मनुष्य को एकान्तवादी न बनना चाहिये। यही कारण है कि हमने अनेकान्त रूप से विवाह का विवेचन किया है। अर्थात् वास्तविकता की दृष्टि से ( निश्चयनय से ) विवाह धर्म नहीं है, क्योंकि वह प्रवृत्तिरूप है और उपचार से धर्म है। परन्तु यह उपचरित धार्मिकता मिर्कुमारी विवाह में ही नहीं है विधवाविवाह में भी है। क्योंकि दोनों में परस्परी अर्थात् अविवाहित स्त्री से निवृत्ति पाई जाती है। पाठक देखेंगे कि हमारा विवेचन कितना शास्त्र-सम्मत और अनेकान्त से पूर्ण है, जबकि आज्ञेपक विलक्षण व्यवहारैकान्तवादी बन गया है। इसीलिये “प्रवृत्यात्मक कार्य धर्म नहीं है” निश्चयनय के इस कथन को यह सर्वथा (?) असंगत समझता है ?

हमने विवाह को उपचरित धर्म मिळू करने के लिये कथंचिन्निवृत्यात्मक मिळू किया था। जिस प्रकार किसी मनुष्य को शेर कहने से वह शेर नहीं हो जाता, किन्तु शेर के कुछ गुणों की कुछ समानता उसमें मानो जाती है, उसी प्रकार व्यवहार चारित्र, चारित्र न होने पर भी उनमें चारित्रिको कुछ समानता पायी जाती है। चारित्रमें तो शुभ और अशुभ दोनों

से निवृत्ति पायी जाती है और व्यवहार चारित्र में अगुम से ही निवृत्ति पायी जाती है । व्यवहार चारित्र की चारित्र के साथ यही आंशिक समानता है । यही कारण है कि व्यवहार चारित्र भी चारित्र कहा गया । जब विवाह, व्यवहार धर्म हैं तो उसमें किसी न किसी रूपमें निवृत्यात्मकता होना चाहिये । इसीलिये हमने कहा है कि विवाह से परन्तीसेवन रूप अगुम परिणति से निवृत्ति होती है । यह निवृत्ति कुमारीविवाह से भी होती है और विश्वाविवाह से भी होती है ।

“विवाह अगर निवृत्यात्मक है तो ब्रह्मचर्य प्रतिमा क्यों बनाई ?”—आत्मे पक्का यह कथन तो बड़ा विचित्र है । ऐसे भाई विवाह में जितनी निवृत्ति है उस से ज्यादः निवृत्ति ब्रह्मचर्य में है । पहली क्लासमें भी शिक्षा दी जाती और दूसरी में भी दी जाती है तो क्या यह कहा जासकता है कि पहिली क्लास में शिक्षा दी जाती है तो दूसरी क्यों बनाई ? अगर कोई पूछे कि मुनि ने छठवें गुणस्थान में बन जाता है, फिर सातवाँ क्यों बनाया ? पाँच पांचों का त्याग तो अगुवतों में हो जाता है फिर महाव्रत क्यों बनाये ? सामायिक और प्रोप्रधापवास तो दूसरी प्रतिमा में धारण किये जाने हैं फिर इन नामों की तीसरी चौथी प्रतिमा क्यों बनाई ? व्यभिचार और परिग्रह का त्याग तो ब्रह्मचर्याणुवत् और परिग्रह परिमाण व्रत में हो जाता है फिर सातवाँ और दशमीं प्रतिमा क्यों बनाई ? तो इन सब प्रश्नों का क्या उत्तर दिया जायगा ?

उत्तर यही दिया जायगा कि पहिली अवस्थाओं में थोड़ा त्याग है और आगे की अवस्थाओं में ज्यादः त्याग है । यही उत्तर विवाह के विषय में है । विवाह में थोड़ा त्याग है—ब्रह्मचर्य में ज्यादः त्याग है ।

देव पूजा आदि प्रवृत्यात्मक हैं परन्तु जब वे धर्म कहे

जाने हैं तब निवृत्यात्मक भी होने हैं। उन में कुद्रवपूजा तथा अन्य अशुभ परिणामियों से निवृत्ति पायी जानी हैं। इसी से वे भी द्यवहार धर्म कहे गये हैं।

इस विवेचन में पाठक समझ गये होंगे कि विधवाविवाह में कुमाराविवाह के बराबर निवृत्ति का अंश पाया जाना है। इसलिये दोनों पक्ष ही तरह के द्यवहार धर्म हैं।

**आचोप ( ड )**—यह लिखना महाभूठ है कि विवाह के सामान्य लक्षण में कन्या शब्द का उल्लेख नहीं है। 'कन्या का ही विवाह होना है' क्या इस ढलील को भूठ बोलकर यों ही उड़ा देना चाहिये ?

**समाधान**—हमने कन्या शब्द को उड़ाया नहीं है, बल्कि इस शब्द के ऊपर तो हमने बहुत जारीदार विचार किया है। राजवार्तिक तथा अन्य ग्रंथोंमें जो कन्या शब्दका प्रयोग किया गया है, उसके विषय में हम श्रीलालजी के आक्षेपों के उत्तर देते समय लिख चुके हैं। इसके लिये आचोप नम्बर 'ए' का समाधान पढ़ लेना चाहिये।

**आचोप ( ड )**—आप त्रिवर्णचार को अप्रमाण मानकर के भी उसी के प्रमाण देते हैं, लेकिन जिस त्रिवर्णचार में टट्टी पेशाव जाने की किया पर भी कड़ी तिगरानी रक्खी गई है, उसी में विधवाविवाह की मिद्दि कैसे हो सकती है ?

**समाधान**—त्रिवर्णचार को हम अप्रमाण मानते हैं, परन्तु विधवाविवाह के विरोधी तो प्रमाण मानते हैं। इसलिये उन्हें समझाने के लिये उसका उल्लेख किया है। किसी ईसाई को समझाने के लिये बाइबिल का उपयोग करना, मुसलमान को समझाने के लिये कुरान का उपयोग करना, हिन्दू का समझाने के लिये वेद का उपयोग करना जिस प्रकार उचित है, उसी प्रकार स्थितिपालकों को समझाने के लिये त्रिवर्णचार का

उपयोग करना उचित है। 'टट्टी पेशाव की निगरानी रखने वाला विधवाविवाह का समर्थन नहीं कर सकता'—यह तो बिलकुल हास्यास्पद युक्ति है। आज भी दक्षिण प्रान्त में टट्टी पेशाव तथा अन्य किया-कांड पर उत्तर प्रान्त की अपेक्षा कई गुणों निगरानी रक्खी जाती है। फिर भी वहाँ विधवाविवाह और तलाक का आम रिवाज है। स्वैर, त्रिवर्णचार में विधवा-विवाह का विधान है, यह बात २७ वें प्रश्न के उत्तर में सिद्ध की गई है। उसी प्रश्नके आक्षेप समाधानों में इस पर विचार किया जायगा।

**आक्षेप ( ण )**—कन्या शब्द का अर्थ “विवाह योग्य स्त्री” क्यों किया जाय ? पिता शब्द का अर्थ तो ‘गुरुजन’ होता है जैसा कि अमरकोष में लिखा है ‘स्याक्षियेकादिकृदगुरुः’; परन्तु कुमारी के अनिरिक्त कन्या शब्द का प्रयोग त तो हमारे कहीं देखन में आया है न सुना हो है। धनञ्जय नाममाला में ‘कन्या पतिर्वरः’ लिखा है; ‘स्त्री पतिर्वरः’ क्यों नहीं ?

**समाधान**—कन्या शब्द का ‘विवाह योग्य स्त्री’ अर्थ क्यों किया जाय, इस का समाधान आक्षेप ‘ओ’ के समाधान में देखिये। कन्या शब्द का कुमारी के अनिरिक्त अर्थ आप ने नहीं देखा सुना तो इस में हमारा क्या अपराध है ? यह आप के बान की कमी है। आप के भहयोगी १० श्रीलाल जी ने तो यह अर्थ देखा है। उन के कथनानुसार ही आप विश्वलोचन, हैम और मेदिनी कोष देख डालिये। परन्तु इसके पहिले काष देखने की कला सीख लीजिये, क्योंकि इसी प्रकरण में अमरकोष देखने में आप ने बड़ी ग़लती की है। अमरकोष में लिखा है कि ‘पित्रादिगुरुः’ अर्थात् पिता, माता, भ्राता, मामा आदि गुरु हैं; परन्तु आप अर्थ करते हैं कि पिता माता, भ्राता आदि पिता हैं। आप को समझना चाहिये कि

पिता शादि को गुरु कह सकते हैं, परन्तु सब तरह के गुरुओं को पिता नहीं कह सकते। कन्या का विशेषण 'पितृदत्ता' है जि कि 'गुरुदत्ता' जिससे कि अमरकोप के अनुसार आप विस्तृत अर्थ कर सकते। इसलिये यहाँ पितृशब्द उपलक्षण है। इसी प्रकार कन्या शब्द भी उपलक्षण है। नाममाला में 'स्त्री पतिवर्यः' न कहने का कारण यह है कि प्रत्येक स्त्री का पति वर नहीं कहलाता, किन्तु जो कन्या अर्थात् जो विवाह योग्य स्त्री ( दुलिहन ) होती है उसी के पति को वर ( दुलहा ) कहते हैं। 'स्त्री पतिवर्यः' कह देने से सभी सम्बन्धिक पुरुष जीवन भर के लिये वर अर्थात् दुलहा कहलाने लगते।

आध्येत ( त '—अमरकोप में 'पुनर्भु' शब्दका अर्थ किया है 'दुष्वारा विवाह करने वाली स्त्री' और कवि सम्ब्राद् धनञ्जय ने पुनर्भु शब्द को व्यभिचारिणी स्त्रियों के नामों में ढाला है। धनञ्जय, अकलद्वाद्य और पूज्यपाद की काटि के हैं, क्योंकि नाम-माला में लिखा है "प्रमाणमकलद्वन्द्य पूज्यपादस्य लक्षणं। द्विसन्धान कवेः काव्यम् रन्त्रयमपश्चिमम्" नाममाला के प्रमाण से सिद्ध है कि स्त्री का पुनर्विवाह व्यभिचार है।

समाधान—धनञ्जयजी कवि थे, परन्तु उनका कोष संस्कृत साहित्य के सब कोणों से छोटा और नीचे के दर्जे का है। ऊपर जो इन की प्रशंसा में शांक उद्धृत किया गया है वह सुन हो इन्हीं का बनाया है। इस तरह अपने मुँह से प्रशंसा करने से ही कोई बड़ा नहीं हो जाता। धनञ्जय को पूज्यपाद या अकलद्वाद्य की काटि का कहना उन दोनों आचार्यों का अपमान करना है। धनञ्जय यदि सर्वथ्रेषु कवि भी होते तो भी क्या अकलद्वाद्य के समान मान्य हो सकते थे? गाँधी जी सब से बड़े नेता हैं, गामा सब से बड़ा पहलवान है और गौहर सर्वथ्रेषु गायिका है तो क्या गाँधीजी गामा और गौहर की इज़ज़त

बराबर हो गई ? मान्यता के लिये सिर्फ़ सर्वश्रेष्ठता नहीं देखी जाती, परन्तु यह भी देखा जाता है कि वह श्रेष्ठता किस विषय में है। धनञ्जय एक अच्छे परिणत या कवि थे तो क्या वे पूज्यपाद और अकलदृ के समान आचार्य और तत्वज्ञ भी थे, जिस से मिद्दान्त के विषय में उन का निर्णय माना जाय ?

हो ! अब हम मूल विषय पर आते हैं। अमरकोषकारने पुनर्भू शब्द का अर्थ किया है “दुवारा विवाह करने वाली स्त्री”। पुनर्भू का दुमरा नाम दिघिपू भी है। जिस ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य की स्त्री, पुनर्भू होती है उसे अग्नेदिघिपू कहते हैं (इस से यह भी सिद्ध होता है कि पहिले ज़माने में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में भी स्त्री पुनर्विवाह होता था)। अमरकोषकार ने पुनर्भू का ‘दुवारा विवाह करने वाली स्त्री’ अर्थ ना किया, परन्तु उसे व्यभिचारिणी नहीं माना। व्यभिचारिणी के उन्होंने पुश्टिली, धर्मिणी, वन्धुकी, असती, कुलटा, इत्यर्थी आदि नाम ना बताये परन्तु पुनर्भू नाम नहीं बताया। जो कोषकार पुनर्भू शब्द का उपर्युक्त अर्थ करता है वह ना व्यभिचारिणी उसे लिखता नहीं, किन्तु जिसने (धनञ्जय ने) पुनर्भू शब्द का अर्थ ही नहीं बताया वह उसे व्यभिचारिणी कहता है ! इसमें मालूम होता है कि अमरकोषकार के अर्थ से धनञ्जय का अर्थ विलकृत जुदा है। अमरकोषकार के मतसे पुनर्भू शब्द का अर्थ है ‘दुवारा विवाह करने वाली स्त्री’ और धनञ्जय के मत से पुनर्भू शब्द का अर्थ है व्यभिचारिणी। ये तो एक शब्द के दो जुदे जुदे अर्थ हुए। इससे दुवारा विवाह करने वाली स्त्री व्यभिचारिणी कैसे मिल हुई ? गो शब्द का अर्थ गाय भी है, स्वर्ग भी है, पृथ्वी भी है, इत्यादि और भी अनेक अर्थ हैं। अब कोई कहे कि अमुक आदमी मर कर स्वर्ग गया, तो क्या इस का यह अर्थ होगा कि वह गाय में गया ?

क्योंकि स्वर्ग को गो कहते हैं और गो का अर्थ गाय है। जिस प्रकार गो शब्द के 'गाय' और 'स्वर्ग' ये दोनों अर्थ होने पर भी 'गाय' का स्वर्ग नहीं कह सकते उसी प्रकार पुनर्भू शब्द के 'दुष्यागा विवाह करने वाली' और 'व्यभिचारिणी' ये दोनों अर्थ होने पर भी दुष्यागा विवाह करने वाली को व्यभिचारिणी नहीं कह सकते। दो ग्रन्थकारों की विप्रि में पुनर्भू शब्द के ये जुदे जुदे अर्थ हैं। इन जुदे जुदे अर्थों को पर्यायवाची समझ जाना अकृत की ख्याली है। हाँ, अगर अमरकोष में लिखा हुआ पुनर्भू शब्द का अर्थ नाममाला में होता और फिर वहाँ उसे व्यभिचारिणी का पर्यायवाची बतलाया होता तो धनञ्जय के मत से पुनर्विवाह व्यभिचार मिछ्ठ होता। अथवा अमरकोशकार ने ही अगर पुनर्भू शब्द का व्यभिचारिणी शब्द का पर्यायवाची लिखा होता तो भी पुनर्विवाह को व्यभिचार कहने की गुँजाइश होती। परन्तु न तो अमरकोशकार पुनर्भू को व्यभिचारिणी लिखते हैं, न नाममालाकार अमरकोश सरीखा पुनर्भू का अर्थ ही करते हैं। इसलिये पुनर्भू शब्द के विषय में दोनों लेखकों के जुदे जुदे अर्थ ही समझना चाहियें।

दूसरी बात यह है कि 'पुनर्भू' नीन तरह की होतो है— १. अक्षतयोनि, २. क्षतयोनि, ३. व्यभिचारिणी (देखो मिताक्षरा शब्द कल्पद्रुम, या हिन्दी शब्दसागर)। हो सकता है कि धनञ्जय कवि ने तीसरे भेद को ध्यान में रख कर पुनर्भू को व्यभिचारिणी का पर्यायवाची लिखा हो। इस प्रकार छोटी छोटी गुलतियाँ नाममाला में बहुत पाई जाती हैं। जैसे—धानुषक का अर्थ है धनुष चलाने वाला, परन्तु नाममाला में धानुषक को भील का पर्यायवाची शब्द लिखा है। लेकिन न तो सभी भील, धानुषक ही सकते हैं और न सभी धनुष चलाने वाले भील हो सकते हैं। अगर नाममालाकार के अर्थ के अनुसार

प्रयोग किया जाय तो धनुष चलाने वाले तीर्थङ्कर चक्रवर्ती आदि सभी राजा महाराजा भील बहलायेंगे । इसी प्रकार नौकर के पर्यायवाची शब्दों में शत्रुजीवी लिखा है । लेकिन सभी नौकर शत्रुजीवी नहीं होते । शत्रुजीवी तो सिर्फ़ सिपाहियों और सैनिकोंको कह सकते हैं परन्तु सैनिक और नौकर का एक ही अर्थ करना नाममाला की ही विचित्रता है । दूसरे कोशों में न तो पुनर्भू का पर्याय शब्द व्यभिचारिणी लिखा है, न धानुष का पर्याय शब्द भील लिखा है और न सैनिक का पर्याय शब्द सेवक लिखा है । इस प्रकार की छोटी मोटी भूल के नाममालामें दर्जनों उदाहरण मिल सकते हैं । जो नाममाला की इन त्रियों पर ध्यान न देना चाहते हों वे उपर्युक्त छेट्टक (पैरामाफ़) के कथनानुसार पुनर्भू शब्द के अर्थ करने में अमरकोशकार और नाममालाकार का मतभेद समझें । इसलिये पुनर्विवाहिता को व्यभिचारिणी नहीं कहा जा सकता ।

इस के बाद आक्षेपक ने साहसगति विद्याधर नथा 'धर्म संग्रह आवकाचार' के कन्या शब्द पर अज्ञानतापूर्ण विवेचन किया है, जिस का विस्तृत उत्तर आक्षेप 'अं' 'अः' और "क्" में दिया जानुका है । इसी तरह दीक्षान्वय क्रिया के पुनर्विवाह का विवेचन आक्षेप नं० 'ख' में किया गया है । आक्षेपक ने बकवाद तो बहुत किया, परन्तु वह इतनी भी बात नहीं समझ पाया कि दीक्षान्वय क्रिया के पुनर्विवाह का उल्लेख क्यों किया गया था । दीक्षान्वय क्रियाके पुनर्विवाह से हम विधवा-विवाह सिद्ध नहीं करना चाहते, किन्तु यह बतलाना चाहते हैं कि विवाहिता स्त्री भी, अगर उसका फिर विवाह हो तो (भले ही अपने पति के ही साथ हो) कन्या कहलाती है । अगर कन्या शब्द का अर्थ कुमारी ही किया जायगा तो दीक्षान्वय क्रियामें

दीक्षिता स्त्रीका अपने पतिके साथ पुनर्विवाह केसे हो सकेगा, क्योंकि आज्ञे पक कन्या का ही विवाह मानना है।

आज्ञेप (थ) — जैनाचार्यों की सम्पूर्ण कथनी नय विवेका पर है। उन्होंने (?) विश्वलोचन में “कन्या कुमारिका नार्थः” लिखा है। यद्यपि यह बिल्कुल सीधा सादा है और इसमें नय प्रमाणके बारे को कुछ आवश्यकता नहीं है फिर भी नीतिकारन कहा है—“अर्थी दायेन पश्यति”। जो हो ! जानि अपेक्षा (गणि भेदोपर्धामिदा) नारि (?) के साथ कन्या, कुमारी का प्रयाग किया गया है। हमारे अर्थ को मिछ करने वाला अंश ‘जगत्’ में बड़े (?) वारीक टाइप में छापा गया है। इतना चुल ! कुछ खोफ है ?

समाधान—काय के स्त्री वाची कन्या शब्द का जब कुछ भी खगड़न न हो सका तो उपर्युक्त प्रलाप किया गया है। आज्ञेपक का कहना है कि कन्या और स्त्री की जानि एक है, इसलिये दोनों को साथ लिख दिया है। ठीक है, मगर भार्या और भगिनी भी तो सजानीय हैं, वाप और बेटा भी तो सजानीय है, तो इन सबके विषय में घुटाला कर देना चाहिये। इस बकवाद से आज्ञेपक ने अपने कोष देखने की कला के अज्ञान का पुनः प्रदर्शन किया है। विश्वलोचन, एक अनेकार्थी काश है। अन्य काशों के समान उसमें पर्यायवाची शब्दों की लाइन खड़ा नहीं की जानी है। उसमें तो यह चताया जाना है कि एक शब्द के जुदे जुदे कितने अर्थ हैं। कन्या शब्दके कुमारी, नारी, गणिभेद आदि जुदे जुदे अर्थ हैं। अगर आज्ञेपक को काश देखने का ज़रा भी ज्ञान होता तो वह इतनी भूल न करता। टाइप की बान तो बड़ी विचित्र है। लेखक, जिस बान पर पाठकों का ध्यान ज़्यादः आकर्षित करना चाहता है उसे वह अन्डर लाइन कर देना है और प्रेस वाले उसे छाक

[ मोटे ] टाइप में छापते हैं। इस बात में आक्षेपक को छुल स्लॉफ आदि अनेक भूत नज़र आ रहे हैं। यह पागलपन नहीं तो क्या है ? बेचारा आक्षेपक ऐसे ऐसे जबरदस्त (?) तर्क (!) शब्दों से विधवाविवाह का खण्डन करने चला है।

कन्या शब्दके विषय में इन्हाँ लिखा जानुका है कि अब और लिखने की ज़रूरत नहीं है। सागरधर्मसूत के निर्दोषा विशेषण पर जो आक्षेपक ने लिखा है उसका समाधान “ग” में किया गया है।

**आक्षेप (द)**—शायद सव्यसाचा को करुणानुयोग का लक्षण भी नहीं मालूम है। कही करुणानुयोग में गृहस्थ-चारित्र की आज्ञाएँ भी देखने में आई हैं। करुणानुयोग में तो लोकालोक विभाग आदि का वर्णन रहता है। करुणानुयोग और आज्ञा का क्या सम्बन्ध ?

**समाधान**—इस आक्षेप से मालूम होता है कि आक्षेपक का शास्त्रज्ञान अधूरा और तुच्छ है। पाठशालाओं के छोटे २ बच्चे जितना ज्ञान रखते हैं उतना ज्ञान बेचारे आक्षेपकों मिला है और उसी के बल पर वह अपने को सर्वज्ञ समझता है ! आक्षेपक को हम सलाह देते हैं कि वह मोक्षमार्गप्रकाश के आठवें अधिकार में “करुणानुयोग का प्रयोजन” और “करुणानुयोग के व्याख्यान की पद्धति” नामक विवेचनों का स्वाध्याय कर जाय। वहाँ के कुछ उद्धरण हम यहाँ नीचे देते हैं :—

“बहुरि करुणानुयोग विषे जीवनि की वा कर्मनि की विशेषता वा प्रिलोकादि की रचना निरूपण करि जीवन का धर्मविषे लगाये हैं। जे जीव धर्मविषे उपयोग लगाया चाहे, ते जीवनि का गुणस्थान मार्गणा आदि विशेष अर कर्मनि का कारण अवस्था फल कौन कौन के कैसे कैसे पाइये, इत्यादि

विशेष अर त्रिलोक विषये नरक स्वर्गादिक ठिकाने पहिचानि पाप  
ते विमुख होय धर्म विषये लागे हैं ।

“बहुरि करणानुयोग विषये छान्नस्थनि की प्रवृत्ति के अनु-  
मार (आचारण) वर्णन नहीं । केवलज्ञान गम्य (आत्म परि-  
णाम) पदार्थनिका निरूपण है । जैसे—कोई जीव तो द्रव्यादिक  
का विचार करे हैं वा व्रतादिक पाले हैं, परन्तु अन्तरंग सम्यक्  
चारित्र नहीं ताने उनको मिथ्याहट्टि । अब्रनी कहिये है ।  
बहुरि कई जीव द्रव्यादिक का वा व्रतादिक का विचार-रहित  
है अन्य कार्यनि विषये प्रवर्तने हैं वा निदादि करि निर्विचार होय  
रहे हैं, परन्तु उनके सम्यकतादि शक्ति का सङ्घाव है ताने उन  
को सम्यकी वा वनी कहिये हैं । बहुरि कोई जीव के कषायनि  
का प्रवृत्ति तो धनी है अर वाके अन्तरङ्ग कषाय-शक्ति थोरी है  
तो वाको मन्दकषाई कहिये हैं । अर कोई जीव के कषायनि की  
प्रवृत्ति तो थोरी है अर वाके अन्तरङ्ग कषाय-शक्ति धनी है तो  
वाको तीव्र कषायी कहिये है” ।

“बहुरि कहीं जाकी व्यक्ति तो किलू न भासै तो भी सृद्धम  
शक्ति के सङ्घावते ताका नहाँ अस्तित्व कहा । जैसे मुनि के  
अवश्य कार्य किलू नहीं तो भी नवम गुणस्थान पर्यन्त मैथुन  
मंडा कही” ।

“बहुरि करणानुयोग सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रादिक  
धर्म का निरूपण कर्म प्रकृतीनिका उपशमादिक की अपेक्षा  
लिये सृद्धम शक्ति जैसे पाइये तैसे गुणस्थानादि विषये निरूपण  
करे है” ।

इन उच्चरणों से पाठक समझ जायेंगे कि करणानुयोग  
में चारित्रादिक का भी निरूपण रहता है । हाँ, करणानुयोगका

विवेचन भावों के अनुसार है और चरणानुयोग का विवेचन वाहकिया के अनुमार । चरणानुयोग का मुनि व श्रावक करणानुयोग का मिथ्यादृष्टि हो सकता है । भावों के सुधार के लिये किया है अर्थात् करणानुयोग के धर्म के लिये चरणानुयोग का धर्म है । विवाह से पुरुषकी कामलालसा अन्य लियों से हट कर एक ही स्त्री में केन्द्रीभूत हो जाती है । इस प्रकार इच्छा का केन्द्रीभूत होना कुमारी-विवाह से भी है और विधवा-विवाह से भी है, इसलिये करणानुयोग की अपेक्षा कुमारी-विवाह और विधवा-विवाह में कुछ फर्क नहीं है । इसलिये कुमारा-विवाह और विधवा-विवाह के लिये जुदी जुदी आङ्कड़े नहीं बनाई जासकतीं न बनाई गई हैं । अगर आङ्केपक करणानुयोग के स्वरूप को समझने की चेष्टा करेगा तो उसे अच्छी तरह यह बात समझ में आ जायगी ।

**आङ्केप (ध)**—विधवा के लिये आचार-शास्त्र में स्पष्ट वैधव्य दीक्षा का विधान है ।

**ममाधान**—इस आङ्केप का उत्तर नम्बर 'ध' में दिया गया है ।

इसके बाद आङ्केपक ने सम्यतव बन्ध का कारण है या नहीं इस विषय पर अनावश्यक विवेचन किया है, जिसका विधवा-विवाह से कोई ताज्ज्ञक नहीं है । हाँ, यह बात हम पहिले विस्तार से कह चुके हैं कि सम्यतवी विधवा-विवाह कर सकता है ।

### दूसरा प्रश्न

दूसरे प्रश्न के उत्तर में कोई ऐसी बात नहीं है जिसका उत्तर पहिले प्रश्न के उत्तर में न आगया हो । इसलिये यहाँ पर विशेष न लिखा जायगा । पुनर्विवाह करने वाला सम्यक्त्वी

होने पर स्वर्ग जा सकता है या नहीं—इस पर श्रीलालजी तो कहते हैं कि वह सीधा नरक निर्गोदका पात्र है; जबकि विद्या-नन्द लिखते हैं कि उदासीन वृत्ति रखने पर स्वर्ग जा सकता है। इस नरह दानों आदेषक एक दूसरे को काटते हैं। दोनों आकैपकोंके आक्षे पौं पर निम्न में विचार किया जाता है :—

**आक्षेप ( क )**—पुनर्विवाह करने वाला मोक्ष तो तब जाय, जब वह गाँड़ पीछा छोड़े। भाव ही मुनिव्रत के नहीं होते। विधवाविवाह से संतान होगी वह गाँड़ का साँड़ फिर किसी का लैंडरा बनेगा। ( श्रीलाल ) । विधवाविवाह की संतान मोक्ष की अधिकारिणी नहीं है। ( विद्यानन्द )

**समाधान**—गाँड़, साँड़, लैंडरा आदि शब्दों का उत्तर देना चूथा है। विधवाविवाह की सन्तान मोक्ष जा सकती है। जब व्यभिचार जान सुहृष्टि मोक्ष जा सकता है, तब और की बात ही क्या है? विधवाविवाह करने के बाद मुनिव्रत धारण कर सकता है और मोक्ष भी जा सकता है। इसमें तो विवाद ही नहीं है।

**आक्षेप ( ख )**—पुनर्विवाह करने वाले असच्छ्रद्ध हैं। ( विद्यानन्द )

**समाधान**—पहिले प्रश्न के उत्तर में इसका समाधान कर चुके हैं। देखो नं०—( ड )

**आक्षेप ( ग )**—सागारधर्मसूत्र में लिखा है कि स्वदार-संतापी पर-स्त्री का कभी ग्रहण नहीं करता। विधवा का परस्त्रीत्व किस प्रमाण से हटेगा। ( विद्यानन्द )

**समाधान**—इस का समाधान उसी सागारधर्मसूत्र में है। यहाँ लिखा है कि स्वदार-संतापी परस्त्री-गमन और वेश्या-गमन नहीं करता। यहाँ पर ग्रन्थकार ने कन्या ( कुमारी ) को भी परस्त्री में शामिल किया है ( कन्यातु भाविकतुकत्वा-

तिप्रादि परतन्त्रवादासनाथेत्यन्यस्त्री नो न विशिष्यते)। जब कन्या भी परस्त्री है और विवाह द्वारा उस का परस्त्रीत्व दूर कर दिया जाता है तब कन्या के समान विधवा का भी परस्त्रीत्व दूर कर दिया जावेगा। अथवा जैसे विधुर का परपुर-पत्न्य दूर होता है उसी प्रकार विधवा का परस्त्रीत्व दूर हो जायगा।

लैंग, जब सागारधर्मासृत की बात चल पड़ी है तब हम भी कुछ लिख देना चाहते हैं। विधवाविवाहविरोधी, अपने अक्षान तिमिर को हटा कर ज़रा देखें।

सागारधर्मासृत में वेश्यासेवी को भी ब्रह्मचर्याणुवती माना है, क्योंकि अन्थकार के मन से वेश्या, परस्त्री नहीं है। उनका कहना है कि “यस्तु स्वदारवत्साधारण स्त्रियोऽपि व्रत-यिनुमशक्तः परदारग्नेव वर्जयति सोऽपि ब्रह्माणुवतीष्यते” अर्थात् जो स्वस्त्री के समान वेश्या को भी छोड़ने में असमर्थ है सिफ़ परस्त्री का ही त्याग करता है वह भी ब्रह्मचर्याणुवती है। इसका मतलब यह है कि वेश्या, परस्त्री नहीं है, क्योंकि उस का कोई स्वामी मौजूद नहीं है। यदि ऐसी वेश्या का सेवन करने वाला अणुवती हो सकता है तो विधवासे विवाह करने वाला क्या अणुवती नहीं हो सकता? वेश्या, परस्त्री नहीं है, किन्तु वह पूर्णरूप से स्वस्त्री भी तो नहीं है। परन्तु जिस विधवा के साथ विवाह कर लिया जाता है, वह तो पूर्णरूप से स्वस्त्री है। कानून ले वेश्या स्वस्त्री नहीं कहलाती, जबकि पुनर्विवाहिता स्वस्त्री कहलाती है। इनने पर भी अगर वेश्यासेवी द्वितीय श्रेणी का अणुवती कहला सकता है तो विधवाविवाह करने वाला प्रथम श्रेणी का अणुवती कहला सकता है।

सागारधर्मासृत में जहाँ इन्वरिकागमन को ब्रह्मचर्याणुवत

का अनिचार सिद्ध किया है वहाँ लिखा है कि “चास्य भार्या-दिना परेण किञ्चन्कालं परिगृहीतां वेश्यां गच्छनो भंगः कथ-चित्परदारत्वात्म्याः । लोकेन्तु परदारत्वालक्ष्मे भंगः इति भंगाभंगं रूपानिचारः” । इस वाक्य पर विचार कीजिये ।

जहाँ भंग ही भंग है वहाँ अनाचार माना जाता है । जहाँ अभंग ही है वहाँ वृत माना जाता है । जहाँ भंग और अभंग दोनों हैं वहाँ अनिचार माना जाता है । ऊपर के वाक्य में वेश्या-सेवन को भंग और अभङ्गरूप मान कर अनिचार सिद्ध किया गया है । यहाँ देखना इतना ही है कि भङ्ग अंश क्या है और अभङ्ग अंश क्या है ? और उनमें से कौनसा अंश विधवाविवाह में पाया जाता है ? अन्यथाकार कहते हैं कि वेश्या-सेवन में वृत का भङ्ग इसलिये होता है कि वह दृमर्गों के द्वारा ग्रहण की जाती है । मनलब यह कि वेश्या के पास वहुत में पुष्ट जाते हैं और सभी पैसा दे देकर उसे अपनी अपनी स्त्री बनाते हैं । इसलिये वह परपरिगृहीता हुई और उसके सेवन से वृत का भङ्ग हुआ । लेकिन लोक में वह परस्त्री नहीं मानी जाती ( क्योंकि पैसा लेने पर भी पूर्णरूप से वह किसी की स्त्री नहीं बनती ) । इसलिये उस के सेवन में वृत का अभङ्ग ( रक्षा ) हुआ । पाठक देखें कि विधवाविवाह में वृत का अभङ्ग ( रक्षा ) ही है, भङ्ग विलकुल नहीं है । लोक-व्यवहार से, कानून की दृष्टि से, तथा परस्त्री सेवन में जो संकलेश होता है वह संकलेश न होने से पुनर्विवाहिता स्वस्त्री ही है, इसलिये इस सेवन में वेश्या-सेवन की अपेक्षा कई गुणी वृत-रक्षा ( अभङ्गांश ) है । साथ ही वेश्या में तो परपरिगृहीतता है किन्तु इस में नाममात्र को भी परपरिगृहीतता नहीं है । जब कोई मनुष्य वेश्या के पास जाता है तब वह उस का पूर्ण अधिकारी नहीं बन सकता, क्योंकि उतना

अधिकार दूसरे पुरुषों को भी प्राप्त है। लेकिन पुनर्विवाहिता के ऊपर दूसरे का विलक्षण अधिकार नहीं रहता। इसलिये वेश्यासेवन में तो अभझ के साथ में भझ है, लेकिन पुनर्विवाहिता में अभझ ही अभझ है। इसलिये वेश्या-सेवन अतिकार है और पुनर्विवाह बून है। अनाचार दोनों ही नहीं हैं। सागरधर्ममूर्ति का यह कथन विधवाविवाह का पूर्ण समर्थन करता है।

हम पाठकों से दृढ़ता के साथ कहते हैं कि अकेले सागरधर्ममूर्ति में ही क्या, किसी भी जैनग्रन्थ में—जो कि भगवान महावीर के परम पवित्र और उच्च सिद्धान्तों के अनुसार बना हो—विधवाविवाह का समर्थन ही मिलेगा। किन्तु उसे समझने के लिये विवेक और निःपक्षता की ज़रूरत है।

**आक्षेप ( घ )—चन्द्राभा** अपने निद्य कृत्य की जीवन भर निन्दा करती रही ( विद्यानन्द )। जब उस दुष्ट का साथ छूट गया तब श्रेष्ठमार्ग धारण करने से स्वर्ग गई। वह स्वेच्छा से व्यभिचार न करती थी, किन्तु उस पर मधु बलात्कार करता था। ( श्रीलाल )

**समाधान—**मधु ने चन्द्राभा के साथ बलात्कार किया था या दोनों ही इससे प्रसन्न थे, यह बात प्रयुक्तचरित के निम्नलिखित श्लोकों से मालूम हो जाती है :—

चादुभिःसपरिहासबचोभिमनं तथा समनुनीय स रेमे ।  
जातमस्य च यथा चरितार्थे यौवनं च मदनो विभवश्च ॥७५६॥  
लोचनान्तक निरीक्षणमन्तःकृजितं च हसिनं च तदस्याः ।  
चुम्बितं च वितुतश्च रतश्च व्याजहार सुरतोत्सवरागम् ॥७५७॥  
गीतनृत्यपरिहास्यकथाभिर्दीर्घिंकाज्जलवनान्त विहारैः ।  
तत्रतौ रतिसुखार्णव मग्नौ जज्ञतर्न समयं समतीतम् ॥७५८॥

मधु ने चन्द्राभा को मीठी मीठी और हँसीली बानों

से खुश करके रमण किया जिससे उसका शौचन मदन और विभव सफल हो गया । चन्द्राभा का देखना, किलोले करना, हंसना, चूमा लेना, काम कीड़ा करना आदि से उनका सुरतो-त्सव रँग जमने लगा । गाना, नाचना, हँसी दिल्लगी करना, वापिका के जल में और बनों में बिहार करना आदि से वे सुख के भमुद्र में मग्न हो गये । उन्हें जाना हुआ समय मालूम भी न पड़ा ।

पाठक देखें कि क्या वह बलात्कार था ? हैर, मधु की यात आई है नो एक बात और सुनिये । मधु था नो परम्परी सेषक और उसका यह पाप विश्वास भी हो गया था । फिर भी उसके यहाँ एक दिन विमलवाहन मुनिराज आहार लेने के लिये आये—समरण रहे कि इस समयभी मधु चन्द्राभा के माथ रहता था—तो उसने मुनि को दान दिया ।

प्रामुकं नृपतिना विधिपूर्वं संयताय वरदानमदायि ।

तेन चान्तफलतः सहसैव चित्रपञ्चक मवापि दुरापम् ॥७॥४५॥

राजा मधु ने मुनिराज के लिये आहार दान दिया, जिससे तुरन्त ही पंच-आश्र्य हुए । पाठक देखें कि एक परम्परीसेवी, मुनि को आहार देता है जिसको आचार्य महाराज वरदान (उत्कृष्टदान) कहते हैं और उससे तुरन्त पंच-आश्र्य भी होते हैं । इससे न तो मुनि को पाप लगता है न मधु को । पञ्च आश्र्य इसका प्रमाण है । इतना ही नहीं, बल्कि उस परम्परीसेवी का अन्न खाने के बाद ही विमलवाहन मुनिको केवल आन पैदा हुआ । अगर आजकलके ढौंगी मुनियोंके साथ ऐसी-घटना हो जावे तो वे दुरभिमान के पुतले शुद्धि के नाम पर अँनड़ियाँ तक निकाल निकाल कर धोने की चेष्टा करेंगे और देखारे दानाको तो नरक निगोद के सिवाय दूसरी जगह भेजेंगे ही नहीं । स्वैर, अब आगे देखिये । राजा मधु और चन्द्राभा

दोनों मरकर सोलहवें स्वर्ग में देव हुए (इस घटना से नरक के डेकेदार पंडितोंको बड़ा कष्ट होता होगा।)। इस पर आदो-पक का कहना है कि 'वह स्वर्ग गई सो श्रेष्ठ-मार्ग के अवलंबन से गई', परन्तु इससे इतना तो मालूम होगया कि परस्त्रीसेवी को श्रेष्ठमार्ग अवलम्बन करने का अधिकार है—व्यभिचारिणी स्त्री भी सार्थिका के ब्रत ले सकती है। उसका यह कार्य धर्म-विरुद्ध नहीं है। अन्यथा उसे अच्युत-स्वर्ग में देवत्व कैसे प्राप्त होता ?

हमारा यह कहना नहीं है कि विवाह करने से ही कोई स्वर्ग जाता है। स्वर्ग के लिये तो तदनुरूप श्रेष्ठ मार्ग धारण करना पड़ेगा। हमारा कहना तो यही है कि विधवाविवाह कर लैने से श्रेष्ठ मार्ग धारण करने का अधिकार या योग्यता नहीं छिन जाती। आज्ञेपकों का कहना तो यह है कि पुनर्विवाह वाला सम्यग्घट्टि नहीं हो सकता, परन्तु मधु के दृष्टान्त से तो यह सिद्ध होगया कि पुनर्विवाह वाला तो क्या, परस्त्रीसेवी भी सम्यक्तवी ही नहीं, मुनि तक वन सकता है।

### प्रश्न तीसरा

"विधवाविवाह से निर्यञ्ज और नरकगतिका बंध होता है या नहीं"—इस तीसरे प्रश्न के उत्तर में हमने जो कुछ कहा था उस पर आज्ञेपकों ने कोई ऐसी वात नहीं कही है, जिसका उत्तर दिया जाय ? आज्ञेपकों ने यार यार यही दुहाई दी है कि विधवाविवाह धर्म-विरुद्ध है, व्यभिचार है, इसलिये उस से विसंबाद कुटिलता है, उससे नरक तियञ्चगति का बन्ध है। लेकिन इस कथनमें अन्योन्याश्रय दोष है। क्योंकि जब विधवाविवाह धर्मविरुद्ध सिद्ध हो तब उससे विसंबादादि सिद्ध हो।

जब विसंवादादि सिद्ध हों, तब वह धर्मविरुद्ध मिद्ध हो । खैर नाममात्र के आक्षेपों का उत्तर देना भी हम उचित समझते हैं ।

**आक्षेप ( क )—** राजुल आदि की तपश्चर्याओं के दृष्टान्त शास्त्रों में पाये जाते हैं । अगर उन्हें कोई विवाह का उपदेश देता तो उनकी उच्छति में सन्देह था । ( विद्यानन्द )

**समाधान—** राजुल आदि के समान बाल ब्रह्मचारिणी ब्राह्मीदेवी, सुन्दरी देवी, नीलीवाई आदि के दृष्टान्त भी तो शास्त्रों में पाये जाते हैं । इसलिये क्या यह नहीं कहा जासकता कि अगर कुमारीविवाह का उपदेश होता तो ब्राह्मी आदि की तरफकी कैसे होनी ? अगर कुमारीविवाह के उपदेश रहते पर भी बालब्रह्मचारिणी मिल सकती हैं तो पुनर्विवाह का उपदेश रहते पर भी वैधव्य-दीक्षा लेने वाली और आर्यिका बन कर घोर तपश्चर्या करने वाली क्यों न मिलेंगी ?

आक्षेपक को राजुलदेवी की कथाका पूरा पता ही नहीं है । जैनियों का बच्चा बच्चा जानता है कि नेमिनाथके दीक्षा लेने पर राजुल के माना, पिना, सखियाँ तथा अन्य कुटुम्बियों ने उन्हें किसी दूसरे राजकुमार के साथ विवाह कर लेने को खूब ही समझाया था । फिर भी उनने विवाह न किया । आक्षेपक को सभभना चाहिये कि राजुल सरीखी दृढ़मनस्त्रिनी देवियाँ किसी के उपदेश अनुपदेश की पर्वाह नहीं करतीं । अगर उन्हें विवाह करना होता तो सब लोग रोकते रहते, फिर भी वे विवाह कर लेतीं । और उन्हें विवाह नहीं करना था तो सब लोग आग्रह करते रहे फिर भी उनने किसी के कहने की पर्वाह नहीं की ।

**आक्षेप ( ख )—** पंडित लोग श्रेष्ठमार्ग का उपदेश देते हैं, इसलिये विसंवादी नहीं हैं । जबरन व्यभिचार को शिक्षा देने वाले कुछ अपटुडेट लीडर्म विसंवादी हैं । ( विद्यानन्द )

**समाधान—**श्रेष्ठ मार्ग का उपदेश देना बुग नहीं है, परन्तु जो उस श्रेष्ठमार्ग का अवलम्बन नहीं कर सकते उनको उससे उत्तरी श्रेणी के मार्ग में भी न चलने देना मतके नाम पर मतवाला हो जाना है। क्या विधवाविवाह का उपदेश ब्रह्मचर्यका घातक है ? यदि हाँ तो गृहस्थधर्म का विधान भी मनिधर्म का घातक कहलायगा । पहिली आदि प्रतिमाओं का विधान भी दूसरी आदि प्रतिमाओं का घातक कहलायगा । यदि गृहस्थधर्म आदि का उपदेश देने वाले, वश्चक, नास्तिक, पाखंडी, पापापदेष्टा, पाप पंथ में फँसाने वाले आदि नहीं हैं तो विधवाविवाह के प्रचारक भी वश्चक आदि नहीं हैं । क्योंकि जिस प्रकार पूर्ण संयम के अभाव में अविरति से हटाने के लिये गृहस्थधर्म ( विगताविरत ) का उपदेश है उसी प्रकार पूर्ण ब्रह्मचर्य के अभाव में, व्यभिचार से दूर रखने के लिये विधवाविवाह का उपदेश है । जब विधवा-विवाह आगमविरुद्ध ही नहीं है तब उसमें विसंवाद कैसा ? और उसका उपदेश भी व्यभिचार की शिक्षा क्यों ? विधवाविवाह के उपदेशक ज्ञवर-दस्ती आदि कभी नहीं करते न थे वहिष्कार आदि की धमकियाँ देते हैं । ये सब पाप तो विधवाविवाह-विरोधी परिणतों के ही सिर पर सवार हैं ।

**आचोप ( ग )—**विधवाविवाह में वेश्या-सेवन की तरह आरम्भ भले ही कम हो, परन्तु परिग्रह—ममत्वपरिणाम—कुमारी विवाह से असंख्यात गुणा है । ( श्रीलाल )

**समाधान—**यदि विधवाविवाहमें असंख्यात गुणा ममत्व है तो विधुरविवाह में भी असंख्यातगुणा ममत्व मानना पड़ेगा । क्योंकि जिस प्रकार विधवा पर यह दोपारोपण किया जाता है कि उसे एक पुरुष से सन्तोष नहीं हुआ, उसी प्रकार विधुर को भी एक स्त्री से सन्तोष नहीं हुआ; इसीलिये वह

भी दोषी कहलाया । वास्तविक बात तो यह है कि न विधुर विवाह में उद्यादः ममत्व परिणाम हैं और न विधवाविवाह में । हाँ, अगर कोई स्त्री एक ही समय में दो पति रखते अथवा कोई पुरुष एक ही समय में दो स्त्रियाँ रखते तो ममत्व परिणाम ( राग परिणामिति ) इयादः कहलायगा । अगर किसी ने यह प्रतिज्ञा ली कि मैं २००) रुपये से ज्यादः न रक्खूँगा और अब यदि वह २०१) रक्खे तो उस की रागपरिणामिति में वृद्धि मानी जायगी । लेकिन अगर वह २००) में से एक रुपया खर्च करते फिर दूसरा एक रुपया पैदा करके २०१) करते तो यह नहीं कहा जायगा कि तू दूसरा नया रुपया लाया है, इसलिये तेरी प्रतिज्ञा भङ्ग हो गई और ममत्व परिणाम बढ़ गया । किसी ने एक घोड़ा रखने को प्रतिज्ञा ली, दुर्भाग्य से वह मर गया; इसलिये उसने दूसरा घोड़ा खारीदा । यहाँ पर भी वह प्रतिज्ञा-च्युत या अधिक रागी ( परिग्रही ) नहीं कहा जा सकता । इसी प्रकार एक पति के मर जाने पर दूसरा विवाह करना, या एक पत्नी के मरजाने पर दूसरा विवाह करना अधिक राग ( परिग्रह ) नहीं कहा जा सकता । हाँ, पति के या पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह करना, अवश्य ही अधिक रागी होता है । परन्तु परिडनों के अध्येर नगरी के न्यायानुसार पुरुष तो एक साथ हज़ारों स्त्रियों के रखने पर भी अधिक परिग्रही नहीं हैं और स्त्री, एक पति के मर जाने पर दूसरा विवाह करने से ही, असंख्यत गुणी परिग्रहशालिनी हैं ! कैसा अद्भुत न्याय है ?

विधवाविवाह में आरम्भ कम है, परन्तु इसका कारण गुणदों का तमाशा नहीं है । तमाशे के लिये तो इयादः आरम्भ की ज़रूरत है । विधवाविवाह तमाशा नहीं है इसलिये आरम्भ कम है । असली बात तो यह है कि विधवाविवाह में शामिल

होने वाले पुरुष धर्मज्ञ, दयालु, विवेकी और द्रव्य क्षेत्र काल भाव के ज्ञाता होते हैं; इसलिये उसमें किसी भी तरह के ढौंग और कुरुदियों को स्थान नहीं मिलता। इसीलिये उसमें आरम्भ कम होता है। इस तरह विधवाविवाहमें विवाहरूपता है, अल्प आरम्भ है, अधिक परिग्रह नहीं है, वेश्यासेवन जैसा नहीं है। वेश्यासेवन या परव्वी-सेवन से विधवाविवाह में क्या फ़रक है, यह बात हम पहिले धनला चुके हैं।

**आक्षेप ( घ )**—जब विधवाविवाह होने लगेंगे, तब बड़े बड़े मोटे मोटे पुरुषत्वहीन पुरुषों की हत्याएँ होंगी और नलाकू का बाज़ार गर्म होगा। ( श्रीलाल )

**मगधाधान**—आक्षेपक के कथन से मालूम होता है कि समाजमें बहुत से बड़े बड़े मोटे मोटे पुरुष ऐसे हैं जो नपुन्सक होकर भी स्त्री रखने का शौक रखते हैं। अगर यह बात सच है तो एक ऐसे कानून की बड़ी आवश्यकता है जिससे ऐसे श्रृंग, बेर्मान, निर्लज्ज और धोखेबाज़ नपुंसकों को आजन्म काले पानी की सज़ा दी जा सके, जो नपुन्सक होते हुए भी एक स्त्री के जीवन को बबांद कर देते हैं, उस जीते जो जीवन भर जलाते हैं—उनका अपराध तो मृत्युदण्ड के लायक है। विष देना पाप है, परन्तु ऐसे पापियोंका विष देना ऐसा पाप है जो क्षमताव्य कहा जासकता है। निःसन्देह ऐसे पापी, श्रीमानों में ही होते हैं। क्योंकि पहिले तो गरीबों में ऐसे नपुन्सक होते ही नहीं हैं। अगर कोई हुआ भी, तो जब पुरुषत्व होने पर भी गरीबों के विवाह में कठिनाई है तो पुरुषत्वहीन होने पर तो विवाह ही कैसे होगा? श्रीमान् लोग तो ऐसे के बल पर विवाह करा लेते हैं। अगर वे विवाह न करावें तो लाग योंही कहने लगें कि क्या मैथासाहिब नपुन्सक हैं? इसलिये वे विवाह कराते हैं और अपने घर में दर्जी, सुनार, लोदी

आदि किसी भी जाति का गुन्डा नौकर रख लेते हैं जिससे श्रीमतीजी की कामबासना शान्त होती रहती है, तथा उनके तो नहीं उनके नाम के बचे पैदा होते रहते हैं। ऐसी हालत में विष देने की भी क्या ज़रूरत है? अगर श्रीमती जी पतिव्रता निकली तो ये विष ही क्यों देंगी?

विधवाविवाह होने पर तलाक का रिवाज चलाना न चलाना अपने हाथ में है। शताङ्गियों से खी-जाति के ऊपर हम नारकीय अत्याचार करते आरहे हैं। आये दिन कीटुम्बिक अत्याचारों से स्त्रियों को आन्महत्या के समाचार मिलते हैं। उनके ऊपर इन्हें अत्याचार किये जाते हैं जिन्हें पशुओं पर भी नहीं किये जाते। कसाई के पास जाने वाली गाय तो दस पन्द्रह मिनट कए सहनी है और उस समय उसे ड्यादः नहीं तो चिल्लाने का अधिकार अवश्य रहता है। लेकिन नाशीरुपी गायकों तो जीवनभर यन्त्रणाएँ सहना पड़ती है और उसे चिल्लाने का भी अधिकार नहीं होता। पुरुष तो रात रातभर रंडी और परस्त्रियोंके यहाँ पड़ा रहे, वर्षों तक अपनी पहलीका मुंह न देखे, फिरभी अपनी पत्नीको जीवनभर गुलाम रखना चाहे, यह अन्धेर कबतक चलेगा? हमारा कहना तो यही है कि अगर पुरुष, अपने अत्याचारों का त्याग नहीं करता तो तलाक् प्रथा ज़रूर चलेगी। अगर पुरुष इनका त्याग करता है तो तलाक् प्रथा न चलेगी।

आक्षेप ( डॉ )—विधवाविवाह वालों को विधवा का विवाह करके भी शङ्का लगी हुई है तो पहिले से ही विधवा से क्यों नहीं पूछलिया जाता कि तेरी तृतीयित्व कितने मनुष्यों से होगी?

समाधान—हमने कहा था कि विधवाविवाह कोई पाप नहीं है। हाँ, विधवाविवाह के बाद कोई दूसरा ( हिंसा भूँठ चोरी कुशील आदि ) पाप करे तो उसे पाप बन्ध होगा। सो

तो कुमारी-विवाहके बाद और मुनिवेष लेने के बाद भी होता है । हमारे इस वक्तव्य के ऊपर आक्षेपक ने ऊपर का ( ३ ) बेहृदा और अप्रासङ्गिक आक्षेप किया है । जैर, उसपर हमारा कहना है कि स्त्री तो यही चाहती है कि एक ही पति के साथ जीवन व्यतीत हो जाय । परन्तु जब वह मरजाता है तो विधवा होकर उसे दूसरे विवाहके लिये तैयार होना पड़ता है । विवाह के समय वह विचारी क्या बतलाए कि कितने पुरुषों से तृप्ति होगी ? वह तो एक ही पुरुष चाहती है । हाँ, यह प्रश्न तो उन निर्लज्जों से पूछो, जो कि एक तरफ तो विधवाविवाह का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ जब पहिली स्त्रीको जलाने के लिये मरघट में जाते हैं तो वहाँ दूसरे विवाह की चर्चा करने लगते हैं और इसी तरह चार पाँच पाँच स्त्रियाँ हड्डप करके कन्याकुरंगी केसरी की उपाधि प्राप्त करते हैं । अथवा उन ध्रुणों से पूछो जो विधवाविवाहवालों का बहिष्कार करने के लिये तो बड़ा गर्जन तर्जन करते हैं, परन्तु खुद एक स्त्री के रखते हुए भी दूसरी स्त्री का हाथ पकड़ने में लजिज्जत नहीं होते । दैव को सतायी हुई विचारी विधवा से क्या पूछते हो ? शारणियों को भी मात करने वाली अमर्भयता और कसाहयों को भी मात करने वाली करता के बल पर विचारी विधवाओं का हृदय क्यों जलाते हो ।

### चौथे प्रश्न

चौथे प्रश्न के उत्तर में तो दोनों ही आक्षेपक बहुत बुरी तरह से लड़कड़ाते हैं । इस प्रश्न के उत्तर में हमने कहा था कि परस्त्रीसेवन, वेश्यासेवन और विना विवाह के पढ़ी बना लेना, ये व्यभिचार की तीन श्रेणियाँ हैं । विधवाविवाह किसी में भी शामिल नहीं हो सकता । कुमारी भी परस्त्री है, लेकिन

विवाह से स्वस्त्री बन जाती है । उसी प्रकार विधवा भी विवाह से स्वस्त्री बन जाती है । श्रीलालजी ने व्यभिचार की उपर्युक्त तीन श्रेणियाँ स्त्रीकार की, जब कि विद्यानन्द उस के विरुद्ध हैं । हर बान के उत्तर में दोनों आक्षेपक यही कहते हैं कि “विधवाविवाह धर्मविरुद्ध है, कन्या का ही विवाह होता है आदि” । इन सब बातों का गृह विवेचन हो चुका है ।

**आक्षेप (क)**—विधवा कभी भी दूसरा पति नहीं करेगी जबतक कामाधिक्य न हो । लोकलज्ञा आदि को तिलाजुली दे जो दूसरे पति को करने में नहीं हिचकती, वह उस दूसरे को दूप पति में सम्माप रखते, असम्मव है । अतः उसका तीसरा चौथा और जार पुरुष भी हांना सम्मव है । अतएव वह भी एक प्रकार वेश्यामंगम जैसा हुआ । ( श्रीलाल )

**समाधान**—एक मनुष्य अगर प्रतिदिन आध से अनाज खाता है, इस तरह महीने में २५ सेर अनाज खाने पर यह नहीं कहा जा सकता कि यह बड़ा अगोरी है, पन्द्रह पन्द्रह सेर अनाज खा जाता है । इसी प्रकार एक स्त्री अगर पक्ष समयमें एक पति रखती है और उसके स्वर्गवास होने पर अपना दूसरा विवाह कर लेती है तो उसे अनेक पति वाली नहीं कह सकते जिससे उसमें कामाधिक्य माना जावे । एक साथ दो पति रखने में या एक साथ दो पत्नी रखने में कामाधिक्य कहा जा सकता है । इस दृष्टिसे पुरुषों में ही कामाधिक्य पाया जा सकता है ।

दूसरी बात यह कि आक्षेपक कामाधिक्य का अर्थ ही नहीं समझा । मानलाजिये कि एक स्त्री ने यह प्रतिज्ञा ली कि महीने में सिर्फ़ एक दिन ( ऋतु काल के बाद ) काम सेवन करेंगी । वह इस प्रतिज्ञा पर ढढ़ रही । ऐसो हालत में अगर वह विधवा हो जावे और फिर विवाह करले और इसके बाद

भी वह पूर्व प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे तो उसमें कामाधिक्य ( काम की अधिकता ) नहीं कहा जा सकता । और दूसरी स्त्री जो सध्यवा ही बनी रही है और प्रतिदिन या दो दो चार चार दिन में काम सेवन करती है उसमें कामाधिक्य है । काम की अधिकता कामाधिक्य है, न कि काम के साधनों का परिवर्तन । इसलिये पति या पत्नीक बदल जाने से कामाधिक्य नहीं कहा जा सकता ।

लोकलज्ञा के नामपर अन्याय या अत्याचार सहना पाप है । धर्मविशद्ध कार्य में लोकलज्ञा से डरना चाहिये, लेकिन आँख मूँदकर लोक की बातों को धर्मसंगत मानना मूर्खता है । जो काम यहाँ लोकलज्ञा का कारण है वही अन्यथा लोकलज्ञा का कारण नहीं है । कहीं कहीं तो धर्मानुकूल काम भी लोक-लज्ञा के कारण हो जाते हैं जैसे, अन्तर्जातीयविवाह, चारसँक में विवाह, स्त्रियों के द्वारा भगवान की पूजा, प्रक्षाल, शुद्धोंको धर्मोपदेश देना पर्दा न करना, वस्त्राभूषणोंमें परिवर्तन करना, निर्भीकता से बोलना, स्त्रीशिक्षा, अत्याचारी शासक या पंच के विरुद्ध बोलना आदि । किस किस बात में लोकलज्ञा का विचार किया जायगा ? ज्ञाना तो ऐसा गुज़र चुका है कि जैनधर्म धारण करने से ही लोकनिन्दा होती थी, दिगम्बर वेष धारण करने से निन्दा होती थी । तो क्या उसे छाड़ देना चाहिये ? और आजकल भी ऐसे लोग पड़े हुए हैं—जिनमें आज्ञेपक का भी समावेश है—जो कि भगवान महावीर की जयन्ती मानना भी निन्दनीय समझते हैं । जब ऐसे धर्मानुकूल कार्यों की निन्दा करने वाले मौजूद हैं तब लोकनिन्दा की बहाँ तक पर्वाह की जाय ? इसके अतिरिक्त धर्मविशद्ध कार्य भी लोक-प्रशंसना के कारण हो जाते हैं या लोक-निन्दा के कारण नहीं होते । जैसे—सीधियन जाति में प्रत्येक पुरुष का प्रत्येक

स्त्री पर और प्रन्येक स्त्री का प्रत्येक पुरुष पर समान अधिकार रहता है, इससे वहाँ सब पुरुष अपने को भाई २ समझते हैं। चीन में भी फूबीके राजत्वकाल तक ऐसा ही नियम था। इसी तरह आयलेंगड़ की केलिंक जाति के बारे में भी है। फेलिंकस अरेविया में और कोरम्बा जाति में भी ऐसा ही नियम था। ओस्ट्रेलिया में विवाह के पहिले समागम करना चुरा नहीं समझा जाना था। बैबिलोन में प्रत्येक स्त्रीको विवाह के बाद वहीनस के मन्दिर में बैठकर किसी अपरिचित आदमी के साथ सहवास करना पड़ता था। जब तक वह ऐसा न करे, तब तक वह घर नहीं जा सकती थी। अर्मीनियन जाति में कुमारी खियाँ विवाह के पहिले वेश्यावृत्ति तक करती हैं परन्तु इसमें लोकलडज्ञा नहीं समझी जानी। प्राचीन रोम में विवाह के पहिले यदि कोई लड़की व्यभिचारवृत्ति से पैमा पैदा नहीं कर पाती थी तो उसे बहुत लज्जित होना पड़ता था। चिपचा जाति में अगर किसी पुछप को यह मालूम हो कि उसकी स्त्री का अभी तक किसी पुरुष से समागम नहीं हुआ तो वह अपने को अभागा समझता था और अपनी लड़ी को इसलिये तुच्छ समझता था कि वह एक भी पुरुष का चित्ताकर्पण न कर सकी। बोटियाक लोगों में अगर किसी कुमारी के पीछे नवयुवकों का दल न चले तो उसके लिये यह बड़े अपमान की बात समझी जाती है। वहाँ पर कुमारावस्था में ही माता दनजाना बड़े सौभाग्य और सन्मान की बात मानी जाती है। इस विषय में इसी प्रकार के अद्भुत नियम चियेव, केमेगट, कूकी, किचनूक, रेड इन्डियन, चुकनी, पस्किमो, डकोटा, मौगोलकारेन, होडा, रेड कारेन, टेहिटियन, आदि जातियों में तथा इसके अनिरिक्त क्षेष्ठक डैल,

अलीट्स, उत्तरी एशिया, टहीटी, मैकरोनेशिया, कैएड्रोन आदि देश और द्वीपों के निवासियों में भी पाये जाते हैं। इसलिये जो लोग लोकलज्ञा और लोकाचार की दुर्बाइ देकर कर्तव्याकर्तव्य का निर्णय करना चाहते हैं वे मर्ख हैं। हमारे कृपमण्डूक परिणत बार बार चिन्नाया करते हैं—“क्यों जी, ऐसा भी कहीं होना है ?” उन्हें जानना चाहिये कि यह “कहीं” और ‘लोक’ तुम्हारे घर में ही सीमित नहीं हैं। ‘कहीं’ का क्षेत्र व ‘लोक’ बहुत बड़े और विचित्र हैं, और उन्हें जानने के लिये विस्तृत अध्ययन की ज़रूरत है। लोकाचार, क्षेत्र काल की अपेक्षा विविध और परिवर्तनशील है, इसलिये उस को कसौटी बनाना मुश्किल है। हम तो कहते हैं कि अगर विधवा-विवाह धर्मविरुद्ध है तो वह लोकलज्ञा का विषय हो या न हो, वह त्यागने योग्य है; और अगर वह धर्मविरुद्ध नहीं है तो लोगों के बकवाद की चिन्ता न करके उसे अपनाना चाहिये। धर्मानुकूल समाजरक्षा और न्याय के लिये अगर लोकलज्ञा का सामना करना पड़े तो उसको जीतना परिवह-विजय के समान श्रेयस्कर है।

इसके बाद पुनर्विवाहिताओं के विषय में आचेपक ने जो शब्द लिखे हैं वे धृष्टता के सूचक हैं। अगर पुनर्विवाहिता के तीसरा चौथा और जार पुरुष होना भी सम्भव है तो पुनर्विवाहित पुरुष के तीसरी चौथो पाँचवीं तथा अनेक रखैल माशुकाएँ होना सम्भव है। इस तरह पुनर्विवाह करने वाला—आचेपक के कथनानुसार—भँडुआ है। आचेपक की सम्भावना का कुछ ढिकाना भी है। एक साथ हज़ारों क्षियाँ रखने वाला पुरुष तो सन्तोषी माना जाय और पुनर्विवाह करके एक ही पुरुष के साथ रहने वाली स्त्री असन्तुष्ट मानी जाय, यह आचेपक की अन्धेर नगरी का न्याय है। पाठक देखें कि

आक्षेपक से जब विधवाविवाह के विरोध में कुछ कहते नहीं यन पड़ा तब उसने यह बेद्दाव वकवाद शुरू कर दिया है।

**आक्षेप ( ख )—**विवाह तो कन्या का होता है सो भी कन्यादान पूर्वक । वह विधवा न कन्या है न उसका कोई देने वाला । जिसकी थी वह चल वसा…… वह किसी के लिये वसीयत कर गया नहीं, अब देने का अधिकारी कौन ? ( श्रीलाल )

**समाधान—**इन आक्षेपों का समाधान प्रथम प्रश्न के उत्तर में कर सके हैं । देखो, 'ए' 'ऐ' 'ओ' 'घ' । हमारे विवेचन से सिद्ध है कि स्त्री सम्पत्ति नहीं है । जब सम्पत्ति नहीं है तो उसकी वसीयत करने का अधिकार किसे है । कन्यादान भी अनुचित है । यह ज़र्यदर्स्ती का दान है; अत कुदान है । इसलिये आचार्य सोमदेव ने कुदानों की निन्दा करने हुए लिखा है :—

हिरण्यपशु भूमीनाम् कन्या शश्या नवामस साम् ।

दानै वहु विधै श्वान्यै न पाप मुपशाम्यति ॥

चाँदी, पशु, ज़मीन, कन्या, शश्या, अग्न, वस्त्र आदि दानों से पाप शान्त नहीं होता । अगर विवाह का लक्षण कन्यादान होता तो वह कुदान में शामिल कभी न किया जाता । यह बात परिणामों के महामान्य त्रिवर्णचार में भी पायी जाती है :—

कन्याहस्ति सुवर्णं वाजि कपिला दासी तिलास्यन्दनं ।

दमा गेहे प्रतिबद्धमत्र दशधा दानं दरिद्रेप्सितम् ॥

तीर्थान्ते जिनशीतलस्य सुनरामाविश्वकार स्वयं ।

लुधो वस्तुषु भूतिशर्म नमयो-सौमुरण्डशालायनः ॥

कन्या, हाथी, सुवर्ण, घोड़ा, गाय, दासी, तिल, रथ, ज़मीन, ये दरिद्रों को ए दश प्रकार के दान हैं, जिन का,

श्रीतलनाथ के तीर्थ के अन्त में भूतिशर्मा के पुत्र मुण्डशाला-यन ने आविष्कार किया था ।

इससे सिद्ध है कि कन्यादान, जैनधर्म में नहीं है । श्रीतलनाथ स्वामी के पहिले कन्यादान का विवाह ही नहीं था । तो क्या उसके पहिले विवाह न होता था ? तब तो ऋषभदेव, भरत, जयकुमार सुलोचना आदि का विवाह न मानना पड़ेगा । कन्यादान को विवाह मानने से गान्धर्व आदि विवाह, विवाह न कहलायेंगे । श्रीकृष्ण का रुक्मणी के साथ जो विवाह हुआ था उसमें कन्यादान कहाँ था ? क्या वह विवाह नाजायज्ञ था ? मरण रहे कि इसी विवाह के फलस्वरूप, रुक्मणी जी के गर्भ से तद्वमान्तर्गमी प्रयुम्न का जन्म हुआ था । खैर, इस विषय में हम पहिले बहुत कुछ लिख चुके हैं । मुख्य बात यह है कि कन्यादान विवाह का लक्षण नहीं है ।

**आक्षेप ( ग )**—पुरुष भोक्ता है, स्त्री भोज्य है । पुरुष जब अनेक भाऊयों के भोगने की शक्ति रखता है तब क्यों नहीं एक भोज्य के अभाव में दूसरे भोज्य को भोगे । ( श्रोताल )

**समाधान**—पुरुष भोक्ता है परन्तु वह भोज्य भी है । इसी प्रकार स्त्री भोज्य है परन्तु वह भोक्ती ( भोगने वाली ) भी है । इसलिये भोज्य-स्त्री के अभाव में, पुरुष को अधिकार है कि वह दूसरी भोज्य-स्त्री प्राप्त करे; इसी प्रकार भोज्य-पुरुष के अभाव में स्त्री को अधिकार है कि वह दूसरा भोज्य-पुरुष प्राप्त करे । शक्ति का विचार किया जाय तो पुरुष में जिन्नी स्त्रियों को भोगने की ताक़त है उससे भी ज़्यादः पुरुषों को भोगने की ताक़त स्त्री में है ।

जहाँ भोज्यभोजक सम्बन्ध होता है वहाँ यह बात देखी जाती है कि भोग से भोजक को सुखानुभव होता है और भोज्य को नहीं होता । स्त्री-पुरुष के भोग में तो दोनों को

सुखानुभव होना है; इसलिये उनमें से किसी एक को भोज्य या किसी एक को भोजक नहीं कह सकते। असल में दोनों ही भोजक हैं। अगर स्त्री को भोजक न माना जायगा तो स्त्रियों के लिये कुशील नाम का पाप ही नहीं रहेगा; क्योंकि कुशील करने वाला ( भोजक ) तो पुरुष है न कि स्त्री। इस लिये स्त्री का क्या दोष है ? हिसा करने वाला हिसक कहलाता है न कि जिसकी हिसा की जाय वह। चोरी करने वाला चोर कहलाता है न कि जिसकी चोरी की जाय वह। इसलिये जो व्यभिचार करने वाला होगा वही व्यभिचारी कहलायगा न कि जिसके साथ व्यभिचार किया जाय वह। इसलिये स्त्रियाँ सैकड़ों पुरुषों के साथ सम्मोग करने पर भी व्यभिचार पाप करने वाली न कहलायेंगी, क्योंकि वे भोजक ( भोग करने वाली ) नहीं हैं। अगर स्त्रियों का व्यभिचार का दोष लगता है तो कहना चाहिये कि उनमें भी भोक्तृत्व है।

भोक्तृत्व के लक्षण पर विचार करने से भी लियों में भोक्तृत्व मानना पड़ता है। दूसरी वस्तु की ताक़त को ग्रहण करने की शक्ति को भोक्तृत्व कहते हैं ( पर द्रव्यव्योर्धादान-सामर्थ्य भोक्तृत्वलक्षणम्—राजवार्तिक )। स्त्री पुरुष के भोगमें हमें विचारना चाहिये कि कौन किसकी ताक़त ग्रहण करता है और कौन अपनी शक्तियों को ड्रादः वर्बाद करता है। विचार करते ही हमें मालूम होगा कि भोक्तृत्व स्त्री में है न कि पुरुष में, क्योंकि सम्मोग कार्य में पुरुष की ड्रादः शक्ति नष्ट होती है। दूसरी बात यह है कि स्त्रीके रजको पुरुष ग्रहण नहीं कर पाता बलिक पुरुष के वीर्य को स्त्री ग्रहण करलेती है। राजवार्तिक के लक्षणानुसार, ग्रहण करना ही भोक्तृत्व है।

स्त्रीको ज़ूँड़ी धालीके समान बतलाकर भोज्य उद्धराना अनुचित है, क्योंकि पुरुष को भी गङ्गे के समान उद्धरा कर

भोज्य सिद्ध कर दिया जायगा । यदि एक पुरुष के संगम से स्त्री ज़ूँड़ी हो जाती है तो एक स्त्रीके संगम से पुरुष भी ज़ूँड़ा हो जाता है । इसलिये अगर ज़ूँड़ी स्त्री को सेवन करने वाला चांडाल या कुत्ता है तो ज़ूँठे पुरुषको सेवन करने वाली चांडालिन या कुतिया है । अगर दूसरी बात ठीक नहीं तो पहिली बात भी ठीक नहीं है ।

भोज्य भोजकके सम्बन्ध में यह ध्यान में रखना चाहिये कि यह उपभोग का प्रकरण है । भोजन बगैरह तो भोग हैं और बस्त्र बगैरह उपभोग हैं । स्त्री के लिये पुरुष उपभोग सामग्री है और पुरुष के लिये स्त्री उपभोग सामग्री है । इसलिये यहाँ ज़ूँठी थाली आदि भोग सामग्री का उदाहरण ठीक नहीं हो सकता है । उपभोग में यह नियम नहीं है कि एक सामग्री का एक ही व्यक्ति उपभोग करे । जिस विस्तर पर एक आदमी सो लेता है उसी पर अगर दूसरा लेटजावे तो वह ज़ूँठा खानेवाला या उसके समान न कहलायेगा । एक सावुन की बट्टी का चार आदमी उपयोग कर सकते हैं । इसी प्रकार कुर्सी, टेबुल, पलंग, चौकी, मोटरगाड़ी, रेलगाड़ी, चटाई, साइकिल, मोती, माणिक आदि वस्तुओंका अनेक आदमी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इससे कोई ज़ूँठन खाने वाले के समान नहीं कहलाता । इसलिये अगर थांड़ी देर के लिये स्त्री को भोज्य ( उपभोग-सामग्री ) मान लिया जाय तो भी उसके पुनर्विवाह को घृणित नहीं कहा जा सकता ।

जिस समय माता, अपने बच्चे की सेवा करती है, उस समय माता बच्चे की उपभोग सामग्री है; इसलिये क्या माता अब दूसरे बच्चे की सेवा नहीं कर सकती ? क्या वह ज़ूँठी हो गई ? एक नौकर अपने मालिक के हाथ पैर आदि दबाता ( संवाहन करता ) है तो क्या वह ज़ूँठा होगया ? भोग सामग्री

और उपभोग सामग्रीमें बड़ा फ़रक है, यह सदा ममण रखना चाहिये। उपभोग सामग्री दूसरे के लिये घृणित नहीं हो जाती। हाँ, अगर एकाथ्र चीज़ थोड़ी बहुत घृणित कहलावे भी, तो यह नियम कदाचित् नहीं कराया जा सकता कि उपभोग सामग्री हो जाने से घृणित हो ही गई। क्योंकि ऐसा मानने से कुसी नौकी आदि का दुबारा उपयोग करना भी घृणित कहलाने लगेगा।

**आक्षेप ( ८ )**—ऐसा कहीं न देखा मुना होगा कि एक स्त्री के अनेक पुरुष हॉ. जिस प्रकार एक पुरुष के अनेक स्त्रियाँ होती हैं; यह सिद्धान्त कितना अटल है? (श्रीलाल)

**ममाधान**—आंशेपक के सिद्धान्त की अटलता का तिवचन में—जिसे प्राचीनकालमें त्रिविष्टप या स्वर्ग कहते थे—दिवाला निकला हुआ है। वहाँ पर एक स्त्रीके एक साथ चार छँड़ीँ पति होते हैं। और अमेरिका, इंग्लैण्ड आदि देशों में एक पुरुष को एक से अधिक पत्नी रखने का अधिकार नहीं है। प्राकृतिक बात यह है कि एक पुरुष और एक स्त्री का दाम्पत्य सम्बन्ध हो। हाँ, अगर शक्तिका दुरुपयोग करना हो तो एक पुरुष अनेक स्त्री रख सकता है और एक स्त्री अनेक पुरुष रख सकती है। अटल नियम कुछ भी नहीं है। अगर थोड़ी देर के लिये आंशेपक को बात मानली जाय कि एक स्त्री एक ही पुरुष रख सकती है तामी उसके पुनर्विवाह का अधिकार छिन नहीं जाता। एक आभृपण एक समय में एक ही आदमी के काम में आ सकता है। क्या इसीलिये फिर कोई उसका उपयोग नहीं कर सकता? स्त्री तो रत्न है। रत्न एक समय में एक ही आदमी की शांमा बढ़ाता है, लेकिन समयान्तर में दूसरे के काम में भी आता है।

**आक्षेप ( ९ )**—एक पुरुष अनेक स्त्रियों से एक वर्ष में

अनेक सम्भान उत्पन्न कर सकता है परन्तु एक स्त्री, अनेक पुरुषों को भी रखकर एक सम्भान से अधिक पैदा नहीं कर सकती । ( श्रीलाल )

**समाधान—**यदि ऐसा है तो स्त्रियोंका पुनर्विवाह तुरंत चालू कर देना चाहिये, भले ही पुरुषों का पुनर्विवाह रोक दिया जाय । क्योंकि अनेक सम्भान पैदा करने के लिये तो एक पुरुष ही काफ़ी है; इसलिये वहूत पुरुष कुमार या विधुर रहें तो सम्भान संख्या की दृष्टि से कोई हानि नहीं है, किन्तु स्त्री तो एक भी कुमारी या विधवा न रह जाना चाहिये; क्योंकि उनके वैधव्य या कौमार्य से संख्या घट जायगी । यह कहाँ का न्याय है कि जिसकी हमें अधिक ज़रूरत है वह तो व्यर्थ पड़ी रहे और जिसकी थोड़ी ज़रूरत है उनकी इयादः क़दर की जाय । प्रकृति ने जो स्त्री पुरुष के बीच में अन्तर उत्पन्न कर दिया है, उससे मालूम होता है कि विधुरविवाह की अपेक्षा विधवविवाह कई गुणा आवश्यक है ।

**आन्तेप ( च )—**सब विषय समान नहीं हुआ करते । एक ही सम्मोग किया से स्त्री को गर्भधारण आदि अनेक कष सहने पड़ते हैं और पुरुष को कुछ नहीं । अब कहाँ गये समान बनाने वाले न्यायनीर्थ जी ? ( श्रीलाल )

**समाधान—**स्त्री पुरुषों में शारीरिक समानता नहीं है इसलिये उनके अधिकारों में भी विषमता होना चाहिये और उस विषमता में पुरुषों को अधिक अधिकार मिलना चाहिये यह नहीं कहा जासकता । अगर कोई कहे कि स्त्री पुरुष में शारीरिक विषमता है, इसलिये पुरुष के मरने पर स्त्री को भोजन करने का भी अधिकार नहीं है ( उसे भूखों रह कर मर जाना ही उचित है ), तो क्या यह उचित है ? प्रकृतिविरुद्ध विषमता पैदा करने का हमें क्या अधिकार है ? हाँ, अगर

प्रकृति ने कोई ऐसी विषमता पैदा की हानी जिससे पुनर्विवाह का नियंत्रण मालूम होना तो कहने को गुँजाइश थी। अगर विधवा हो जाने से स्त्री का मासिकधर्म रुक जाता, स्त्रीत्व के चिन्ह नष्ट हो जाते या बिगड़ जाते तो कुछ अवश्य ही स्त्री के पुनर्विवाह का अधिकार छीना जाना।

आक्षेपक ने जो विषमता बतलाई है उससे तो स्त्रियों को ही विशेष अधिकार मिलने चाहिये, क्योंकि कर्तव्य और अधिकार ये एक ही सिक्के के दो पृष्ठ (बाजू) हैं। इसलिये न्यायोचित बात यह है कि जहाँ कर्तव्य अधिक है वहाँ अधिकार भी अधिक हैं सन्तानोत्पत्ति में स्त्रियों का जितना कर्तव्य है उसका शनांश कर्तव्य भी पुरुषों का नहीं है; इसलिये स्त्रियों का उद्यादः अधिकार मिलना चाहिये।

स्त्री सम्पत्ति है, इसके खगड़न के लिये देखो प्रश्न पहिला समाधान 'ओ'। स्त्री यावज्ञीव प्रतिष्ठा करती है और पुरुष भी करता है। खुलासे के लिये देखो प्रश्न पहिला समाधान ए ( १—ए ) ।

अमरकोष और धनञ्जयनाममाला के पुनर्भू शब्द का खुलासा '१—त' में देखिये। विवाह आठ प्रकार के हैं; उनमें विधवाविवाह नहीं है—इसका उत्तर आक्षेप " १—ज " में देखिये।

**आक्षेप (द्व)**—व्यभिचार को तीन श्रेणियाँ ठोक नहीं हैं। रखैल के साथ सम्भोग करना परम्परासेवन की कोटि का हो पाप है। रखैल और विधवाविवाह में कुछ भेद नहीं है। परम्परासेवन को व्यभिचार मान लेने से विधवाविवाह भी पाप सिद्ध हो गया; इसलिये सध्यसाची निग्रहस्थान पात्र है।

( विद्यानन्द )

**समाधान**—व्यभिचार को तीन श्रेणियाँ श्रीलाल जी ने

मानी हैं: विद्यामन्द नहीं मानते हैं। खैर, परस्त्रीसेवन में वेश्यासेवन से अधिक पाप है जबकि रखैल लड़ी के साथ सम्मोग वेश्यासेवन से छोटा पाप है। इसका कारण संक्लेश की न्यूनता है। परस्त्रीसेवन में वेश्यासेवन की अपेक्षा इसलिये उयादः संक्लेशता है कि उसमें परस्त्री के कुदुम्बियों का तथा पड़ोसियों का भय रहता है, और उयादः मायाचार करना पड़ता है। वेश्यासेवन में ये दोनों बातें कम रहती हैं। रखैल लड़ी में ये दोनों बातें बिलकुल नहीं रहती हैं। व्यभिचार की उन दोनों श्रेणियों से यह श्रेणी बहुत छोटी है, यह बात बिलकुल स्पष्ट है। इस तीसरी श्रेणीको व्यभिचार इसलिये कहा है कि ऐसी स्त्री से पैदा होने वाली सन्तान अपनी सन्तान नहीं कहलाती; और इनका परस्पर सम्बन्ध समाज की अनुमति के बिना ही कूट जाना है। विधवाविवाह में ये दोष भी नहीं पाये जाते। इससे सन्तान अपनी कहलाती है। बिना समाज की सम्मति के न यह सम्बन्ध होता है न टूटता है। व्यभिचार का इससे कोई ताल्लुक नहीं। विवाह के समय जैसे अन्य कुमारियाँ कन्या (दुलहिन) कहलाती हैं, उसी प्रकार विवाह के समय विधवा भी कन्या कहलाती है। व्यभिचार की तीन श्रेणियाँ और विधवाविवाह का उनसे बाहर रहना इतना स्पष्ट है कि विशेष कहने की ज़रूरत नहीं है। जब विधवाविवाह परस्त्रीसेवन नहीं है नव परस्त्रीसेवनको व्यभिचार मान लेनेसे व्यभिचार कैसे सिद्ध होगया? आक्षेपक, यहाँ पर अनियह में निग्रह का प्रयोग करके स्वयं निरन्योज्यानुयोग निग्रहस्थान में गिर गया है।

**आक्षेप ( ज )—**जहाँ कन्या और वर का विवाहविधि के पूर्व सम्बन्ध हो जाता है वह गांधर्व-विवाह है। इसमें कन्या के साथ प्रवीचार होता है; इसलिये व्यभिचार श्रेणी से हल्का

है। कुन्ती का पाण्डु के साथ पहिले गान्धर्वविवाह हो चुका था। बाद में उस अधर्मदोष को दूर करने के लिये नहीं, किन्तु अपनी कुमारी कन्या का विवाह करना मात्रा पिता का धर्म है इस नीति वाक्य को पालने के लिये उनने अपनी कुमारी कन्या कुन्ती का विवाह किया। गान्धर्वविवाह के अधर्म के दोष को दूर करने के लिये उन्हें कुन्ती का विवाह नहीं करना पड़ा, किन्तु पाण्डु को पात्र चुनना पड़ा। इसलिये विवाह व्यभिचार-दोष को दूर करने का अव्यर्थ साधन नहीं है। (विद्यानन्द)

**ममाधान—**आक्षेपक ने यहाँ पर बड़ा विचित्र प्रत्याप किया है। हमने कहा था कि विवाह के पहिले अगर किसी कुमारी से सम्झोग किया जायगा तो व्यभिचार कहलायगा; अगर विवाह के बाद सम्झोग किया जायगा तो व्यभिचार न कहा जायगा। मतलब यह कि विवाह से व्यभिचार दोष दूर होता है। इस वक्तव्य का उत्तर आक्षेपक से न बना। इसलिये उनने कहा कि विवाह के पहिले किसी कुमारी के साथ संझोग करना व्यभिचार ही नहीं है। तब तो पैंडित लोग जिस चाहे कुमारी लड़की के साथ संझोग कर सकते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में यह व्यभिचार नहीं है। तारीफ यह है कि व्यभिचार न मानने पर भी इसे अधर्म मानते हैं। व्यभिचार तो यह है नहीं, याकी चार पापों में यह शामिल किया नहीं जा सकता, इसलिये अब कौनसा अधर्म कहलाया? आक्षेपक ने गान्धर्वविवाह के लक्षण में भूल की है। प्रवीचार करना विवाह का अन्यतम फल है, न कि विवाह। गान्धर्व विवाह में वर कन्या एक दूसरे से प्रतिश्वाषद्ध होजाते हैं, तब प्रवीचार होता है। विवाह के पहिले पाण्डु और कुन्ती का जो संसर्ग हुआ था वह व्यभिचार ही था। अगर वह व्यभिचार न होता तो उस संसर्ग से पैदा होने

बाली सन्तान ( कर्ण ) छिपाकर नदी में न बहादी जाती । हम कह चुके हैं कि व्यभिचार से जो सन्तान पैदा होती है वह नाजायज् कहलाती है और विवाह से जो सन्तान पैदा होती है वह जायज् कहलाती है । कर्ण नाजायज् सन्तान थे, इसलिये वे बहादिये गये । और इसीलिये पाराङ्गु कुन्ती का प्रथम संयोग व्यभिचार कहलाया न कि गान्धर्व विवाह । अब हमें देखना चाहिये कि वह कौनसा कारण है जिससे कुन्ती के गर्भ से उत्पन्न कर्ण तो नाजायज् कहलाये, किन्तु युद्धिष्ठिर आदि जायज् कहलाये, अर्थात् जिस संसर्ग से कर्ण पैदा हुए वह व्यभिचार कहलाया और जिससे युद्धिष्ठिर पैदा हुए वह व्यभिचार न कहलाया । कारण स्पष्ट है कि प्रथम संसर्ग के समय विवाह नहीं हुआ था और द्वितीय संसर्ग के समय विवाह हो गया था । इससे चिलकुल स्पष्ट है कि विवाह से व्यभिचार का दोष दूर होता है । इसलिये विवाह के पहिले किसी विधवा में संसर्ग करना व्यभिचार है और विवाह के बाद ( विधवाविवाह होने पर ) संसर्ग करना व्यभिचार नहीं है ।

आक्षेपक के कथनानुसार अगर पाराङ्गु कुन्ती का प्रथम संयोग गान्धर्व-विवाह था तो कर्ण नाजायज् सन्तान क्यों माने गये ? उनको छिपाने की कोशिश क्यों की गई ? कृष्णजी ने भी रुक्मणी का हरण करके ऐवतक पर्वत के ऊपर उनके साथ गान्धर्व-विवाह किया था, परन्तु रुक्मणीपुत्र प्रद्युम्न तो नहीं छिपाये गये । दूसरी बात यह है कि जब पाराङ्गु कुन्तीका गान्धर्व-विवाह हो गया था तो उनके माता पिता ने कुन्ती का दूनी बार विवाह ( पुनर्विवाह ) क्यों किया ? क्या विद्वाहिता का विवाह करना भी माता पिता का धर्म है ? और क्या तब भी वह कन्या बनी रही ? यदि हाँ, तो विधवा का विवाह करना

माता पिता या समाज का धर्म क्यों नहीं ? और वह कन्या भी क्यों नहीं ?

आक्षेपक के होशहवास तो यहाँ तक बिगड़े हुए हैं कि एक बच्चा पैदा कर देने के बाद भी कुन्ती को कुमारी कन्या बतला रहे हैं । जब एक बच्चे की माँ कुमारी कन्या हो सकती है तब बेचारी विधवा, कुमारी कन्या नहीं, सिफर 'कन्या' क्यों नहीं हो सकती ? कन्या के साथ कुमारी विशेषण लगा कर आक्षेपक ने यह स्वीकार कर लिया है कि कन्या कुमारी भी होती है और अकुमारी ( विधवा ) भी होती है ।

आक्षेप ( भ )—कुमारी जैसे स्वस्त्री बनायी जा सकती है उस प्रकार विधवा नहीं बनायी जा सकती । क्योंकि कुमारी परस्त्री नहीं है । आप कुमारी को परस्त्री कहने का साहस क्यों कर गये ? वह तो स्त्री भी नहीं है । भावी स्त्री है ।

समाधान—कुमारी, स्त्री तो अवश्य है, क्योंकि वह पुरुष अथवा न पुंसक नहीं है । परन्तु आक्षेपक ने स्त्री शब्द का भार्या अर्थ किया है । इसलिये उसी पर विचार किया जाता है । आचार शास्त्रों में ब्रह्मचर्याणुवती को कुमारी के साथ सम्मोग करने की मनाई है; इसलिये कुमारी परस्त्री है । अपनी स्त्री के सिवाय अन्य स्त्रियों को परस्त्री कहते हैं; इसलिये भी कुमारी परस्त्री है । कुन्ती को अपनी संतान छिपाना पड़ी; इसलिये भी सिद्ध होता है कि कुमारी परस्त्री है । राजनियमों के अनुसार भी कुमारी परस्त्री है । कल्पना कर लो, अगर पाण्डु अणुवती होते तो विवाह के बिना कुन्ती के साथ सम्मोग करने से उनका अणुवत क्या नष्ट न होता ? जैनशास्त्रों के अनुसार उनका अणुवत अवश्य नष्ट होता । लेकिन विवाह करके अगर सम्मोग करते तो उनका अणुवत नष्ट नहीं होता । क्या इससे यह नहीं मालूम होता कि विवाह के द्वारा परस्त्री,

स्वस्त्री बन गई है। स्त्रै ! अगर आक्षेपक की यही मंशा है कि कुमारी को परत्ती न माना जाय, क्योंकि वर्तमान में वह किसी की लड़ी नहीं है—भावी स्त्री है, तो इसमें भी इसे कोई पेतराज़ नहीं है। परन्तु ऐसी हालत में विधवा भी परस्त्री न कहलायगी, क्योंकि वर्तमान में वह किसी की स्त्री नहीं है। जिसकी थी वह तो मर गया, इसलिये वह तो भूत-स्त्री है। इसलिये कुमारी के समान वह स्वस्त्री बनाई जा सकती है।

**आक्षेप ( अ )**—विवाह किसी अपेक्षा से व्यभिचार को दूर करने का कारण कहा भी जा सकता है। किन्तु कहा जा सकता है विवाह ही। विधवा सम्बन्ध की विवाह संज्ञा ही नहीं।

**समाधान**—शास्त्रों में जो विवाह का लक्षण किया गया है वह विधवाविवाह में जाता है। यह बान हम प्रथम प्रश्न में कन्या-शब्द का अर्थ करने समय लिख आये हैं। लोक में भी विधवाविवाह शब्द का प्रचार है, इसलिये संज्ञा का प्रश्न निरर्थक है। इस आक्षेप को लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, परन्तु यह इसलिये लिख दिया है कि आक्षेपक ने यहाँ पर विवाह का व्यभिचार दूर करने का कारण मान लिया है। इसलिये विधवाविवाह व्यभिचार नहीं है।

**आक्षेप ( ट )**—विवाह तो व्यभिचार की ओर रुजू कराने वाला है, अन्यथा भगवान् महावीर को क्या सूझी थी जो उन्होंने ब्रह्मचर्यव्रत पाला ?

**समाधान**—विवाह तो व्यभिचार की ओर रुजू कराने वाला नहीं है, अन्यथा श्रीमृष्टदेव आदि तीर्थकरों को क्या सूझी थी जो विवाह कराया ? सभी तीर्थकरों को क्या सूझी थी जो पुराणों को विवाह की घटनाओं से भर दिया और

विवाहविधि के विषय में प्रकरण के प्रकरण लिखे ? विवाह पूर्णब्रह्मचर्य का विरोधी है, ब्रह्मचर्याणुवत् का वाधक या व्यभिचार का साधक नहीं है । अगर यह बात मानली जाय तो अकेला विधवाविवाह ही क्या, कुमारी विवाह भी व्यभिचार कहलायगा । अगर व्यभिचार होने पर भी कुमारीविवाह विधेय है तो विधवाविवाह भी विधेय है ।

**आक्षेप ( ३ )**—पुरुष इसी भव से मोक्ष जा सकते हैं, पुरुषों के उच्च संस्थान संहनन होते हैं, उनके शिश्न मूँछे होती हैं । स्त्रियों में ये बातें नहीं हैं: इसलिये उन्हें पुरुषों के समान पुनर्विवाह का अधिकार नहीं है । लक्षण, आकृति, स्वभाव, शक्ति की अपेक्षा भी महान् अन्तर है ।

**समाधान**—आजकल के पुरुष न तो मोक्ष जा सकते हैं, न स्त्रियों से अधिक संहनन रख सकते हैं । इसलिये इन्हें भी पुनर्विवाह का अधिकार नहीं होना चाहिये । संस्थान तो स्त्रियों के भी पुरुषों के समान सभी हो सकते हैं ( देवो गोम्मटसार कर्मकांड ) । पुरुषों के शिश्न मूँछे होती हैं और स्त्रियों के योनि और स्तन होते हैं । आकेपक के समान काई यह भी कह सकता है कि पुरुषों का पुनर्विवाह का अधिकार नहीं है, क्योंकि उनके योनि और स्तन नहीं होते । लिङ्ग और मूँछे पेसी चीज़ नहीं है जिनके ऊपर पुनर्विवाह की छाप खुदी रहती हो । देवों के और तीर्थकरादिकों के मूँछे नहीं होतीं, फिर भी उनके अधिकार नहीं छिनते । दाढ़ी के बाल और मूँछे तो सौन्दर्य की विधातक और उतने स्थान की मलीनता का कारण है । उनसे विशेषाधिकार मिलने का क्या सम्बन्ध ? और, विषमता को लेकर स्त्रियों के अधिकार नहीं छीने जा सकते । संसार का प्रत्येक व्यक्ति विषम है । मूद्दम विषमता को अलग करदें तो स्थूल विषमता भी बहुत है । परन्तु विषमता

के कारण अधिकार छीनना अन्याय है । अगर यह नियम बनाया जाय कि जो इतना विद्वान हो उसे इतने विवाह करने का अधिकार है और जो विद्वान नहीं है उसे विवाह का अधिकार नहीं है, तो क्या यह ठीक होगा ? दूसरी बात यह है कि जिस विषय का अधिकार है उसी विषय की समता, विषमता, योग्यता, अयोग्यता का विचार करना चाहिये । किसी के पैर में चोट आगई है तो बहुत से बहुत वह जूता नहीं पहिनेगा, परन्तु वह कपड़े भी न पहिने, यह कहाँ का न्याय है ? किसी भी अधिकार के विषय में प्रत्य चार बातों का विचार किया जाता है । योग्यता, आवश्यकता, सामाजिक लाभ, स्वार्थत्याग । पुनर्विवाह के विषय में भी हम इन्हीं बातों पर विचार करेंगे । स्त्रियों में पुनर्विवाह की योग्यता तो ही ही, क्योंकि पुनर्विवाह से भी वे सन्तान पैदा कर सकती हैं । संभोगशक्ति, रजोधर्म तथा गार्हस्थ्यजीवन के अन्य कर्तव्य करने की क्षमता उन में पाई जाती है । आवश्यकता भी है, क्योंकि विधवा हो जाने पर भी उन की कामवासना जाग्रत रहती है, जिसके सौमित करने के लिये विवाह करने की ज़रूरत है । इसी तरह सन्तान की इच्छा भी रहती है, जिसके लिये विवाह करना चाहिये । वैध-व्यजीवन बहुत पराश्रित, आर्थिक कष्ट, शोक, चिन्ता और संक्लेशमय तथा निराधिकार होता है, इसलिये भी उन को पुनर्विवाह की आवश्यकता है । कुछ इनीगिनी विधवाओं को छोड़ कर वाकी विधवाओं का जीवन समाज के लिये भार सरीखा होता है । वैधव्यजीवन के भीतर कौद हो जाने से बहुत से पुरुषों को स्थिराँ नहीं मिलतीं । इसलिये उनका जीवन दुःखमय या परित हो जाता है । समाज की संख्या घटती है । विधवाविवाह से ये समस्याएं अधिक अंशों में हल हो जाती हैं: इसलिये विधवाविवाह से सामाजिक लाभ

हैं। स्वार्थत्याग तो ज्यादः है ही, क्योंकि स्त्रियाँ सेवाधर्म का पालन उपादाह करती हैं। सन्तानोत्पत्ति में स्त्रियों को जितना कष्ट सहना पड़ता है, उसका शतांश भी पुरुषों को नहीं सहना पड़ता। विवाह होते ही न्यौ अपने पितृगृह का त्याग कर देती है। मतलब यह कि चाहे विवाह के विषय में विचार कीजिये, चाहे विवाहके फल के बारे में विचार कीजिये, स्त्रियों का स्वार्थत्याग पुरुषों के स्वार्थत्याग से कई गुणा उपादाह है। स्त्रियों में पुरुषों से विषमता ज़रूर है, परन्तु वह विषमता उन बानों में कोई त्रुटि उपस्थित नहीं करती, जो कि पुनर्विवाह के अधिकार के लिये आवश्यक है; बल्कि वह विषमता अधिकार बढ़ाने वाली होती है। क्योंकि पुरुष विधुर हो जाने पर तो किसी तरह गाहृस्थयजीवन गौरव के साथ विता सकता है, साथ ही आर्थिक स्वानन्द्य और सुविधा भी रख सकता है; परन्तु विधवा का तो सामाजिक स्थान गिर जाता है और उसका आर्थिक कष्ट बढ़ जाता है। इसलिये विधुरविवाह की अपेक्षा विधवाविवाह की ज्यादः आवश्यकता है। और स्वार्थत्याग में स्त्रियाँ ज्यादः हैं ही, इसलिये विधुरों को विवाह का अधिकार भले ही न हो, परन्तु विधवाओं को तो अवश्य हाना चाहिये।

आक्षेप ( ड )—स्त्री पर्याय निवृत्ति है। इसलिये उच्चपर्याय ( पुरुषपर्याय ) प्राप्त करने के लिये त्याग करना चाहिये।

( विद्यानन्द )

समाधान—स्त्रीपर्याय निवृत्ति है, अथवा अत्याचारों पुरुष समाज ने सहजाविद्यों के अत्याचारों से उसे निवृत्ति बनाड़ाला है, इसकी मीमांसा हम विचारशील पाठकों पर छोड़ देते हैं। अगर आक्षेपक की बात मानली जाय तो पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को पुनर्विवाह की सुविधा ज्यादः मिलना चाहिये, क्यों-

कि पुरुषों को अपनी उच्छता के लिहाज़ से दृश्यादः त्याग करना चाहिये । मुनिपद थ्रेप्ठ है और श्रावकपद नीचा । अब कोई कहे कि मुनि उच्च हैं, इसलिये उन्हें रणडीवाज़ी करने का भी अधिकार हैं ! गृहस्थ को तो मुनिपद प्राप्त करना है, इसलिये उसे रणडीवाज़ी न करना चाहिये ? क्या उच्छता के नामपर मुनियों को ऐसे अधिकार देना उचित है ? यदि नहीं, तो पुरुषों को भी उच्छता के नाम पर पुनर्विवाह का अधिकार न रखना चाहिये । अथवा ख्यायों का अधिकार न छोनना चाहिये ।

इसी युक्ति के बल पर हम यह भी कह सकते हैं कि ख्याँ अधिक निर्बल और निःसहाय हैं; इसलिये ख्याँ को पुरुषों की अपेक्षा दृश्यादः सुविधा देना चाहिये ।

**आचोप ( ढ )—**विषय-भागों की स्वच्छन्दता हरएक को देदी जाय तो वैराग्यका कारण बहुत ही कम मिला करे । छोटो अवस्था की विधवा का दर्शन होना कर्मचित्तय का मूचक है, इससे उदासीनता आती है । ( विद्यानन्द )

**समाधान—**पुरुष तो एक साथ या कम से हजारों ख्याँ रखते, फिर भी वैराग्य के कारणों में कमो न हो और लो के पुनर्विवाह मात्र से वैराग्य के कारण बहुत कम रह जाय—यह तो विचित्र बात है ! क्या संसार में दुःखों की कमी है जो वैराग्य उत्पन्न करने के लिये नये दुःख बनाये जाते हैं ? क्या अनेक तरह की बोमारियाँ देखकर वैराग्य नहीं हो सकता ? फिर चिकित्सा का प्रबन्ध क्यों किया जाना है ? यदि आज जैनियों के वैराग्य के लिये संसार को दुःखी बनाने की ज़रूरत है तो जैनधर्म में और आसुरीलोलामें क्या अंतर रह जायगा ? यह तो गौद्रध्यान की प्रकृता है । जिनको वैराग्य पैदा करना है उन्हें, संसार वैराग्य के कारणों से मरा पड़ा है । मेघों और विजलियों की लगभगुरता, दिन रात मृत्यु का दौरा, अनेक

तरह की बीमारियाँ आदि वैराग्य की ओर मुकाने वाली हैं । पुराणों में ऐसे कितने मनुष्यों का उल्लेख है जिन्हें बालविधवाओं को देखकर वैराग्य पैदा हुआ हो ? कर्मवैचित्रय की मृच्छा पुराय और पाप दोनों से मिलती है । विधवा के देखने से जहाँ पाप कर्म की विचित्रता मालूम होती है वहाँ विधवाविवाह से पुण्य कर्म की विचित्रता मालूम होती है । जिस प्रकार एक स्त्री मर जाने पर पुण्योदयसे दूसरी स्त्री मिल जाती है, उसी प्रकार एक पुरुष के मर जाने पर भी पुण्योदय से दूसरा पुरुष मिल जाता है । वैराग्य के लिये बालविधवाओं की स्थिति चाहना ऐसी निर्दयता, क्रूरता और रुद्रता है कि जिसकी उपमा नहीं मिलती ।

### पाँचवाँ प्रश्न

इस प्रश्न का सम्बन्ध विधवाविवाह से बहुत कम है । इस विषयमें हमने लिखा था कि वेश्या और कुशीला विधवा के मायाचार में अन्तर है । कुशीला विधवा का मायाचार बहुत है । हाँ, व्यक्तिगत दृष्टि से किसी के अन्तरङ्ग भावों का निर्णय होना कठिन है । इस विषयमें आज्ञेपकों को कोई ज्याद ऐतराज़ नहीं है, परन्तु 'विरोध तो करना ही चाहिये' यह सोच कर उनने विरोध किया है ।

**आज्ञेप ( क )—**वेश्या, माया-मूर्ति है । व्यभिचार ही उसका कार्य है । वह अहनिंशि माया-मूर्ति है । किन्तु यह नियम नहीं है कि कुशीला जन्मभर कुशीला रहे । ( विद्यानन्द )

**समाधान—**यहाँ यह प्रश्न नहीं है कि पाप किसका ज्यादः है ? प्रश्न मायाचार का है । जो कार्य जितना लुपाकर किया जाता है उसमें उतना ही ज्यादः मायाचार है । वेश्या इस कार्य को लुपाकर नहीं करती, जबकि कुशीला को लुपाकर

करना पड़ता है। व्यभिचार के लिये नहीं, किन्तु पैसों के लिये वेश्या कुश्रिम प्रेम करके किसी आदमी के साथ मायाचार करती है जबकि कुशीला विधवा अपने पाप को सुरक्षित रखने के लिये सारी समाज के साथ मायाचार करती है। अपने व्यभिचार को छुपाने के लिये ऐसी नार्थियाँ मुनियाँ की सेवा सुश्रूषा में आगे आगे रहती हैं, देव पूजा आदि के कार्यों में अप्रेसर बनती हैं, तप आदि के ढोग करती हैं जिससे लोग उन्हें धर्मात्मावार्द्ध कहें और उनका पापाचार भूले रहें। स्मरण रहे कि व्याघ्र से गोमुख-व्याघ्र भयानक होता है। वेश्या अगर व्याघ्री है तो कुशीला गोमुखव्याघ्री है। सम्भव है कोई खी जन्मभर कुशीला न रहे। परन्तु यह भी सम्भव है कि कोई खी जन्मभर वेश्या न रहे। जब तक कोई कुशीला या वेश्या है, तभी तक उसकी आत्मा का विचार करना है।

**आक्षेप (ख)**—प्रश्न में मायाचार की दृष्टि से अन्तर पूछा गया है अतः पाप-कार्य की दृष्टि से अन्तर बतलाना प्रश्न के बाहर का विषय है। ( विद्यानन्द )

समाधान—हमने कहा था कि, “जब हम वेश्यासेवन और पर्ण्डीसेवन के पाप में अन्तर बतला सकते हैं तब दोनों के मायाचार में भी अन्तर बतला सकते हैं।” इसमें अन्य पाप से मायाचार का पता नहीं लगाया है, परन्तु अन्य पाप के समान मायाचार को भी अपने ज्ञान का विषय बतलाया है। यह भूल तो आक्षेपक ने स्वयं की है। उनने लिखा है—“व्यभिचार एक पाप-पथ है। उसपर जो जितना आगे बढ़गया वह उतना ही अधिक सर्व दृष्टि से पापी एवं महामायावी है।” पाप के अन्तर से माया का अन्तर दिखला कर आक्षेपक स्वयं विषय के बाहर गये हैं।

**आक्षेप (ग)**—सत्यसाची ने आन्तरिक भावों का निर्णय

कठिन लिखा है; फिर भी मायाचार की तुलना की है। ये पर-स्पर विरुद्ध बातें कैसी? मन का हाल तो मनःपर्ययज्ञानी ही जान सकते हैं। ( विद्यानन्द )

**समाधान**—मनःपर्ययज्ञानी को मन की बातका प्रत्यक्ष होता, है लेकिन परोक्ष ज्ञानितो श्रुतज्ञान से भी हो सकती है। वचन, आचरण तथा मुख्याकृति आदि से मानसिक भावों का अनुमान किया जाता है। आकृपकने स्वयं लिखा है कि “किसका मायाचार किस समय अधिक है सो भगवान ही जाने, परन्तु वेश्या से अधिक कभी कुशीला का मायाचार युक्त प्रमाण से सिद्ध नहीं होता।” क्या यह वाक्य लिखते समय आकृपक को मनःपर्ययज्ञान था? यदि नहीं तो भगवान के ज्ञान की बात उनने कैसे जानसी?

**आकृप ( घ )**—कुशीला, पतिव्रता के वेष में पाप नहीं करती। जहाँ पति पानिव्रत होगा वहाँ तो कुशीलभाव हो ही नहीं सकते। ( विद्यानन्द )

**समाधान**—आकृपक पतिव्रता के वेष और पातिव्रत के अन्तर को भी न समझ सके। वेश्याएँ भी सीता सावित्री आदि का पार्ट लेकर पतिव्रता का वेष धारण करती हैं, परन्तु क्या वे इसी से पतिव्रता होनी हैं? क्या कुशीलाओं का कोई तुदा वेष होता है?

**आकृप ( झ )**—कुशीला हजार गुप्त पाप रती है, परन्तु जिन-मार्ग को दूषित नहीं करती। इसलिये विवाहित विधवा और वेश्या से कुशीला की कहा ऊँची कही गई है।

( विद्यानन्द )

**समाधान**—विवाहितविधवा और वेश्यासे कुशीला की कहा किस शास्त्र में ऊँची कही गई है? जरा प्रमाण दीजिये!

हमने विधवाविवाह को धार्मिक सिद्ध कर दिया है, इसलिये विवाहित विधवा जिनमार्ग दूषित करने वाली नहीं कही जा सकती। अथवा जब तक विधवाविवाह पर यह वादविवाद चल रहा है तब तक विधवाविवाह की धार्मिकता या अधार्मिकता की दुहाई न देना चाहिये। नहीं तो अन्योन्याश्रय आदि दोष आयेंगे। इस आक्षेप से यह बात अच्छी तरह सिद्ध होती है कि परिणताऊ जैनधर्म के अनुसार कोई ली रणडी बनजाय या हज़ार गुप्त पाप करे तो जिनमार्ग दूषित नहीं होता और छिनाल बनजाय तो भी नहीं होता। नबजात बच्चों के प्राण लेले तो भी नहीं होता, लेकिन अगर वह किसी एक पुरुष के साथ दाम्पत्य बन्धन स्थापित करले तो बेचारे पंडिताऊ जैनधर्म की मौत ही समझिये। बास्तव में ऐसे जैनधर्म को व्यभिचार पन्थ समझना चाहिये।

**आक्षेप ( च )—इन्द्रियतृप्ति करने में ही प्रसन्नता मानते हों तो आप शौकसे चार्वाक हो जाओ ! ( विद्यानन्द )**

**समाधान**—रणडी बनाने के लिये, हज़ारों गुप्त पाप करने के लिये धर्मधुरन्धर कहलाकर लौटेवाज़ी करने के लिये, भ्रूणहत्या करने के लिये अगर कोई चार्वाक नहीं बनता तो विधवाविवाह के लिये चार्वाक बनने की क्या ज़रूरत है ? यदि जैनधर्म में इन्द्रियतृप्ति को बिलकुल स्थान नहीं है तो अविरत सम्यग्वृष्टि के लिये “एो इन्द्रियेसु विरदो” अर्थात् ‘अविरत सम्यग्वृष्टि जीव पाँच इन्द्रिय के विषयों से विरक्त नहीं होता’ क्यों लिखा है ? जैनी लोग को मल बिस्तर पर क्यों सोते हैं ? स्वादिष्ट भोजन क्यों करते हैं ? लड़कों बच्चों के होने पर भी विवाह क्यों कराते हैं ? क्या यह इन्द्रिय विषय नहीं हैं ? अथवा क्या ऐसे सब जैनी चार्वाक हैं ? पुरुष जब दूसरा विवाह करता है तो क्या वैराग्य की भावना के

लिये स्त्री लाता है ? या पश्चिमों के बेद विश्वर्णचार के अनुसार योनि-पूजा के लिये लाता है ? क्या यह इन्द्रिय-विषय नहीं है ? क्या विधवाविवाह में ही अनन्त इन्द्रिय-विषय एक-त्रिन हो गये हैं ? क्या तुम्हारा जैनधर्म यही कहता है कि पुरुष नो मनमाने भोग भांगे, मनमाने विवाह करें, उससे वीतरागता को धक्का नहीं लगता, परन्तु विधवाविवाह से लग जाता है ? इसी को क्या "छोड़ो छोड़ो की धुन" कहते हैं ?

**आक्षेप ( छ )**—कुशीला अपने पापों को मार्ग-प्रेम के कारण छुपानी है । ..... वह भ्रणहत्या करती है फिर भी विवाहित विश्वा या वेश्या से अच्छी है । ( विद्यानन्द )

**ममाधान**—अगर मार्ग-प्रेम होता तो गुप्त पाप क्यों करती ? भ्रणहत्याएँ क्यों करती ? क्या इनसे जिनमार्ग दृष्टित नहीं होता ? या ये भी जैनमार्ग के अङ्ग हैं ? चार छुपाकर धन हरण करता है, यह भी मार्गप्रेम कहलाया । अनेक धर्म-धुरन्धर लौटेवाज़ी करते हैं, परब्ली सेवन करते हैं, यह भी मार्गप्रेम का ही फल समझना चाहिये ! मनलब यह कि जो मनुष्य समाज को जितना अधिक धोखा देकर पाप कर लेता है वह उतना ही अधिक मार्गप्रेमी कहलाया ! बाहरे मार्ग ! और बाहरे मार्गप्रेमी !

**द्यभिचारिणी स्त्री वेश्या** क्यों नहीं बनजाती ? इसका उत्तर यह है कि वेश्याजीवन सिर्फ द्यभिचार से ही नहीं आजाता । उसके लिये अनेक कलाएँ चाहिये, जिनका कि दुरुपयोग किया जा सके अथवा जिन कलाओं के जाल में अनेक शिकार फँसाए जासकें । कुछ दुःसाहस भी चाहिये, कुछ नियित भी चाहिये, कुछ स्वावलम्बन और निर्भयता भी चाहिये । जिनमें ये बातें होती हैं वे वेश्याएँ बन ही जाती हैं । आज जो मारनवर्ष में लाज़ों वेश्यायें पाई जाती हैं

उनमें से आधी से अधिक वेश्याएँ ऐसी हैं जो एक समय कुल-वधुएँ थीं । वे समाज के धर्मदौषी नरपिशाचों के धक्के खाकर वेश्याएँ बनी हैं । व्यभिचारिणी स्त्री पुनर्विवाह क्यों नहीं करती ? इसका कारण यह है कि पुनर्विवाह तो वह तब करे जब उसमें ब्रह्मचर्याणुवत की भावना हो, जैनधर्म का सच्चा ज्ञान हो । जो स्त्री नये तये यार चाहती हो, उसे पुनर्विवाह कैसे अच्छा लग सकता है ? अथवा वह तैयार भी हो तो जिन धर्मतिमाओं ने उसे अपना शिकार बना रखा है वे क्या उसका पिंड छोड़ेंगे ? पुनर्विवाह से तो शिकार ही निकल जायगा । स्त्रियों की अश्वानता और पुरुषों का स्वार्थ ही स्त्रियों को विधवाविवाह के पवित्र मार्ग से हटाकर व्यभिचार की तरफ़ ले जाता है ।

### छठा प्रश्न

कुशीला भ्रगुहत्याकारिणी को और कृतकारित अनुमोदना से उसके सहयोगियों को पाप-बन्ध होता है या नहीं ? इसके उत्तरमें हमने कहा था कि होता है और जो लोग विधवाविवाह का विरोध करके ऐसी परिस्थिति पैदा करते हैं उन को भी पाप का बन्ध होता है । इसके उत्तर में आज्ञे पक्षों ने जो यह लिखा है कि “विधवाविवाह व्यभिचार है, उसमें अकलंकदेव प्रणीत लक्षण नहीं जाता, आदि” इसका उत्तर प्रथम प्रश्न के उत्तर में अच्छी तरह दिया जा सका है ।

**आक्षेप ( क )—**विधवाविवाह के विरोधी व्यभिचार को पाप कहते हैं तो पाप करने वाले चाहे स्त्रियाँ हॉ चाहे पुरुष, वह सबे ही पापी हैं । ( श्रीताल )

**समाधान—**ऐसी हालत में जब विधवाविवाह पाप है तो विधुरविवाह भी होना चाहिये या दोनों ही न होना

चाहिये। क्योंकि जब पाप है तो 'सर्व ही पापी हैं' । व्यभिचार में तो आप सर्व ही पापी बतलावें और पुनर्विवाह में विधुरविवाह का धर्म बतलावें और विधवाविवाह को पाप, यह कहाँ का न्याय है ?

**आक्षेप ( ख )**—चोर चोरी करता है। गवर्नरमेन्ट दराढ़ देतो है इसमें गवर्नरमेन्ट का क्या अपराध ? ( श्रीलाल )

**ममाधान**—गवर्नरमेन्ट ने अर्थोपार्जन का अधिकार नहीं छीना है। व्यापार से और नौकरी या भिजा से मनुष्य अपना पेट भर सकता है। गवर्नरमेन्ट अगर अर्थोपार्जन के गहरे गोकर्णे तो अवश्य ही उसे चोरी का पाप लगेगा। विधवाविवाह के विरोधी, विधवा को पति प्राप्त करने के मार्ग के विरोधी हैं, इसलिये उन्हें व्यभिचार या भ्रूणहत्या का पाप अवश्य लगता है। यदि स्थितिपालक लोग बतलावें कि अमुक उपाय से विधवा पति प्राप्त करते और वह उपाय सुसाध्य हो, फिर भी कोई व्यभिचार करे तो अवश्य स्थितिपालकों को वह पाप न लगेगा। परन्तु जब ये लोग किसी भी तरह से पति प्राप्त नहीं करने देते तो इससे सिद्ध है कि ये लोग भ्रूणहत्या और व्यभिचार के पोषक हैं। अगर कोई सरकार व्यापार न करने दे, नौकरी न करने दे, भीख न माँगने दे और फिर कहे कि—“नुम चोरी भी मन करो, उपवास करके ही जीवन निकाल दो” तो प्रत्येक आदमी कहेगा कि यह सरकार बदमाश है, इसकी मन्त्रा चोरी कराने की है। ऐसी ही बदमाश सरकार के समान आजकल की पंचायतें नथा स्थितिपालक लोग हैं। इसमें इनती बात और विचारना चाहिये कि अगर कोई सरकार चोरी की अपेक्षा व्यापारादि करने में ज़्याद दराढ़ दे तो उस सरकार की बदमाशी बिलकुल नंगी हो जायगी। उसी प्रकार स्थितिपालकों की चालाकी भी नंगी हो जाती है,

क्योंकि वे लोग कहते हैं कि धर्मिचार भले ही करतों, परन्तु विधवाविवाह मन करो ! विधवाविवाह करने के पहिले पंडित उद्यतलाल जो से एक बुजुर्ग पण्डित जी ने कहा था कि—“तुम उसे मत्रों के रूप में यों ही रखतो, उसके साथ विवाह क्यों करते हो ?” आप के सहयोगी विद्यानन्द जी ने पाँचवें प्रश्न के उत्तर में लिखा है कि—‘यद्यपि कुशीला भ्रूणहत्या करनी है किन्तु फिर भी जिनमार्ग से भय खानी है। उसमें स्वाभिमान लज्जा है। इसलिये वह विधवाविवाहित या वेश्या से अच्छी है’—क्या अब भी स्थितिपालक लोग धर्मिचारपोषकता का कलंक छिपा सकते हैं ? उस सरकार को क्या कहा जाय जो चारों की प्रशंसा करती है और ध्यापारियों की निन्दा ?

आक्षेप ( ग )—यदि किसी को स्त्री नहीं मिलती तो क्या दया धर्म के नाम पर दूसरे दे दें ? विधवाविवाह के प्रचार हो जाने पर भी सभी पुरुषों को स्त्रियाँ न मिल जायेंगी तो क्या स्त्री वाले लोग एक एक घरटे को स्त्रियाँ दे देंगे ।

ममाधान—मुधारकों के धर्मनुसार स्त्रियों का देना लेना नहीं बन सकता, क्योंकि स्त्रियाँ समर्पति नहीं हैं । हाँ, स्थितिपालक पण्डितों के मतानुसार घटे दो घटे या महीनों बर्षों के लिये स्त्री दी जासकती है, क्योंकि उनके मतानुसार वह देने लेने की वस्तु है, भोजन है, समर्पति है । पुरुष की इच्छा के अनुसार नाचने के सिवाय उसका कोई व्यक्तित्व नहीं है । खैर, लोगों का यह कर्तव्य नहीं है कि वे स्त्रियाँ दे दें, परन्तु उनका इतना कर्तव्य अवश्य है कि कोई पुरुष स्त्री प्राप्त करता हो या कोई स्त्री पति प्राप्त करती हो तो उनके मार्ग में रोड़े न अटकावें । यह कहना कि “विधवा अपने भावयोदय से पनिहीन हुई; कोई क्या करे” पूर्खना और पन्नगात है । मार्यो-

दय से तो विधुर भी बनता है और सभी विपक्षियाँ आती हैं। उनका इलाज किया जाता है। विधुर का दूसरा विवाह किया जाता है। इनी तरह विधवा का भी करना चाहिये। इसका उत्तर हम पहिले भी विस्तार से दे चुके हैं। “पुरुषत्वहीन पुरुषों की सिकारें होंगी” इस आन्दोलन के समाधान के लिये देखो “३ घ”।

**आधेप ( घ )—**विधवाविवाह के विरोधियों को पापियों की कक्षा में किस आगम ग्रन्ति के आधार पर आपने घसीट लिया ? ( विद्यानन्द )

**समाधान—**इसका उत्तर ऊपर के ( ख ) नम्बर में है। उससे सिद्ध है कि कारित और अनुमोदन के सम्बन्ध से विधवाविवाह के विरोधी भ्रण्णहत्यारे हैं।

**आन्दोलन ( ड )—**परिणाम लोग आगम का अवर्णवाद नहीं करता चाहते। वे तो कहते हैं कि परलोक की भी सुध लिया करो।

**समाधान—**जिन परिणामों के विषय में यह बात कही जारही है, वे बेचारे अशानतमसात्रुत जीव आगम का समझते ही नहीं। वे तो रुद्धियों को ही धर्म या आगम समझते हैं और रुद्धियों के भंडाफोड़ को आगम का अवर्णवाद। परलोक की सुध दिलाने की बात तो विचित्र है। जो लोग खुद तो चार २ पाँच पाँच औरतें हज़म कर जाते हैं और बालविधवाओं से कहते हैं कि परलोक की सुध लिया करो ! उन धृष्टों से क्या कहा जाय ? जो खुद तो दूँस दूँस कर खाते हों और दूसरों से कहते हों कि “भगवान् का नाम लो ? इस शरीर के पापने में क्या रक्खा है ? यह तो पुढ़गल है”—उनकी धृष्टता प्रदर्शनी की वस्तु है। वे इस धृष्टता से उपदेश नहीं देते, आदेश करते हैं, जबर्दस्ती दूसरों का भूखाँ रखते हैं। क्या यह परलोक की

सुध कियों के लिये ही है ? मर्दों के लिये नहीं ? फिर जैनधर्म ज़बदस्ती त्याग कराने की बात कहाँ कहता है ? उसका तो कहना है कि “ज्यों ज्यों उपशमन कषाया । त्यों त्यों तिन त्याग बताया ।”

**आक्षेप ( च )**—परिणामों के कठोरतापूर्ण शासन और पक्षपातपूर्ण उपदेशों के कारण कियाँ भ्रूणहत्या नहीं करतीं, परन्तु जो उनके उपदेश से निकल भागती हैं वे द्यभिचारिणियाँ ही यह पाप करती हैं ।

**ममाधान**—इस बात के निर्णय के लिये एक दृष्टान्त रखना चाहिये । चार विधवाएँ हैं । दो सुधारक और दो स्थितिपालक । एक सुधारक और एक स्थितिपालक विधवा तो पूर्ण ब्रह्मचर्य पाल सकती है और बाकी की एक एक नहीं पाल सकतीं । पहिली से सुधारक कहते हैं कि “बहिन ! अगर तुम पवित्रता के साथ ब्रह्मचर्य पालन करने को नैयार हो तो एक ब्रह्मचारीके समान हम आपकी पूजा करते हैं और अगर तुम नहीं पाल सकती हो तो आज्ञा दो कि हम आपके विवाह का आयोजन कर दें ।” वह बहिन कहती है कि अभी मैं ब्रह्मचर्य पालन कर सकती हूँ, इसलिए अपना पुनर्विवाह नहीं चाहती । जब मैं अपने मनको वश में न रख सकूँगी तो पुनर्विवाह का विचार प्रगट कर दूँगी । दूसरी बहिनसे यही बात कही जाती है तो वह विवाह के लिये नैयार हो जाती है और उसका विवाह कर दिया जाता है । उसके विवाह को परिणत लोग ठीक नहीं समझते—सुधारक ठीक समझते हैं । परन्तु जब वह बहिन विवाह करा लती है तो उसे संतान को छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती जिससे वह भ्रूणहत्या करे । इस तरह सुधारक पक्ष में नो दोनों तरह की विधवाओं का पूर्ण निर्वाह है । अब स्थितिपालकों में देखिये ! उनका कहना

है कि 'विधवा-विवाह घोर पाप है, क्योंकि स्त्रियाँ ज़ुँड़ी थाली के समान हैं। अब घे किसी के काम की नहीं'। दोनों बहिनों को यह अपमान चुपचाप सहलेना पड़ता है, जिस में पहिली बहिन तो ब्रह्मचर्य से जीवन विनाशी है और दूसरी वैधव्यका दोग करती है। उसकी वासनाएँ प्रगट न हो जावे, इसलिये वह विधवा-विवाह वालोंका गालियाँ देतो हैं। इसलिये पंडित लोग उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। परन्तु वह बेचारी अपनी वासनाओं को दमन नहीं कर पाती, इसलिये व्यभिचारके मार्ग में चली जाती है। फिर गर्भ रह जाता है। अब वह सोचती है कि विधवा-विवाहवालों को मैंने आज तक गालियाँ दी हैं, इसलिये जब मेरे बच्चा पैदा होगा तो कोई क्या कहेगा? इसलिये वह गर्भ गिराने की चेष्टा करती है। गिर जाता है तो ठीक, नहीं गिरता है तो वह पैदा होते ही बच्चेको मारडालती है। वह बीच बीच में पुनर्विवाह का विचार करती है, लेकिन परिणामों का यह वक्तव्य याद आजाता है कि "विधवा-विवाह से तो जिनमार्ग दूषित होता है लेकिन व्यभिचार या भ्रूणहत्या में जिनमार्ग दूषित नहीं होता", इसलिये वह व्यभिचार और भ्रूणहत्या की तरफ झुक जाती है। सुधारक बहिन को तो ऐसा सौका दी नहीं है जिससे उसे अपना दाम्पत्य छिपाना पड़े और भ्रूणहत्या करना पड़े। उसके अगर सन्तान पैदा होगी तो वह हर्ष मनायगी जबकि मिथिनिपालक बहिन हाय र करेगी और उसकी हत्या करने की तरकीब सोचेगी। इससे पाठक समझ सकते हैं कि हत्यारा मार्ग कौन है और दया का मार्ग कौन है?

हम यहाँ एक ही बात रखते हैं कि कोई स्त्री विधवा-विवाह और गुप्त व्यभिचार में से किस मार्ग का अवलम्बन करना चाहती है। सुधारक लोग विधवा-विवाह की सलाह

देते हैं। अब परिणामों से हम पूछते हैं कि उनकी क्षा सलाह है? अगर वे गुप्त व्यभिचार की सलाह देते हैं, तो उसके भीतर भ्रूणहत्या की सलाह भी शामिल है क्योंकि भ्रूणहत्या न करने पर व्यभिचार गुप्त न रह सकेगा। इसलिये इस सलाह से परिणामों को भ्रूणहत्या का दोषी होना ही पड़ेगा। अगर वे विधवाविवाह की सलाह देते हैं तो भ्रूणहत्या के पाप से बच सकते हैं। यदि वे इस पाप से बचना चाहते हैं तो उन्हें विधवाविवाह को व्यभिचार और भ्रूणहत्या से भी बुरा कहने की बात प्रायश्चित्त के साथ वापिस लेना चाहिये। ऐसी हालत में ये परिणाम सुधारकों से जुदे नहीं रह सकते। क्योंकि सुधारक लोग भी व्यभिचार आदि का अपेक्षा विधवाविवाह का अच्छा समझते हैं, पूर्णव्रत्तचर्य से विधवाविवाह को अच्छा नहीं समझते। इस वक्तव्य से मिल हो जाता है कि परिणाम लोग भ्रूणहत्या आदि का प्रचार व्युज्ञमान्युज्ञा भले ही न करते हों परन्तु उनके मिळान्ते ही प्रमें हैं कि जिसमें भ्रूणहत्या का समर्थन तो होता ही है साथ ही उसको उत्तेजन मी मिलता है। और यह पाप विधवाविवाह करने वाली बहिनों को नहीं करना पड़ता, बल्कि उन्हें करना पड़ता है जो परिणामों के कथनानुसार विधवाविवाह को गालियाँ देती हैं या उससे दूर रहती हैं।

**आक्षेप ( क्र )**—आप लिखते हैं कि व्यनियालकों में सभी भ्रूणहत्या प्रसन्न नहीं करते परन्तु फ़ीसदी नव्वे करते हैं। इस परम्परा विरोधी वाक्य का क्या मतलब?

**समाधान**—इस आक्षेप से आक्षेपक ने अपने गायाविवाहान का ही नहीं, गायाविवाह का भी दिवाला निकाल दिया है। पूर्णीश के निषेध में अल्पांश की विभि भी इन्हें परम्परा विरुद्ध मालूम होती है। अगर कोई कहे कि मेरे पास पूरा रूपया तो नहीं है, तो भी आक्षेपक यहाँ

कहेंगे कि जब तुमने रुपये का निवेद भर दिया तो चौदह आन की विधि क्यों करने हो ? क्योंकि चौदह आने तो रुपये के सोनेर हो है । यह विराग्न नहीं, विराग्न प्रदर्शन को बोमारी है । 'एक के हान पर दो नहीं है' (एकमत्त्वेऽपि द्वयं नास्ति) के समान 'दो न हाने पर एक है' का बात भी परम्परा विरुद्ध नहीं है । बेद है कि आक्षेप का इनना सा मी भाषाज्ञान नहीं है ।

**आक्षेप ( ज )**—मच्छुली की अपेक्षा बकरा ग्राह्य है या बकरा की अपेक्षा मच्छुली ? मिङ्गाननदष्टि से दानों ही नहीं ।

( विद्यानन्द )

**समाधान**—विधवाविवाह और भूग्रहत्या इन दानों में समानता नहीं है किन्तु नर तमता है । और ऐसी तरनमता है जैसी कि विभुरविवाह और नरहत्या में है । इसलिये मच्छुली और बकरे का दृष्टान्त विषय है । जहाँ तरनमता नहीं वहाँ चुनाव नहीं हो सकता । ब्रसदिमा और स्थावर हिस्ता, अणुव्रत और महाव्रत के समान व्यभिचार और विधवाविवाह में चुनाव हो सकता है जैसा कि विभुरविवाह और व्यभिचार में होता है ।

**आक्षेप ( भ )**—चाणक्य न कहा है कि राजा और पण्डित एक ही बार शालने हैं कन्या एक ही बार दी जाती है । ( विद्यानन्द )

**समाधान**—हमने विधवाविवाह को न्यायोचित कहा है । उसका विवेद करने के लिये ऊपर का नीतिवाक्य उद्धृत किया गया है । आक्षेपक ने भूल से न्याय और नीति का एक ही अर्थ समझ लिया है । असल में नीति शब्द के, न्याय से अनिवार्य नीति अर्थ है । ( १ ) कानून, ( २ ) चाल, ढग, पालिसी, ( ३ ) नीति विराज । ये तीनों ही बातें न्याय के विरुद्ध भी हो सकती हैं । दक्षिण के एक राज्य में ऐसा कानून

है कि लड़का बाप की सम्पत्ति का मालिक नहीं होता । यह कानून है परन्तु न्याय नहीं । प्रजा में फूट डालकर मनमाना शासन करने की पॉलिसी, नीति है, परन्तु यह न्याय नहीं है । इसी तरह “मिलजुल कर पञ्चों में रहिये, प्राण आँय साँची नहीं कहिये” की नीति है परन्तु यह न्याय नहीं है । योगोप में डग्गुआल का रिवाज था और कहीं कहीं अब भी है, परन्तु यह न्याय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें सबल का ही न्याय कहलाता है । ‘जिसकी लाठी उसकी भैंस’ यह भी एक नीति है परन्तु न्याय नहीं । इसलिये नीतिचाक्य का उद्धरण देकर न्यायोचितता का विरोध करना दृष्टिरूप है ।

दूसरा बात यह है कि चालाक्य ने युद्ध क्रियां के पुनर्विवाह के कानून बनाये हैं जिनका उल्लेख २७ वें प्रश्न में किया गया था । इस लख में भी आगे किया जायगा । यहाँ सिफ़े एक वाक्य उद्घृत किया जाता है—‘कुटुम्बद्विलापे वा सुखावस्थैर्विमुक्ता यथेष्ट्’ विन्देत जीवितार्थम् । अर्थात् कुटुम्ब की सम्पत्ति का नाश होने पर अथवा समृद्ध बन्धुवाँघवाँ से छाड़ जाने पर कोई स्थो, जीवननिर्वाह के लिये अपनी इच्छा के अनुसार अन्य विवाह कर सकती है । चालाक्यनीति का उल्लेख करने वाला ज़रा इस वाक्य पर भी विचार करें । साथ ही यह भी स्थाल में रखें कि ऐसे ऐसे दर्जनों वाक्य चालाक्य ने लिखे हैं । जब हम दोनों वाक्यों का समन्वय करते हैं तब चालाक्यनीति के श्लोक से पुनर्विवाह का ज़रा भी विरोध नहीं होता । उस श्लोक से इतना ही मालूम होता है कि बाप को चाहिये कि वह अपनी पुत्री एक ही बार देवे । विधवा होने पर या कुटुम्बियों के नाश होने पर देने की ज़करत नहीं है । उस समय तक उसे इतना अनुभव हो जाता है कि वह स्वयं अपना पुनर्विवाह कर सकती है । इसलिये पिता को

फिर कोटुम्बिक अधिकार न बनाना चाहिये । अगर चालक्षणीनि के उस वाक्य का यह अर्थ न होता तो चालक्षणी के अन्य वाक्यों से भमन्वय ही न हो पाता ।

**आक्षेप ( अ )**—आपने कहा कि ‘अगर हम खूब स्वादिष्ट भोजन करें और दूसरों को एक टुकड़ा भी न खाने दें तो उन्हें स्वाद के लिये नहीं तो जुधाशांति के लिये चोरी करनी ही पड़ेगी । और इसका पाप हमें भी लगेगा । इसी तरह ब्रग्धहन्ता का पाप विधवाविवाह के विरोधियों को लगता है’ परन्तु कौन किस को क्या नहीं खाने देता ? कानिंकेयानुप्रेष्ठा में लिखा है कि ‘उपकार नथा अपकार शुभाशुभ कर्म ही करे है’ । ( विद्यानन्द )

**ममाधान**—उपकार अपकार तो कर्म करने हे परन्तु वर्मों का उदय नाकर्मों के बिना नहीं आता । वाह्यनिमित्तों का नाकर्म कहने हैं ( देखो साम्मट सार कर्मकागड़ ) । अशुभ वर्मों का नाकर्म बनना पाप है । पशु तो अपने कर्मोदिय स मारा जाता है परन्तु कर्मोदिय के नाकर्म कृमाई को पाप का बन्ध होता है या नहीं ? विधवा को पापकर्म के उदय से पति नहीं मिलता, परन्तु जो लाग पति नहीं मिलने देते वे तो उसी कृमाई के समान उस पाप कर्म के नाकर्म है । यदि कार्मिक्यानुप्रेष्ठा का ऐसा ही उपयोग किया जाय तो परिणाम लाग गुट बाँध कर डाका डालना, खियों के साथ बलात्कार करना आदि का श्रीगणेश करदें और जब कोई पूछे कि ऐसा क्यों करते हो ? तो कह दें—‘हमने क्या किया ? उपकार नथा अपकार तो शुभाशुभ कर्म ही करे है’ । इस तरह से राजदण्ड आदि की भी काई ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि “उपकार अपकार शुभाशुभ कर्म ही करे है” । खैर साहित ! ऐसा ही मही । नब ता जिस विधवा का कर्मोदिय आयगा उसका पुनर्विवाह

हो जायगा । न आयगा न हो जायगा । इसमें उस दम्पति को नथा सुधारकों को कोसने की क्या ज़रूरत ? क्योंकि यह मनव नो “शुभाशुभ कर्म ही करे है” । वाह रे ! ‘करे हैं’ ।

**आशेष ( ८ )**—कर्म की विचित्रता ही तो वैराग्य का कारण है । उन कुछातौ पर तरस आना है इसलिये हम उन्हें शान्ति से इस कर्मकृत विधिविडम्बना को महत्वेने का उपदेश देने हैं ।” ( विद्यानन्द )

**ममाशान**—जी हाँ, और जब यह विधिविडम्बना उपदेशदाताओं के मिर पर आती है तब वे स्वयं कामदेव के आगे नंगे नाचते हैं, मरघट में ही नये विवाह की बातचीत करते हैं ! यह विधिविडम्बना मिर्झालियों को सहना चाहिये । न मही जाय तो गुप्त पाप करके ऊपर से महते का ढोंग करना चाहिये । परन्तु पुरुषों को इसके महने की ज़रूरत नहीं । क्योंकि धर्म पुरुषों के लिये नहीं है । वे तो पाप से भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं । अथवा यहाँ की आदत के अनुसार मुक्ति का भोटा पकड़ कर उसे वश में कर सकते हैं । उन्हें पाप पुण्य के विचार की ज़रूरत क्या है ?

वैराग्य के लिये कर्मविचित्रता की ज़रूरत है । इसलिये आवश्यक है कि मैकड़ों मनुष्य भूखों मारे जाँय, गरम कड़ाहों में पकाए जाँय, बीमारों की चिकित्सा बन्द कर दी जाय । इस से असुरकुमारों के अवनार पगिडनों को और पञ्चों को वैराग्य पैदा होगा । अच्छा हो, ये लोग एक कुसाईखाना खोल दें जिस में कुसाई का काम ये स्वयं करें । जब इनकी लुरी खाकर बेचारे दीन पशु चिल्लायेंगे और नड़येंगे, तब अवश्य ही उनके घृन में से वैराग्य का सत्त्व खींचा जासकेगा । अगर किसी जगह विधवाओं की कमी हो तो पुरुषों की हत्या करके विधवाएँ पैदा की जाँय । क्योंकि उनके करुण कन्दन और

आँसुओं में से वैराग्य का दोहन बहुत अच्छा होता है । यह वैराग्य न मालूम कैसा अदियत टट्टू है कि आता ही नहीं है ! इधर जैनसमाज में मुपूरणों की इतनी कमी है और जैन समाज के पास इतना धन है कि समझता ही नहीं कि किसे खिलायें या कैसे खर्च करें !

### सातवाँ प्रश्न

इसमें पूछा गया था कि आजकल कितनी विधवाएँ पर्ण पवित्रता के साथ वंघव्यवत पालन कर सकती हैं । इसका उत्तर हमने दिया था कि बृद्धविधवाओं को छोड़कर वाकी विधवाओं में से की सभी पाँच । यहाँ पूर्णपवित्रता के साथ वंघव्य पालन की बात है । रोधोकर वैराग्य पालन करने वाली तो आधी या आधी से भी कुछ इयादा निकल सकती है । आज्ञेपकों ने उत्तर का मतलब न समझकर बक्षाद शुरू कर दिया । श्रीलाल जी हमसे पूछते हैं कि —

आज्ञेपक — आप को व्यभिचारिणी का ज्ञान कहाँ से हुआ ? क्या व्यभिचारिणी का कोई अद्वा है जो खबर देता है या गवर्नरेंगें रिपोर्ट निकलती हैं ?

समाप्तान — मालूम होता है आज्ञेपक भूगर्भ में स विलकुल ताज़े निकले हैं । अन्यथा आप किसी गी शहर के किसी भी मोहल्ले में चले जाइये और जगा भी गौर से जाँच कीजिये, आपकी तुद्धि आपको रिपोर्ट देनेगी । इस रिपोर्ट की जाँच का हमने एक अच्छा तरीका बनलाया था-विधुरों की जाँच । खियों में काम की अधिकता बतलाई जाती है । अगर हम नमानता ही मानलें तो विधुरों की कमज़ोरियों से हम विधवाओं की कमज़ोरियों का ठीक अनुमान कर सकते हैं । बृद्धविधुरों को छोड़कर ऐसे कितने विधुर हैं जो पुनर्विवाह का

कोशिश न करते हॉ ? किसी प्रान्त में या शहर में जाँच करली जाय तो मालूम होगा कि चालीस पेंतालिस वर्ष से कम उमर में विधुर होकर अपने पुनर्विवाह की कोशिश न करने वाले विधुर फ़ी सदी पाँच से भी कम हैं । जहाँ पर विधुरविवाह के समान विधवाविवाह का भी पूर्ण प्रचार है वहाँ को ग्रिपार्ट में भी इस बातका समर्थन होगा । क्या ऐसा स्पष्ट जाँच को पृष्ठना कहते हैं ?

इन वक्तव्य से विद्यानन्दजी के आक्षेपों का भी उत्तर हो जाता है । हाँ ! उनके बहुत से आक्षेप प्रकरण के बाहर हागये हैं, परन्तु उनका भी उत्तर दिया जाता है जिससे कहने को भी युं जाइश न रह जावे ।

**आक्षेप ( घ )**—क्या अभव्य में मोक्ष जाने की नाकृत नहीं है ? ता क्वलज्ञानावण का सङ्घाव कैसे ब्रह्मिन होगा ? राजवार्तिक देखिये ! (विद्यानन्द)

**समाधान**—आक्षेपक ने राजवार्तिक गौर से नहीं देखा । राजवार्तिक में लिखा है कि द्रव्यार्थिकनय से तो अभव्य में क्वलज्ञानादि की शक्ति है, परन्तु पर्यायार्थिकनय से नहीं है । इसलिये द्रव्यार्थिकनय से तो स्त्रियों में वंधव्य-पानन की तो क्या, क्वलज्ञानादिक भी भी शक्ति कहलायी । ऐसी हालत में तो प्रश्न की काई ज़रूरत ही नहीं रहती । और जब प्रश्न दिया गया है तो मिछ है कि पर्यायार्थिकनय की अपेक्षा है, और उस नय से अभव्य में मुक्तियोग्यता नहीं है । ज़रा राजवार्तिक के इस वाक्य पर भी विचार कर जिये—“सम्यक्त्वादिपर्यायव्यक्तियोगाही यः स भव्यः तद्विपरीतोऽभव्यः” अर्थात् जिसमें सम्यक्त्वादि को प्रगट करने की योग्यता हो उसे भव्य कहते हैं; उससे विपरीत का अभव्य । मतलब यह है कि प्रगट करने की शक्ति अशक्ति की अपेक्षा से भव्य अभ-

व्य का भेद है। हमने मात्र जाने तक को बात कही है, शक्ति रूप में मौजूद रहने की नहीं। स्वैर, यहाँ हम चर्चा में कुछ मतलब नहीं है। अगर आक्षेपक को इस विषय की विशेषज्ञता का अधिमान है तो वे स्वतन्त्र चर्चा करें। हम उनका समाधान कर देंगे।

**आक्षेप ( ग )**—आजकल भी स्त्रीजाति को पञ्चम गुण स्थान हो सकता है और पुरुषों को सप्तम गुणस्थान। इसलिये अवस्था का बहाना बनाना अधिमान में भी अधिम है।

**ममाधान**—गुणस्थानों की चर्चा उठाकर आक्षेपक ने अपने पैरों पर आप ही कुलहाड़ी मारी है। क्या आक्षेपक ने विचार किया है कि मनुष्यों में पञ्चम गुणस्थान के मनुष्य कितने हैं? कुल मनुष्य २५ अङ्क प्रमाण है और पञ्चम गुणस्थानवाले मनुष्यों की संख्या ६ अङ्कप्रमाण। चीस अङ्क उपादा है। १६ अङ्क के दस मङ्ग होने हैं चीस अङ्क के १०० सङ्ग हूए। अर्थात् पाँचवे गुणस्थान के मनुष्यों से कुल मनुष्य सौ सङ्ग गुण हैं। सौ सङ्ग मनुष्यों में एक मनुष्य पञ्चम गुणस्थानवर्ती है। इस चर्चा से तो सौ में पाँच तो क्या पक या आधा भी नहीं बैठता! फिर समझ में नहीं आता कि पाँचवें गुणस्थान में जो वे होने से दुराचारियों का निषेध कैसे हो गया? अनन्त सिद्धों के होने पर भी उनसे अनन्तगुण संसारी हैं। असंख्य सम्यग्विज्ञयों के होने पर भी अनन्तानन्त मिथ्यादण्डि है। इसलिये पाँच सदाचारिणी लियों के होने से क्या है दुराचारिणी नहीं हो सकती? फिर हमने तो बृद्धाओं को आलग रखा है और युवती विधवाओं में भी है को दुराचारिणी नहीं, किन्तु पूर्ण वैधव्य न पालने वाली बनलाया है।

सीता राजुल आदि सतियों के दण्डान्त से आक्षेपक की नहीं, किन्तु हमारी बात सिद्ध होती है। सतीत्व के गोत गाने

बाले बतलावें कि आज किननी स्थियाँ अग्नि में बैठकर अपने सतीत्व को परोक्षा दे सकती हैं ? सीता और राजुल आज नां असाधारण हैं ही, परन्तु उस जमाने में भी असाधारण थीं ।

आक्षेपकने ज्योतिःप्रसाद जी आदि का उदाहरण देकर सिद्ध किया है कि विधुर भी ब्रह्मचर्य से रहते हैं । इस सिद्ध करने की धुन में आप अपने असली पक्ष को खो दैठे । अगर ज्योतिःप्रसादजी आदि विधुरों के रहने पर भी फ़ी सदी ६५ विधुर अपने पुनर्विवाह की कांशिश करते हैं अर्थात् निर्दोष वैधुर्य का पालन नहीं कर पाते तो शुद्ध वैधव्य पालन करने वाली अनेक विधवाओं के रहने पर भी फ़ी सदी ६५ विधवाएँ शुद्ध वैधव्य पालन नहीं कर पातीं ।

**आक्षेप ( घ )**—विधुरों के समान विधवाओं के विवाह की आक्षा कौन दे ? क्या हम छुट्टमस्य लोग ? शास्त्रों में बहुविवाह का उल्लेख पाया जाता है । शास्त्रकर्ता पुरुष होने से पक्षपाती नहीं कहे जासकते, क्योंकि न्याय और सिद्धान्त की रचनाएँ गुरुपरम्परा से हैं । यदि उन्हें पुरुषत्व का अभिमान होता तो शुद्धों को पूजनप्रक्रान्ति, महाविन ग्रहण आदि से बंचित क्यों रखते ? यदि ब्राह्मणत्वका पक्षपात बनाया जाय तो उनने हीनाचारी ब्राह्मण को शुद्धों से भी दुरा क्यों कहा ? इसलिये पक्षपात का इलज़ाम लगाना पशुता और दमनीय अविचारता है ।

( विद्यानन्द )

**समाधान**—हमारे उत्तरमें इस विशयका एक अक्तर भी नहीं है और न बुमा फिराकर हमने किसी पर पक्षपात का इलज़ाम लगाया है । यह हरिण का सांते शेर को जगाना है ।

प्रारम्भ में हम यह कह देना चाहते हैं कि आक्षेपकने जैन शास्त्रों की जैसी आक्षण्य समझी हैं वैसी नहीं हैं । जैन शास्त्र तो पूर्ण ब्रह्मचर्य की आक्षा देने हैं, लेकिन जो लोग पूर्ण

ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते उनके लिये कुछ नीची श्रेणी का ( विवाह आदि का ) उपदेश देते हैं । इन नीची श्रेणियों में किस ज़माने के अधिकांश मनुष्य किस श्रेणी का किस रूप में पालन कर सकते हैं इस बात का भी विचार रखा जाता है । भारतवर्ष, निवात और बर्नमान योगों का परिस्थितियोंमें बड़ा फर्क है । भारतवर्ष में एक पति, अनेक पतियाँ रख सकता है । निवात में एक पत्नी अनेक पति रख सकती है । यारोप में एनि, अनेक पतियाँ नहीं रख सकता, न पत्नी अनेक पति रख सकती है । यारोप में अगर एक पत्नी के रहने हुए कोई दूसरी पत्नी से विवाह करले तो वह जेल में भेज दिया जायगा । क्या ऐसी परिस्थिति में आचार्य, योगोपियन पुरुषों को बहुविवाहकी आज्ञा देंगे ? जैनाचार्यों की विधियों में भी वहाँ का बहुविवाह अनाचार कहलायगा । परन्तु भारत के लिये पुरुषों का बहुविवाह अनिचार ही हायगा । निवात के लिये मित्रों का बहुविवाह अतिचार होगा । नातर्य यह है कि पूर्ण ब्रह्मचर्य से उत्तर कर समाज का नैतिक माध्यम ( Medium ) जिस श्रेणी के रहना है उसी का आचार्य ब्रह्मचर्याणुवत कहते हैं । यही कारण है कि सामंज्ब और आशावरजी ने वेश्यामंबों को भी अणुवती मान लिया है । इसमें आचर्य की कुछ बात नहीं है क्योंकि यह नो जुदे जुदे समय और जुदे स्थानों के समाज का माध्यम है । इस विषय में इतनी बात ध्यान में रखने की है कि माध्यम चाहे जो कुछ रहा हो परन्तु उनका लक्ष्य पूर्ण ब्रह्मचर्य रहा है । इस-लिये बहुपत्नीक मनुष्य को उनने अनिचारी कहा है । देखिये सागारधर्मसृत टीका “यदा तु भ्वदारसन्तुष्टो विशिष्टसन्तोषाभावात् अन्यतकल्पं परिणयति तदाऽप्यस्यायमतिचारः स्यात्” अर्थात् विशिष्ट सन्तोष न होने के कारण जो दूसरो स्त्री क साथ विवाह करता है उसको ब्रह्मचर्याणुवत में दोष लगता है ।

अमल बात तो यह है कि ब्रह्मचर्याणुवत् भी एक तरह का परिग्रहपरिमालावत है; परिग्रह परिमाण में समर्पित तथा अन्य भोगोपभोग की वस्तुओं की मर्यादा की जाती है। ब्रह्मचर्य में काम सेवन सम्बन्धी उपभोगसामग्री की मर्यादा की जाती है। परन्तु जिस प्रकार अहिंसा के भीतर चारों ब्रत शामिल होने पर भी स्पष्टता के लिये उनका अलग व्याख्यान किया जाता है उसी प्रकार ब्रह्मचर्याणुवत् में परिग्रह परिमाण वत से अलग व्याख्यान किया गया है। परिग्रह परिमाणवतमें परिग्रह की मर्यादा की जाती है, परन्तु वह परिग्रह कितना होना चाहिये यह बात प्रत्येक व्यक्ति के द्वय के त्रिकालगताव पर निर्भर है। मर्यादा बाँध लेने पर सम्भाट् भी अपरिग्रहाणुवती है और मर्यादाशून्य साधारण गिरवयंगा भी पूर्ण परिग्रही है। ब्रह्मचर्याणुवत के लिये आचार्य ने कह दिया कि अपनी कामवासना को सीमित करा और विवाह को कामवासना की सीमा नियन्त कर दिया। जो वैवाहिक बन्धन के भीतर रहकर कामसेवन करता है वह ब्रह्मचर्याणुवती है। यह बन्धन कितना ढीला या गाढ़ा हो यह सामाजिक परिस्थिति और वैयक्तिक साधनों के ऊपर निर्भर है। यहाँ पर एक पुरुष का अनेक स्त्रियों के साथ विवाह हा सकता है और विवाह ही मर्यादा है इसलिये वह ब्रह्मचर्याणुवती कहलाय। निवृत्ति में एक स्त्री अनेक पुरुषों के साथ एक साथ ही विवाह कर सकती है और विवाह ही मर्यादा है इसलिये वहाँ पर अनेक पति वाली स्त्री भी अणुब्रह्मचारिणी है। अणुब्रह्मचर्य का भंग वहीं होगा जहाँ अविवाहित के साथ कामादि सेवन किया जायगा। इससे साफ़ मालूम होता है कि अणुवत के लिये आचार्य एक अनेक का बन्धन नहीं ढालते, वे विवाह का बन्धन ढालते हैं। सामाजिक परिस्थिति और साधन सामग्री से जो जितने विवाह कर सके

उसे वही अणुवृत की सीमा है। एक पति या अनेक पति का प्रश्न सामाजिक या राजकीय परिस्थिति का प्रश्न है न कि धार्मिक प्रश्न।

ऊपर, निच्चत का उदाहरण देकर बहुपतन्त्र का उल्लेख कर चुका हूँ। आर मी अनेक छाटी छोटी जानियों में यह रिवाज है। अगर ऐतिहासिक दृष्टि स देखा जाय तो एक दिन संसार के अधिकांश देशों में बहुपतन्त्र की प्रथा प्रचलित थी। बात यह है कि माना का महत्व पिना से अधिक है। माना को ही लकड़ कुटुम्ब को रखना होता है। इसलिये एक समय मानृवश अर्थात् माना के हां शासन की विधि प्रचलित थी। उस समय बहुपतन्त्रिवाह अर्थात् एक लड़ी के कई पति हाने की प्रथा भी शुरू हो गई। पश्या की कुछ प्राचीन जानियों में अब भी इस प्रथा के चिन्ह पाये जाते हैं। कई पतियों में से जो सबसे बलवान् और रक्षा करने में समर्थ हाना था धीरे धीरे उसका आदर अधिक हाने लगा अर्थात् पट्टरानी के समान पट्टपति का रिवाज चला। जो बलवान् और पत्नी का उद्यादा प्यारा हाना था वही अच्छी तरह घरमें रह पाना था। यही रिवाज अक्सरेजो क हसबैंड Husband शब्द का मूल है। इस शब्द का असली रूप है His biand अर्थात् घर में रहने वाला। सब पतियों में जो पत्नी के साथ घर पर रहता था वही धीरे धीरे गृहपति या हसबैंड कहलाने लगा, और शक्ति हान स धीरे धीरे घर का पूरा आधिपत्य उस के हाथ में आगया। घर की मालिकी के बाद जब किसी पुरुष का जानि की सरदारी मिली तो पुरुषों का शासन शुरू हुआ, और बहुपतन्त्र के न्यान पर बहुपतन्त्र की प्रथा चल पड़ी। हिन्दू शास्त्रों में द्वौपदी को पाँच पति वाली कहा है और उस महासनी भी माना है। मले ही यह कथा कल्पित

हो परन्तु भारतवर्ष में भी एक समय बहुपतिन्व के साथ सती-न्व का निर्वाह होता था, इस बात की सूचक अवश्य है। जैन-समाज में थी कि नहीं, यह जुदा प्रश्न है परन्तु भारतवर्ष में अवश्य थी।

मतलब यह है कि बहुपतिन्व और बहुपत्नीत्व की प्रथा सामयिक है। धर्म का उसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं। धर्म नो अणुवती का अविवाहित के साथ संभोग करने की मनाई करता है। विवाहित पुरुष या स्त्री, एक हो या अनेक, धर्म की वृष्टि में अणुवतनाशक नहीं है। हाँ, धर्म तो मनुष्य को पूर्णबूक्षचर्य की तरफ झुकाता है इसलिये बहुपत्नीत्व और बहुपतिन्व के स्थान में एक पतिन्व, और एक पत्नीत्व को अच्छा भग्नभान है और जिसका प्रचार अधिक सम्भव हो उसी पर अधिक जार देता है। इनना ही नहीं, एक पत्नीत्व के बाद भी वह संभोग की गंकथाम करता है। जैसे पर्व के दिन में विषय संवन मन करो ! अतुर्मनान दिवस के सिवाय अन्य दिवसों में मन करो ! आदि ।

मुनियों के लिये जैसा ब्रह्मचर्य है आर्थिकाओं के लिये भी वैसा है। ब्रह्मचारियों के लिये जैसा है, ब्रह्मचारिणियों के लिये भी वैसा है। बाकी पुरुषों के लिये जैसा है, बाकी स्त्रियों के लिये भी वैसा है। सामयिक परिस्थिति के अनुसार पुरुषों और स्त्रियों ने जिस प्रकार पालन किया आचार्यों ने उसी प्रकार उसका उल्लेख किया। आचार्य नो बहुपत्नीत्व और बहुपतिन्व दोनों नहीं चाहते थे। वे नो पूर्णब्रह्मचर्य के पोषक थे। अगर वह न हो सके तो एकपतिन्व और एकपत्नीत्व चाहते थे। जबरदस्ती से हो या और किसी नरह से हो, स्त्रियों में बहुपतिन्व की प्रथा जब नहीं थी तब वे उसका उल्लेख करके पीछे बिस्कने का मार्ग क्यों बतलाने ? पिछले

ज़माने में जब विधवाविवाह की प्रथा न रही या कम हो गई तब इस प्रथा का उल्लेख भी न किया गया। यदि इसी तरह बहुपत्नीत्व की प्रथा नष्ट हो जाती तो आचार्य इस प्रथा का भी उल्लेख न करते। माध्यम जितना ऊँचा होजाय उतना ही अच्छा है। अगर परिस्थितियों ने स्त्रियों का वृक्षचर्यविषयक माध्यम पुरुषों से ऊँचा कर दिया था तो इससे स्त्रियों के अधिकार नहीं क्षिति जाते। कम से कम धर्म तो उनके अधिकारों में बाधा नहीं ढालता। पुरुष समाज का माध्यम तो स्त्री समाज से नीचा है। इसलिये पुरुषों को तो स्त्रियों से कुछ कहने का अधिकार ही नहीं है। अब यहाँ एक प्रश्न यह खड़ा होता है कि विधवाविवाह का प्रचार करके स्त्रियों का वर्तमान माध्यम क्यों गिराया जाता है? इसके कारण निम्नलिखित है।

( १ ) यह माध्यम स्त्रियों के ऊपर ज़बरदस्ती लादा गया है, और सादें बाले पुरुष हैं जो कि इस दृष्टि से बहुत गिर हुए हैं। इसलिये यह न्याय का परिचायक नहीं किन्तु दासता का परिचायक है। इसलिये जब तक पुरुष समाज इस माध्यम पर चलने को तैयार नहीं है तब तक स्त्रियों से ज़बरदस्ती इस माध्यम का पलवाना अन्याय है, और अन्याय का नाश करना धर्म है।

( २ ) माध्यम वही रखना चाहिये जिसका पालन सहूलियत के साथ हो सके। प्रतिदिन होने वाली भ्रूणहत्याएँ और प्रति समय होने वाले गुप्त व्यभिचार आदि से पता लगता है कि स्त्रियाँ इस माध्यम में नहीं रह सकतीं।

( ३ ) आधिक कष्ट, घोर अपमान, तथा अन्य अनेक आपत्तियों से वैधव्य जीवन में धर्मध्यान के बदले आर्तध्यान की ही प्रचुरता है।

( ४ ) स्त्री और पुरुष के माध्यम में इतनी विशमता है

कि पुरुषसमाज का और स्त्रीसमाज का अधिष्ठान हो रहा है। इस समय दोनों का माध्यम समान होना चाहिये। इसके लिये पुरुषों को बहुपत्नीत्व की प्रथा का त्याग करने की और स्त्रियों का विवाहविवाह की ज़फरत है।

( ५ ) जनसंख्या की वृद्धि से समाज का माध्यम हानिकारी है। भारतवर्ष में स्त्रियों की संख्या कम है, पुरुषों में बहुविवाह होता है, फिर फ़ीसदी १७ स्त्रियाँ असमय में विवाह हो जाती हैं, इसलिये अनेक पुरुषों को, बिना स्त्री के रहना पड़ता है। उनमें से अधिकांश कुमारगामी हो जाते हैं। अगर विवाहविवाह का प्रचार हो तो यह कभी पूरी हो सकती है तथा अनेक कुटुम्बों का सर्वनाश हाने से भी बचाव हो सकता है।

( ६ ) बहुपत्नीत्व और बहुपत्नीत्व की प्रथा, सीमित होने पर इन्हीं विस्तृत हैं कि उसमें विषय वास्तवाओं का ताराढ़व हो सकता है। सामूहिक रूपमें इसका पालन ही नहीं हो सकता। इसलिये ये दोनों प्रथाएँ त्याज्य हैं। किन्तु अपतित्व और अपत्नीत्व की प्रथा इन्हीं संकुचित हैं कि मनुष्य उसमें पैर भी नहीं पसार सकता। और सामूहिक रूपमें इसका पालन भी नहीं हो सकता। इसलिये कुमार और कुमारियों का विवाह कर दिया जाता है। अपतित्व की प्रथा से जिस प्रकार कुमारियों की हानि हो सकती है वही हानि विवाहाओं की हो रही है। इसलिये उनके लिये भी कुमारियों के समान एकपतित्व प्रथा की आवश्यकता है।

जब कि बहुपत्नीत्व और बहुपतित्व नक ब्रह्मचर्याणुष्टुत की सीमा है तब एक पतित्वरूप विवाहविवाह की प्रथा, न तो अणुष्टुतकी विरोधिनी हो सकती है और न आचार्यों की आचार्योंकी आज्ञाके प्रतिकूल हो सकती है। यहाँ पाठक विवाह-

विवाह को बहुपतित्व की प्रथा न समझें । एक साथ अनेक पतियों का रखना बहुपतित्व है । एक की मृत्यु हो जाने पर दूसरा पति रखना एक पतित्व ही है क्योंकि इसमें एक साथ बहुपति नहीं होते ।

पाठक इस लम्बे विवेचन से ऊब तो गये होंगे, परन्तु इसमें “विधवाविवाह को आज्ञा कौन दे ? ”, “पुराणों में बहु-विवाह का उल्लेख पाया जाता है” आदि आक्षेपों का पूरा समाधान हो जाता है । शास्त्रोंके कथन की अनेकान्तता मालूम हो जाती है । साथ ही ब्रह्मनर्याणुवृत्त का रहस्य मालूम हो जाता है । आक्षेपके पक्षपात के इलजाम को पशुता और दमनीय अविचारता लिखा है । स्वैर, जैनधर्म तो इतना उदार है कि उसपर विना इलजाम लगाये विधवाविवाह का समर्थन हो जाता है । परन्तु जो लोग जैनशास्त्रों को विधवाविवाह का विशेषी समझते हैं या जैनशास्त्रों के नाम पर बने हुए, जैन-धर्म के विरुद्ध कुछ ग्रन्थों को जैनशास्त्र समझते हैं उनसे हम दो दो बातें कर लेना चाहते हैं । ये दो बातें हम अपनी तरफ स नहीं, किन्तु उनके बकील की हँसियत से कहते हैं जिनको आक्षेपके पशु बतलाया है ।

आक्षेपक का कहना है कि “न्याय और लिद्धान्तकी रचनाएँ गुरुपरम्परा से हैं”, परन्तु उनमें स्वकलिपन विचारों का सम्मिश्रण नहीं हुआ, यह नहीं कहा जा सकता । माणिक्यनंदि आदि आचार्योंने प्रमाण को अपूर्वार्थग्राही माना है और धारावाहिक ज्ञानको अप्रमाण । परन्तु आचार्य विद्यानन्दीने गृहीत-मगृहीत वा स्वार्थ यदि व्यवस्थित, तत्र लोके न शास्त्रेषु विजहाति प्रमाणताम्-कहकर धारावाहिक को अप्रमाण नहीं माना है । ऐसा ही अकलज्ञदेवने लिखा है ( देवो श्लोकवार्तिक, लघीयस्त्रय, या न्यायप्रदीप ) धर्मशास्त्रमें तो और भी ज्यादा

अन्येर है । गविषेण कहते हैं कि सीता जनक की पुत्री थी । रामको बनवास मिला था । वे अयोध्या में रहते थे । गुणभद्र कहते हैं सीता रावण की पुत्री थी । राम को बनवास नहीं मिला था । वे बनारस में रहते थे । दोनों कथानकों के मूल सूदम अंशोंमें पूर्व पञ्चिम का सा फूरक़ है । क्या यह गुरुपरम्परा का फल है ? कोई लेखक कहता है कि मैं भगवान् महावीर का ही उपदेश कहता हूँ तो क्या इसीसे गुरुपरम्परा सिद्ध होगई ? यदि गुरुपरम्परा सुरक्षित रही तो कथानकों में इतना भेद क्यों ? श्रावकों के मूलगुण कई तरह के क्यों ? क्या इस से यह नहीं मालूम होता है कि अनेक लेखकोंने द्रव्य क्षेत्र कालादि की दृष्टिसे अनेक तरह का कथन किया है । अनेकों ने जैनधर्म विठ्ठल अनेक लोकाचारों को जिनवाणी के नाम से लिखा मारा है; जैसे सोमसेन आदि भट्टाचारकोंने योनिपूजा आदि की घृणित बातें लिखी हैं । इसोलिये तो मालूमार्गप्रकाश में लिखा है कि “कोऊ सत्यार्थ पदनिके समूहरूप जैन शास्त्रनि विषये असत्यार्थपद मिलावै परन्तु जिन शास्त्र के पदनिविषये ता क्षाय मिटावने का वा लौकिक कार्य घटावने का प्रयोजन है । और उस पापो ने जो असत्यार्थ पद मिलाये हैं तिनि विषये क्षाय पोषने का वा लौकिक कार्य साधने का प्रयोजन है । ऐसे प्रयोजन मिलता नाहीं, ताते परीक्षा करि ज्ञानी डिगावने भी नाहीं, कोई मर्ख होय सोही जैन शास्त्र नाम करि डिगावें हैं ।” कहिये ! अगर गुरु परम्परा में ऐसा कचरा या विष न मिल गया होता तो क्यों लिखा जाता कि मूर्ख ही जैन शास्त्र के नाम से उगाये जाते हैं । तात्पर्य यह है कि गुरु परम्परा के नाम पर बैठे रहना मुखता है । जैनी को तो कोई शास्त्र तभी प्रमाण मानना चाहिये जब वह जैन सिद्धान्त से मिलान जाता है । अगर वह मिलान न जावे तो श्रु-

केवली के नाम से ही क्यों न लिखा गया हो, उसे कचरे में डाल देना चाहिये । धृतौं की धूर्ता का छिपाना घोर मिथ्यात्व का प्रत्यार करना है । जैन सिद्धान्तों के विशद्ध जाने पर भी ऐसे शास्त्रों का मानना घोर मिथ्यात्मी बनजाना है । गुरु परम्परा है कहाँ ? श्वेताम्बर कहने हैं कि हमारे सूत्र मगवान्, महावीर क. कहे हुए हैं । दिगम्बर कहने हैं कि कुन्द-कुन्द से लेकर भट्टारकों और अन्य अनेक पौंगापनिथियों तक के बनाये हुए अन्य वीरमगवान की बाणी हैं । अब कहिये ! किसकी गुरु परम्परा ठीक है ? यों तो सभी अपने बाप के गीत गाते हैं परन्तु इन्हें से ही सत्यासत्य का निर्णय नहीं हो जाता । यहाँ तो गुरुपरम्परा के नाम पर मक्खी हाँकने बेठा न रहना पड़ेगा । समस्त साहित्य की साक्षी लेकर अपनी बुद्धि से जैनधर्म के मूल सिद्धान्त खोजने पड़ेगे और उन्हा सिद्धान्तों का क्षमोदी बनाकर स्वर्ण और पीतल की परीक्षा करना पड़ेगी, और धृतौं तथा पक्षपातियों का भण्डाफोड़ करना पड़ेगा । यह कहना कि “प्राचीन लेखकों में पक्षपाती धृत नहीं हुए” चिलकुल धोखेबाजी या अज्ञानता है । माना कि बहुत से लेखकों ने आपेक्षिक कथन किया है जैसा कि इसी प्रकारण में ऊपर कहा जा चुका है परन्तु योंडे बहुत निरे पक्ष-पाती, उम्मतवादी और कुलजाति मद के प्रत्यारक घोर मिथ्यात्मी भी हुए हैं । अगर किसी लेखक ने यह लिखा हो कि “पुरुष तो एक साथ हजारों मित्रों रखने पर भी अणु-व्रती है परन्तु और, एक पनि के मर जाने पर भी दूसरा पनि रखे तो घोर व्यगिन्नारिणी है उसको पुनर्विवाह का अधिकार ही नहीं है” तो क्या पक्षपात न कहलायगा ? पक्षपात के क्या सीधे होते हैं ? यह पुरुषत्व की उन्मत्तना का तोड़व नहीं तो क्या है ? पुरुषों ने शद्र पुरुषों को भी कुचला है: इससे तो

सिर्फ़ यही सिद्ध होता है कि उनमें पुरुषत्व की उन्मत्तता के साथ द्विजत्व की उन्मत्तता भी थी। “उनने पुरुषों को भी कुचला, इसलिये स्त्रियों को नहीं कुचला” यह नहीं कहा जासकता। मुसलमान आपस में भी लड़ते हैं, क्या इसलिये उनका हिन्दुओं से न लड़ना सिद्ध हो जाता है? कहा जाता है कि “उनने दुराचारी द्विजों की भी तो निन्दा की है, इसलिये वे सिर्फ़ दुराचार के ही निन्दक हैं”। यदि ऐसा है तो दुराचारी शुद्धों की और दुराचारिणी स्त्रियों को ही निन्दा करना चाहिये। स्त्रीमात्र को और शुद्ध मात्र को नीचा क्यों दिखाया जाता है? अमेरिका में अपराधी लोग दगड़ पाते हैं और बहुत से हवशी नाममात्र के अपराध पर इसलिये जला दिये जाते हैं कि वे हवशी हैं, तो क्या यह उचित है? अपराधियों को दगड़ देने से क्या निरपराधियों को सताना जायज़ हो जाता है? प्राचीन लेखकों ने अगर दुराचारियों को कुचला है तो सिर्फ़ इसीलिये उनका शुद्धों को और स्त्रियों को कुचलना जायज़ नहीं कहला सकता।

यह पक्षपात पिशाच, उस समय बिलकुल नगा हो जाता है जब दुराचारी द्विज के अधिकार, सदाचारी शुद्ध और सदाचारिणी महिला सँझादा समझे जाते हैं। दुराचारी द्विज अगर जाने वालकोंको मार मारकर खाजाय तो भी उसके मुनि बनने का और मोक्ष जाने का अधिकार नहीं लिनता (देखें पद्मपुराण सोदास की कथा)। परन्तु शुद्ध कितना भी सदाचारी क्यों न हो, उसका आत्मविकास कितना ही क्यों न हो गया हो वह मुनि भी नहीं बन सकता। भूठा, चोटा, व्यभिचारी और लुचा द्विज अगर भगवान् की पूजा करे तो कोई हानि नहीं। परन्तु शुद्ध आरम्भत्यागी या उद्दिष्ट त्यागी ही क्यों न हो, वह जिन पूजा करने का अधिकारी

नहीं । क्या सदाचार या चारित्र की यही प्रश्ना है ? क्या इसी का नाम नि-पक्षता है ? स्त्री हो या शुद्ध हो, प्रत्येक जीव को ऊँचा से ऊँचा धर्म पालने का अधिकार है । जो उनके अधिकारों को छीनते हैं वे निर्फल पक्षपानी ही नहीं डाकते हैं । मनुष्य ज्ञानि के दुश्मन हैं । वे चाहे पूर्व पुरुषों के वंश में हों, चाहे आचार्य के वंश में हों, चाहे और किसी रंग में रगे हों, उनका नाम निर्फल उनके नाम पर शूकर के लिये ही लेना चाहिये ।

पाठक देखें कि पक्षपान का दोष लगाना सत्य है या नहीं ! हमें यह बकालन इमलिये करनी पड़ी है कि आज बुझ और विवेक से काम लेने वालों का अध्रम पशु कहा जाता है । कोन अध्रम पशु है, इसका निर्णय पाठक ही करेंगे ।

### नवमा प्रथा ।

“विवाह के बिना, कामलालसा के कारण जो सङ्केश परिणाम होते हैं, उन में विवाह होने से कुछ न्यूनता आती है या नहीं ?” इस प्रश्न के उत्तर में हमने कहा था कि सङ्केश परिणामों को कम करने के लिये विवाह किया जाता है और इस में बड़ी भारी सफलता मिलती है । हमने सागारधर्मो-मृत और पुरुषार्थसिद्धयुपाय के शास्त्रों से अपने पक्ष का समर्थन किया था । आक्षेप कई जगह तो हमारे भाव का समझ नहीं पायें और बाकी जगह उन से उत्तर नहीं बन पड़ा ।

आक्षेप ( क )—जब ब्रह्मचर्याश्रम पूर्ण कर युवा १६ वर्ष का होता है तब पितादि उस का विवाह करते हैं । ऐसी अवस्था में न किसी के विवाह के बिना सङ्केश परिणाम होते हैं न कुछ होता है । ( धीलाल )

समाधान—कामलालसा रूप सङ्केशके बिना किसी का

विवाह करना राजवार्त्तिक के लक्षण के अनुसार विवाह ही नहीं कहला सकता । जैसे उवर न होने पर उवर की औषधि देना हानिकारक है, उसी प्रकार काम वासना के बिना उसका विवाह कर देना हानिकारक है । उस में तो नवीन कामउवर पैदा हो जायगा । ख़ेर, अगर १६ वर्ष के युवा में कामवासना नहीं है तो क्या २०—३० वर्ष के उस विधुर में भी नहीं है, जो विवाह के लिये अपनी सारी शक्ति लगा रहा है ? विवाह के होजाने पर वह थोड़ी बहुत निश्चिन्ता का अनुभव करता है या नहीं ? वही निश्चिन्ता तो संक्षेप परिणामोंकी न्यूनता है । जिस प्रकार विधुरविवाहसे मंक्षेप परिणामों में न्यूनता होती है उस प्रकार विधवाविवाहसे भी मंक्षेप परिणामों में न्यूनता होती है, इसलिये विधवाविवाह भी विधेय है ।

**आक्षेप ( घ )**—जिन पुरुषोंके सर्वथा विवाह होने की आशा नहीं है, उन का काम नष्ट जैसा हो जाता है । उन की इच्छा भी नहीं होती । जैसे किसी ने आलू खाना छोड़ दिया तो उसका मन आलूओं पर नहीं चलता । रात्रिये जलत्यागियों को प्यास नहीं लगती । पुनः पुनः काम न सेवन करने से काम नष्ट हो जाता है । जिस विधवा का पुरुषसङ्ग की आशा नहीं होती, उसका मन विकृत नहीं होता ।

**समाधान**—आक्षेप क्या है, पागल के प्रलाप है । नपु-सक को विवाह और कामभोगकी आशा तो नहीं होती परन्तु उसकी कामवेदना को शास्त्रकारोंने सब से अधिक तोष बतलाया है । यदि साधन न मिलने से बूझचर्य होने लगता तो विधुर और विधवाओं में व्यभिचार क्या होता ? आलू छोड़ देना एक बात है और आलू न मिलना दूसरी बात है । बूझ-चर्य एक बात है और दुर्भाग्यवश विधवा या विधुर हो जाना दूसरी बात है । रात्रि में जलत्यागियों को प्यास नहीं लगती,

इसका कारण यह है कि वे संघर्ष को ही लोटे दो लोटे पानी गटक जाया करते हैं । मैर ! विभवा होने से जिनकी काम-वासना नष्ट हो जावे उनमें विवाह का अनुरोध नहीं किया जाता परन्तु जो कामवासना पर विभव प्राप्त नहीं कर सकती है उन्हें अवश्य ही विवाह कर लेना चाहिये ।

**आचेप ( ग )—**काम शान्ति को विवाह का मुख्य उद्देश्य बताना मर्खना है । शुद्ध सन्तानोत्पत्ति व गृहस्थ धर्म का दानादिकार्य यही मुख्य उद्देश्य है ।……अतएव काम गौण है, मुख्य धर्म ही है । ( श्रीलाल )

**ममाधान—**आचेपक यहाँ इतना पागल होगया है कि उसे काम में और कामवासना की निवृत्ति में कुछ अन्तर ही नहीं मालूम होता । हमने कामवासना की निवृत्ति को मुख्यफल कहा है न कि काम को । और कामवासना की निवृत्तिको धर्मरूप कहा है । धर्म अगर मुख्य फल हे तो कामवासना की निवृत्ति ही मुख्य फल कहलायी । इसमें विरोध क्या है ? पुत्रात्पत्ति आदि को मुख्यफल कहने के पहिले आचेपक अगर हमारे इन शब्दों पर ध्यान देता तो उसे इस तरह निर्गत प्रलाप न करना पड़ता—

“मान लीजिये कि किसी मनुष्य में मुनियत-धारण करने को पूरी योग्यता है । ऐसी हालत में अगर वह किसी आचार्य के पास जावे तो वे उसे मुनि बनने की सलाह देंगे या श्रावक बन कर पुत्रात्पत्ति की सलाह देंगे ?”

यह कह कर हमने अमृतचन्द्र आचार्य के तीन श्लोक उद्धृत करके बतलाया था कि ऐसी अवस्था में आचार्य मुनियूत का ही उपदेश देंगे । मुनियत धारण करने से बचे पैदा नहीं हो सकते, परन्तु कामलालसा की पूर्ण निवृत्ति होती है । इससे मालूम होता है कि जैनधर्म बचे पैदा करने पर ज्ञात नहीं

देता, किन्तु कामलालसा की निवृत्ति पर ज़ोर देता है। पूर्ण निवृत्ति में असमर्थ होने पर आंशिक निवृत्ति के लिये विवाह है। उससे सन्तान आदि को भी पूर्णि हो जातो है। परन्तु मरुय उद्देश्य तो कामवासना की निवृत्ति ही रहा। अमृतचंद्र के पद्मोंने यह विषय विलकुल स्पष्ट कर दिया है। फिर भी आक्षेपक को पद्मों की उपयोगिता समझ में नहीं आती। ठीक है, समझने की अक्ल भी तो चाहिये।

**आक्षेप ( ८ )**—विवाहको गृहस्थाश्रमका मूल कहकर धर्म, अर्थ, काम रूप तो नियन कर दिया, परन्तु इससे आप हाथ घट्टड लाली। जब काम गृहस्थाश्रम रूप है तब उस की शान्ति क्या ? काम-शान्ति स तो गृहस्थाश्रम उड़ता है। काम निवृत्तिको धर्म और प्रवृत्ति को काम कहना कैसा ? एक विषय में यह कल्पना क्या ? और अर्थ इस का साधक क्या ? फल तो विवाह के तीन हैं, उलटा अर्थ साधक क्यों पड़ा ? साध्य को साधक बतादिया ? ( श्रीलाल )

**समाधान**—यहाँ तो आक्षेपक विलकुल हक्काबक्का हो गया है। इसलिये हमारे न कहने पर भी उसने काम को गृह-स्थाश्रमरूप समझ लिया है। काम की पूर्णरूप से शान्ति हो जाय तो गृहस्थाश्रम उड़ जायगा और मुनिआश्रम आजायगा। अगर काम की निवृत्ति ज़रा भी न हो तो भी गृहस्थाश्रम उड़ जायगा, क्योंकि ऐसी हालत में वहाँ ध्यमिचारादि दोषों का दौरदौरा हो जायगा। अगर काम की आंशिक निवृत्ति हो अर्थात् परदार-विषयक काम की निवृत्तिरूप स्वदार-सन्तोष हो तो गृहस्थाश्रम बना रहता है। आक्षेपक ऐसा जड़बुझि<sup>४</sup>

---

“ आक्षेपकने ऐसे ही कटुक और एक बचनात्मक शब्दों का जहाँ तहाँ प्रयोग किया है; इसलिये हमें भी “ शठम् प्रति

है कि वह अभी तक यह नहीं समझ पाया है कि कामवासना की आंशिक निवृत्तिका मतलब स्वदारसन्तोष या स्वप्रतिसन्तोष है। जो लोग स्वदारसन्तोष को विवाह का मुख्य फल नहीं मानते वे जैनधर्म से यिलकुल अनभिज्ञ निरे बुद्ध हैं। वेचाग श्रीलाल, काम निवृत्ति अर्थात् परदार निवृत्ति या परपुरुष-निवृत्तिको धर्म, और स्वदारप्रवृत्तिको काम कहनेमें चकिन होता है। वाहरे श्रीलाल के पाणिडत्य ! गृहस्थाश्रम, धर्म अर्थ काम तीनों का साधक है, परन्तु उन तीनोंमें मी परम्पर साध्य साधकता हो सकती है। जैसे—धर्म, अर्थ काम का साधक है; अर्थ, कामका साधक है आदि। खैर, हमारा कहना इतना ही है कि कुमारी विवाह के जो जो फल हैं वे सब विधवा विवाहसे भी मिलते हैं; इसलिये विधवाविवाह भी विधेय है।

**आक्षेप ( डॉ )**—जो पुरुष विषयों को न छोड़ सके वह गृहस्थधर्म धारण करे। यहाँ विषय शब्द से केवल काम की ही सूझी ! ( श्रीलाल )

**समाधान**—विषय तो पाँचों इनिद्रियों के होते हैं, परन्तु उन सब में यह प्रधान है। क्योंकि इसका जीतना सबसे अधिक कठिन है। जिसने काम को जीत लिया उसे अन्य विषयों को जीतने में कठिनाई नहीं पड़ती। इसलिये काम की मर्यादा करने वाला एक स्वतन्त्र अणुवत कहा गया है। अन्य भागोपभाग सामग्रियों के बत को तो गुणवत या शक्तावत में ढाल दिया है। उसका मातिचार पालन करते हुए भी दूती रह सकता है, परन्तु बृहस्पत्यर्थाणुवत में अनिचार लगने से वृत्त प्रतिमा नष्ट हो जाती है। क्या इससे सब विषयों में काम विषय की प्रधानता नहीं मालूम होती ? अन्यकारों ने इस शास्त्रमाचरेत् ” इस नीति के अनुसार ऐसा ही प्रयोग करना पड़ा है।

—सब्द्यसाची ।

प्रधानता का स्पष्ट उल्लेख किया है 'विषयान्-इष्टकामिन्या-दीन्'—सागारधर्मामृत टीका । क्या इससे काम की प्रधानता नहीं मालूम होती ? विवाह के प्रकरण में तो यह प्रधानता और भी अधिक माननीय है, क्योंकि काम विषय को सीमित करने ( आंशिक निवृत्ति ) के लिये ही विवाह की आवश्यकता है । इसलिये विवाह के विषयों को सीमित करने के लिये विवाह की ज़रूरत नहीं है । विवाह के बिना अन्य इन्द्रियाँ उच्छ्वस्त नहीं होतीं, सिर्फ़ यही इन्द्रिय उच्छ्वस्त होती है । इसलिये सागारधर्मामृत टीका में परविवाहकरण नाम के अतिचार की व्याख्या में पुत्र पुत्री के विवाह को आवश्यकता बतलाते हुए कहा है कि 'यदि स्वरूपाविवाहो न कार्यते तदा स्वच्छन्दचारिणो स्यान् ततश्च कुलसमयलोकविरोधः स्यात् विहितविवाहात् पतिनियतश्चीत्येन न तथा स्यात् । पष न्यायः पुत्रेऽपि विकल्पनीयः' अर्थात् 'अगर अपनी पुत्री का विवाह न किया जायगा तो वह स्वच्छन्दचारिणो हो जायगी, परन्तु विवाह कर देने से वह एक पति में नियत हो जायगी । इसलिये स्वच्छन्दचारिणी न होगी । यही बात पुत्र के लिये भी समझ लेना चाहिये अर्थात् विवाह से वह स्वच्छन्दचारी न होगा । यहाँ पुत्र पुत्री के लिये जो बात कही गई है वह विधवा पुत्रीके लिये भी लागू है । आक्षेपक में अगर थोड़ी भी अकल होगी तो वह इन प्रमाणों से समझ सकेगा कि विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या है, और वह विधवाविवाह से भी पूर्ण रूपमें सिद्ध होता है । सागारधर्मामृत के इस उल्लेख से आक्षेप नम्बर 'क' का भी समाधान होता है ।

**आक्षेप ( च )**—समाज की अपेक्षा से सन्तानोन्पत्ति को मुख्य बतलाना भूल है । समाज में १—२ लड़के न हुए न

सही, परन्तु विवाह वाले के न हुए तो उसका तो घर ही चौपट है ।

**समाधान**—त्याग के गीत गाने वालों की यहाँ पोल खुल गई । उनके ढाँगों का भराडाफोड होगया । श्रेरे भाई ! घर, गृहिणी को कहां है गृहं हि गृहिणीमाहः—सागारधर्मसून । लड़का न होने से न गृहिणी मरेगी, न गृही मरेगा, न दोनों के ब्रह्मचर्याणुवन में वाया आयगी, न महावन धारण करने का अधिकार छिन जायगा । मनुष्य जीवन के जो वास्तविक उद्देश्य है उनका पक्ष भी साधन नष्ट न होगा । क्या इसी का नाम चौपट हो जाना है ? यनावटी धर्म के बेश में रंगे हुए ढाँगियों ! क्या यही तुम्हारा जीवन सर्वस्व है ? हाँ, सन्तान के न होने से समाज की हानि है, क्योंकि समाज मात्र नहीं जाती न मुनि बनती है । अगर वह मुनि बन जाय तो नष्ट हो जाय । एक एक दो दो मिलकर ही तो समाज है । सन्तान के अभाव में समाज नष्ट हो सकती है, परन्तु सन्तान के अभाव में व्यक्ति तो मात्र तक जासकता है । अब भमभो कि सन्तान किसके लिये मुख्य फल कहलाया ? क्या इतने ध्येय प्रमाणों के रहते हुए भी तुम्हारा मुख्य गोल का प्रश्न बना हुआ है ?

**आक्षेप ( ३ )**—कुमारी और विधवा को स्त्री समान समझकर समान कर्तव्य बनलाना भूल है । माना बहिन वधू सभी स्त्री है, परन्तु बहिन माना अभोज्य है, वधू भोज्य है ।

( श्रीलाल )

**समाधान**—भोज्य-भोजक सम्बन्ध की नीच और बर्बर कल्पना का हम समाधानकर चुके हैं । जो हमारी बहिन है वह हमारे बहिनेउ की बहिन नहीं है । जो हमारी माता है वह हमारे पिता की माता नहीं है । हमारी वधू दूसरे की वधू नहीं है । इसलिये यह भोज्याभोज्यता आपेक्षिक है । सर्वथा

अभोज्यना किसी में नहीं है। बहिन माता आदि ये नातेदारी के शब्द हैं, इनलिये नातेदारी को अपेक्षा से इनकी भोज्याभोज्यता की कल्पना की है। कुमारी और विधवा ये अवस्था-विशेष के शब्द हैं, इनलिये इनकी भोज्याभोज्यना अवस्था के ऊपर निर्भर है। जबकि कुमारी या विधवा हैं तब तक अभोज्य है जब उस कुमारी या विधवा का विवाह हो जायगा तब वह भोज्य हो जायगी। भोज्य तो वधु है, फिर भले ही वह कुमारी रही हो या विधवा। मातृत्व और भग्नीत्व सम्बन्ध जन्म से प्ररण तक स्थायी है। कोमार्य और वैधव्य तेसे सम्बन्ध नहीं है। उनको बदलकर वधु का सम्बन्ध स्थापित किया जाता है। स्त्री होने से ही कोई भोज्य नहीं हो जाती, वधु होने से भोज्य होती है। मातृत्व, भग्नीत्व अमिट है, कोमार्य और वैधव्य अमिट नहीं हैं। इनलिये माता और भग्नी के साथ विवाह नहीं किया जासकता किन्तु कुमारी या विधवा के साथ किया जा सकता है। आक्षेपक के आक्षेप भी अगर हम विधुर-विवाह के निषेध के लिये लगावें तो आक्षेपक क्या उत्तर देगा ? देखिये—आक्षेप—“कुमार और विधुर का पुरुष समान समझकर समान कर्त्तव्य बनलाना भूल है। पिता, भाई, पति सभी पुरुष हैं, परन्तु भाई और पिता अभोज्य हैं, पति भोज्य है”। आक्षेपक के पास इसका क्या उत्तर है ? वही उत्तर उसे विधवाओं के लिये लगा लेना चाहिये।

आक्षेप (अ)—विधवाविवाह के पक्षगाती भी अपने घर की विधवाओं के नाम पर मुँह सकोड़ लेने हैं।

समाधान—यह कोई आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक विधवा का विवाह ज़रूर करना चाहिये। अगर कोई विधवा विवाह नहीं करना चाहती तो सुधारक का यह कर्तव्य नहीं है कि वह ज़बदस्ती विवाह करदे। ज़बदस्ती विवाह करने का

रिवाज तो नादिरशाह के अवतार स्थितिपालकों के घर में होता है ।

अगर वास्तव में किसी सुधारक में अपने घर में आवश्यक होने पर भी विश्वाविवाह को कार्यरूप में परिणाम करने की शक्ति नहीं है तो उसकी यह कमज़ोरी है । वह नैष्ठिक सुधारक नहीं है, सिर्फ पात्रिक सुधारक है । जिस प्रकार पात्रिक धावकों के होने से नैष्ठिक धावकों का अभाव नहीं कहा जा सकता और न वे निदर्शनीय हो सकते हैं, उसी तरह पात्रिक सुधारकों के होने से नैष्ठिक सुधारकों का अभाव नहीं कहा जासकता और न उनकी निर्दा की जासकती है ।

**आचेप (झ)**—विश्वाविवाह यूरूपियनों एवं मोहम्मदनों (मुसलमानों) में भी अनिवार्य नहीं है, क्योंकि यह नीच प्रथा है । ( श्रीलाल )

**समाधान**—योगेष में तो कुमारी और कुमारों का विवाह भी अनिवार्य नहीं है । प्रांत में तो इस कौमार्य का रिवाज इतना बढ़ गया है कि वहाँ जनसंख्या घट रही है । दूसरे देशों में भी कौमार्य का काफ़ी रिवाज है । इसलिये विवाह भी एक नीच प्रथा कहलाई । आचेपक को अभी कुछ मालम ही नहीं है । विश्वाविवाह अनिवार्य न होने के कई कारण हैं । एक कारण यह है कि विश्वा और विधुर होते होते किसी का आधा जीवन निकल जाता है वे किसी का तीन चतुर्थांश या इससे भी ज़्यादा जीवन निकल जाता है, ऐसे लोगों को इसकी आवश्यकता का कम अनुभव होता है । इसलिये वे लोग विवाह नहीं करते । नीचता के इस से वहाँ विश्वाविवाह नहीं रुकते । अगर किसी जगह विधुरविवाह नीच प्रथा नहीं कहलाता और विश्वाविवाह नीच प्रथा कहलाता है तो इससे सिर्फ़ इतना ही सिद्ध

होता है कि वहाँ के लोग नीच मिथ्यात्वी, धोर अत्याचारी, महान् पक्षपाती और अत्यन्त मदांध हैं । इन दुरुणों का अनुकरण करके जैनियों को ऐसे मदांध पापी क्यों बनना चाहिये ?

**आक्षेप ( अ )—**लॉर्ड घरानों में कर्तव्यविवाह नहीं होता । विवाहविवाह से उच्च नीच का भेद न रहेगा ।

**समाधान—**लॉर्ड घराने का मतलब श्रीमन्त घराने से है । लॉर्ड कोई जाति नहीं है । साधारण आदमी भी श्रीमन्त और महर्डिक बनकर लॉर्ड बन सकते हैं । इन सब में विधवा विवाह होता है । हाँ, साधारण विधवाओं की अपेक्षा लॉर्ड घराने की विधवाएँ कुछ कम संख्या में विवाह करानी हैं । यह उच्चता नीचता का प्रश्न नहीं, किन्तु साम्पत्तिक प्रश्न है । लॉर्ड घराने की अपार सम्पत्ति छोड़कर विवाह कराना उन्हें उचित नहीं ज़िंचता । जिन्हें ज़िंचना हे वे विवाह करा ही लेनी हैं । दक्षिण के डेढ़ लाख जैनियों में, आर्यसमाजियों में, ब्रह्मसमाजियों में, विधवाविवाह होता हे परन्तु वे भंगी चमार नहीं कहलाते ।

**आक्षेप ( ट )—**सूरजभान का जीवदया की पुकार मचा-कर विधवाविवाह को कर्तव्य बनलाना अनुचित है । जीवदया धर्म है, न कि शरीर दया । मन्दिर बनवाना धर्म है और प्याऊ लगवाने से अधर्म है । अगर कोई द्यमिचार्मणी काम-मिला माँगे तो वह नहीं दी जासकती । जो दया धर्मसृजि का कारण है, वही वास्तविक दया है । ( श्रीलाल )

**समाधान—**बेचारा आक्षेपक दान के भेदों को भी न समझा । उसे जानना चाहिये कि आत्मगुणों की उच्चति का लद्य में लेकर जो दान दिया जाता है वह पात्रदान है, न कि दयादान । दयादान तो शरीर को लद्य में लेकर ही दिया

जाता है, फिर भले ही उससे धर्म किया जाय या न किया जाय। आक्षेपक प्याऊ लगवाने को अधर्म कहता है, परन्तु सागारधर्मसूत्र में प्याऊ और सत्र को स्वापित करने का उपदेश दिया गया है—

“सत्रमयनुकम्प्यानां सृजेदनुजिष्ठत्या ।

सत्रमत्रप्रदानस्थाने, अपिशब्दात्प्रपां च” ॥

**अर्थात्**—दीन प्राणियों के उपकार की इच्छा से सत्र (भोजनशाला जहाँ गृहीतों को मुप्त में भोजन कराया जाता है) और प्याऊ खालें। दान, गृहस्थों का मुख्य कर्तव्य है। जब आक्षेपक दान के विषय का साधारण ज्ञान भी नहीं रखता तो गृहस्थधर्म कैसे निभाता होगा? जो गृहस्थ प्यासों को पानी पिलाने में भी अर्थर्म समझता है वह निर्दय तथा कुर जीव जैनी कैसे कहता सकता है?

व्यभिचारिणि को कामभिज्ञा नहीं दी जासकती, परन्तु आक्षेपक के मतानुसार व्यभिचारियों को कामभिज्ञा दी जा सकती है, क्योंकि अगर द्वितीय विवाह करने वाली ऋषि व्यभिचारिणी है, तो द्वितीय विवाह करने वाला पुरुष भी व्यभिचारी है। क्या पुरुष का दूसरा विवाह धर्मवृद्धि का कारण है? यदि हाँ, तो ऋषि का दूसरा विवाह भी धर्मवृद्धि का कारण है, जिसकी सिद्धि पहिले विस्तार से की जा चुकी है।

जो चार चार हित्रियों को निगलजाने वाले को तो धर्मात्मा समझता हो, किन्तु पुनर्विवाह करने वाली हित्रियों को व्यभिचारिणी कहता हो, उसकी धृष्टापूर्ण नीचता का कुछ ठिकाना भी है!

आक्षेपक स्वीकार करता है और हम भी कह चुके हैं कि विवाहका लक्ष्य कामशास्त्र, स्वदारसन्तोष, स्व-पतिसन्तोष अर्थात् ब्रह्मचर्याणुवत हैं। विवाह कामभिज्ञा नहीं है। क्या

आक्षेपक आपनी बहिन बेटियों के विवाह को कामभिक्षा समझता है ? यदि नहीं, तो विधवाओं के विवाह को कामभिक्षा नहीं कह सकते । विधवाओं का विवाह धर्मचुदि का कारण है, यह बात हम पहिले मिल्द कर चुके हैं ।

**आक्षेप ( ड )—**विवाह से कामलालसा घटनी है, इस का एक भी प्रमाण नहीं दिया । विवाह होने पर भी कामलालसा नष्ट नहीं हुई, उल्टी बढ़ी है, जैसे रावणादिक की ।

( विद्यानन्द )

**ममाधान—**आबालगोपाल प्रसिद्ध बातको शास्त्र प्रमाणों की ज़रूरत नहीं हाती । फिर भी प्रमाण चाहिये नो आशाघर जी के इन गज्बों पर ध्यान दीजिये कि अगर पुत्र पुत्री का विवाह न किया जायगा तो वे स्वच्छन्दचारी हों जायेंगे (देखो आक्षेप 'ड') । विवाह से अगर कुलसमयलोकविरोधी यह स्वच्छन्दचार घटता है तो यह क्या कामलालसा का घटना न कहलाया ? विवाह होने पर भी अगर किसी की कामलालसा नष्ट नहीं होती तो इसके लिये हम कह चुके हैं कि उपाय १०० में दस जगह अमफल भी होता है । तीर्थद्वारों के उपदेश रहने पर भी अगर अभव्य का उद्धार न हो, सूर्य के रहने पर भी अगर उल्लू को न दिखें तो इसमें तीर्थद्वार की या सूर्य की उपयागिता नष्ट नहीं होती है । इसी तरह विवाह के होने पर अगर किसी का दुराचार न रुके तो इससे उसकी उपयोगिता का अमाव नहीं कहा जा सकता । आक्षेपक ने यहाँ व्यभिचार दोष दिखलाकर न्यायनभिक्षा का परिचय दिया है । इस दृष्टि से तो तीर्थद्वार और सूर्य की उपयोगिता भी व्यभिचरित कहलाई । आक्षेपक को जानना चाहिये कि कारण के सम्माव में कार्य के अमाव होने पर व्यभिचार नहीं होता, किन्तु कार्य के सम्माव में कारण के अमाव होने पर व्यभि-

चार होता है। अग्रि कारण है: परन्तु उसके होने पर भी अगर धुआँ न निकले तो अग्रि और धुआँ का कार्य कारणभाव व्यभिचारित नहीं कहलाता। हमने इसी बातके समर्थन में कहा था कि “चिकित्सा करने पर भी लोग मरते हैं, शास्त्री होने पर भी लोग धर्म नहीं समझते”। इस पर आप कहते हैं कि “वह चिकित्सा नहीं, चिकित्साभास है; वह शास्त्री, शास्त्री नहीं है”। बहुत ठीक, हम भी कहते हैं कि जिस विवाह के बाद कामलालसा शान्त नहीं हुई, किन्तु बढ़ी है, वह विवाह नहीं, विवाहाभास है। वास्तविक विवाह तो कामलालसा को अवश्य शांत करेगा। इसलिये विधवाविवाह से भी कामलालसा की शांति होती है।

**आक्षेप ( ड )**—यह काई नियम नहीं कि विवाहके बिना प्रत्येक व्यक्ति को देखकर पापवासना जागृत हो जाय। वासुपूज्य अकलङ्क आदि के विवाह नहीं हुए। क्या सभी अस्थमी थे?

**समाप्तान**—कामलालसा की आंशिक शांति के लिए विवाह एक श्रौतधि है। वासुपूज्य आदि ब्रह्मचारी थे। उनमें कामलालसा थी ही नहीं, इसलिये उन्हें विवाह की भी ज़रूरत नहीं थी। “अमुक आदमी स्फूर्त बीमार है। अगर उसकी चिकित्सा न होगी तो मरजायगा”—इस के उत्तर में अगर यह कहा जाय कि—बैठके पास तो सौ दोसौ आदमी जाते हैं, बाकी क्यों नहीं मरजाते? तो क्या यह उत्तर ठीक होगा? अरे भाई! बीमार को श्रौतधि चाहिये, नीरोगको श्रौतधि नहीं चाहिये। इसी तरह कामलालसा वाले मनुष्य को उस की आंशिक शांति के लिए विवाह की आवश्यकता है, न कि ब्रह्मचारी को। इससे एक बात यह भी सिद्ध होती है कि विवाह का मुख्य उद्देश्य लड़के बच्चे नहीं हैं। बालब्रह्मचारियों के

सन्तान नहीं होती, फिर भी वे विवाह नहीं कराते। क्योंकि उन्होंने विवाह का मूल्य उद्देश्य विवाह के बिना ही पूर्ण कर लिया है। मूल्य उद्देश्य की पूर्ति होने पर गौण उद्देश्य की पूर्ति के लिये कार्य नहीं किया जाता।

**आक्षेप (३)**—कामलालसा के शान्त न होने के कारण विधवाविवाहके विरोधी, विधवाविवाहका विरोध नहीं करते, किन्तु उनसे विरोध कराने का कारण है भगवान महावीर का आगम। आप उत्तर दें। आपके प्रमाण हमें जँचे तो हम आप के आन्दोलन में आपका हाथ बढ़ावँगे।

**समाधान**—नष्टमाँ प्रश्न भगवान के आगम के विचार का नहीं था। उसका विचार तो पहिले प्रश्नों में अच्छी तरह होगया। इसमें तो यह पूछागया है कि विवाहसे कामलालसा के परिणामों में न्यूनता आती है या नहीं? यदि आती है तो विधवाविवाह आवश्यक और उचित है। यदि नहीं आती तो विधवाविवाह अनावश्यक है। इसीलिये हमने युक्ति और शास्त्र प्रमाणों से सिद्ध किया है कि विवाह से संक्षेपता कमती होती है। युक्ति और तर्क के बलपर हमारे आन्दोलन में वही शामिल होगा जो सत्यप्रिय होगा, आत्मोद्धार का इच्छुक होगा, देशसमाज का रक्षक होगा। सत्यसाची, टक्के के गुलामों की पर्वाह नहीं करता। जिस प्रकार प्राचीन सत्यसाची ने कृष्ण का बल पाकर अपने गारडीब धनुष से निकले हुए वाणों से कौरव दल का अवसान किया था उसी प्रकार आधुनिक सत्यसाची भगवान महावीर का बल पाकर अपने छान गारडीब से निकले हुए तर्करूपो वाणों से स्थितिपालक दल का अवसान करेगा।

**आक्षेप (४)**—सत्यसाची महोदय की हृषि में व्यभिचार को रोकने का उपाय विवाहमार्ग को उड़ाना है। आपको

कुछ होश भी है कि आप ऊपर क्या कुछ लिख आये हैं ? पहिले उसे जलाकर खाक कर डालो नव दूसरी बात कहना ।

**ममाधान**—हमने कहा था कि “यदि विवाह होने पर भी किन्हीं लोगों की कामवासना शान्त नहीं होती तो इससे विधवाविवाह का नियेत्र कैसे हो सकता है । फिर तो विवाह मात्र का नियेत्र होना चाहिये ।” पाठक देखें कि हमारा यह बत्तेव्य क्या विवाह मार्ग को उड़ाने का है ? हम तो विधवा-विवाह और कुमारी विवाह दोनों के समर्थक हैं । परन्तु जो लोग जिस कारण से विधवाविवाह अनावश्यक समझते हैं, उन्हें उसी कारण से कुमारीविवाह भी अनावश्यक मानना पड़ेगा । असली बात तो यह है कि अगर किसी जगह विवाह (कुमारीविवाह या विधवाविवाह) का फल न मिले तो क्या विवाहप्रया उड़ा देना चाहिये ? हमारा कहना है कि नहीं उड़ाना चाहिये । जब कि आक्षेपक का कहना है कि उड़ा देना चाहिये, क्योंकि आक्षेपक ने विधवाविवाह की प्रथा उड़ा देने के लिये उसकी निष्फलता का ज़िकर किया है । ऐसी निष्फलता कुमारीविवाह में भी हो सकती है, इसलिये आक्षेपक के कथनानुसार वह प्रथा भी उड़ा देने लायक ठहरी ।

**आक्षेप (त)**—आदिपुराण, मागारधर्मसूत, पं० मेघावी, पं० उद्यलालजी, श्रीतलप्रसादजी, दयाचन्द गोयलीय आदि ने पुत्रात्पत्ति के लिये ही, विवाह कामभोग का विधान किया है, कामवासना की पूर्ति को कामुकता बतलाया है ।

**समाधान**—कामलालसा की पूर्ति कामुकता भले ही हो परन्तु कामलालसा की निचूनि कामुकता नहीं है । स्वखोरमण को कामुकता भले ही कहा जाय, परन्तु परखोत्याग कामुकता नहीं है । यह कामलालसा की निवृत्ति है । हमने शारूप्रमाणों से सिद्ध कर दिया है कि पूर्ण ब्रह्मवर्य पालन करने की अस-

मर्थना में ही गृहस्थ धर्म अक्षीकार करना चाहिये । अमृतचंद्र जी और आशाधरजी के श्लोक हम लिख चुके हैं । फिर भी आक्षेपक का पूछना है कि प्रमाण बताओ ! लैंग, और भी प्रमाण लीजिये ।

सागारधर्मसूत्र के द्वितीय अध्याय का प्रथम श्लोक—“त्याज्यानजस्य” आदि पहिले ही लिखा जा चुका है । ‘यदि कन्या विवाहो न कार्यते’ आदि उद्धरण आक्षेप (ङ) में देखो ।

‘विषयसुखोपभोगेनैव चारित्रमोहोदयोद्रेकस्य शक्ष-  
प्रतीकारत्वात् तद्द्वारेणैव तस्मादवर्त्यात्मानमिव साधमिकमपि  
विषयेभ्यो व्युपरमयेत् । विषयेषु सुखभ्रान्तिकर्माभिमुक्षपारु-  
जाम् । द्वित्वातदुपरोगेन त्वाजयेत्तान्मव्यत्परान् ।’

अर्थात्—चारित्रमोह का जब तीव्र उद्य होता है तो विषयसुख के उपभोग से ही उसका प्रतीकार (निवृत्ति) हो सकता है, इसलिये उसका उपभोग करके निवृत्ति होवे और दूसरे को निवृत्स करे ।

सुखभ्रान्ति हटाने का यह वक्तव्य विवाह की आवश्यक-  
ता के लिये कहा गया है । लौंग, और भी ऐसे प्रमाण दिये  
जासकते हैं । निवृत्तिमार्गप्रधान जैनधर्ममें निवृत्तिपरक प्रमाणों  
की कमी नहीं है । यहाँ पर मुख्य बात है समन्वय की, अर्थात्  
जब विवाह का उद्देश्य कामलालसा की निवृत्ति अर्थात् आंशिक  
ब्रह्मचर्य है तब पुत्रात्पत्ति का उल्लेख प्राचीन लेखकों ने क्यों  
किया ? नासमझ लोगों से तो क्या कहा जाय, परन्तु  
समझदार समझते हैं कि पुत्रात्पत्तिका उल्लेख भी कामलालसा  
की निवृत्ति के लिये है । जैनधर्म प्रथम तो कहता है कि पूर्ण  
ब्रह्मचर्य पालो । अगर इनना न हो सके तो विवाह करके  
आंशिक निवृत्ति (परदारानिवृत्ति) करो । परन्तु लद्य तो पूर्ण  
निवृत्ति है इसलिये धीरे धीरे उसके निवृत्ति-शब्द बढ़ाये जाते

हैं और उसमें कहा जाता है कि तुम्हें सन्तान के लिये ही सम्मोग करना चाहिये । जब उसको यह बात समझ में आ-जाती है तब वह ऋतुसन्तान के दिन ही काम सेवन करता है । इस तरह प्रति मास २९ दिन उसके ब्रह्मचर्यसं शीतने लगते हैं । आचार्यों ने परदारनिवृत्ति के बाद स्वस्त्रो सम्मोग-निवृत्ति का भी यथासाध्य विश्रान बतलाया है । इसलिये कहा है “सन्ता-नार्थमृतांवेष” । अर्थात् सन्तान के लिये ऋतुकालमें ही सेवन करे । इसमें पाठक समझ गये होंगे कि सन्तान की बात भी कामलालसा की निवृत्ति के बढ़ाने के लिये है ।

आचार्यों ने जहाँ सन्तान के उत्पादन, लालन, पालन आदि की बाँतें लिखी हैं उसका प्रयोजन यही है कि “जब तुम आंशिक प्रवृत्ति और आंशिक निवृत्ति के मार्ग में आये हो तो परोपकार आदि गौण उद्दंशों का भी ख़्याल रखो, क्योंकि ये कामलालसा की निवृत्ति रूप मुख्य उद्देश को बढ़ाने वाले हैं, साथ ही परोपकार रूप भी हैं ।” यदि अन्नप्राप्ति का मुख्य उद्देश्य मिथ्य हो गया है तो भी भूमा को प्राप्ति का गौण उद्देश्य भी छोड़ने योग्य नहीं है ।

**आक्षेप ( थ )—** कामलालसा की निवृत्ति तो वेश्यासेवन, परस्त्रीसेवन से भी हो सकती है, फिर विवाह की आवश्यकता ही क्या ?

**ममाधान—** कामलालसा के जिस अंशकी निवृत्ति करना है, वह वेश्यासेवन और परस्त्रीसेवन ही है । इसी कामलालसा से बचने के लिये तो विवाह होता है । इससे विवाह का लद्य आंशिक ब्रह्मचर्य या म्बदारसन्तोष कैसे सिद्ध हो सकता है ?

इससे पाठक समझेंगे कि हमारे कथनानुसार विवाह मञ्जे के लिये नहीं है, परन्तु नीब्र चारित्र मोह के उद्दय को शांत करने के लिये पेयोषधि के समान कुछ भोग भोगने पड़ते हैं जैसा

( १३३ )

कि अमृतचन्द्र आचार्य और आशाधरजी ने कहा है, जो कि हम लिख चुके हैं।

स्त्रीपुरुष के अधिकार भेद के विषय में कहा जा चुका है। विधवाविवाह को ज़हर आदि कहना युक्ति से जीतने पर गालियाँ पर आज़ादी हैं।

आक्षेप (द) — यदि विवाह से ही कामलालसा की निवृत्ति मानसी जाय तो ब्रह्मचर्य आदि वर्तों की क्या आवश्यकता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का भी नो काम की निवृत्ति के लिये उपदेश है?

समाधान — अभी तक आप कामलालसा की निवृत्ति को बुरा समझते थे। इसके समर्थकों को आपने पागल, मोही, नित्यनिंगादिया ( निंगादिया ), अज्ञानी, रट्टू नामे आदि लिख मारा था। यहाँ आपने इसे ब्रह्मचर्य का साध्य बना दिया है।

वैर, कुछ तो ढिसने पर आए। अब इतना और समझ लोजिये कि विवाह, ब्रह्मचर्य अणुवत का मुख्य साधक है। इसलिये विवाह और ब्रह्मचर्यवत के लद्य में कोई विरोध नहीं है। ब्रह्मचर्यवत अन्तरङ्गसाधक है, विवाह वाह्यसाधक, इस लिये कोई निरर्थक नहीं है। एक साध्य के अनेक साधक हाते हैं।

आक्षेप ( ध ) — जिनकी कामलालसा प्रबल है, वे बिना उपदेश क ही स्वयमेव इस पथ को पकड़ लेनी हैं। फिर आप क्यों अपना अहित करते हैं?

समाधान — जिनकी कामलालसा प्रबल है, वे अभी स्वयमेव विधवाविवाह के मार्ग को नहीं पकड़ती, वे ध्यमिचार के मार्ग को पकड़ती है। उसकी निवृत्ति के लिये विधवाविवाह के आनंदोलन की ज़रूरत है। विवाह न किया जावे तो कुमारियाँ भी अपना मार्ग दूँढ़ लेंगी, लेकिन वह ध्यमिचार का मार्ग होगा। इसलिये लोग उनका विवाह कर देने हैं। फल यह

होता है कि व्यभिचार मार्ग बहुत कुछ रुक जाता है। ठीक यही बात विधवाओं के लिये है।

### दसवाँ प्रश्न

‘क्या विधवा हो जाने से ही आजन्म ब्रह्मचर्य पालन की शक्ति आजाती है?’ इसके उत्तर में हमने कहा था कि ‘नहीं’। दूसरे आक्षेपक ( विद्यानन्द ) ने भी हमारी यह बात स्वीकार करली है परन्तु पहिले आक्षेपक कहते हैं कि यह भ्रष्टता है। इसका मतलब यह निकला कि संमार में जिननी विधवाएँ हुई हैं वे सब व्यभिचारिणी हैं। आक्षेपक की इस मूर्खता के लिये क्या कहा जाय? प्रत्येक विधवा ब्रह्मचर्य नहीं पाल सकती है—इसका तो यही अर्थ है कि कोई कोई पाल सकती हैं, जिनके परिणाम विरक्तिरूप हों। इसलिये हमने लिखा था कि यह बात परिणामों के ऊपर निर्भर है। परन्तु श्रीलाल, न तो परिणामों की बात समझा, न उस वाक्य का मतलब। श्रीलाल यह भी कहता है—‘सरागता से मुनि में भ्रष्टता नहीं आती, न पर पुरुष से गमणरूप भाव से विधवा भ्रष्ट होती है।’ हम अपने शब्दों में इसका उत्तर न देकर आक्षेपक के परम सहयोगी पं० मक्खनलाल के वाक्यों में लिखते हैं :—

“सरागता से विधवाएँ श्रीलभ्रष्ट ज्ञान कहलायेंगी। मुनि भी सरागता से भ्रष्ट माना जाता है।” अब ये दोनों दोस्त आपस में निष्ठट होते हैं।

दोनों ही आक्षेपकों ने एक ही बात पर विशेष ज़ोर दिया है। “विधवाविवाह अर्धमूल है; उसको कोई तीसरा मार्ग नहीं है; विधवा का विवाह नहीं हो सकता, उसे विवाह नहीं, कराव या घरेजा कहते हैं। आप के पास क्या यक्ति प्रमाण है? आप अपनी इच्छा से ही विधवाविवाह का उपदेश क्यों

करते हो ? ” आदि । इन सब बातों का उत्तर पहिले अच्छी तरह दिया जा चुका है । अब बारबार उत्तर देने की ज़रूरत नहीं है ।

हाँ, अब दो आक्षेप रह जाते हैं जिनका उत्तर देना है । इनमें अन्य आक्षेपों का भी समाचेश हो जाता है ।

**आक्षेप\_ ( क )—प्रत्येक मनुष्य में तो शराब के त्यागने की शक्ति का प्रगट हाना भी अनिवार्य नहीं है तब क्या शराब पी लेना चाहिये ?**

**समाधान—विधवाविवाह की जैसी और जिननी उपयोगिता है वैसी यदि शराब की भी हो तो पी लेना चाहिये ।**

( १ ) विधवाविवाह परस्तीसेवन या परपुरुषसेवन से बचाता है । इसलिये अणुवन का साधक है । क्या शराब अणुवन का साधक है ?

( २ ) विधवाविवाह से भ्रूणहस्त्या रुकती है । क्या शराब से भ्रूण या कोई हत्या रुकती है ?

( ३ ) जैनशास्त्रों में जैसे विधवाविवाह का निषेध नहीं पाया जाता, क्या वैसा शराब का निषेध नहीं पाया जाता ?

( ४ ) पुरुषसमाज अपना पुनर्विवाह करती है और स्त्रियों को नहीं करने देना चाहती । क्या इसी तरह पुरुष समाज शराब पीती है और क्या स्त्रियों को नहीं पीने देना चाहती ?

( ५ ) जिस विधवा के सन्तान न हो और उसे सन्तान की आवश्यकता हो तो उसे विधवाविवाह अनिवार्य है । क्या इसी तरह शराब भी किसी पंसे कार्य के लिये अनिवार्य है ?

( ६ ) किसी को वैधव्य जीवन में आर्थिक कष्ट है, इसलिये विधवाविवाह करना चाहतो है, क्या शराब भी आर्थिक कष्ट को दूर कर सकती है ?

( ७ ) विधवाविवाह से जो सामाजिक और धार्मिक लाभ हमने सिद्ध किये हैं, क्या शराब से भी वे या वैसे लाभ आप मिद्द कर सकते हैं ?

( ८ ) विधवाएँ जिस तरह हीन दृष्टि से देखी जाती हैं, क्या उसी तरह शराब न पीने वाले देखे जाते हैं ?

यदि मध्यपात्र में लाभ हो तो जिसमें उसके त्याग करने की शक्ति नहीं है उसको उसका विधान किया जासकता है, अन्यथा नहीं ।

पूर्ण ब्रह्मचर्य की शक्ति प्रगट न होना विधवाविवाह का एक कारण है । यथ तक अन्य कारण न मिलें तब तक विधवाविवाह का विधान नहीं किया जाता है । उसके अन्य कारण मौजूद नहीं हैं इसलिये उसका विधान किया गया है ।

आक्षेप ( ख )—काचार्यों की बहुतसी जातियाँ हैं—( १ ) मुनिधर्मविरुद्ध श्रावकानुरूप ( २ ) गृहस्थविरुद्ध मुनिअनुरूप ( ३ ) उभयविरुद्ध ( ४ ) उभयअनुरूप । विवाह प्रथम भेद में है ।

समाधान—विधवाविवाह भी विवाह है इसलिये वह मुनिधर्म के विरुद्ध होने पर भी श्रावकानुरूप है । आप विधुर-विवाह को विवाह मानते और विधवाविवाह को विवाह नहीं मानते—यह बिलकुल पक्षपात और मिथ्यात्व है । हम पहिले विधवाविवाह को विवाह सिद्ध कर सकते हैं ।

बलाद्वैधव्य की शिक्षा जैनधर्म की शिक्षा नहीं हो सकती । आचार्यों ने विधवाविवाह का कहीं नियेध नहीं किया । हाँ, धृतता और मूर्खता पुराने ज्ञानों में भी थी । सम्भव है आजकल के परिवर्तों के समान कोई अक्षांशी और धूर्त हुआ हो और उसने जैनधर्म के विरुद्ध, जैनधर्म के नाम पर ही कुछ अंट संट लिख मारा हो । परन्तु ऐसी

कुपुस्तकों को पुराने ज़माने का जैनगजट ही समझना चाहिये । वास्तव में कोई जैन ग्रन्थ विधवाविवाह का विशेषी नहीं हो सकता और न कोई प्रसिद्ध जैनग्रन्थ है ही । नाना तरह की दीक्षाएँ जो शास्त्रों में पाई जाती हैं वे विशेष वृत्तियों के लिये ही हैं—साधारण अणुवृत्तियों के लिये नहीं ।

बुद्धों को मुनि बनते न देखकर हम में चलमलिन आदि दोष कैसे पैदा होंगे ? इसमें तो यही सिद्ध होता है कि जब बृद्ध लोग ब्रह्मचर्य से नहीं रह पाते और उनका ब्रह्मचर्य से न रहना इनना निश्चित है कि भद्रवाहु ने पहिले से ही कह दिया है, तब विधवाएँ ब्रह्मचर्य से कैसे रहेंगी ?

भद्रवाहु श्रुतकेवली ने बुद्धों के मुनि न होने की विशेष बात तो कही, परन्तु विधवाओं के विवाह की विशेष बात न कही, इससे मालूम होता है कि विधवाविवाह प्राचीनकाल से चला आता है । यह कोई ऐसी विशेष और अनुचित बात न थी जिसका कि चन्द्रगुप्त को दुस्वप्न होता और भद्रवाहु श्रुतकेवली उसका फल कहते । जो चाहे, जैसे चाहे, विचार करले, उसे स्वीकार करना पड़ेगा कि गृहस्थों के लिये जैनधर्म में विधवाविवाह विरोध की परमाणु बराबर भी गुञ्जायश नहीं है ।

इस प्रश्न में यह पूछा गया है कि धर्मविरुद्ध कार्य किसी हालत में ( उससे बढ़कर धर्मविरुद्ध कार्य अनिवार्य होने पर ) कर्तव्य हो सकता है या नहीं ? इसके उत्तर में हमने कहा था कि हो सकता है । यह बात अनेक उदाहरणों से भी समझाई थी । विधवाविवाह व्यभिचार है आदि बातों का उत्तर हम दे चुके हैं ।

**आक्षेप ( क )**—जो कार्य धर्मविरुद्ध है, वह त्रिकाल में भी ( कदापि ) धर्मानुकूल नहीं हो सकता । पाँच पाँपों को धर्मानुकूल सिद्ध कीजिये । ( श्रीलाल, विद्यानन्द )

**ममाधान**—यदि इस विषय में शास्त्रार्थ की दृष्टि से लिखा जाय तब तो जैने को नैमा ही उत्तर दिया जासकता है। जैनशास्त्रों में तो किसी अपेक्षा में गधे के साग का भी अस्तित्व सिद्ध किया गया है। परन्तु हमें पाठकों की जिज्ञासा का भी ख्याल है इसलिये तदनुकूल ही उत्तर दिया जाना है।

पाँच पायों में हिसा मुख्य है। परन्तु द्रव्य क्षेत्र काल गाव की अपेक्षा स वह धर्मनुकूल धर्थनि कर्तव्य हो जाती है। जैन—युद्ध में हिसा होता है, परन्तु भीता की धर्मरक्षा के लिये रामचन्द्र ने अगणित प्राणियों की हिसा कराई। अणु-वृती युद्ध में जाते हैं, पेना शास्त्रों में स्पष्ट कथन है। शूकरन मृतिको रक्षा करने के लिये सिंह को मार डाला आर्युद भी मरा, पुण्यवृत्त किया और मर्ग गया। मन्दिर बनवाने में तथा अन्य बहुत से परापकार के सारम मरणों में हिसा होती है परन्तु वह पुण्यवृत्त का कारण कही गई है। जिन अमृतचन्द्र आचार्य की दुहाई आक्षेपक ने दी है, वे ही कहते हैं—

अविधायापि हि हिसां हिसाफलमाजनं भवत्येकः ।

कृत्वाप्यपरा हिसां हिसाफलमाजनं न स्यात् ॥

कन्यापि दिशनि हिसा हिसाफलमेव फलकाले ।

अन्यस्य सैव हिसा दिशन्यहिसाफल विफलम् ॥

हिसाफलमपरस्य तु ददान्यहिसा तु परिणामे ।

इतरस्य पुनर्हिसा दिशन्यहिसाफलं नान्यत् ॥

एक आदमी हिसा न करके भी हिसामार्गी होता है, दूसरा हिसा करके भी हिसामार्गी नहीं होता। किसी की हिसा, हिसाफल देती है, किसी की हिसा, अहिसाफल देती है। किसी की अहिसा, हिसा फल देती है किसी की अहिसा अहिसाफल देती है।

क्या इससे यह चान नहीं सिद्ध होती कि कही हिसा भी

कर्तव्य हो जाती है और कही अहिंसा भी अकर्तव्य हो जाती है ? अङ्गलेदंत पाप हे परन्तु वालकों के कर्णेद आदि में पाप नहीं माना जाता । किसी सती के पीछे कुछ मदमाश पड़े हों तो उसके सतीत्व की रक्षा के लिये भूठ बोलना या उसे लिपा लेना ( चांगी ) भी अनुचित नहीं है । परविवाहकरण अगुवान का दूषण हे परन्तु अपनी सन्तान का विवाह करना या व्यभिचार की तरफ भूते वालों को विवाह का उपदेश देना दूषण नहीं है । परिव्रह पाप हे परन्तु धर्मोपकरणों का रखना पाप नहीं है । इस तरह पाँचों ही पाप अपेक्षा भेद से कर्तव्याकर्तव्य रूप है । आजेपक एक तरफ तो यह कहते हैं कि धर्मविरुद्ध कार्य त्रिकाल में भी धर्मानुकूल नहीं हो सकता परन्तु दूसरी तरफ, त्रिकाल की बात जाने दीजिये एक ही काल में, कहते हैं कि पुनर्विवाह विधवा के लिये धर्मविरुद्ध है आर विभुर के लिये धर्मानुकूल है । क्या यहाँ पर एक ही कार्य द्रव्यादि चतुष्टय में से द्रव्यअपेक्षा विविधरूप नहीं कहा गया है । ये ही लोग कहते हैं कि अपद्रव्य में जिनपूजन धर्म है, परन्तु भंगी अगर ऐसा करे तो धर्म डूब जायगा । यदि जिनपूजन किसी भी तरह अधर्म नहीं हो सकता तो भंगी के लिये आधर्म क्यों हो जायगा ? मतलब यह है कि द्रव्यक्षेत्र काल भाव की अपेक्षा लेकर एक कार्य को विविधरूप में ये खुद मानते हैं । इसीलिये सप्तम प्रतिमा के नीचे विवाह ( भले ही वह विधवाविवाह हा ) धर्मानुकूल है । बृहत्तर्चर्य प्रतिमा से लेकर वह धर्म-विरुद्ध है ।

**आक्षेप ( ख )—**विवाह किया स्वयं सदा सर्वदा सर्वथा धार्मिक ही है । हाँ ! पात्र अपात्र के भेद से उसे धर्म-विरुद्ध कह दिया जाता है ।

**समाधान**—जहाँ पात्र ( द्रव्य ) अपात्र की अपेक्षा है वहाँ सर्वथा शब्द का प्रयोग नहीं होता है । सुधारक यही तो कहते हैं कि द्रव्य ( पात्र ) केवल काल भाव की अपेक्षा से किसी कार्य की धर्मानुकूलता या धर्मविरुद्धता का निर्णय करना चाहिये । इसलिये एक पात्र के लिये जा धर्मविरुद्ध है दूसरे के लिये वही धर्मानुकूल हो सकता है । ब्रह्मचर्य प्रतिमा धारण करने वाली विधवा को विवाह धर्मविरुद्ध है, अन्य विधवाओं को धर्मानुकूल है । यही तो पात्रादि की अपेक्षा है ।

**आक्षेप ( ग )**—सव्यसाची ने विवाह को धर्मानुकूल अर्थात् धार्मिक तो मान लिया । सातभर पहिले तो उसे सामाजिक, सामाजिक चिन्हाने थे ।

**समाधान**—ब्रह्मचर्य प्रतिमा से नीचे कुमार कुमारी और विधवा विधुर के लिये विवाह धर्मानुकूल है—यह मैं सदा से कहता हूँ । परन्तु धर्मानुकूल और धार्मिक एक ही बात नहीं है । द्यापार करना, घूमना, भोजन करना, पेशाब करना आदि कार्य धर्मानुकूल ता है परन्तु धार्मिक नहीं हैं । धर्म का अक्ष होना एक बात है और धर्ममार्ग में बाधक न होना दूसरी बात है ।

**आक्षेप ( घ )**—बहुत अनर्थ को रोकने के लिये थोड़ा अनर्थ करने की आदा जैनधर्म नहीं देता ।

**समाधान**—मैं पहिले ही लिख चुका हूँ कि एक अनर्थ को रोकने के लिये दूसरा अनर्थ मत करो परन्तु महान अनर्थ रोकने के लिये अल्प अनर्थ कर सकते हो । ध्यमिचार अनर्थ रोकने के लिये ही तो विवाह अनर्थ किया जाता है । जिन्हें प्रबृत्यात्मक कार्य है वे सब अनर्थ या पाप के अंश हैं । जब वे कार्य ऋधिक अनर्थों को रोकने वाले होते हैं तब वे अनर्थ या पाप शब्द से नहीं कहे जाते । परन्तु हैं तो वे पाप

ही । साधारण पाप की तो बात ही क्या है परन्तु अणुवत् नक पाप कहा जासकता है (अणुवत् अर्थात् थोड़ा बत अर्थात् बाकी पाप) जब अणुवत् की यह बात है तब औरों की तो बात ही क्या है ? प्राणदण्ड सरोजा कार्य भी जैनसम्प्राटों ने अधिक अनथों को रोकने के लिये किया है । निर्विकल्प अवस्था के पहिले जितने कार्य हैं वे सब बहु अनथों को रोकने वाले थोड़े अनर्थ ही हैं । प्रकृत बात यह है कि विधवाविवाह से व्यग्रिचार आदि अनथों का निरोध होता है इसलिये वह ग्राह है ।

**आक्षेप ( ड )**—जो पुण्य है वह सदा पुण्य है । जो पाप है वह सदा पाप है ।

**समाधान**—तब तो पुनर्विवाह, विभुरों के लिये अगर पुण्य है तो विधवाओं के लिये भी पुण्य कहलाया ।

**आक्षेप ( च )**—स्वत्रीसेवन पाप नहीं, पुण्य है । इसीलिये वह स्वदारासंतोष अणुवत् कहलाना है ।

**समाधान**—स्वदारसेवन और स्वदारसंतोष में बड़ा अन्तर है । स्वदारसेवन में अस्वदारनिवृत्ति का भाव है । सेवन में सिर्फ प्रवृत्ति है । स्वदारसंतोष, अणुवती को ही होगा । स्वदारसेवन तो अविरत और मिद्दान्ती भी कर सकता है ।

**आक्षेप ( छ )**—अपेक्षामेद लगाकर तो आप सिद्धों की अयोग्या म्नातकों ( अहंतों ) को भी पापी कहेंगे ।

**समाधान**—बकुल आदि की अपेक्षा पुलाक आदि पापी कहे जासकते हैं क्योंकि पुलाक आदि में कषाये हैं । कोई जीव तभी पापी कहला सकता है जब कि उसके कषाय हों । कषायरहित जीव पापी नहीं कहलाना । अहंत कषायानीत है ।

**आक्षेप ( ज )**—यदि धर्मविरुद्ध कार्य भी ग्राह स्वीकार किये जाय तब त्याज्य कौन से होंगे ?

**समाधान**—धर्मविरुद्ध कार्य, जिस अपेक्षा से धर्मानु-

कुल सिद्ध होंगे उसी अपेक्षा से आहा है। याकी अपेक्षाओं से अग्राहा। प्रन्येक पदार्थ के साथ समझेंगी लगाई जासकती है। अगर नास्तिभंग लगाते समय कोई कहे कि प्रन्येक पदार्थ को यदि नास्तिरूप कहोंगे तो अस्तिरूप किसे कहोंगे? तब इसका उत्तर यही हागा कि अपेक्षान्तर से यही पदार्थ अस्तिरूप भी होगा। इसी प्रकार एक कार्य किमी अपेक्षा से आहा, किसी अपेक्षा से अग्राहा है। जो लोग पूर्णव्रतचर्य का पालन नहीं कर सकते उनको विश्वाविचाह आहा है। पूर्ण व्रतचारियां को अग्राहा।

### बारहवाँ प्रश्न

“छांटे छांटे दुष्यमुँहे वच्चों का विवाह धर्मविरुद्ध है या नहीं”? इस प्रश्न के उत्तर में हमने ऐसे विवाह को धर्मविरुद्ध कहा था, कोंकि उसमें विवाह का लज्जण नहीं जाता। जब वह विवाह ही नहीं तो उमने पैदा हुई सन्तान कर्ण के समान नाजायज्ञ कहलाई। इसलिये ऐसे नाममात्र के विवाह के हो जाने पर भी वास्तविक विवाह की आवश्यकता है।

**आक्षेप (क)**—भद्रवाहुसंहितामें लिखा है कि कन्या १२ की और वर सोलह वर्ष की होना चाहिये। इससे कम और अधिक विकार है। ( श्रीलाल )

**समाधान**—भद्रवाहु श्रृनकेवली थे। दिग्म्बर सम्प्रदाय में उनका वनाया हुआ कोई ग्रन्थ नहीं है। उनके दो हजार वर्ष बाद एक अज्ञानी धूत ने उनके नाम से एक जाली ग्रन्थ बनाया और उसपर भद्रवाहु की छाप लगादी। सौर, पुराणों में शायद ही कोई विवाह १२ वर्ष की उमर में किया हुआ मिलेगा। धर्मशास्त्र तो यह कहता है कि जिन्हीं अधिक उमर तक ब्रह्मचर्य रहे उनना ही अच्छा। दूसरी बात यह है कि ठीक

बारह वर्ष पूरे होने का नियम पल नहीं सकता । ये परिणाम लोग शारदा विल के विरोध में कहा करते हैं कि १४ वर्ष की उमर रक्तबी जायगी तो साइत न मिलने से १७ वर्ष की उमर हो जायगी । परन्तु बारह वर्षके नियमके अनुसार भी तो साइत न मिलने पर १५ वर्षकी उमर हो जायगी । पुरुषों के लिये १६ वर्ष से ज्यादा उमर में विवाह न करने का विधान किया जाय तो विधुर विवाह और वहुविवाह चन्द्र ही हो जायें, जिनके कि ये परिणाम हिमायती हैं ।

**आक्षेप ( ख )**—बालविवाह को धर्मविरुद्ध और नाजायज्ञ करार दने से क्षियाँ छीनी जायेंगी ( श्रीलाल )

**समाधान**—क्षियाँ छीनी न जायेंगी परन्तु उन दोनों को फिर सच्चा विवाह करना पड़ेगा । इसमें कोई नाजायज्ञ विवाह (बालविवाह) के लिये आयोजन न करेगा ।

**आक्षेप ( ग )**—अगर भूल से माता पिता ने बालविवाह कर दिया तो वह टूट तही सकता । भूल से विष दे दिया जाय तो भी मरना पड़ेगा, घन चोरी चला जाय तो वह गया ही कहलायगा ( श्रीलाल )

**समाधान**—विष देने पर चिकित्सा के द्वारा उसे हटाने की चेष्टा की जानी है । चोरी हाने पर चोर को दण्ड देने की ओर माल बरामद करने की कोशिश की जानी है । बालविवाह हो जाने पर फिर विवाह करना मानो चोरी का माल बरामद करना है । आक्षेप के उदाहरण हमारा ही पक्ष समर्थन करते हैं ।

**आक्षेप ( घ )**—गांधर्व विवाह का उदाहरण यहाँ लागू नहीं होता क्योंकि यहाँ ब्राह्मविवाह का प्रकारण है । ( श्रीलाल )

**समाधान**—हमने कहा था कि विवाह में किसी खास विधिकी आवश्यकता नहीं । गांधर्व विवाह में शास्त्रीय विधि

नहीं है फिर भी वह विवाह है । इस दोप का निवारण आक्षेपक न कर सका तो कहता है कि यह ब्राह्मविवाह का प्रकरण है । परन्तु हमारा कहना यह है कि ब्राह्मविवाह के अतिरिक्त चाकी विवाह, आक्षेपक के मतानुसार विवाह हैं कि नहीं ? यदि वे विवाह हैं और उनमें किसी खास विधिकी आवश्यकता नहीं है तो हमारा यह वक्तव्य निश्च हो जाता है कि विवाह में किसी खास विधि की आवश्यकता नहीं है ।

**आक्षेप ( ड.)** छोटी आयुवाली विवाहिता स्त्री से उत्पन्न सन्तान को कर्ण के समान कहना उन्मत्त प्रलाप है ।

( श्रीलाल )

**समाधान**—न्यायशास्त्र की वर्णमाला से शून्य आक्षेपक को यहाँ समानता नहीं दीखती । यह उसकी मूर्खता के ही अनुरूप है । कर्ण के जन्म में यदि कोई दोप था तो यही कि वे अविवाहिता की सन्तान थे । बालविवाह जब विवाह ही नहीं है तब उससे पैदा होने वाली सन्तान अविवाहिता की सन्तान कहलाई इसमें विषमता क्या है ?

**आक्षेप ( च )**—दुधमुँहे का अर्थ विवाह के विषय में नासमझ करने से तो शङ्कराचार्य भी दुधमुँहे कहलाये क्योंकि इसी चर्चामें वे मरडन मिश्र की मत्री से हारे थे । अगर तका लीन समाज उनका विवाह कर देता तो आपकी नज़र में नाज़ा यज्ञ होता । ( विद्यानन्द )

**समाधान**—अगर शङ्कराचार्य विवाह के विषय में कुछ नहीं जानते थे तो उनका विवाह हो ही नहीं सकता था । समाज ज़बर्दस्ती उनका विवाह कराने की चेष्टा करती तो वह विवाह तो नाजायज्ञ होता ही, साथ ही समाज को भी पाप लगता । विवाह के विषय में शङ्कराचार्य को दुधमुँहा कहना अनुचित नहीं है । न्यायशास्त्र में 'बालानाम् बोधाय' की टीका

में बात शब्द का यही अर्थ किया जाता है कि जिसने व्याकरण काव्य कोवादि तो पढ़ लिये परन्तु न्याय न पढ़ा हाँ। इसी तरह विवाह के प्रकारण में भी समझना चाहिये ।

इस विषय में आक्षेपक ने शुरू में भी भूल खाई है । वास्तव में शङ्कराचार्य विवाह के विषय में अनभिज्ञ नहीं थे । वे कामशास्त्र में अनभिज्ञ थे और इसी विषय में वे पराजित हुए थे । विवाह में, कामवासना में और कामशास्त्र में बड़ा अंतर है । यह बात आक्षेपक को समझ लेगा चाहिये ।

**आक्षेप ( छ )**—पहिले गर्भस्थ पुत्रपुत्रियों के भी विवाह होते थे और वे नाजायज्ञ न माने जाते थे । ( विद्यानन्द )

**समाधान**—इस आक्षेप से तीन बातें ध्वनित होती हैं— ( १ ) पुराने ज्ञामाने में आजकलकी मानी हुई विवाहविधि प्रचलित नहीं थी क्योंकि इस विवाहविधि में कन्या के द्वारा सिद्धमंत्र की स्थापना की जाती है, सप्तपदी होती है, तथा वर कन्या को और भी क्रियाएँ करनी पड़ती हैं जो गर्भस्थ वरकन्या नहीं कर सकते । ( २ ) गर्भ में अगर दोनों तरफ पुत्र हों और माता पिता के बचन ही विवाह माने जाँय और वे नाजायज्ञ न हो सकें तो पुत्र पुत्रों में भी विवाह कहलाया । अथवा यही कहना चाहिये कि वह विवाह नहीं था । माता पिता ने सिर्फ़ सम्भव होने पर विवाह होने की बात कही थी । ( ३ ) जब गर्भ में विवाह हो जाना था तब गर्भ में ही लड़की सध्या कहलायी । दुर्योधन और कृष्ण में भी ऐसी बात चीत हुई थी । दुर्योधन के पुत्री उद्धिकुमारी हुई जो गर्भ में ही प्रद्युम्न की पत्नी कहलायी । परन्तु प्रद्युम्न का हरण हो गया था इसलिये भानुकुमार के साथ विवाह का आयोजन हुआ । गर्भस्थ विवाह को आक्षेपक नाजायज्ञ मानते नहीं हैं इसलिये यह उद्धिकुमारी के पुनर्विवाह का आयोजन कह-

लाया । इसलिये अब आक्षेपक को या तो बालविवाह नाजायज्ञ मानना चाहिये या व्यो पुनर्विवाह जायज्ञ ।

बालविवाह को नाजायज्ञ मिथ्य करने में किसी स्वाम प्रमाण के देने की ज़रूरत नहीं है । विवाह का लक्षण न जाने से ही वह नाजायज्ञ हो जाना है ।

**आक्षेप ( ज )**—आश्चर्य है कि कर्ण को आप बालविवाह की सन्तान कह कर नाजायज्ञ कह रहे हैं । वह तो गान्धर्वविवाह की सन्तान होने से नाजायज्ञ माना गया है ।

**ममाधान**—कुछ उत्तर न सूझते पर अपनी नरक से भूटी बात लिखकर उसका खराढ़न करने लगना आक्षेपक की आदत मालूम होती है, या आक्षेपक में हमारे वाक्य को समझने की योग्यता नहीं है । हमने कर्ण को अविवाहिता की सन्तान कहा है और बालविवाह में विवाह का लक्षण नहीं जाना इसलिये उसकी सन्तान भी अविवाहिता की सन्तान कहलायी । कर्ण में और बालविवाह की सन्तान में अविवाहितजन्यता की अपेक्षा समानता हुई । इससे कर्ण को बालविवाह की सन्तान समझ लेना आक्षेपक की अकृल की खूबी है । आक्षेपक को उपमा, उपमेय, उपमान समान धर्म का विलक्षुल ज्ञान नहीं मालूम होता ।

कर्ण अगर गान्धर्वविवाह की सन्तान होते तो उन्हें छिपाकर वहा देने को ज़रूरत न होती, अथवा पाँचों पाँडव भी नाजायज्ञ होते । अगर यह कहा जाय कि कर्ण जन्म के बाद कुन्ती का विवाह किया गया था तो मानना पड़ेगा कि कर्ण जन्म के पहिले कुन्ती का गान्धर्वविवाह नहीं हुआ, अथवा कर्ण जन्म के बाद उसका पुनर्विवाह हुआ और एक बड़ा पैदा करने पर भी वह कन्या कहलाई । अगर कन्या नहीं कहलाई तो विवाह कैसे हुआ ?

**आक्षेप ( झ )—विवाह का चारित्र मोहनीय के उदय के साथ न तो अन्वय है न व्यतिरेक ।**

**समाधान—**यह वाक्य लिखकर आक्षेपक ने अकलङ्घा-चार्य का विरोध तो किया ही है साथ ही न्यायशास्त्र में असाधारण अज्ञानता का परिचय भी दिया है । आक्षेपक अन्वय व्यतिरेक का स्वरूप ही नहीं समझता । कार्य कारण का जहाँ अविनामाव बतलाया जाता है वहाँ कारण के सद्ग्राव में कार्य का सद्ग्राव नहीं बतलाया जाता किन्तु कार्य के सद्ग्राव में कारण का सद्ग्राव बतलाया जाना है । कारण के सद्ग्राव में कार्य का सद्ग्राव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है । चारित्र मोह के उदय ( कारण ) रहने पर विवाह ( कार्य ) हो सकता है और नहीं भी हो सकता । अर्थात् व्यभिचार वगैरह भी हो सकता है । परन्तु विवाह ( कार्य ) के सद्ग्राव में चारित्र मोह का उदय ( कारण ) तो अनिवार्य है । अगर वह न हो तो विवाह नहीं हो सकता । यह व्यतिरेक भी स्पष्ट है ।

चारित्रमोह के उदय का फल संभोग किया का ज्ञान नहीं है । ज्ञान तो ज्ञानावरण के क्षयोपशम का फल है । चारित्र मोहोदय तो कामलालसा पैदा करता है । अगर उसे परिमित करने के निमित्त मिल जाते हैं तो विवाह हो जाता है, अन्यथा व्यभिचार होता है । आक्षेपक ने यहाँ अपनी आदत के अनुसार अपनी तरफ से 'ही' जोड़ दिया है । अर्थात् 'चारित्र मोह का उदय ही' कहकर खगड़न किया है, जबकि हमने 'ही' का प्रयोग ही नहीं किया है । जब चारित्रमोह के उदय के साथ सद्वेद्य की बात भी कही है तब 'ही' शब्द का जबर्दस्ती घुसेड़ना बड़ी भारी धूर्तता है ।

अकलङ्घदेव ने सद्वेद्य और चारित्रमोह लिखा है । आक्षेपक ने उसका अभिप्राय निकाला है 'उपभोगान्तराय' ।

क्या गङ्गाव का अभिप्राय है ! आक्षेपक के ये शब्द बिलकुल उन्मत्त प्रलाप हैं 'विवाह साता-वेदनीय और उपमोगान्तराय के क्षयोपशम से होता है—चारित्रमोह के उदय से नहीं, इसीलिये उन्होंने चारित्रमोहादयान् के पहिले सद्ब्रेत्य पद डाल दिया है ।' चारित्रमोह के पहिले सद्ब्रेत्य पद डाल दिया, इसमें एक के बदले में दो कारण होंगे ये परन्तु चारित्रमोह का निषेध कैसे हो गया और उसका अर्थ उपमोगान्तराय कैसे बन गया ?

**आक्षेप ( अ )**—विवाह का उपादान कारण चारित्रमोह का उदय नहीं है किन्तु वर बधु है ।

**ममाधान**—हमने वहाँ "चारित्रमोह के उदय से होने वाले रागपरिणाम" कहा है । यह परिणाम ही तो विवाह की पूर्व अवस्था है और पूर्व अवस्था को आप स्वयं उपादान कारण मानते हैं । विस्तृत कामचासना का परिचिन कामचासना हो जाना ही विवाह है । आपने उपचार से पोरणामी (वर कल्या) को उपादान कारण कह दिया है, परन्तु परिणाम के बिना परिणामी वर कल्या नहीं हो सकते । बालविवाह में वर कल्या होने ही नहीं, दो वधु होते हैं । जब परिणाम नहीं तब परिणामी कैसे ? यहाँ आक्षेपक अनियह में अप्रतिगा नामक नियह कहकर निरन्योज्यानुयाग नामक नियहस्थान में जागिरा है ।

**आक्षेप ( ट )**—जब आप विवाह के लिये नियत विधि मानते हैं तब उसके बिना विवाह कैसा ? नियत विधि शब्द का कुछ ख़्याल भी है या नहीं ?

**ममाधान**—गांधर्वविवाह को आप विवाह मानते हों । आपको दृष्टि में भले ही वह अधर्म विवाह हो, परन्तु ही तो विवाह ही । इस विवाह में आप भी नियत विधि नहीं मानते फिर भी विवाह कहते हैं । दूसरी बात यह है कि किसी नियत

विविध का उपयोग करना न करना इच्छा के ऊपर निर्भर है । किसी एक नगर से दूसरे नगर को यात्रा करने के लिये रेलगाड़ी चलती है । इस तरह यात्रियों के लिये रेलगाड़ी नियत करदी गई है परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि वहाँ मोटर से, घोड़े से या अपने पैरों से यात्रा नहीं हो सकती । रेलगाड़ी को यात्रा के साधनों में मुख्यता भले ही देवी जाय परन्तु उस अनिवार्य नहीं कह सकते । इसी तरह नियत शास्त्रविधिका भले ही कोई मुख्य समझ परन्तु अनिवार्य नहीं कह सकते । अनिवार्य तो चारित्रमोह आदि ही है । रेलगाड़ी के अमाव में यात्रा के समान विवाह विविध के अभाव में भी विवाह हो सकता है ।

**आक्षेप (ठ)**—प्रद्युम्न को गांधर्वविवाह से पैदा हुआ कहना धृष्टप्रता है । गांधर्वविवाहजात है कर्ण, इस से वे नाजा-यज् हैं ।

**ममाधान**—कर्ण के विषय में हम पहिले लिख चुके हैं और इस प्रश्न के आक्षेप 'द्यु' के समाधानमें भी लिख चुके हैं । कर्ण व्यभिचारजात है गांधर्वविवाहान्तर्भव नहीं । रुक्मणी का अगर गांधर्वविवाह नहीं था तो बतलाना चाहिये कि कौन सा विवाह था । प्रारम्भ के चार विवाहों में आप लोग कन्यादान मानते हैं । रेवतकर्गिरि के ऊपर कन्यादान किसने किया था ? वहाँ तो रुक्मणी, कृष्ण और बलदेव के सिवाय और कोई नहीं था । गांधर्वविवाह में "स्वेच्छया अन्यान्यसम्बन्ध" होता है । रुक्मणी ने भी माता पिता आदि की इच्छा के विश्व अपनी इच्छा से सम्बन्ध किया था । गांधर्वविवाह व्यभिचार नहीं है जिससे प्रद्युम्न व्यभिचारजात कहला सके ।

यहाँ पर आक्षेपक अपने साथी आक्षेपक के साथ भी भिड़ गया है । विद्यानन्द कहते हैं—गांधर्वविवाह, विवाहविधि

शून्य अधर्म विवाह है इस से उत्पन्न संतान मोक्ष नहीं जासकती । जबकि श्रीलाल जी कहते हैं—“गांधर्वविवाह भी शाश्वतीय है अतः उससे उत्पन्न संतान ज्यों न मोक्ष जाय” । जब दो भूँड़े मिलते हैं तब इसी तरह परम्परा विरुद्ध बनते हैं ।

### तेरहवाँ प्रश्न

क्या सुधारक और क्या विगाड़क आजनक सभी बाल-विवाह को गुड़ा गुड़ी का खेल कहते रहे हैं । इसने ऐसे बर वधू को नाटकीय कहा है । ऐसी हालत में उसका वैधवय भी नाटकीय रहेगा । बास्तव में तो वह कुमारी ही रहेगी । इसलिये पत्नीत्व का जबतक अनुभव न हो तब तक वह पत्नी या विधवा नहीं कहला सकती । आक्षेपकों में इतनी अकल कहाँ कि वं पत्नीत्व के अनुभव में और सम्मांग के अनुभव में भेद समझ सकें । पहिला आक्षेपक ( श्रीलाल ) कहता है कि सप्तपदी हो जाने से ही विवाह हो जाता है । परन्तु किसी घातिका से तोते की तरह सप्तपदी रटवा कर कहला देना या उस की तरफ से बोल देना ही तो सप्तपदी नहीं है । सप्तपदी का क्या मतलब है और उससे क्या ज़िस्मेदारी आ रही है इसका अनुभव तो होना चाहिये । यहीं तो पत्नीत्व का अनुभव है । बाल-विवाह में यह बात ( यहीं सप्तपदी ) नहीं हो सकती इसलिये उसके हो जाने पर भी न कोई पति पत्नी बनता है न विधवा विधुर । उपर्युक्त पत्नीत्व के अनुभव के बाद और सम्मांग के पहिले बर मर जाय तो वधू विधवा हो जायगी, और उसका विवाह पुनर्विवाह ही कहा जायगा । परन्तु नासमझ अवस्था में जां विवाह-नाटक होता है उससे कोई पत्नी नहीं बनती ।

आक्षेप ( क )—विवाह को स्थापना निष्ठेपका विषय कहना सच्चमुच्च विद्वत्ता का नक्का नाच है । तब तो व्यभिचार भी विवाह कहलायगा । ( विद्यानन्द )

**ममाध्यान—** जहाँ विवाह का लक्षण नहीं जाता और फिर भी लोग विवाह की कल्पना करते हैं तो कहना ही पड़ेगा कि वह विवाह स्थापना निक्षेप से है, जैसे कि नाटक में स्थापना को जानी है। आख्यात का कहना है कि व्यभिचार में भी स्थापनानिक्षेप से परस्ती में स्थापना करली जायगी। परन्तु यही बात तो हमारा पक्ष है। स्थापना तो व्यभिचार में भी हो सकती है परन्तु व्यभिचारी वर वधु नहीं कहला सकते। इस तरह नासमझ बालक बालिकाओं में भी वर वधु की स्थापना हो सकती है परन्तु वास्तव में वर वधु नहीं कहला सकते।

### चौदहवाँ प्रश्न

इस प्रश्न में यह पूछा गया है कि पत्नी बनने के पहिले क्या कोई विधवा हो सकती है और व्रत ग्रहण करने में ब्रती के भावों की ज़रूरत है या नहीं? इसका मतलब यह है कि आजकल विवाह-नाटक के द्वारा बहुतसी चालिकाएँ पत्नी बना दी जाती हैं परन्तु वास्तव में वे पत्नी नहीं होतीं। उसका (उस नाटकीय पति के मर जाने पर) विधवा न कहना चाहिये। व्रत ग्रहण करने में भावों की ज़रूरत है। बालविवाह में विवाहानुकूल भाव ही नहीं होते। इसलिये उस विवाह से कोई तरह की प्रतिक्षा में नहीं बँधता।

श्रीलाल ने वे ही पुरानी बातें कही हैं, जिसका ध्वनि (पति) मर गया है वह विधवा अवश्य कही जायगी आदि। परन्तु यहाँ तो यह कहा गया है कि वह नाटकीय पति वास्तविक पति ही नहीं है। फिर उसका मरना क्या और जीना क्या? उसका पति क्या और पत्न्यन्तर क्या?

**आक्षेप (क)—** आठ वर्ष की उमर में जब व्रत सिया

जा सकता है तब दूर या हृषीके की उमर में भावपूर्वक विवाह क्यों न माना जाये ? ( श्रीलाल )

**ममाधारन**—इससे मालूम होता है कि आक्षेपक आठ वर्ष से कम उमर के विवाह को अवश्य ही नाजायज्ञ समझता है। स्वैर, अब हम पूछते हैं कि जब आठ वर्ष में बन ग्रहण किया जा सकता है तब आक्षेपक के मनगढ़न शास्त्रकारों ने विवाह के लिये बारह वर्ष की उमर क्यों रखी ? आठ वर्ष की क्यों नहीं रखी ? इससे मालूम होता है कि साधारण बन ग्रहण करने की अपेक्षा वैवाहिक बन ग्रहण करने में विशेष योग्यता की अवश्यकता है। अर्थात् परिपुष्ट शरीर, गार्हस्थ्य जीवन के भार सम्मालन की योग्यता और हृदय में उठनी हुई वह कामवासना जिसके नियमित करने के लिये विवाह आवश्यक है, अवश्य होना चाहिये। अगर किसी अमाधारण व्यक्ति में आठवर्ष की उमर में ही ये बातें पाई जायें तो वह बालविवाह न कहलायगा, और इन बातों के न होने पर किनी भी उमर में वह विवाह हो, वह नाजायज्ञ कहलायगा। भले ही तुम्हारे मनगढ़न शास्त्रकार १२ वर्ष का राग अलापते रहें।

एक बात यह भी है कि शास्त्रों में आठ वर्ष की उमर में बन ग्रहण करने की योग्यता का निर्देश है। परन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि प्रत्येक आठ वर्ष का बालक, मुनि या श्रावक के बृत ग्रहण कर सकता है, या आठ वर्ष से अधिक उमर में बन ग्रहण करने वाला मनुष्य पापी हो जायगा। आठ वर्ष की उमर में केवलज्ञान तक बनलाया है परन्तु क्या इसी लिए हरएक श्राद्धी का इस उमर में केवलज्ञानीत्व मनाया जाने लगे ? कहा जायगा कि आकेली उमर हो जाने से क्या होता है ? अन्य अन्तरङ्ग बहिरङ्ग निमित्त तो मिलना चाहिये। बस ! विवाह के विषय में भी हमारा यही कहना

है कि अकेली उमर हो जाने से क्या होता है, उसके लिये अन्य अन्तरङ्ग विहिरङ्ग निमित्त तो मिलता चाहिये । यदि विवाह के लिये वे निमित्त १४ वर्ष की उमर के पहिले नहीं मिलते तो उसके पहिले होने वाले विवाह ( नाटक ) नाजायज्ञ हैं । इसलिये उन विवाहों के निमित्त से सध्वा विधवा शब्द का प्रयोग न करना चाहिये ।

**आनंदप ( ख )**—अमरकोपकार ने पाणिगृहीती को पत्नी कहा है, इसलिये पाणिगृहीता बालिका चाहे वह १४ वर्ष की क्यों न हो अवश्य ही पतिविवाह होने पर विधवा कहलायगी । ( विद्यानन्द )

**समाधान**—पाणिगृहीती का अगर शब्दार्थ ही लिया जाय तब तो विवाह नाटक के पहिले ही वे सध्वा विधवा कहलाने लगेंगी क्योंकि छोटी २ बालिकाओं के हाथ वाप, माई और पड़ौसियों के द्वारा पकड़े ही जाया करते हैं । अगर पाणिगृहीती का मतलब विवाहिता है तो माता पिता के द्वारा किसी से हाथ पकड़ा देने ही से बालविवाहिता नहीं कही जासकती है । इसीलिये एक वर्ष की बालिका किसी भी हालत में विधवा या सध्वा नहीं कहला सकती । विधवा-विवाह, धार्मिक दृष्टि से द्यमित्तार है—इस बात का उत्तर पहिले अच्छी तरह अनेक बार दिया जा चुका है ।

**आक्षेप ( ग )**—बनप्रहण करने में ब्रतीके भावोंकी ज़रूरत है भी और नहीं भी है । छः वर्ष के बच्चे को पानी छान-कर पीने का बत दिला दिया और तीस वर्ष के आदमीने बन नहीं लिया । इनमें कौन अच्छा है ? क्या उस बच्चे को पुण्य-बन्ध न होगा ?

**समाधान**—आक्षेपक ने 'बनप्रहण करने में भावों की

ज्ञानशत नहीं है' इसके लिये कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं दिया। छुः वर्ष का बच्चा अगर कोई अच्छी किया करता है तो क्या आकृपक के मनानुमार वह बनी है? क्या आचार्यों का यह लिखना कि आठ वर्ष से कम उम्र में ब्रत नहीं हो सकता भूठ है? या आकृपक ही जैनधर्म से अनभिज्ञ है? छोटे बच्चे में भी कुछ भाव ना होते ही हैं जिसमें वह पुण्यबन्ध या पापबन्ध करता है। जब पक्केनिद्रा ढीनिद्रा आदि जीव भाव-रहित नहीं हैं तब यह तो मनुष्य है। परन्तु यहाँ प्रश्न तो यह है कि उसके भाव, ब्रतग्रहण करने के लायक होते हैं या नहीं? अर्थात् उसके बे कार्य ब्रतरूप है या नहीं? हो सकता है कि वह तीस वर्ष के आदमी से भी अच्छा हो, परन्तु इससे वह बनो नहीं कहला सकता। कल्याणमन्दिर का जो वाक्य ( यस्मात्किया प्रतिफलन्ति न भावशत्याः ) हमने उद्घृत किया है उसके पीछे समझ जैनशास्त्रों का बता है। वह हर तरह की परीक्षा से सौ टक्का का उत्तर है। आकृपक हमें सिद्धसेन के सदभिप्राय से अनभिज्ञ बतलाते हैं परन्तु वास्तव में आकृपक न स्वय कल्याणमन्दिर और विशापाहार के श्लोकों का भाव नहीं समझा है। दोनों श्लोकों के मार्मिक विवेचन से एक स्वतन्त्र लेख हो जायगा। वास्तव में सिद्ध-सेन का श्लोक भक्तिमार्ग की तरफ प्रेरणा नहीं करता किन्तु परिणत धनञ्जय का श्लोक भक्तिमार्ग की तरफ प्रेरणा करता है। उनका मतलब है कि यिना भाव के भी अगर लोग भगवान को नमस्कार करेंगे तो सुधर जायेंगे। सिद्धसेन का श्लोक ऐसी भक्ति को निरर्थक बतलाना है। सिद्धसेन कहते हैं ऐसी भावशत्य भक्ति नो हजारों बार की है परन्तु उसका कुछ फल नहीं हुआ। सिद्धसेन के श्लोक में तथ्य है, वह समझदारों के लिये है और धनञ्जय के श्लोक में फुसलाना है। वह

बच्चों ( अङ्गानी ) के लिये है। बच्चों को फुसलाने की वातों को जैनसिद्धान्त के समझते की कुड़ी समझना मुख्यता है।

आजकल शायद ही किसी ने भावशून्य क्रिया को बन कहने की धृष्टिना को हो। जो धर्म शुल्कलेश्याधारी नवमध्यैवेयक जाने वाले मुनि को भी ( भावशून्य होने से ) मिथ्यादृष्टि कहता है, उसमें भावशून्य क्रिया से ब्रूत बतलाना अक्षमतव्य अपराध है।

**आक्षेप ( घ )—**यद्यपि समन्तभद्र स्वामी ने अभिप्राय पूर्वक न्याग करना बृत कहा है किन्तु इसका यह अर्थ नहीं हो सकता कि बाल्यावस्था में दिलाए गये नियम उपतियम सब शास्त्रविरुद्ध हैं। बाल्यावस्था में दिये गये बृत को अकलङ्क ने जीवन भर पाता। ( विद्यानन्द )

**समाधान—**समन्तभद्र के डारा कहे गये बृत का लक्षण जानते हुए भी आक्षेपक समझते हैं कि विना भाव के बृत अहं हो सकता है। इसका मतलब यह है कि वे जाति स्वभाव के अनुसार जैनधर्म और समन्तभद्र के विद्रोही हैं या अपना काम बनाने के लिये जैनी वेष धारण किया है। स्वैर, बाल्यावस्था के नियम शास्त्रविरुद्ध भले ही न हों परन्तु वे बृतरूप अवश्य ही नहीं हैं। अकलङ्क के उदाहरण पर तो आक्षेपक ने जगा भी विचार नहीं किया। अकलङ्क अपने पिना से कहते हैं कि जब आपने ब्रत लेने की शात कही थी तब वह बृत आठ दिन के लिये थोड़े ही लिया था, हमने तो जन्मभर के लिये लिया था। इससे साफ़ मालूम होता है कि बृत लेने समय अकलङ्क की उमर इतनी छोटी नहीं थी कि बृत न लिया जासके। उनमें भावपूर्वक बृत लिया था और उसके महत्व को और उत्तरदायित्व को समझा था। क्या यही भावशून्य बृत का उदाहरण है ?

**आक्षेप ( ड )**—वृत्त दो प्रकार के हैं—निवृत्तिरूप, प्रवृत्तिरूप। शुभमर्कमें प्रवृत्ति करना भी वृत्त है। यद्यपि वृत्तों की शुभमर्कम की प्रवृत्ति में काई भाव नहीं रहता, फिर भी वे वृत्ती वहे जा सकते हैं। ( विद्यानन्द )

**समाधान**—जब कि वृत्त भावपूर्वक होते हैं तब वृत्तों के भेद भावशूल्य नहीं हो सकते। जीव का लक्षण चेतना, उसके सब भेद प्रभेदों में अवश्य जायगा। जीव के प्रभेद यदि जलचर, थलचर, नमचर हैं तो इससे नोका, रेलगाड़ी या वायुयान, जीव नहीं कहला सकते, क्योंकि उनमें जीव का लक्षण नहीं जाता। इसलिये भावशूल्य कोई कार्यवृत्त का भेद नहीं कहला सकता। जो फल फूल या जल भगवान का बढ़ाया जाता है क्या वह वृत्ती कहलाना है? यदि नहीं, तो इसका कारण क्या भावशूल्यता नहीं है? क्या भावशूल्य जिनदर्शनादि कार्यों को दृन कहने वाला एकाध प्रमाण भी आप दे सकते हैं?

**आक्षेप ( च )**—संस्कारों को अनावश्यक कहना जैन सिद्धान्त के पर्म का नहीं समझना है। इधर आप संस्कारों से योग्यता पैदा करने की बात भी कहते हैं। ऐसा परम्परविचुद्ध क्यों कहते हैं? ( विद्यानन्द )

**समाधान**—वृत्त और संस्कारों को एक समझ कर आक्षेप के गुरु ने घार मूर्खता का परिचय दिया था। हमने दोनों का भेद समझाया था जो कि अब शिष्य ने स्वीकार कर लिया है। वृत्त और संस्कार जुदे जुदे हैं इसलिये वे 'संस्कार अनावश्यक हैं' यह अर्थ कहाँ से निकल आया, जिससे परम्परविरोध कहा जासके? आक्षेपक या उसके गुरु का कहना तो यह है कि "कि बालयावस्था में भी संस्कार होते हैं इसलिये वृत्त कहलाया।" इसी मूर्खता को हटाने के लिये हमने

कहा था कि “संस्कार से हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है और वह प्रभाव प्रायः दूसरों के द्वारा डाला जाता है, परन्तु वृत्त दूसरों के द्वारा नहीं लिया जा सकता। संस्कार तो पात्र में अद्दा, समझ और त्याग के बिना भी डाले जासकते हैं परन्तु वन में इन नीरों को अत्यन्त आवश्यकता रहती है”। जब वृत्त और संस्कार का भेद इतना स्पष्ट है तब शाह्यावस्था में संस्कारों का अस्तित्व बतलाकर वृत्तका अस्तित्व बतलाना मूर्खता और धोखा नहीं तो क्या है ? संस्कार आवश्यक भले ही हों परन्तु वे वन के भेद नहीं हैं ।

**आक्षेप ( छ )**—युग कार्य दूसरों के द्वारा भी कराये जा सकते हैं, और उनका फल भी पूरा पूरा होता है । युग कार्य में जबरन प्रवृत्ति कराना अधर्म नहीं है । हाँ, यदि कोई विश्ववा कहे कि मैं तो वैधव्य नहीं लूँगी तब उस पर ज़बर्दस्ती वैधव्य का ‘टीका’ मढ़ना भी उचित नहीं है । यदि कोई विश्ववा कहे कि मेरा विवाह करा दो तो वह भी आगमविरुद्ध है ।

**समाधान**—युग कार्य कराये जा सकते हैं । जो करायगा उसे कदाचिन् पुण्यवन्ध भी हो सकता है । परन्तु इससे यह कहाँ भिज्ज हुआ कि जिससे किया कराई जा रही है वह भावपूर्वक नहीं कर रहा है । यदि कोई कराना है और कोई भावपूर्वक करता है तो उसे पुण्यवन्ध क्यों न होगा ? परन्तु यह पुण्यवन्ध भावपूर्वकता का है । ऊपर भी इस प्रश्नका उत्तर दिया जा चुका है ।

आप स्वीकार करते हैं कि अनिच्छापूर्वक वैधव्य का टीका न मढ़ना चाहिये । सुधारक भी इससे ज़्यादा और क्या कहते हैं ? जब उसे वैधव्य का टीका नहीं लगा तो वह आगमविरुद्ध क्यों ?

## पन्द्रहवाँ प्रश्न ।

१२, १३, १४ और १५ वें प्रश्न बालविवाहविषयक हैं । इस में बालविवाह को नाजायज्ञ विवाह सिद्ध किया गया है । जो लोग सम्यग्दृष्टि हैं वे तो विधवाविवाह के विरोधी क्यों होंगे, परन्तु जो लोग मिथ्यात्व के कारण से विधवाविवाहको ठीक नहीं समझते उन्हें चाहिये कि बालविधवा कहलाती हुई क्यियों के विवाह को स्वीकार करें क्योंकि बालविधवाएँ वास्तविक विधवाएँ नहीं हैं । एकबार न्यायशास्त्रके एक सुप्रसिद्ध आचार्य ने ( जो कि दिगम्बर जैन कहलाने पर भी तीव्र मिथ्यात्व के उदयसे या अन्य किसी लौकिक कारणसे विधवाविवाह के विरोधी बन गये हैं ) कहा था—कि तुम बड़े मूर्ख हो जो बालविधवाओं को भी विधवा कहते हो । इसी तरह एकबार गांपालदास जी के मुख्य शिष्य और धर्मशास्त्रके बड़े भारी विद्वान् कहलाने वाले पगिडन जी ने भी कहा था—कि ‘अक्षतयोनि विधवाओं के विवाह में तो कोई दोष नहीं है’ । यहाँ पर भी बालविवाह के विषय में चम्पतराय जी साहब ने जो तनकियाँ उठाई हैं उनके उत्तरों से यही बात सावित होती है । विवाह का सम्बन्ध ब्रह्मचर्याणुवत् से है । जिनका बाल्यवस्था में विवाह होगया वे ब्रह्मचर्याणुवत् बाली कैसे कहला सकती हैं ? इसलिये उनका विवाहाधिकार तो कुमारीके समान ही रक्षित है । अगर वे महावृत्त या सप्तम प्रतिमा धारण करें तब तो ठीक, नहीं तो उन्हें विवाह करलेना चाहिये । यद्यपि हम कह चुके हैं कि बालविधवाएँ विधवा नहीं हैं परन्तु कोई विधवा हो या विधुर, कुमार हो या कुमारी, अगर वह ब्रह्मचर्य प्रतिमा या महावृत्त ग्रहण नहीं करता तो विवाह की इच्छा करने पर विवाह कर लेना अधर्म नहीं है ।

( १५६ )

**आक्षेप ( क )**—प्रश्नकर्ता का प्रश्न समझ कर तो उत्तर देते। जो मनुष्य ब्रह्मचर्याणुवत धारण नहीं करता उस का विवाह करके क्या करोगे ? वह तो माना बहिन को ली समझता है।  
(श्रीलाल)

**ममाधान**—हमारे उपर्युक्त वक्तव्यको पढ़कर पाठक ही विचारें कि प्रश्न कौन नहीं समझा है। जिसने ब्रह्मचर्याणुवत नहीं लिया है, उसे ब्रह्मचर्याणुवत देने के लिये ही तो विवाह है। इस आक्षेपक ने विवाह को ब्रह्मचर्यवृत्त रूप माना है। यदाँ कहना है कि ब्रह्मचर्यवृत्तरहित का विवाह क्यों करना अर्थात् ब्रह्मचर्यवृत्त क्यों देना ? मतलब यह कि अवृत्तोंको वृत्त देना निरर्थक है ! कैसा पागलपत है !

**आक्षेप ( ख )**—क्या दीक्षा और विवाह यही दो अवस्थाएँ हो सकती हैं।  
(विद्यानन्द)

**ममाधान**—जो दीक्षा नहीं लेता और विवाह भी नहीं करता उससे कोई ज़बर्दस्ती नहीं करता। परन्तु उसे विवाह करने का अधिकार है। अधिकार का उपयोग करना न करना उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। उपयोग करने से वह पापी न कहा जायगा।

**आक्षेप ( ग )**—तब आप विधुर विधवा आदि जिस किसी को विवाह करने का अधिकार देते हैं तब तो एक वर्ष की अवधि वस्त्री भी विवाह करावें। आपने नो बाल, बृद्ध, अनमेल विवाह की भी पीठ ठोकी।  
(विद्यानन्द)

**ममाधान**—इससे तो यह बात कहो गई है कि वैधव्य, विवाहमें बाधक नहीं है। वर्ष की वस्त्री का विवाह तो हो ही नहीं सकता यह हम अनेक बार कह चुके हैं। बालविवाह का जैनधर्म और हम विवाह ही नहीं मानते हैं। विवाह के अन्य अन्तरङ्ग वहिरङ्ग निमित्त मिल जाने पर कोई भी विवाह कर

सकता है। हमारा कहना तो यह है कि वैधव्य उसका बाधक नहीं है।

## सोलहवाँ प्रश्न

“जिसका गर्भाशय गर्भधारण के योग्य नहीं हुआ उस को गर्भ रह जाने से प्रायः मृत्यु का कारण हो जाता है या नहीं ?” इस प्रश्न के उत्तर में वैद्यक शास्त्र के अनुसार उत्तर दिया गया था। आक्षेपकों को भी यह बात मंजूर है। परन्तु उसके लिये १६ वर्ष की अवश्यकता की बात नहीं कहते। आक्षेपकों ने इसपर झोर नहीं दिया। हम अपने मूल लेखमें जो कुछ लिख चुके हैं उससे ज्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है।

**आक्षेप ( क )—सन्तानोत्पादन के लिये हृष्टपुष्टता की आवश्यकता है, उमर की नहीं। ( श्रीलाल, विद्यानन्द )**

**ममाधान—सन्तानोत्पादन के लिये हृष्टपुष्टता की आवश्यकता है और हृष्टपुष्टता के लिये उमर की आवश्यकता है। हाँ, यह बात ठीक है कि उमर के साथ अन्य कारण भी चाहिये। जिनके अन्य कारण बहुत प्रबल हो जाते हैं उनके एक दो वर्ष पहिले भी गर्भ रह जाता है, परन्तु इससे उमर का बन्धन अनावश्यक नहीं होता, क्योंकि ऐसी घटनाएँ लाख में एकाध ही होती हैं। श्रीलाल स्वीकार करते हैं कि कई लोग २०-२५ वर्ष तक भी सन्तानोत्पत्ति के योग्य नहीं होते। यदि यह ठीक है तो श्रीलाल को स्वीकार करना चाहिये कि १२ वर्ष की उमर में विवाह का नियम बनाना या रजस्वला होने के पहिले विवाह कर देना अनुचित है। यदि विवाह और सन्तानोत्पादन के लिये हृष्टपुष्टता का नियम रखला जाय तब १२ वर्ष का नियम टूट जाता है और बालविवाह मृत्यु का कारण है—यह बात सिद्ध हो जाती है।**

## सत्रहवाँ प्रश्न

“पाँच लाख औरतों में एक लाख तेलीम हजार विधवाएँ क्या शोभा का कारण हैं ?” इसके उत्तर में हमने कहा था कि—“वैधवय में जहाँ त्याग है वहाँ शोभा है अन्यथा नहीं। जहाँ पुनर्विवाहका अधिकार नहीं, वहाँ उसका त्याग हो क्या ?” इस प्रश्न का उत्तर आक्षरक नहीं दे सके हैं। श्री लालजी तो तलाक की बात उठा कर ग्रूपों के नावदान सुन्दरने लग लये हैं। ‘विधवाविवाह वाली ऊँची नहीं हो सकती’ उसे आर्यिका बनने का अधिकार नहीं, आदि वाक्यों में कोई प्रमाण नहीं है। हम इसका पहिले विवेचन कर चुके हैं। आगे भी करेंगे।

**आन्त्रेप (क)**—विधवा गृहस्थ है, इनलिये वह सौभाग्यवतियों से पूज्य नहीं हो पाती।

**ममाधान**—गृहस्थ तो ब्रह्मचर्यप्रतिमाधारी भी है। फिर भी साधारण लोगों की अपेक्षा उसका विशेष सम्मान होता है। इसी प्रकार विधवाओं का भी होना चाहिये, परन्तु नहीं होता। इसका कारण यही है कि उनका वैधवय त्यागरूप नहीं है। अगर कोई विधुर विवाहयोग्य होने और विवाह के निमित्त मिलने पर भी विवाह नहीं करता तो वह प्रशंसनीय होता है। इसी प्रकार पुनर्विवाह न करने वालों विधवाएँ भी प्रशंसाप्राप्त हो सकती हैं अगर उन्हें पुनर्विवाह का अधिकार हो और वे विवाह योग्य हो तो। हाँ, उन विधुरों की प्रशंसा नहीं होती जो चार पाँच बार तक विवाह करा चुके हैं अथवा विवाह की कोशिश करते २ अन्तमें ‘अंगूर छट्ठे हैं’ की कहा बत चरितार्थ करते हुए, अन्तमें ब्रह्मचारी परिग्रहत्यागी आदि बन गये हैं। विवाह की पूर्ण सामग्री मिल जाने पर भी जो

( ३६२ )

विवाह नहीं करते वे ही प्रशंसनीय हैं चाहे वे विधुर हों या विधवा ।

आक्षेप (ख) — पुनर्विवाह वाली जातियों में वैधव्य शोभा का कारण है । क्या इससे मिथ्या नहीं होता कि पुनर्विवाह न करने वाली शोभा का कारण और करने वाली अशोभा का कारण है ? ( विद्यानन्द )

समाधान — उपचास और भूखे मरने का बाह्यरूप एकसा मालूम होता है, परन्तु दोनों में महान् अन्तर है । उपचास स्वेच्छापूर्वक है, इसलिये त्याग है, तप है । भूखों मरना, विवशता से है इसलिये वह नारकी भराखा सँझेग है । एक समाज ऐसी है जहाँ ज्ञान की स्वतन्त्रता है । पर कि ऐसी है जहाँ सभी को भूखों मरना पड़ता है । पहिली समाज में जो उपचास करते हैं वे प्रशंसनीय होते हैं, परन्तु इसीलिये भूखों मरने वाला समाज प्रशंसनीय नहीं कही जासकती; फिर ऐसी हालत में जब कि भूखों मरने वाले चुरा चुरा कर जाते हों । पुनर्विवाह करने वाली जाति में वैधव्य प्रशंसनीय है क्योंकि उस में प्राप्य भोगों का त्याग किया जाता है, पुनर्विवाहशूल्य समाज में ये नीचीज़ों का त्याग कहा जाता है जो अप्राप्य है । तब तो गधे के सींग का त्यागी भी बड़ा त्यागी कहा जायगा । जिन जातियों में पुनर्विवाह नहीं होता उनकी सभी स्त्रियाँ ( भले ही वे विधवा हों ) पुनर्विवाह कराने वाली स्त्रियाँ से नीची हैं क्योंकि नपुंसक के बाह्य ब्रह्मचर्य के समान उनके वैधव्य का काई मूल्य नहीं है । सारांश यह कि पुनर्विवाह वाली जातियों की विधवाओं का स्थान पहिला है ( उपचासी के समान ); पुनर्विवाहिताओं का स्थान दूसरा है ( संयताहारी के समान ) पुनर्विवाहशूल्य जाति की विधवाओं का स्थान तीसरा है ( भूखों मरने वालों के समान ) ।

**आक्षेप ( ग )—**विधुर और विधवाओं का अगर एकसा  
इलाज हो तो दोनों को शास्त्रकारों ने समान आशा कर्या  
नहीं दी ? ( विद्यानन्द )

**समाधान—**जैनधर्म ने दोनों को समान आशा दी है ।  
इस विषयमें पहिले विस्तारसे लिखा जा चुका है । देखो 'उघ' ।

**आक्षेप ( घ )—**छीणर्याय पुरुषपर्याय से निय है । इस  
लिये जो विधवाएँ पुरुषों के समान पुनर्विवाह का अधिकार  
चाहती हैं, वे पहिले पुरुष बनने के कार्य संग्रहालिक पालकर  
पुरुष बनते । बाद में पुरुषों के समान पुनर्विवाह की अधिकारी  
वनें । ( विद्यानन्द )

**समाधान—**अगर यह कहा जाय कि "भारतवासी निय हैं इसलिये अगर वे स्वराज्य चाहते हैं तो अंग्रेज़ों की निष्पार्थ  
सेवा करके पुण्य कर्मावें और मरकर अंग्रेज़ों के घर जन्म  
लेंवे" तो यह जैसी मुख्ता कहलायगी इसी तरह की मुख्ता  
आक्षेप के वक्तव्य में दै । वर्तमान विधवाएँ अगर मर के  
पुरुष बन जायेंगी तो क्या परलोक में विधवा बनने के लिये  
परिणाम लोग अस्तार लेंगे ? क्या किर विधवाएँ न रहेंगी ?  
क्या इसमें विधवाओं की समस्या हल हो जायेगी ? क्या  
मुण्डहन्याएँ न होंगी ? क्या विपत्तिग्रस्त लोगों की विपत्ति दूर  
करने का यही उपाय है कि पारलोकिक सम्पत्ति की भूठी  
आशा से उन्हें मरने दिया जाय ? स्वैर, जिन विधवाओं में व्रत  
वर्य के परिणाम हैं वे तो पुण्योपार्जन करेंगी परन्तु जो विध-  
वाएँ सदा मानसिक सौर शारीरिक व्यभिचार करती रहती हैं,  
भोगों के अभाव में दिनरात गंती हैं और हाय हाय  
करती हैं, वे क्या पुण्योपार्जन करेंगी ? दुःखी जीवन व्यतीत  
करने से ही क्या पुण्यबन्ध हो जाता है ? यदि हाँ, तब सानवे  
नरक के नारकी को सब से बड़ा तपस्वी कहना चाहिये । यदि

नहीं, तो वर्तमान का वैधव्य जीवन पुण्योगर्जक नहीं कहला सकता ।

### अठारहवाँ प्रश्न

इस प्रश्न में यह पूछा गया था कि जैनसमाज की सर्वया घटने से समाज की हानि है या लाभ ? हमने संख्याघटी की बात का समर्थन करके समाज की हानि बतलाई थी । श्रीलाल तो गवर्नरमेन्ट की रिपोर्ट का अस्तित्व ही स्वीकार नहीं करते । किम्बदन्ति के अनुसार कुम्भकर्ण ६ महीने सोना था, परन्तु हमारा यह आक्षेपक कुम्भकर्ण का भी कुम्भकर्ण निकला । यह जन्म से लेकर बुढ़ापे तक सो ही रहा है । खैर, विद्यानन्द ने संख्याघटी की बात स्वीकार करली है । डोनों आक्षेपकों का कहना है कि संख्या घटती है घटने दो, जाति रसातल जाती है जाने दो, परन्तु धर्म को बचाओ ! विधवाविवाह धर्म है कि अधर्म—इन बात की यहाँ चर्चा नहीं है । प्रश्न यह है कि संख्या घटने से हानि है या नहीं ? यदि है तो उसे हटाना चाहिये या नहीं ? हरपक विचारशील आदमी कहेगा कि संख्याघटी रोकना चाहिये । जब विधवाविवाह धर्मानुकूल है और उससे सर्वया बढ़ सकती है तो उस उपाय को काम में लाना चाहिये ।

**आक्षेप ( क )**—जैनी लोग पापी हो गये इसलिये उनकी सर्वया घट रही है ।

**ममाधान**—बात बिलकुल ठीक है । सैकड़ों वर्षों से जैनियों में पुरुषत्व का मद बढ़ रहा है । इस समाज के पुरुष स्वयं तो पुनर्विवाह करते हैं, और लियों को रोकते हैं, यह अन्याचार, पक्षपात क्या कम पाप है ? इसी पाप के फल से इनकी संख्या घट रही है । पूजा न करने आदि से संख्या घटती तो म्लेच्छों की संख्या न बढ़ना चाहिये थी ।

**आक्षेप ( ख )—**मुसलमान लोग तो इसलिये बढ़ रहे हैं कि उन्हें नरक जाना है। और इस निष्ठु काल में नरक जाने वालों की अधिकता होगी। ( श्रीलाल )

**मयाधान—**आप कह चुके हैं कि जैनियों में पापी हो गये इसलिये संख्या घटी। परन्तु इस वक्तव्य से तो यह मालूम होता है कि जैनियों की संख्या पाप से बढ़ना चाहिये जिसमें नरकगामी आदमी मिल सकें। इस नरक के दून ने यह भी स्वीकार किया है कि “नीच काम करने से नीच को जिनना पाप लगता है उससे कई गुणा पाप उच्च को लगता है”, अर्थात् जैनियों को इयादा पाप लगता है। इस सिद्धान्त के अनुसार भी जैनियों की संख्या बढ़ना चाहिये क्योंकि इस समाज में पैदा होने से खूब पाप लगेगा। और नरक जलदी भरेगा। एक नरक पाप से संख्या की घटी बनाना और दूसरी नरक पाप से संख्या की वृद्धि बनाना विचित्र प्रागल्पन है।

**आक्षेप ( ग )—**विध्वाविवाह आदि से, पतेर हैज़ा आदि से समाज का सफाचट हो जायगा। ( श्रीलाल )

**मयाधान—**विध्वाविवाह से सफाचट होगा इसका उत्तर तो योरोप अमेरिका आदि को परिवर्थिति देगी। परन्तु विध्वाविवाह न होने से जैनसमाज सफाचट हो रही है यह तो प्रगट ही है।

**आक्षेप ( घ )—**समाज न रहने का डर बृथा है। जैनधर्म तो पंचमकाल के अन्त तक रहेगा। ( श्रीलाल )

**मयाधान—**विध्वाविवाह के न होने से संख्या घट रही है। जैनियों की जिन जातियों में पुनर्विवाह है उनमें संख्या नहीं घट रही है। अगर पुनर्विवाह का रिवाज चालू न होगा तो संख्या नष्ट हो जायगी। परन्तु जैनधर्म का इनना हास तो

नहीं हो सकता इससे सिद्ध है कि विश्वाविवाह का प्रचार ज़रूर होकर रहेगा । अथवा जिन जातियों में विश्वाविवाह का रिवाज है वे ही जातियाँ अन्त तक रहेंगी । रही चिन्ता की बात सो जो पुरुष है उसे तो पुरुषार्थ पर ही नज़र रखना चाहिये । कोरी भवितव्यता के भरोसे पर बैठकर प्रयत्न से उदासीन न होना चाहिये । तीर्थकर अवश्य मोक्षगामी होने हैं फिर भी उन्हें मोक्ष के लिये प्रयत्न करना पड़ता है । इसी तरह जैनधर्म पंचमकाल के अन्त तक अवश्य रहेगा परन्तु उसे तब तक रहने के लिये विश्वाविवाह का प्रयत्न अवश्य करना चाहिये ।

यह कूनाकूनविचार का प्रकरण नहीं है । इसका विवेचन कुछ हो चुका है । बहुत कुछ आगे भी होगा ।

आक्षेप ( ३ )—विश्वाविवाह से तो बचे खुचे जैनी नास्तिक ही जावेंगे, कौड़ी के तीन नीन बिकेंगे । जैनधर्म यह नहीं चाहता कि उसमें संस्कारवृद्धि के नाम पर कूड़ाकचरा भर जाय । ( विद्यानन्द )

समाधान—आक्षेपक कूड़ाकचरा का विरोधी है परन्तु विश्वाविवाह वालों को कूड़ाकचरा तभी कहा जासकता है जब विश्वाविवाह धर्मविरुद्ध सिद्ध हो । पूर्वोक्त प्रमाणों से विश्वाविवाह धर्मानुकूल सिद्ध है इसलिये आक्षेपक की ये गालियाँ निरर्थक हैं । विश्वाविवाहोत्पत्ति तो व्यभिचारज्ञान है ही नहीं, परन्तु व्यभिचारज्ञानता से भी कोई हानि नहीं है । व्यभिचार पाप है ( विश्वाविवाह व्यभिचार नहीं है ) व्यभिचारज्ञानता पाप नहीं है अन्यथा रविषेणाचार्य ऐसा क्यों लिखते—

चिन्हानि विट्जातस्य सन्ति नामोष कानिचित् ।

अनार्यमाचरन् किञ्चिज्जायते नोचर्गचरः ॥

व्यभिचारजातता के कोई विन्दु नहीं होते । दुराचार से ही मनुष्य नीच कहलाता है ।

यदि व्यभिचारजात शूद्र ही कहलाता है तो रुद्र भी शूद्र कहलाये । जब रुद्र मुनि बनते हैं तब आपको शूद्र मुनि का विधान भी मानना पड़ेगा । तद्वमोक्षगामी व्यभिचार जात सुहृष्टि सुनार पर विवेचन तो आगे होगा ही ।

**आक्षेप ( च )—**जैनधर्म नहीं चाहता कि उसमें संख्या-वृद्धि के नाम पर कूड़ा कचरा भर जाय । यदि ६०८ बढ़ते हैं तो ६०८ मुक्ति भी प्राप्त कर लेते हैं । जैनधर्म स्वयं अपने में बढ़ा हुई संख्या ६०८ को सिद्धशिला पर सदा के लिये स्थापन कर देता है । ( विद्यानन्द )

**मपाथान—**उदाहरण देने के लिये जिस बुद्धिकी आवश्यकता है उस तरह को मापाथान बुद्धि भी आक्षेपक में नहीं मालूम होती । आक्षेपक संख्यावृद्धि के नाम पर कूड़ा कचरा न भरने की बात कहते हैं और उदाहरण कूड़ा कचरा भरने का दे रहे हैं । व्यवहारराशि में से छः महीन आठ समय में ६०८ जीव मांक जाते हैं और नित्यनिगोद से इनने ही जीव बाहर निकलते हैं । जैनधर्म अगर ६०८ जीव सिद्धात्मय को भेजता है तो उसकी पूर्ति निगादियों से कर लेता है । अगर जैनधर्म को संख्या बढ़ने की पर्वाह न होती तो वह सिद्धात्मय जाने वाले जीवों को संख्यापूर्ति निगादियों सरीखे तुच्छ जीवों से करने को उतार न हो जाना ।

इस उदाहरण से यह बात भी सिद्ध होती है कि जैनधर्म में कूड़े कचरे को भी फलफूल बनाने की शक्ति है । वह कूड़े कचरे के समान जीवों को भी मुक्त बनाने की हिम्मत रखता है । जैनधर्म उस चतुर किसान के समान है जो गाँव भर के कूड़े कचरे का खाद बनाता है और उससे सफल खेती करता

है । वह मोक्ष भेजने के लिये देवलोक में से प्राणियों को नहीं चुनता बल्कि उस समूह में से चुनता है जिस का अधिक भाग कुड़े कचरे के समान है । जैन में जितनी मिट्ठी है उनमा अनाज पैदा नहीं होता परन्तु इसीलिये यदि कोई मूर्ख किसान यह कहे कि जितना अनाज पैदा होता है उनमी ही मिट्ठी रखको वाकी फैक्ट्रों तो वह पागल विफल प्रयत्न करेगा । अगर हम चाहते हैं कि दस लाख सब्जे जैनी हों तो हमें जैन समाज में १०-१२ करोड़ भले तुरे जैनी नैयार रखना पड़ेगे । उनमें से १० लाख सब्जे जैनी नैयार हो सकेंगे । जैनधर्म तो सिद्धालय भेजने पर भी संख्या की तुटि नहीं सहना और हम कुगति और कुधर्म में भेज इरके भी संख्यातुटि का विचार न करें तो कितनी मूर्खता होगी ।

### उन्नीसवाँ प्रश्न

जैन समाज में अविवाहितों की काफी संख्या है । इसका कारण बलाद्वयधर्य की कुपथा है । जैन समाज में कुमारियों की संख्या १ लाख ८५ हजार ४१४ है जब कि कुमारों की संख्या ३ लाख है हजार २४५ है । इनमें से ६३२४६ कुमार तो पेसे हैं जिनकी उमर बीस वर्ष से ऊपरा है । इस उमर के इन गिने कुमारों को छोड़ कर वाकी कुमार अविवाहित रहने वाले ही हैं । एक तो कुमारियों की संख्या यो ही कम है परन्तु तीन चार वर्ष तक के लड़कों के लिये विवाहयोग्य लड़कियाँ आगे पैदा होगी इस आशा से कुमारियों की संख्या सन्तोषप्रद मानली जाय तो ६१३७१ विधुर मौजूद हैं । ये भी अपना विवाह कुमारियों से ही करते हैं । फल इसका यह होता है कि ६३२४६ पुरुष बीम वर्ष की उमर के बाद भी कुमार रहते हैं । यदि ये ६१३७१ विधुर विधवाओं से शादी करें तो २० वर्ष से

अधिक उमर के कुमारों की संख्या ६३ हज़ार से अधिक के स्थान में दो हज़ार से भी कम रह जाय। जब तक विधवाविवाह की सुप्रथा का प्रचार न होगा तब तक यह विषमता दूर नहीं हो सकती।

अन्तर्राष्ट्रीय विवाह से भी कुछ सुभवता हो सकता है क्योंकि करीब ४२०० कुमारियाँ ऐसी हैं जिनकी उमर २० वर्ष से ऊदा होगी है परन्तु उनका विवाह नहीं हुआ। छोटी जातियों में गोप्य वर न मिलने से यह परिस्थिति पैदा हो गई है। बड़ी जातियों को भी इस कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अन्तर्राष्ट्रीय विवाह का प्रचार करने के साथ विधवा विवाह के प्रचार की भी ज़रूरत है क्योंकि विधवाविवाह के बिना अविवाहितों की समस्या हल नहीं हो सकती।

श्रीलालजी यह स्वीकार करते हैं कि 'लड़का लड़की समान होते हैं परन्तु लोग अविवाहित इसलिये रहते हैं कि वे गरीब हैं'। इस भले आदमी को यह नहीं सूझता कि जब लड़का लड़की समान हैं तो गरीबों को मिलने वाली लड़कियाँ कहाँ चली जाती हैं? भले आदमी के लड़के भी तो एक खीर रखते हैं। हाँ, इसका कारण यह स्पष्ट है कि विधुर लोग कुमारियों को हज़म कर जाते हैं। ऐसे अविवाहित कुमारों की संख्या बहुत ऊदा है जिनके पास पञ्चीस पचास हज़ार रुपये की जायदाद भले ही न हो या जो हज़ार दो हज़ार रुपये देकर कन्या खरीदने की हिम्मत न रखते हैं। फिर भी जो चार आदमियों की गुज़र लायक पैदा कर लेते हैं। लड़कियों को लखपति लेजाँय या करोड़पति ले जाँय परन्तु यह स्पष्ट है कि विवाहयोग्य उमर के ६३ हज़ार कुमारों को लड़कियाँ नहीं मिल रही हैं। जब इनके लिये लड़कियाँ हैं ही नहीं तब ये लखपति भले ही बन जाँय परन्तु इन्हें अविवाहित रहना

( १७० )

हो पड़ेगा । अगर इनमें से कोई विवाहित हो जायगा तो इसके बदले में किसी दूसरे को अविवाहित रहना पड़ेगा । धन से लड़कियाँ मिल सकती हैं परन्तु धन से लड़कियाँ बन तो नहीं सकती । इसलिये जब तक विश्वविवाह की सुपथा का प्रचार नहीं होता तब तक यह समस्या हल नहीं हो सकती ।

आक्षेप ( क )—अविवाहित रहने का कारण तो हमने कर्मोदय समझ रखा है । यह ( बलाद्वयवश्य ) नया कारण तो आपने स्वयं ही निकाला । ( विश्वानन्द )

यमाधान—इर्मोदय तो अन्तर्ज्ञ कारण है और वह तो ऐसे हर एक कार्य का निमित्त है । परन्तु यहाँ तो बाह्य कारणों पर चिचार करता है । विश्वविवाह का प्रचार भी अपन अपने कर्मोदय के कारण ह फिर आप लाग आँ उसके विरोध में हा हल्ला मचाते हैं ? चारों करना, स्वतं करना, बलाद्वय करना आदि अनेक अन्याय और अन्याचारों का निमित्त इर्मोदय है फिर शासनव्यवस्था की क्या आवश्यकता ? कर्मोदय से बोमाग हुआ करतो है फिर चिकित्सा और संवा की कुछ ज़रूरत है कि नहीं ? कर्मोदय म लदमी मिलती है कि रघ्यापारादि की आवश्यकता है कि नहीं ? मनुष्यगति दैव की गुलामी के लिये नहीं है प्रयत्न के लिये है । इसलिये भले ही उम अपना शक्ति आज्ञामात्रे परन्तु हमें तो अपने प्रयत्न स काम लेना चाहिये ।

'विश्वविवाह कर लेने पर मी कोई विवाहित न कह-  
लायगा क्योंकि विश्वविवाह में विवाह का लक्षण नहीं जाता' इसका उत्तर हम दें चुके हैं, और विश्वविवाह को विवाह  
मिला कर चुके हैं ।

## बीसवाँ प्रश्न

यहाँ यह पूछा गया है कि ये विधवाएँ न होतीं तो संख्यावृद्धि होती या नहीं । बहुत जातियों में विधवाविवाह होता है और सन्तान भी पैदा होती है इसलिये संख्यावृद्धि को बात तो निश्चित है । जहाँ विधवाविवाह नहीं होता वहाँ भ्रष्टाचार्या आदि से तथा दम्पत्ति विनैकया आदि कहलाने वाली सन्तान पैदा होने से विधवाओं के जननीत्व का पता लगता है । विद्यानन्द जी का यह कहना निर्गंधक प्रलाप है कि अगर वे बन्ध्या होतीं तो ? बन्ध्या होतीं तो सन्तान न बढ़ती भिक्ष व्रत्यन्याशुद्धि का पालन होता । परन्तु जैनसमाज की सब विधवाएँ बन्ध्या हैं इसका कोई प्रमाण नहीं है बल्कि उनके अवन्ध्यापन के बहुत स प्रमाण हैं । श्रीलाल का यह कोण भ्रम है कि विधवाविवाह वाली जातियों की संख्या घट रही है । कोई भी आदमी—जिसके आरंभ है—विधवाविवाह और सन्तानवृद्धि की शार्यकारणात्यासि का विरोध नहीं कर सकता । गोप से, भूखों यर कर या अन्य किसी कारण से कहीं की सृग्युसंख्या अगर घट जाय तो इस में विधवाविवाह का कोई अपराध नहीं है । उसमें तो यथासाध्य संख्या की पूर्ति ही होगी । परन्तु बलाद्वैष्ठव्य से तो संख्या हानि ही होगी ।

विधवाविवाह से द्यग्मित्तारनिवृत्ति नहीं होती, इसका खण्डन हम पहिले कई बार कर चुके हैं । सुदृष्टि की चर्चा के लिये अलग प्रश्न है । वहीं विचार किया जायगा ।

**आश्रेप (क)**—माता वहिन आदि से भोग करने में भी सन्तान हो सकती है । ( श्रीलाल )

**समाधान**—जिस दिन माताओं और वहिनों को पुनः

ओर माई को छोड़ कर दुनियाँ में और कोई पुरुष न मिलेगा और पुरुषों का माँ वहिन छोड़कर और कोई स्त्री न मिलेगी, माई वहिन में और माँ बेटे में गुप्त व्यविचार का मात्रा बढ़ जावेगा, भृगुहस्तयाएँ हानि लगेंगी, उनकी कामवासना को भीमित करने के लिये ओर कोई स्थान न रहेगा, उस दिन माँ बेटे ओर वहिन भाई के विवाह की अमर्त्या पर विचार किया जा सकता है। आत्मेषक विधवाविवाह से बढ़ने वाली सख्त्या के ऊपर माँ वहिन के साथ शादी करने की बात कह कर जिस घार निलंजना का परिचय दे रहा है, क्या यह परिचय विधुरविवाह के विषय में नहीं दिया जानकता? अन्तान के बहाने से अपना पुनर्विवाह करने वाले विधुर, अपनी माँ वहिन से शादियाँ क्यों नहीं करते? जो उत्तर विधुरविवाह के लिये है वही उत्तर विधवाविवाह के लिये है।

इस प्रश्न में यह आत्मेषक अन्य प्रश्नों से अधिक लड़कड़ाया है, इसलिये कुल भी न लिखकर यह असम्भव कथन नथा लेड़गा आदि शब्दों का प्रयाग किया है।

**आधेप—**( ख ) अठारहवे प्रश्न में आपने कहा था कि प्रतिवर्ष जैनियों की संख्या ७ हज़ार घट रही है। अब कहते हैं कि बढ़ रही है। ऐसे हरजाई ( रिपोर्ट का हम विचार नहीं करते)। ( विद्यानन्द )

**समाप्तान—**आपके विश्वास न करने से रिपोर्ट को उपयोगिता नए नहीं होती, न वस्तुस्थिति बदल जाती है। पश्चु के आँख मौंचने से शिकारी का अस्तित्व नहीं मिट जाता। जैनियों को जनसंख्या प्रतिवर्ष सात हज़ार घट रही है परन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि जैनियों के किसी घर में जनसंख्या बढ़ती नहीं है। ऐसे भी घर हैं जिनमें दा से दस शादी हो गये होंगे परन्तु वे घर कई गुणे हैं जिनमें दस से

दो आदमी ही रह गये हैं । कहीं वृद्धि और कहीं हानि तो होती ही है परन्तु औसत सात हज़ार हानि का है । किसी किसी जातिमें संख्या बढ़ने से जैन समाज को संख्याहानि का निषेध नहीं किया जा सकता । जिन जातियों में विधवाविवाह का रिवाज है उनमें संख्या नहीं घटती है, या घटती है । साथ ही जिन जातियों में विधवाविवाह का रिवाज नहीं है उनमें इतनी संख्या घटती है कि विधवाविवाह वाली जातियों की संख्या-वृद्धि उस घटी का पूरा नहीं कर पाती ।

**आनेप (ग)**—हमारी वृद्धि में तो विधवाविवाह से बढ़न वाली संख्या निर्णीत है । ( विद्यानन्द )

**ममाधान**—इसका उत्तर ता यूराप अमेरिका आदि देशों के नागरिकों की अवस्था से बिल जाता है । प्राचीनकाल के व्यभिचारज्ञान सुदृष्टि आदि महापुरुष भी ऐसे आनेपों का मुँहतोड़ उत्तर देते रहे हैं । विशेष के लिये देखो ( १८५ )

**आनेप (घ)**—विधुरन्त्र के दूर करने का उपाय शास्त्र में है । स्वाध्य के लिये ओपथ विधान है असाध्य के लिए नहीं । एक ही कार्य कहीं कर्तव्य और सफल होता है, कहीं अकर्तव्य और निष्फल ।

**ममाधान**—विधुरन्त्र और वैवद्यक लिये एक ही विधान है, इस विषय में इस लेख में अनेकवार लिखा जा चुका है । असाध्य के लिये आपथ का विधान नहीं है परन्तु असाध्य उसे कहते हैं जो चिकित्सा करने पर भा दूर न हो सके । वैवद्य तो विधुरन्त्र के समान पुनर्विवाह से दूर हो सकता है, इसलिये वह असाध्य नहीं कहा जा सकता । एक ही कार्य कहीं कर्तव्य और कहीं अकर्तव्य हो जाता है इसलिये कुमार कुमारियों के लिये विवाह कर्तव्य और विधुर विधवाओं के लिये अकर्तव्य होना चाहिये । पुनर्विवाह यदि विधुरों के लिये अकर्तव्य नहीं है

तो विधवाओं के लिये भी अकर्तव्य नहीं कहा जा सकता ।

आक्षेप ( ड )—मोक्ष जाने वाले ६०८ जीवों की संख्या में कभी न आजाय इसलिये हम विधवाविवाह का विरोध करने हैं । ( विद्यानन्द )

ममाधान—जैनवर्मानुसार छुः महाने आठ समय में ६०८ जीव मोक्ष जाने का नियम अदल है । उसकी रक्षा के लिये आक्षेप का प्रयत्न हास्यास्पद है । फिर आक्षेपक जहाँ ( भगवत्-क्षेत्र में ) प्रयत्न करता है वहाँ तो मोक्षका द्वार अभी बन्द ही है । तोमरी वात यह है कि विधवाविवाह से मोक्ष का मार्ग बन्द नहीं हाता । शास्त्रों की आज्ञाएँ जो पहिले लिखी जा चुकी हैं और सुदृष्टि का जीवन इस वात के प्रथम प्रमाण हैं ।

आक्षेप ( च )—सत्यसाची, तुम औरतों की भाँति लिख चिलख कर क्यों रो रहे हो ? तुम्हें औरत कोन कहता है ? तुम अपने आप औरत बनना चाहो ता । १। डबल के बताशे भेजदो । यहाँ से एक बाबीज़ भेजदिया जायगा । तुम तो न औरत हो न मर्द । सत्यसाची ( अर्जुन ) न पुंसक हो । ( विद्यानन्द )

ममाधान—आक्षेपकों को जहाँ अपनी अज्ञानता का मात्राधिक परिचय होगया है वहाँ उनने इसी प्रकार गालियाँ दी हैं । ये गालियाँ हमने इनके भडपन की पाल खोलने के लिये नहीं लिखी हैं परन्तु इनके टुकड़वोरण को दिखाने के लिये लिखी हैं । आक्षेपक १। पैसे के बताशों में मुझे खो बना देने का या दुनिया में प्रसिद्ध कर देने को तैयार है । जो लोग १। पैसे में मर्द को खो बनाने के लिये तैयार हैं वे भग्पेट गोदियाँ मिलने पर धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म कहने के लिये तयार हो जायें तो इसमें क्या आश्वर्य है ! जो लोग इन पंडितों को टुकड़ों का गुलाम कहते हैं वे लोग कुछ नरम शब्दों का

हो प्रयोग करते हैं। आक्षेपक ने तावीज़ बाँधने की बात कह कर अपने गुप्त जीवन का परिचय दिया है। तावीज़ बाँधने वाले बगुलामक ठगों से पाठक अपरिचित न होंगे। रही नपुंसकता की बात सो यदि कोरबदल का पाप का फल चलाने वाला और उसी भव से मोक्ष जाने वाला अर्जुन नपुंसक है तो ऐसी नपुंसकता गौरव की वस्तु है। उस पर अतन्तर्योगापश्यों का पुरुषन्व न्याक्षावर किया जा सकता है।

हमने एक जगह लिखा है कि ‘हमने विधवाविवाह का विरोध करके स्त्रियों के मनुष्याचित अधिकारों को हड़पा इसलिये आज हमें दुनियाँ के सामने औरत बनकर रहना पड़ता है। कभी २ एक आदमी के छागा ‘हम’ शब्द का प्रयोग समाज के लिये किया जाता है। यहाँ ‘हम’ शब्द का अर्थ ‘जैनसमाज’ स्पष्ट है। परन्तु जब कुछ न बता तो आक्षेपक ने इसी पर गालियाँ देना शुरू कर दी।

इस तरह के वाक्य तो हम भी आक्षेपक के वक्तव्य में स उद्धृत कर सकते हैं। १८ वें प्रश्न में आक्षेपक ने एक जगह लिखा है कि “हम विधवाओं के लिये तड़प रहे हैं, उन्हें अपनी बनाने के लिये लृटपटा रहे हैं।” अब इस आक्षेपक से कोई पूछे कि ‘जनाब ! आप ऐसी बदमाशी क्यों कर रहे हैं ?’

**आक्षेप ( ३ )—यदि जैनधर्म का सम्बन्ध उन मांस से नहीं है तो उसके भक्षण करने में क्या हानि ? ( विद्यानन्द )**

**मपाशान—**हानि तो मलमूत्र मधुमद आदि के भक्षण करने में भी है तो क्या जैनधर्म के लिये इन सब चाँड़ों के उपयोग की भी आवश्यकता होगी ? जिसके भक्षण करने में भी हानि है उसको जैनधर्म का आधार बताना गङ्गव का पाणिष्ठन्य है। यहाँ तो आक्षेपक के ऊपर ही एक प्रश्न

( १७६ )

खड़ा होता है कि जब आप रक्त मांस में शुद्धि समझते हैं तो उसके भक्षण करने में क्या दोष ?

आक्षेप ( ज )—द्रव्यवेद ( स्त्री ) पाँचवें तक क्यों ? भाव-वेद तष्ठमें तक क्यों ? क्या यह सब विचार रक्त मांस का नहीं है । ( विद्यानन्द )

समाधान—वेद को रक्तमांस समझना भी अद्भुत पागिडत्य है । स्वैर, यह प्रश्न भी आक्षेपक के ऊपर पड़ता है कि एक ही माता पिता से पैदा होने वाले भाई वहिन की रक्त-शुद्धि तो समान है फिर स्त्री पाँचवें गुणम्यान तक ही क्यों ? यदि मिथ्रयों में रक्त मांस की शुद्धि का अभाव माना जाय तो क्या उनके सहोदर भाइयों से उनकी कुल जाति जुदी मानी जायगी ? और क्या सभी मिथ्रयाँ जारज मानी जायेंगी ?

आक्षेप ( भ )—विना वज्र वृषभनाराच संहनन के मुक्ति प्राप्त नहीं होती । कहिये शरीर शुद्धि में धर्म है या नहीं ?

समाधान—संहनन को भी रक्त मांस शुद्धि समझना विचित्र पागिडत्य है । क्या व्यभिचारजातों के वज्र वृषभनाराच संहनन नहीं होता ? क्या मच्छों के वज्र वृषभनाराच संहनन नहीं होता ? यदि होता है तो इन जीवों का शरीर ब्राह्मी सुन्दरी सीता आदि देवियों और पठचमकाल के श्रुतक्षेत्री तथा अनेक आचार्यों के शरीर से भी शुद्ध कहलाया क्योंकि इनके वज्रवृषभनाराच संहनन नहीं था । कहों रक्त शुद्धि का अर्थ कुलशुद्धि जातिशुद्धि करना, कहों संहनन करना विक्षिप्तता नहीं तो क्या ?

आक्षेप ( झ )—सुभग आदि प्रकृतियों के उदय से पुण्यान्मा जीवों के संहनन संस्थान आदि इतने प्रिय होते हैं कि उन्हें छाती से चिपटाने की लालसा होती है ।

( विद्यानन्द )

**ममापान** — इसीलिये तो शरीर के साथ जैनधर्म का कुछ सम्बन्ध नहीं है। शरीर के अच्छे होने से उसे छाती से चिपटाने की लालसा होती है परन्तु किसी को छाती से चिपटाने से मोक्ष नहीं मिलता, मोक्ष दूर भागता है। धर्म और मोक्ष के लिये तो यह विचार करना पड़ता है कि “पल रथिर राध्रमल थैली, कीकम बमादि तेमैली । नवद्वार थडे विनकारी, अस देह करै किम यारी ॥”

**आक्षेप (ट)**—जहाँ रक्तमांस की शुद्धि नहीं है, वहाँ धर्मसाधन भी नहीं है, यथा स्वर्ग आदि । (विद्यानन्द)

**ममापान**—देवों के शरीर में रक्तमांस की शुद्धि नहीं है परन्तु अशुद्धि भी तो नहीं है। यदि शरीर का धर्मसे सम्बन्ध होता तो देवों को मोक्ष बहुत जल्दी मिलता। समन्तभद्र स्वामी ने आपसीमांसा में, तीर्थीकर भगवान को लक्ष्य करके कहा है कि “भगवन् ! शारीरिक महत्व तो आपके समान देवों में भी है इसलिये आप महान \* नहीं हैं”। इससे दो बातें सिद्ध होती हैं। पहली तो यह है कि परमात्मा बनने के लिये या परमात्मा कहलाने के लिये शरीर शुद्धि की बात कहना मुख्यता है। दूसरी यह कि देवों का शरीर भी शुद्ध होता है फिर भी वे धर्म नहीं कर पाते। अगर ‘रक्तमांस की शुद्धि’ शब्द को ही पकड़ा जाय तो भोगभूमिजों के यह शुद्धि होती है, फिर भी वे धर्म नहीं कर पाते हैं। पशुओं के यह शुद्धि नहीं होती किन्तु फिर भी वे इन सबसे अधिक धर्म पञ्चमगुणस्थान और शुक्ल लेश्या धारण कर लेते हैं। शरीरशुद्धिधारी भोगभूमिज तो सिर्फ़ चौथा गुणस्थान और पीन लेश्या तक ही धारण कर पाते हैं।

\* अथात्मं वहिरस्येष विप्रहादिमहोदयः । दिव्यः सत्यो दिवौकस्त्वप्यस्ति रागादिमत्सु सः ।

म्लेच्छ और मुद्दिष्ट के मोक्षगमन तथा पूज्यपाद और रविवेण आदि आचार्यों के प्रमाणों से व्यभिचारजात आदि भी मात्र जा सकते हैं यह बात लिखी जा चुकी है ।

### इक्कीसवाँ प्रश्न ।

अल्पसम्या हाने से मुनियों को आहार में कठिनाई होती है । यद्यपि आजकल मुनि नहीं हैं, फिर भी अगर मुनि हों तो वे सब जगह विहार नहीं कर सकते क्योंकि अनेक प्रान्तों में जैनों हैं ही नहीं और जहाँ हैं भी वहाँ प्रायः नगरों में ही हैं । मनियों में अगर इन्होंने शक्ति हो कि वे जहाँ चाहे जाकर नये जैनों बनावें और समाज के ऊपर प्रभाव ढालकर उन नये जैनियों को समाज का अक्षम्यकार करावें तो यह समस्या हल हा सकती है । परन्तु इर जगह तुरन्त ही नये जैनों बनाना और उद्दिष्टन्यागपूर्वक उनसे आहार लैना मुश्किल है, इनलिये जैन समाज का बहुसंख्यक हाने की आवश्यकता है । विधवाविवाह संस्थानवृद्धि में कारण है, इनलिये विधवाविवाह मुनिधर्म के अस्तित्व के लिये भी अन्यतम साधन है ।

आक्षेप ( क )—जब मार्ग में जैन जनता नहीं तब जो भक्त गृहस्थ अपना काम धन्धा छांडकर मुनिसेवामें लगे उसके समान दूसरा पुराय नहीं । मुनियों को हाथ से गोदी बनाकर खाने की सलाह देना धृष्टता है ।

समाधान—मुनियों को ऐसी सलाह देना धृष्टता होगी परन्तु हाँगियों को ऐसी भलाह देना परम पुराय है । जैनशास्त्रों के अनुसार उद्दिष्टन्याग के बिना कोई मुनि नहीं हो सकता और उद्दिष्टन्याग इनलिये कराया जाता है कि वे आरम्भजन्य दिनों के पाप से बचें । निमन्त्रण करने में विशेषारम्भ करना पड़ता है । उद्दिष्टन्याग में सामान्य आरम्भ ही रहता है

( १७६ )

सामान्य आरम्भ के अतिरिक्त जिनना आरम्भ होता था उससे बचने के लिये उद्दिष्टत्याग का विधान है। इस ज़रासे आरम्भ के बचाने के लिये अगर आवकों को भर बटार कर मुनियों के पीछे चलना पड़े और नये नये स्थानों में नये तरह से नया आरम्भ करना पड़े तो यह कीड़ी की रक्षा के नाम पर हाथी की हत्या करना है। दर्जनों कुटुम्बी परदेश में जाकर मुनियों के लिये इतना उपादा आरम्भ करें तो इस कार्य को काई महामढ़ मिठाहृष्टि ही पुण्य समझ सकता है। इसकी अपेक्षा ना मुनि कहलाने वाला व्यक्ति हाथ से पकाके खाले तो ही अच्छा है।

आसेप ( च )—अद्युतों के हाथ लगने से जल अपेय हो यह अन्धेर नहीं है । ..... उपदेश शक्यानुष्ठान का ही होता है । गंहूं जाय है और खान अजाय । ..... जिनके हृदय में भड़ी चमार ब्राह्मण सब एक हों उस मुण्ड की हृष्टि में सब मन्धेर ही रहेगा । ( श्रीलाल )

ममापान—पिण्डतदल की मृदत्तपूर्ण मिथ्यात्ववर्धक मान्यता के अनुसार शद्र के स्पर्श से जलाशय का जल भी अपेय हो जाता है । इसपर हमने कहा था कि जलाशयों में ना खर्य शुद्धों से भी नीच जलचर रहते हैं । इसपर आद्येतक का कहना है कि वह अशक्यानुष्ठान है । लैंग ! जलाशयों को जल चरों के स्पर्श से बचाना अशक्यानुष्ठान सही परन्तु जलचर पशुओं के स्पर्श से बचाना ना शक्य है । फिर जलचर पशुओं के स्पर्श से जलाशयों का जल अपेय क्यों नहीं मानते ? पशुओं के स्पर्श से अपेय न मानना और मनुष्यों के स्पर्श से अपेय मानना घोर धृष्टता नहीं तो क्या है ? इसका स्पष्ट कारण तो यही है कि जिनके आगे तुम जातिमद का नहा नाच करना चाहते हो उन्हीं के विषय में अस्पृश्यता की बात निकालते हो ।

खान का अपर्ण रस गन्ध वर्ण सभी घृणित हैं । उसमें कृमि आदि भी रहते हैं इसलिये वह अचाद्य है । गेहूँ में ये बुराइयाँ नहीं हैं इसलिये खाद्य है । क्या आकंपक बतलायगा कि जीवित प्राणियों को निगल जाने वाले मगर मच्छों में तथा अन्य अशुचिभोजी पशुओं में ऐसा कौनसी विशेषता है जिससे वे शुद्धों से भी अच्छे समझे जाते हैं ।

हमारे सामने तो ब्राह्मण और शूद्र दोनों बराबर हैं । जो सदाचारी है वही उच्च है । तुम सरीखे सदाचारशत्रुओं और धर्मधर्वसियों में ही सदाचार का कुछ मूल्य नहीं है । तुम लोग शैतान के पुत्रारी हों इसलिये दुराचारी को इतना घृणित नहीं समझते जितना शूद्र का । हम लोग भगवान् महावीर के उपासक हैं इसलिये हमारी हष्टि में शूद्र भी भाई के समान हैं । मिफ़' दुराचारी नियत है ।

आक्षेप ( ग )—जब तक शरीर में जीव है तब तक वह हाड़ मांस नहीं गिना जाना । ( श्रीलाल )

ममाधान—तब तो शूद्र का शरीर भी हाड़ मांस न गिना जायगा । फिर उसके हाथ के जल से और उससे लुप्त हुए जलाशय के जल तक से इन्हीं घृणा क्यों ?

विद्यानन्द ने हमारे लेख में भाषा की ग़ुलितर्वा निकालने की असफल चेष्टा की है । हिन्दी में विनकि चिन्ह कहाँ लगाना चाहिये, कहाँ नहीं, इसके समझने के लिये आकंपक को कुछ अस्थयन करना पड़ेगा । 'जाने नहीं मिलता'-यहाँ 'को' लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है । अगर 'को' लगाना ऐसा अनिवार्य हो तो 'मैं जाने भी न पाया कि उसने पकड़ लिया' इस वाक्य में 'जाने' के साथ 'को' लगाना चाहिये और 'जाने की न पाया' लिखना चाहिये । 'उयादा' 'उयादह' 'उयादह' 'उयादः' इनमें से कौनसा प्रयोग ठोक है इस की सीमांता

( १०१ )

का यह स्थल नहीं है। ऐसी अप्रस्तुत बातों को उठाकर आक्षेपक, अर्थान्तर नामक नियन्त्रण में गिर गया है।

आक्षेप ( घ )—नोटिसबाज़ी करते करते किसका दम निकला जाता है। गर्भी की बीमारी मुम्बई में हो सकती है। यहाँ तो नवाशी ठाठ है। ( विद्यानन्द )

समाधान—नोटिसबाज़ी का गर्भी की बीमारी से क्या सम्बन्ध ? और गर्भी की बीमारी के अभाव का नवाशीठाठ से क्या सम्बन्ध ? ये बीमारियाँ तो नवाशी ठाठ बालों को ही हुआ करती हैं। हाँ, इस वक्तव्य से यह बात ज़रूर सिद्ध हो जाती है कि आक्षेपक, समाजसंवा की ओट में नवाशी ठाठ से खूब मौज उड़ा रहा है जो जब तक समाज अधीय और मृढ़ है तब तक वोई भी उसके माल से मौज उड़ा सकता है।

आक्षेप ( झ )—दुनियाँ दूसरों के दाव देखती है परन्तु दिल जोड़ा जाय तो अपने से बुरा कोई नहीं है।

( विद्यानन्द )

समाधान—क्या इस बात का ख्याल आक्षेपक ने सुधारकों का कोसते समय भी किया है ? मुनियेपियों के विशद जां हमने लिखा है वह इसलिये नहीं कि हमें कुछ उन ग़रीब दीन जन्मुओं से देख हैं। वे बेचारे तो भूख और मान कषाय के सनाये हुए अपना पेट पाल रहे हैं और कषाय की पूर्णि कर रहे हैं। ये से निकल जीव दुनियाँ में अगलित हैं। हमारा तो उन सब से मात्यस्थ भाव है। यहाँ जो इन ढाँगियों की समाजोचना की है वह सिर्फ़ इसलिये कि इन ढाँगियों के पोछे सबा मुनिधर्म बदनाम न हो जाय। अताथविद्या की बीमारी में लोग यों हो मर रहे हैं। इस अपश्य सेवन से उनकी बीमारी और न बढ़ जाय।

**आक्षेप ( च )—मुनियों के साथ आवक समूह का चलना नाजायज्ञ मजमा नहीं है ।**

**समाधान—**केवली को छोड़कर और किसी के साथ आवकसमूह नहीं चलना । हाँ, जब भट्टारकों की सृष्टि हुई और उनमें से जय पिल्ले भट्टारकों ने धर्मसेवा के स्थान में समाज से पूजा कराना और नववी ठाठ से रहना ही जीवन का ध्येय बनाया तब अचश्य ही उनने ऐसी आक्षण्ये गढ़ डाली जिससे उन्हें नववी ठाठ से रहने में सुर्खता हो । प्राचीन लोगों के महत्व बढ़ाने के बहाने उनने अपने म्वार्थ की पुष्टि की । पीछे भाले मनुष्यों ने उसे अपना लिया ।

**आक्षेप ( छ )—**रोटी नो आठवीं प्रतिमा धारी भी नहीं बनाता । फिर मुनियों से ऐसी बात कहना नो असभ्य जाशकी चरम सीमा है । ( विद्यानन्द )

**समाधान—**जिन असभ्य दोंगियों के लिये रोटी बनाने की बात कहा गई है वे मुनि, आठवीं प्रतिमाधारी या पहली प्रतिमाधारी नो दूर, जैनी भी नहीं हैं, निरुष मिथ्यादृष्टि हैं । दूसरी बात यह है कि आरम्भ त्याग में आरम्भत्याग तो होना चाहिये । परन्तु ये लोग पेटपूजा के लिये जैसा धोर आरम्भ कराने हैं उसे देखकर एक उद्दिष्टमध्यारी तो क्या आरम्भत्यारी भी शरमिन्दा हो जायगा । विशेष के लिये देखो २१-क । आखूत के विषय में २१-ज में विचार किया गया है ।

**आक्षेप ( ज )—**मुनियों के लिये अगर केवल अप्रापुक भोजन का ही विचार किया जाता तो मूलाधार आदि में १६ उद्गम दोष और ४६ अन्तराय टालने का विधान क्यों है ?

( विद्यानन्द )

**समाधान—**दोष और अन्तराय के भेद प्रभेद जो मूलाधार आदि में गिनाये गये हैं वे तीन बातों को लदव करके ।

१ भोजन अप्रासुक तो नहीं है, २ मुनि को कोई कषाय भोगा-कांडा आदि तो उत्पन्न नहीं होती है, ३ दाता में दाता के योग्य गुण हैं कि नहीं। भोजन के विषय में तो प्रासुकता के विवाय और कोई विशेषण डालने की ज़रूरत नहीं है। शुद्ध जल से प्रासुकता का भङ्ग हो जाता है या कोई और दोष उपस्थित हो जाता है, इस बात का विधान भी मूलधार में नहीं है। भोज्य के विषय में जिनने दोष लिखे गये हैं वे सिर्फ़ इसीलिये कि किसी तरह से वह अप्रासुक तो नहीं है। जानिमद का नहुः नाच दिखाने के लिये जल के विषय में अविचारशून्य शर्तें तो इन मदान्ध ढाँगियों की ही हैं। जैनधर्म का इनके साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं है।

### बाईसवाँ प्रश्न ।

इस प्रश्नका सम्बन्ध भी बालविवाह से है। इस विषयमें पहिले बहुत कुछ लिखा जा चुका है। इस विषयमें आक्षेपकों का लिखना यिलकुल हास्यास्पद है। अस्तु

**आक्षेप (क) — विवाह करके जो ब्रह्मचर्य पालन करे वह अवश्य पुराय का हेतु है। ( श्रीलाल )**

**समाधान — क्या विवाह के पहिले ब्रह्मचर्य पाप का हेतु है? ब्रह्मचर्य को किसी समय पाप कहना कामकौटता का परिचय देना है।**

**आक्षेप (ख) — जिनेन्द्र की आङ्को का भङ्ग करना पाप है। चारहर्वर्ष में विवाह करने की जिनेन्द्राङ्का है। ( श्रीलाल )**

**समाधान — जिनेन्द्र, विवाह के लिये कम से कम उमर का विधान कर सकते हैं, परन्तु उयादा से उयादा उमर का नहीं। १२ वर्ष का विधान जिनेन्द्र की आङ्का नहीं है। कुछ लोकों ने समय देखकर ऐसे नियम बनाये हैं, और ये कम से**

कम उमर के विवाह हैं। अन्यथा १६ वर्ष से अधिक उमर के कुमार का विवाह भी पाप होता चाहिये। ऐसी तुच्छ और ब्रह्मचर्यविरुद्ध आज्ञाओं को जिनेन्द्र की आज्ञा बतलाना जिनेन्द्र का अवगत्याद करना है।

**आक्षण (ग)**—जो ब्रह्मचर्य भी न ले और संस्कार भी समय पर न करे वह अवश्य पापी है। ब्राह्मी आदिने तो जीवन भर विवाह नहीं किया इसलिये उन का ब्रह्मचर्य पाप नहीं है।

( श्रीलाल )

**ममाधान**—संस्कार, ब्राह्मादि की योग्यता प्राप्त कराने के लिये है। जब मनुष्य पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता तब आंशिक ब्रह्मचर्य के पालन कराने के लिये विवाहको आवश्यकता होती है। विवाह संस्कार पूर्णब्रह्मचर्य की योग्यता प्राप्त नहीं करता। इसलिये जबतक कोई पूर्णब्रह्मचर्य पालन करना चाहता है तबतक उसे विवाह संस्कार की आवश्यकता नहीं है। शास्त्रों में ऐसी सैकड़ों कुमारियों के उल्लेख हैं जिनमें बड़ी उमर में, युवती हों जाने पर विवाह किया है।

**विशल्या**—विवाह के समय 'शातोदरी दिग्गजकुम्भशोभिस्तनद्यानूतनयौवनस्था' अर्थात् गजकुम्भके समान स्तनवाली थी। पश्चपुराण ६५—७४।

**जयचन्द्रा**—सूर्यपुरके राजा शकधनुको पुत्री जयचन्द्रा को अपने रूप और गुणों का बड़ा घमराड़ था। इसलिये पिता के कहने पर भी उस ने किसी के साथ शादी न कराई। अन्त में वह हरिषेण के ऊपर रीझी और अपनी सखोंके द्वारा सोते समय हरिषेण का हरण करा लिया। फिर हरिषेण से विवाह कराया। वैवाहिक स्वातंत्र्य और उमर के बन्धन को न मानने का यह अच्छा उदाहरण है। पश्चपुराण ८ पर्व।

**पश्चा—गाना, वजाना सीख रही थी । श्रीकण्ठको देखा  
तो मोहित हो गई और माता पितादि की ओर से श्रीकण्ठ के  
साथ चल दी । पिता ने श्रीकण्ठका पीछा किया किन्तु लड़ाई  
के अवसर पर पश्चा ने कहला दिया कि मैं अपनी इच्छा में  
आई हूँ, मैं इन्हीं के साथ विवाह करूँगी । अन्तमें पिता चला  
गया और इसने श्रीकण्ठमें विवाह कर लिया । दैर्घ्य पश्चपुराण ।**

**अञ्जना—विवाह के समय 'कुमिकुमनिमस्तनी' गज  
कुम्भके समान उतन बाली अर्थात् पूर्ण युवती थी । पश्चपुराण  
१५—१७ ।**

**कंकया—गाना नाचना आदि अनेक कलाओं में प्रबोण,  
दशरथ को युद्ध में सहायता देनेवाली के कथा का वर्णन जैसा  
पश्चपुराण २४ बैं पर्व में विस्तार से मिलता है वह १२ वर्ष की  
लड़की के लिए असम्भव है ।**

**आठकृष्णगिर्याँ—चन्द्रवर्धनविद्याधरकी आठ लड़कियाँ ।  
सीता स्वयम्भर के समय इनने लक्ष्मण को मन ही मन बर  
लिया था परन्तु विवाह उस समय न हा पाया । जब लक्ष्मण  
रविण से युद्ध कर रहे थे उस समय भी ये लक्ष्मण को देखने  
पहुँची । युद्ध के बाद विवाह हुआ । ये एक ही माता  
से पैदा हुई थीं इसलिये अगर छाटी की उमर १२ वर्ष  
की हो तो बड़ी की उमर १६ की ज़रूर होगी । फिर सीता  
स्वयम्भर के समय जिनने मन ही मन लक्ष्मण का वरण  
किया उसका उस समय विवाह न हुआ, कर्व वर्ष बाद  
लंकाविजय के बाद विवाह हुआ, उस समय तक उनकी  
उमर और भी ज़्यादा बढ़ गई ।**

**आठ गन्धर्व कन्याएँ—एक ही माता से पैदा हुई इस-  
लिये इनकी उमर में अन्तर था । परन्तु एक साथ रामचन्द्र**

से विवाही गई। विवाह के योग्य उमर हो जाने पर इच्छित  
वर के न मिलने से इन्हें बाट देखने रुकना पड़ा।

**लहूसुन्दरी**—इनुमान के साथ इसने घोर युद्ध किया।  
पश्चपुराण के ५३४७ वर्ष में इसका चरित्र पढ़ने से इसकी  
प्रोटोटा का पता लगता है।

पुराणों में ऐसे सैकड़ों उल्लेख मिलते हैं जिनसे युवती-  
विवाह का पूर्ण समर्थन हाता है। कन्याएँ कोई प्रतिका कर  
लेनी या किसी खास पुरुष को चुन लेनी जिसके कारण उन्हें  
बर्थी बाट देखनी पड़ती थी। ऐसी अवस्था में १२ वर्ष की  
उमर का नियम नहीं हो सकता। कन्याओं के जैसे वर्णन  
मिलते हैं उनसे भी उनके योवत और परिपक्वद्विता का  
परिचय मिलता है जो १२ वर्ष की उमर में असम्भव है।

इन उदाहरणों से यह बात भी सिद्ध हो जाती है कि  
पुराने समय में कन्या को स्वतन्त्रता थी और उन्हें पति पसंद  
करने का अधिकार था। इस स्वतन्त्रता और पसन्दगी का  
विरोध करने वाले शास्त्रविरोधी और धर्मलोभी हैं।

**आत्मेप ( घ )**—यदि ब्रह्मचर्य की इनी हिमायत करना  
है तो विधवा के लिये ब्रह्मचर्य का ही विधान क्यों नहीं बनाया  
जाता?

**ममाधान**—चाहे कुमारियाँ हों या विधवाएँ हों इम  
दानों के लिये बलाद् ब्रह्मचर्य और बलाद् विवाह दोनों समझते  
हैं। जो विधवाएँ ब्रह्मचर्य से रहना चाहें, रहें। जो विवाह  
करना चाहें, विवाह करें। कुमारियों के लिये भी इमारा यही  
कहना है। कुमारी और विधवा उब तक ब्रह्मचर्य से रहेगी  
तब तक पुरायबन्ध होगा।

**आत्मेप ( ड )**—जो लोग यह कहते हैं कि जितना  
ब्रह्मचर्य पल सके उतना ही अच्छा है वे ब्रह्मचर्य का अर्थ हो

( १८७ )

नहीं समझते । ब्रह्मचर्य का अर्थ मजबूरी से मैथुन का अभाव नहीं है किन्तु आत्मा की ओर आज्ञा होने को ब्रह्मचर्य कहते हैं । कोई कन्या मनमें किसी सुन्दर द्यक्षि का चित्तवन कर रही है । क्या आप उसे ब्रह्मचारिणी समझते हैं ?

( विद्यालन्द्र )

समाधान—कितनी अच्छी बात है ! मालूम होता है जिसी ही सुधारकता अमावधानी से छलक पड़ी है । यही बात तो सुधारक कहते हैं कि विधवाओं के मैथुनाभाव को वे ब्रह्मचर्य नहीं मानते क्योंकि यह विधवाओं को मजबूरी से करना पड़ता है और यह मजबूरी निरपाय है । कमारियों के लिये यह बात नहीं है । उन्हें मजबूरी से ब्रह्मचर्य पालन नहीं करना पड़ता । फिर उनके लिये विवाह का मार्ग खुला हुआ है । विवाहसमग्री रहने पर भी अगर कोई कुमारी विवाह नहीं करती तो उसका कारण ब्रह्मचर्य ही कहा जासकता है । विधवाओं को अगर विवाह का पूर्ण अधिकार हो और फिर भी अगर वे विवाह न करें तो उसका वैधवय ब्रह्मचर्य कहतायगा ।

आक्षेप ( च )—मबको एक घाट पानी पिलाना—एक ढण्डे से हाँकना नीतिविरुद्ध है ।

समाधान—एक घाट से पानी पिलाया जाता है और एक ढण्डे से बहुत से पशु हाँके जाते हैं । जब एक घाट और एक ढण्डे से काम चलता है तब उसका विरोध करना फ़िज़ूल है । कुमार कुमारी और विज़ुरों को जिन परिस्थितियों के कारण विवाह करना पड़ता है वे परिस्थितियाँ यदि विधवा के लिये भी मौजूद हैं तो वे भी विवाहघाट से पानी पी सकती हैं ।

## तेईसवाँ प्रश्न ।

इस प्रश्न का सम्बन्ध विज्ञानीय विवाह से अधिक है । विज्ञानीय विवाह के विषय में इनका लिखा जा चुका है कि अब जो कुछ लिखा जाय वह वह विषयपूर्ण ही होगा ।

आक्षेप ( क )—सामंदव कहते हैं कि ज्ञानियाँ आदि ह । ( श्रीलाल विद्यानन्द )

मपाधान—ज्ञानियाँ वो नरह की हैं—कलिरत, अकलिपत । पक्षनिद्र्य आदि अकलिपत ज्ञानियाँ हैं । वाक् व्राह्मण क्षत्रियादि कलिरत ज्ञानियाँ हैं । एकनिद्र्य आदि अकलिपत ज्ञानियाँ अतादि हैं । कलिरत ज्ञानियाँ अनादि नहीं हैं अन्यथा इनकी रचना अष्टपदिव ने की या भगवन् ने का—यह बात शास्त्रों में क्यों लिखी होती ?

आक्षेप ( ख )—नेमिचन्द्र निर्दान्तचक्रवर्ती ने १२ खण्ड ज्ञानियाँ कही हैं । ( श्रीलाल )

मपाधान—आक्षेप क अगर किसी पाठशाला में जाकर गोमटभार पढ़ले तो वह नेमिचन्द्रको समझने लगेगा । नेमिचन्द्र ने विष्फ पाँच ही ज्ञानियों का उल्लेख किया । १२ खण्ड ज्ञानियों का उल्लेख यत्नाने के लिये हम आक्षेपको चुनौती देते हैं । १२ लक्ष कोटी कुलों का उल्लेख नेमिचन्द्र ने ज़रूर किया है परन्तु उन कुलों को ज्ञानि समझ लेना और सूख्ता का परिचय देना है । गोमटसार यीका में ही कुल भेदों का अर्थ शरीरोत्पादक वर्गणाप्रकार किया गया है । अर्थात् शरीर यत्नने के लिये जिन्हीं नरह की वर्गणाएँ लगती हैं उतने ही कुल हैं । एक ही यानिसे पैदा होत वाले शरीरोंके कुल लाखों होते हैं क्योंकि यानिभेदसे कुलके भेद लाखों गुण हैं और एक ही ज्ञानि—में चाहे वह कलिपत हो या अकलिपत —लाखों

( १८६ )

तरह की योनियाँ होती हैं। इनलिये योनि या कुलकों जातियाँ कहते हैं। विलकुल मूर्खता है। शास्त्रकारों ने भी योनिभेद और कुलभेदों को जानि नहीं कहा। नारकियाँ में जानिभेद नहीं हैं फिर भी लाडों योनियाँ और मनुष्यों को अपेक्षा दुगुने से भी अधिक कुल हैं।

**आत्मेप ( ३ )**—कालकों पत्तटनाके अनुमार जातियोंकी संखाएँ भी बदल गईं। ( विद्यानन्द )

**समाधान**—तो पुराने नाम मिलता चाहिये या अन्य किसी रूप में इनका उल्लंघन होता चाहिये।

**आत्मेप ( ४ )**—जाति एक शब्द है, उसका वाच्य अगर गुणरूप है तो अनादि अनन्त है। अगर पर्यायरूप है तो धौध्य क्या है। जो धौध्य है वही जातियों का जीवन है।

( विद्यानन्द )

**समाधान**—सदृशता को जाति कहते हैं। सदृशता गुण पर्याय आदि सभी में हो सकती है। द्रव्य गुण की सदृशता अनादि है और पर्याय की सदृशता सादि है। वर्तमान जातियाँ ( जिनमें विवाह की चर्चा है ) तो न गुणरूप हैं न पर्यायरूप। वे तो विलकुल कल्पित हैं। नामनिक्रेप से अधिक इनका महत्व नहीं है। यदि इनका पर्यायरूप माना जाय तो इनका मूल जीव मानना पड़ेगा। इनलिये आत्मेपक के शब्दानुमार 'जीवन्त' जानि कहलायगी। जीव को एक जाति मान कर उसका पुढ़गत धर्म अधर्म से विवाह करने का निषेध किया जाय तो काँड़ आपसि नहीं हैं।

जिस प्रकार कलकत्तिया, बंगाली, विहारी, लखनऊी, कानपुरी आदि में अनादिन्व नहीं है उसी प्रकार ये जातियाँ हैं।

यदि आत्मेपक का दल इन उपजातियों को अनादि

अनन्त मानता है, छुठे काल में भी ये जातियाँ बनी रहती हैं तो यह मानना ही पड़ेगा कि विजातीय विवाह आदि से इन जातियों का नाश नहीं हो सकता । जब जाति का नाश करना असम्भव है तो उसकी रक्षा करने की चिन्मा मूर्खता है ।

**आप्सेप ( ड )—अनुमानतः** इन जातियों का नवीनत्व असिद्ध है । ( विद्यानन्द )

**मामाधान—** भागभूमियों में ज्ञानिभेद नहीं था । ऋष-भट्ट ने तीन जातियाँ बनाईं थीं । भरत ने चौथी । इसमें इनना तो सिद्ध हो गया कि ये भरत के पीछे की हैं । इसके बाद किसी अन्य तीर्थकरादि ने इनकी रचना की हाँ ऐसा उल्लेख कहीं नहीं है । हाँ, ऐतिहासिक प्रमाण इनना अवश्य मिलता है कि हुएनसंग के ज्ञानों में भारत में सिफर्द इह जातियाँ थीं और आज कीव उ हजार हैं ।

इससे मालूम होता है कि पिछले डेढ़ दो हजार वर्षों में जातियों का उचार आता रहा है उसी से ये जातियाँ बनी हैं । जब तक ऐनियों का स्वामाजिक बल रहा तब तक इन जातियों की सृष्टि करने की ज़रूरत हो ही नहीं सकती थी । बाद में इनकी सृष्टि हुई है ।

### चौदीसवाँ प्रश्न ।

इस प्रश्न में यह पूछा गया था कि विधवाविवाह से इनके कौन कौन अधिकार छिनते हैं । यह बात हमने अनेक प्रमाणों से सिद्ध की है कि इनके कोई अधिकार नहीं छिनते । परन्तु श्रीलाल ने तो विलकुल पाशलपन का परिचय दिया है । यह बात उसके आप्सेपों से मालूम हो जायगी ।

**आप्सेप ( क )—** जो अधिकारी होंकर अधिकार सम्बन्धी किया नहीं करता वह शिक्षारी बन जाता है ।

**समाधान—**काँई इस आसेपक से पूछे कि तुम्हे मुनि बनने का अधिकार है या नहीं ? यदि है, तो तू मुनि क्यों नहीं बनता ? अब तुझे विकारी कहना चाहिये ? क्या आक्षेपक इनना भी नहीं समझता कि मनुष्य को धर्म करने का पूर्ण अधिकार है परन्तु धर्म उनना ही किया जासकता है कि जिन्हीं शक्ति होती है । (विशेष के लिये जैनजगत् वर्ष पु अङ्ग ७ में 'योग्यता और अधिकार' शीर्षक लेख देखना चाहिये ।)

"योरुपवाले मांसभक्ती हैं इसलिये जो हिन्दुस्थानी योरुप जाते हैं उनका वे अपमान करते हैं क्योंकि योरुप जाने वाले भारतीय धर्मकर्मशून्य हैं" । श्रीलाल के इन शब्दों के विषय में कुछ कहना चृथा है । भारतीय लूटालूट छोड़ देते हैं या पोप पणिहनों की आशा में नहीं चलते इसलिये उनका विलायत के लोग अपमान करते हैं, पेसा कहना जब-ईस्त पागलपन के सिवाय और क्या कहा जा सकता है ?

**आसेप ( ३ )—**सुमुख आदि के हषान्त से व्यभिचार की पुष्टि नहीं होती । वे तो त्याग करके उत्तम गति गये । दानादि करके उत्तमगति पाएं । इसमें कौनसा आर्थ्य है ?

( श्रीलाल )

**समाधान—**धर्म से ही उत्तम गति मिलती है, परन्तु इस सिद्धान्त को तुम लोग कहाँ मानते हो । तुम्हारा तो कहना है कि ऐसा आदमी मुनि नहीं बन सकता, दान नहीं दे सकता, यह नहीं कर सकता, वह नहीं कर सकता । अब तुम यह स्वीकार करते हो कि व्यभिचारी भी दान दे सकता है, मूनि या आर्थिका के बूत ले सकता है । यही तो हम कहते हैं । विवाह से या व्यभिचार से मोक्ष काँई नहीं मानता । तुम्हारे कहने से भी यह सिद्ध हो जाता है । जैनधर्म के अनु-

मार भी उन जातियों के कोई अधिकार नहीं छिन सकते । सुदृष्टि के लिये अलग प्रश्न है ।

विद्यानन्दजी की बहुतसी बातों की आलोचना प्रथम प्रश्न में हो चुकी है ।

**आक्षेप (ग)** विधवाविवाह की मन्त्रान कभी मोक्ष-प्रिकारिणी नहीं हो सकती । विष का बीज इमलिये भयङ्कर नहीं है कि वह विष बीज है परन्तु विषबीजान्पादक होने से भयङ्कर है । (विद्यानन्द)

**समाधान**—यह विचित्र बात है । विषबोज अगर स्वतः भयङ्कर नहीं है तो उस के खाने में कोई हानि न होनी चाहिये, क्योंकि पेट में जाकर वह विषबीज पैदा नहीं कर सकता । व्यभिचारी तो वास्तविक अपराधी है । उस के तो अधिकार छिन नहीं और उस की निरपराध मन्त्रान का अधिकार छिन जाय यह अन्धेरे नगरी का न्याय नहीं तो क्या है ? ऐसे ।

रविशेष आचार्य के कथनानुसार व्यभिचारज्ञान में कोई दृष्टण नहीं होता । यह हम पहिले लिख चुके हैं । सुदृष्टि के उदाहरण में भी यह बात सिद्ध होती है ।

**आक्षेप (घ)**—सव्यसाची का यह कहना कि “विधवा-विवाह तो व्यभिचार नहीं है । उससे किसी के अधिकार कैसे छिन सकते हैं ?” यह बात सिद्ध करती है कि व्यभिचार से अधिकार छिनते हैं ।

**समाधान**—हमारी पूरी बात उद्धृतन करके आक्षेपक ने पूरी धृतता की है । समाज की आँखों में धूल भौंकना चाहा है । पूरी बात यह है ‘व्यभिचारज्ञात सुदृष्टि सुनार ने मूलि दीक्षा ली और मोक्ष गया । यह बात प्रसिद्ध ही है । इससे मालूम होता है कि व्यभिचार से या व्यभिचारज्ञात होने से

किसी के अधिकार नहीं छिनते । विधवाविवाह तो व्यमिच्चार नहीं है । उससे किसी के अधिकार कैसे छिन सकते हैं ?'

### पचीसवाँ प्रश्न ।

जिन जातियों में विधवाविवाह होता है उन में कोई मुनि बन सकता है या नहीं ? इसके उत्तरमें दक्षिण की जातियाँ प्रसिद्ध हैं । शान्तिसागर की जाति में विधवाविवाह का आमतौर पर रिवाज है ।

**आप्तेप ( क )**—जिन घरानों में विधवाविवाह होता है उन घरानेके पुरुष दीक्षा नहीं लेते । पट्टैल घरानोंमें विधवाविवाह विलकुल नहीं होता । कोई खंडेलवाल अगर विधवाविवाह करते तो समग्र खंडेलवाल जाति दृष्टित नहीं हो सकती ।

**समाधान**—शान्तिसागरका भूठापन अच्छी नरह मिठ किया जाचुका है । सामना हो जाने पर जैसा वे मुँह छिपाने हैं उससे उनकी कलई विलकुल नुस्खा जाती है । पट्टैल घरानेके विषय में लिखा जा चुका है । बुद शान्तिसागर के भनीजे ने विधवाविवाह किया है । यह बात जैनजगन्न में सप्रमाण निकल चुकी है ।

यह ठीक है कि पक खगडेलवालके कार्यमें वह जातीय रिवाज नहीं बन जाता है । परन्तु आगर मैंकड़ी वर्षीमें हजारों खगडेलवाल विधवा-विवाह कराने हों, वे जाति में भी शामिल रहते हों, उनका रोटी बेटी व्यवहार सब ज़गद होता हो, तब वह रिवाज ही माना जायगा । शान्तिसागर जी की जाति में विधवाविवाह ऐसा ही प्रचलित है ।

**आप्तेप ( ख )**—यदि अनधिकारी होकर भी कोई दृहमामनि बनजाय तो मनिमार्ग का वह विकृत स्थ उपादेय कदापि नहीं हो सकता । ( विद्यानन्द )

**ममाधान—**शान्तिसागर का मुनि बनना अगर विकृत रूप है तो दस्मों को मुनि न बनने देने वाले शान्तिसागर को मुनि क्यों मानते हैं ? अगर मुनि मानते हैं तो किसी का मुनि बनन का अधिकार नहीं छिन सकता ।

होना और सकना में कार्य कारण भाव है । जहाँ होना है वहाँ सकना अवश्य है । अगर कोई स्वर्ग जाना है तो इससे यह बात आप ही सिद्ध हो जाती है कि वह स्वर्ग जा सकता है । जब शास्त्रों में ऐसे मुनियों के बनने का उल्लंघन है, उन्हें मात्र तक प्राप्त हुआ है तब उन्हें मुनि बनन का अधिकार नहीं है ऐसा कहना सुखना है ।

भजे शास्त्रोंमें कही किसीका कोई अधिकार नहीं छीना गया । अच्छे काम करने का अधिकार कभी नहीं छीना जा सकता । अथवा नर्वपिशाच राक्षस ही ऐस अधिकारों का छीनने की गुस्ताखी कर सकते हैं ।

### लङ्घीसत्रों प्रश्न ।

विधवाविवाह के विधियों का यह कहना है कि उमस पैदा हुई सन्तान मात्राधिकारिणी नहा होती । हमारा कथन यह है कि विधवाविवाह से पैदा हुई सन्तान व्यभिचारजात नहीं है और मात्राधिकारी तो व्यभिचारजात भी होते हैं । आराधना कथा काष में व्यभिचारजात सुहष्टि का चरित्र इसका जबर्दस्त प्रमाण है ।

**आसेप ( क )—**सुहष्टि स्वयं अपने बोर्ड से पैदा हुये थे । ( श्रीकाल ) विनाहित पुरुष से भिन्नर्थी द्वागा जो सन्तान हा वह व्यभिचारजात सन्तति है । बाल्य, क्षत्री, वैश्य इन तीन वर्णों की कोई ली यदि परपुरुषगामिनी हो जाय तो परपुरुषान्पञ्च सन्तान मोक्ष की अधिकारिणी नहीं

हे क्योंकि वहाँ कुलशुद्धि का अभाव है । यदि उसी स्त्री के द्यमिचारिणी होने के पहिले स्वपति से कोई सन्तान हो तो वह सन्तति विविध कर्मों का क्षय करने पर मुक्ति प्राप्त कर सकती है । ( विद्यानन्द )

**समाधान**—कोई अपने वीर्य से पैदा हो जाय तो उसको द्यमिचारजातता न ए नहीं हो जाती । कोई मनुष्य वेश्या के साथ द्यमिचार करे और शीघ्र ही मर कर अपने ही वीर्य से उसी वेश्या के गर्भ से उत्पन्न हो जाय तो क्या वह द्यमिचारजात न कहलायगा । विद्यानन्द का कहना है कि परपुरुषगामिनी होने के पहिले उत्पन्न हुई सन्तति को मोक्षाधिकार है परन्तु सुदृष्टि की पक्षी तो उसके मरने के पहिले ही परपुरुषगामिनी हो चुकी थी । तब वह मोक्ष क्यों गया ? तिस्तलिखित श्लोकों से यह बात विलकूल मिद्द है कि वह पहिले ही द्यमिचारिणी हो गई थी—

वकारयो दुष्ट्रीस्तस्या गृहे छात्रः प्रवर्तते ।  
तेन साङ्गे दुरगच्छार सा करोति स्म पापिना ॥ ५ ॥

एकदा विमलायाश्च वाक्यतः सोऽपि वक्तकः ।

सुदृष्टि मारयामास कुर्वन्तं कामसेवनम् ॥ ६ ॥

अर्थात् विमला के घर में वक नाम का एक बदमाश छात्र रहता था, उस पापी के साथ वह द्यमिचार करती थी । एक दिन विमला के कहने से कामसेवन करते समय उस वक ने सुदृष्टि को मार डाला ।

इससे मालूम होता है कि सुदृष्टि के मरने के पहिले उसकी स्त्री द्यमिचारिणी हो चुकी थी, सुदृष्टि अपनी द्यमिचारिणी स्त्री के गर्भ से पैदा होकर मोक्ष गया था । उनके लिये लज्जा आना चाहिये जो हाड़ माँस में शुद्ध अशुद्धि का विचार करते हैं और जब उन विचारों की पुष्टि शास्त्रों से

नहीं होती तो शास्त्रों की वातों को छिपाकर लोगों को आँखों  
में धूल भौंकते हैं ।

**आस्पेष ( ख )—सुदृष्टि सुनार नहीं था । ( श्रीलाल,  
विद्यानन्द ) ।**

**समाधान—**युगने समय में प्रायः ज्ञाति के अनुसार  
हीं लोग आजीविका करते थे, इमलियं आजीविका के उल्लेख  
में उसकी ज्ञाति का पता लग जाता है। अगर किसी का  
चर्मकार न लिखा गया हो परन्तु जूते बनाने का बात लिखा  
हा, साथ ही ऐसी कोई बात न लिखा हा जिससे वह चमार  
मिछ न हो तो यह मानना ही पड़ेगा कि वह चमार था।  
यहा बात सुदृष्टि की है। उसने गानों का हार बनाया था  
और मरने के बाद दूसरे जन्म में भी उसने हार बनाया।  
अगर वह सुनार नहीं था तो ( १ ) पहिले जन्म में वह हार  
क्यों बनाना था ? ( २ ) व्रह्मचारी नेमिदत्त ने यह क्यों न  
लिखा कि वह था ता वैश्य परन्तु सुनार का धन्धा करता  
था ? ( ३ ) दूसरे जन्म में जब गाजकर्मचारी सब सुनारों के  
यहाँ चक्र लगा रहे थे तब अगर वह सुनार नहीं था तो  
उसके यहाँ क्यों आये ?

सुदृष्टि के सुनार होने के काफी प्रमाण हैं। आज मे  
रे वैष्णविले जो इस कथा का अनुवाद प्रकाशित हुआ था  
और जो स्थितिवालकों के मुह पं० धन्धालालजी का समर्पित  
किया गया था उसमें भी सुदृष्टि को सुनार लिखा है। उसकी  
व्याख्यारजाता पर तो किसी को सन्देह हाँ ही नहीं सकता।  
हाँ, धाखा देने वालों की बात दूसरी है ।

### सत्ताईसवाँ प्रश्न ।

सोमसेन विवरणचार का इस प्रमाण नहीं मानते परन्तु

विधवाविवाह के विरोधो परिणत इसका पूर्ण प्रमाण मानते हैं, यहाँ तक कि उस पक्ष के मुनिवेदो लोग भी उस पूर्ण प्रमाण मानते हैं। जिस प्रकार कुरान पर अपनी श्रद्धा न होने पर भी किसी मुसलमान को समझाने के लिये कुरान के प्रमाण देना अनुचित नहीं है उभी प्रकार विवरणीचार को न मानते हुये भी व्यतिगालकों को समझाने के लिये उसके प्रमाण देना अनुचित नहीं है।

विवरणीचार में दो जगह विधवाविवाह का विधान है और दोनों ही स्पष्ट हैं—

गर्भाधाने पुंमवनं सीमन्तोऽन्नयने तथा ।

बधुप्रवेशने रगडापुनर्विवाहमंडने ॥ ८-११६ ॥

पूजने कुलदेव्याश्च कन्यादाने तथैव च ।

कर्मधेतयु वै भार्या दक्षिणे तृपवेपयेत् ॥ ८-११७ ॥

गर्भाधान पुंमवन सीमन्तोऽन्नयन बधुप्रवेश, विधवाविवाह, कुलदेवीपूजा और कन्यादान के समय स्त्री को दाहिनी आर बैठाव।

इस प्रकरण से यह बात बिलकुल सिद्ध हो जाती है कि सोमसेनजी को स्त्री पुनर्विवाह स्वाकृत था। पीछे के लिपिकारों या लिपिकारकों को यह बात पसन्द नहीं आई इसलिये उनने 'रगडा' की जगह 'शूद्रा' पाठ कर दिया है। पं० पञ्चलालजी सोनी ने दोनों पाठों का उल्लेख अपने अनुवाद में किया था परन्तु पाँछे में किसी के बहकाने में आकर छुपा हुआ पत्र फढ़वा डाला और उसके बदले दूसरा पत्र लगवा दिया। अब वह फटा हुआ पत्र मिल गया है जिससे बास्तविक बात प्रकट हो गई है। दूसरी बात यह है कि इन श्लोकों में मुनिदान, पूजन, अभियोरु, प्रतिष्ठा तथा गर्भाधानादि संस्कारों की बात आई है इसलिये यहाँ शूद्र की बात नहीं

आसकती कार्योंकि ग्रन्थकार के मनानुसार शुद्धों को इन कार्यों का अधिकार नहीं है। इसलिये वामतव में यहाँ 'रगड़ा पुनर्विवाह' पाठ ही है जैसा कि प्राचोत्त प्रतियों से मिलता है।

अब ग्यारहवें अध्याय के पुनर्विवाह विधायक श्लोकों को भी देख लेना चाहिये। १७१ वें श्लोक में साधारण विवाह-विधि समाप्त हो गई है परन्तु ग्रन्थकार को कुछ विशेष कहना था मात्र। उनने १७२ वें श्लोक से लगाकर १७३ वें श्लोक तक कहा है। परन्तु दूसरी आवृत्ति में परिणामों ने १७४ वें श्लोकमें "अथ परमतस्मृतिवचनम्" ऐसा वाक्य और ज्ञाइ दिया जो कि प्रथमावृत्ति में नहीं था। वैर, वे कही के हों परन्तु सोमसेनज्ञा उन्हें जैतर्धम के अनुकूल समझते हैं इसलिये उन को उद्धृत करके भी उनका जगह नहीं करते। इसीलिये पश्चालाल जी ने १७२ वें श्लोक की उपशानिका में लिखा है कि— "परमतक अनुसार उस विषयका विशेष कथन करते हैं जिस का जैनमत के साथ कोई विरोध नहीं है।" इसलिये यहाँ जो पांच श्लोक उद्धृत किये जाते हैं उनके विषयमें कोई यह नहीं कह सकता कि ये तो यहाँ वहाँ के हैं इनमें हमें क्या सम्बन्ध? दूसरी बात यह है कि सोमसेन जी ने यहाँ वहाँ के श्लोकों से यों तो ग्रन्थका आधा कलेशर भर रखा है, इसलिये यहाँ वहाँ के श्लोकों के विषय में निर्कृत इतना ही कहा जा सकता है कि यह रचना दूसरों की है परन्तु मत तो उन्हीं का कहलायगा। मौर, उन श्लोकों का देखिये—

विवाहे दम्पती द्यातां त्रिग्रात्रं ब्रह्मचारिणौ ।

अलंकृता बधूष्टैव सह शश्यासनाशनौ ॥ ११—१७२ ॥

विवाह होजाने के बाद पति पत्नी तीन रात्रि तक ब्रह्मनर्य से रहें। इस के बाद बधू अलंकृत की जाय और वे दोनों साथ साथ साथ बैठें और साथ भोजन करें।

( १६६ )

वध्वा सहैव कुर्वीत निवासं शशुरालये ।

चतुर्थदिनमधैव कंचिदेवं वदन्ति हि ॥

वर, वधु के साथ मसुराल में हो निवास करे परन्तु  
कोई कोई कहते हैं कि चौथे दिन तक ही निवास करे ।

चतुर्थमध्ये ज्ञायन्ते दापा यदि वग्म्य चेत् ।

दत्तामणि पुनर्दद्यात् पितान्यम्मै विदुर्बुधाः ॥ ११-१७३

चौथी गत्रि को यदि वरके दोष (नपुंसकत्वादि) मालूम  
हो जायें तो पिता को चाहिये कि दो हुई-विवाही हुई-कन्या  
फिर से किसी दूसरे वर का दे दे अर्थात् उस का पुनर्विवाह  
करदे ऐसा बुद्धिमानों ने कहा है ।

प्रवरैक्षपादिदोपाः स्युः पतिसङ्गादधो यदि ।

दत्तामणि हरेदद्यादन्यस्मा इति कंचन ॥ ११-१७५

अगर पतिसङ्गम के बाद मालूम पड़े कि पति पत्नि के  
प्रवर गात्रादि की एकता है तो पिता अपनी दो हुई कन्या  
किसी दूसरे को देदे ।

कलौ तु पुनरुद्राहं वर्जयेदिति गात्रवः ।

कम्मिश्चिदेश इच्छन्ति न तु सर्वत्र कंचन ॥ ११-१७६

परन्तु गात्रव ऋषि कहते हैं कि कलिकालमें पुनर्विवाह  
न करे और कोई कोई यह चाहते हैं कि कहीं कहीं पुनर्विवाह  
किया जाय सब जगह न किया जाय ।

दक्षिण प्रान्तमें पुनर्विवाहका गिवाज्ज होने से भट्टारक जी  
ने उस प्रान्त के लिये यह कूट चाही है । यों तो उनने पुनर्वि-  
वाह को आवश्यक माना है परन्तु यदि दूसरे प्रान्त के लोग  
पुनर्विवाह न चलाना चाहें तो भट्टारक जी किसी किसी प्रान्त  
के लिये स्वास्कर दक्षिण प्रान्तके लिये आवश्यक नहीं होते हैं ।  
पाठक देखें इन श्लोकों में बत्रोपुनर्विवाह का कैसा ज्ञावर्द्धन  
समर्थन है । यहाँ पर यह कहना कि वह पुरुषों के पुनर्विवाह

का नियेधक है और अज्ञानता है । १७४-१७५ वें श्लोकों में कन्या के पुनर्वर्णन या पुनर्विवाह का प्रकरण है । १७६ वें श्लोक में पुनर्विवाह के विषय में कुछ विशेष विधि वरतारी गई है । विशेषविधि सामान्यविधि की अपेक्षा रखनी है इसलिये उसका सबन्ध ऊपर के दोनों श्लोकों से हो जाता है जिनमें कि स्त्रीपुनर्विवाह का विधान है ।

'कलौ त पुनरुद्धाह' 'कलिकाल में तो पुनर्विवाह' यहाँ पर जा 'तु' शब्द पड़ा है वह भी वरतारी है कि इसके ऊपर पुनर्विवाह का प्रकरण रहा है जिसका आंशिक नियेध गालव करते हैं । यह 'तु' शब्द भी इतना जयदंस्त है कि १७६ वें श्लोक का सम्बन्ध १७५ वें श्लोक से कर देता है और ऐसी हालतमें पुरुष के पुनर्विवाह की वात ही नहीं आती ।

दूसरी बात यह है कि पुरुषों के पुनर्विवाह का नियेध किसी काल के लिये किसी प्राचीन ग्रन्थि ने नहीं किया । हाँ एक पश्चिम रहने हुए दूसरी पत्नीका नियेध किया है । परन्तु विधुर हाजाने पर दूसरी पत्नीका नियेध नहीं किया है न ऐसी पत्नी को मांगपत्नी कहा है । इसलिये मांगपत्नी के नियेध को पुनर्विवाहका नियेध समझलेना अज्ञनदय शास्त्रिक अक्षमान है । मतलब यह कि न तो पुरुषों का पुनर्विवाह नियिष्ठ है न यहाँ उस का प्रकरण है, जिसमें १७६ वें श्लोकका अर्थ बदला जा सके । यह कहना कि हिन्दू ग्रन्थकारों ने विधवाविवाह का इही विधान नहीं किया है शिलकुल भूल है । नियोग और विधवाविवाह के विवाहोंसे हिन्दू मूलियाँ गरी पड़ी हैं । इस का उल्लंघ अमितगति आदि जैन ग्रन्थकारों ने भी किया है ।

स्थितिपालक पण्डित १७५ वें श्लोक के 'पतिभङ्गादध्यो' शब्दों का भी मिथ्या अर्थ करते हैं । पतिसङ्ग शब्द का पाणिपीड़न अर्थ करना हद दर्जे की धांखेबाज़ी है । पतिसङ्ग = पति-

“सम्भोग” यह नीधा सब्बा अर्थ हरेक आदमी समझता है। १७४ वें श्लोक के अनुर्धी शब्द का भी पाणिपोड़न अर्थ किया है और इधर पतिसङ्ग शब्द का भी पाणिपीड़न अर्थ किया जाय तो १७५ वाँ श्लोक बिलकुल निरर्थक हो जाता है: उपलिये यहाँ पर पाणिपोड़न अर्थ लोक, शास्त्र और ग्रन्थ-रचना की हाथि से बिलकुल भूटा है।

अधः शब्द का अर्थ है ‘पीछे’, परन्तु ये परिहृत करते हैं ‘पहिले’: परन्तु न तो किसी काष का प्रमाण देते हैं और न साहित्यिक प्रयाण बतलाते हैं। परन्तु अधः शब्द का अर्थ पीछे या बाद होता है: इसके उदाहरण तो जितने चाहे मिलेंगे। ऐस अधोभक्ति अर्थात् भोजनान्ते पीयमानं जलादिकम्-भोजन के अन्त में पिया गया जलादिक। इसी तरह “अधोलिखित श्लोक” शब्द का अर्थ है ‘इसके बाद लिखा गया श्लोक’ न कि ‘इसके पहिले लिखा गया श्लोक’। इवलिये ‘पतिसङ्गादधः’ शब्द का अर्थ हुआ ‘सम्भोग के बाद’। तब सम्भोग के बाद किया हुमरे को दी जासकती है तब स्त्रीपुनर्विवाह के विधान की स्पष्टता और क्या होगी?

अगर ‘अधः’ शब्द का अर्थ ‘पहिले’ भी कर लिया जाय तो भी १७५ वें श्लोक से स्त्रीपुनर्विवाह का समर्थन हो होता है। ‘सम्भोग के पहिले’ शब्द का मतलब हुआ ‘समपदी के बाद’ क्योंकि सम्भोग समपदी के बाद होता है। यदि समपदी के पहिले तक ही पुनर्वान की बात उन्हें स्वीकृत होती तो वे पतिसङ्ग शब्द क्यों डालते? समपदी शब्द ही डालते। समपदी के हो जाने पर विवाह पूर्ण हो जाता है और जब समपदी के बाद पुनर्वान किया जा सकता है तो स्त्रीपुनर्विवाह सिद्ध हो गया।

त्रिवरणचार में यदि एकाध शब्द ही स्त्रीपुनर्विवाह-

स्वाधक होता तो बात दूसरी थी, परन्तु उनमें तो अनेक प्रकारणों में अनेक तरह से स्वीपुनविवाह का समर्थन किया है । इस विवरणचार में ऐसी बहुत कम बातें हैं जो जैनधर्म के अनुकूल हों । उन बहुत यांडों बातों में एक बात यह भी है । इसलिये विवरणचार के भक्तों का कम से कम विवाहविवाह का तो पूर्ण समर्थक होना चाहिये ।

इनना लिखने के बाद जो कुछ आक्षेपकों के आक्षेप रह गये हैं उनका समाधन किया जाना है ।

**आक्षेप ( क )**—गालव ऋषि ने पुनर्विवाह का निषेध कर रहे हैं । आप विद्यान क्यों समझ बैठें ? ( श्रीलाल, विद्यानन्द )

**समाधान**—गालव ऋषि ने सिफर्क इलिकाल के लिये पुनर्विवाह का निषेध किया है । इसलिये उनके शब्दों से ही पहिले के युगों में पुनर्विवाह का विद्यान सिद्ध हुआ । तथा इसी श्लोक के उत्तरार्थ से यह भी सिद्ध होता है कि कोई आचार्य किसी देश के लिये कलिकाल में भी पुनर्विवाह चाहते हैं । इसलिये यह श्लोक विवाहविवाह का समर्थक है ।

भोगपत्नी आदि की बातों का खण्डन किया जा सका है । श्रीलालजी ने जो १७२ वें आदि श्लोकों का अर्थ किया है वह विलकूल बेकुनियाद तथा उनकी ही पार्टी के पंडित पन्नालाल जी सांनी के भी विरुद्ध है । इन श्लोकों में रजस्वला होने की बात तो एक बहुत भी न कहेगा ।

**आक्षेप ( स )**—मनुस्मृति में भी विवाहविवाह का निषेध है ।

**समाधान**—आक्षेपक यह बात तो मानते ही हैं कि हिन्दु शास्त्रों में परस्पर विरोधी कथन बहुत है । इसलिये वहाँ विवाहविवाह और नियोग का एक जगह ज़ारदार समर्थन

पाया जाता है तो दूसरी जगह ब्रह्मचर्य की महत्ता के लिये दोनों का निषेध भी पाया जाता है । अगर परिस्थिति की दृष्टि से विचार किया जाय तो इन सबका समन्वय हो जाता है । ऐसे, मनुस्मृति तथा अन्य स्मृतियों में विधवाविवाह या स्त्री पुनर्विवाह के काफी प्रमाण पाये जाते हैं । उनमें से कुछ ये हैं—

या पत्न्या वा परित्यक्ता विधवा वा स्वयेच्छया ।

उत्पादयेत्पुनर्भूत्वा स पौनर्भव उच्यते ॥

मनुस्मृति ६-१७५ ॥

सा चेदक्षतयानिः स्याद् गतप्रत्यागतापि वा ।

पौनर्भवेन भर्त्रा सा पुनः संस्कारमर्हति ॥ ६-१७६ ॥

पति के द्वारा छोड़ी गई या विधवा, अपनी हड्डी से दूसरे की भार्या हो जाय और जो पुत्र पैदा करे वह पौनर्भव कहलायगा । यदि वह स्त्री अक्षतयानि हो और दूसरे पति के साथ विवाह करे तो उसका पुनर्विवाह संस्कार होगा । ( पौनर्भवेन भर्त्रा पुनर्विवाहाख्यं संस्कारमर्हति ) अथवा अपने कौमार पति को छोड़कर दूसरे पति के साथ चली जाय और फिर लौटकर उसी कौमार पति के साथ आजाय तो उसका पुनर्विवाह संस्कार होगा । ( यद्वा कौमारं पतिमुत्सृज्यान्यमाश्रित्य पुनस्तमेव प्रत्यागता भवति तदा तेन कौमारेण भर्त्रापुनर्विवाहाख्यं संस्कारमर्हति ) । यहां पुनर्विवाह को संस्कार कहा है इसलिये यह सिद्ध है कि वह व्यभिचाररूप या निवारीय नहीं है ।

हिन्दुशास्त्रों के अनुसार कलिकाल में पाराशरस्मृति मुख्य है । ‘कलौ पाराशराः स्मृताः’ । पाराशरस्मृति में छोपुनर्विवाह विलक्षण व्यष्टि है—

नष्टे सृते प्रवजिते क्लीवेच पतिते पती ।

पञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते । ४-३० ॥

पति के खो जान पर, मर जान, संन्यासी होजाने, नपु-  
सक होने तथा पतिल हाजाने पर मिथ्यों का दूसरा पति कर  
लेने का विधान है ।

पति शब्द का 'पतौ' रूप नहीं होता—यह बहाना  
निकाल कर श्रालालजी नथा अन्य लोग 'अपतौ' शब्द निका-  
लते हैं और अपति का अर्थ करते हैं—जिम्मकी सिफ़ सगाई  
दुई हो । परन्तु यह काग भ्रम है । जोकि इस श्लोक को  
ज्ञानाचार्य श्रीश्रिमितिगति ने विद्वाविद्वाह क समर्थन में ही  
उद्धृत किया है । देखिये धर्मपरीक्षा ।

पत्न्यो प्रवत्तिते क्लावे प्रवस्त्रे पतिते मृते ।

पंचम्ब्रापत्सु नाराणां पतिरन्यो विधीयते ॥ ११-१२ ॥

दूसरी बात यह है कि अगर यहाँ 'अपतौ' निकलता  
होता तो 'अपतिरन्या विधीयते' पंचा पाठ रखना पड़ता जा  
कि यहाँ नहीं है और न कुन्दाभङ्ग के कारण यहाँ अकार  
निकाला जा सकता है ।

तीसरी बात यह है कि अपति शब्द का अर्थ 'जिसकी  
सिफ़' सगाई दुई हो ऐसा पति' नहीं होता । अपति शब्द के  
इस अर्थ के लिये काई नमूना पेश करना चाहिये ।

चौथी बात यह है कि पति शब्द के रूप हरि सरीखे भी  
चलते हैं । जोकि पति का अर्थ जहाँ साधारणतः स्वामी,  
मालिक यह होता है वहाँ समाज में ही जि संबंध होती है  
इसलिये वहाँ 'पतौ' ऐसा रूप नहीं बन सकता । परन्तु जहाँ  
पति शब्द का लाक्षणिक अर्थ पति अर्थात् 'विवाहित पुरुष'  
अर्थ लिया जाय वहाँ असमाज में भी जि संबंध हो जाती है  
जिससे पतौ यह रूप भी बनता है । 'पति समाज एव' इस  
शब्द की तत्वबोधिनी टीका में खुलासा तौर पर यह बात  
लिख दी गई है और उसमें पाराशरस्मृति का "पतिते पतौ"

वाला श्लोक भी उद्घृत किया गया है जिससे भी मालूम होता है कि यहाँ 'अपनौ' नहीं है 'पतौ' है । "अथ कथं सीतायाः पतयं नमः" इति, 'तस्मै मृते प्रवज्जिते क्लीष्टे च पतिने पतौ । पञ्चस्वापत्सु नारीणां पनिरन्त्यो विधीयते' इनि पाराशरश्च । अप्रादुः पतिरिति आख्यातः पतिः नत्कर्णनि तदाचस्ते इति लिखि टिळापे अत्र इः इत्यौणादिरपत्यये येरनिटि इति लिलापे च निष्पन्नोऽयं पतिः "पति समानः एव इत्पत्र न गृह्णते, लाक्षणिकत्वादिति" ।

पति शब्द के विसंक्लिक रूपों के और भी नमूने मिलते हैं तथा वैदिक संस्कृत में ऐसे प्रयोग यहुलता से पाये जाते हैं । पहिले हम यजुर्वेद के उदाहरण देते हैं—

नमो रुद्रायात्नायिने त्वं ब्राह्मणं पतये नमः, नमः सूतायम्-हन्त्यै वनानां पतये नमः । १८ । १८ ।

इसी तरह 'कद्माण्ड पतये नमः' 'पत्सीनां पतये नमः' आदि बहुत से प्रयोग पाये जाते हैं ।

स्वयं पाराशर ने—जिनके श्लोक पर यह विवाद चल रहा है—अन्यत्र भी 'पतौ' प्रयोग किया है । यथा—

जारेणु जनयेद्गर्भं मृते स्वकं गते पतौ ।

तां त्यजेदपरे राष्ट्रं पतिनां पापकारिणीम् ॥ १०-३१ ॥

अर्थात् पति के भर जाने पर या पति से छोड़ो जाने पर जो स्त्री व्यभिचार से गर्भ धारण करे उस पापिनी को देश में निकाल देना चाहिये । अर्थात् पाराशरजी यह नहीं चाहते कि कोई स्त्री व्यभिचार करे । विधवा या पतिहोन स्त्री का कर्तव्य है कि वह पुनर्विवाह करले या ब्रह्मचर्य में रहे, परन्तु व्यभिचार कभी न करे । जो स्त्रीयाँ ऊपर से तो विधवाविवाहको या उसके प्रचारकों को गालियाँ देती हैं और भीतर ही भीतर व्यभिचार करती हैं वे सचमुच महापापिनी हैं ।

( २०६ )

हेमकोष में भी पत्तौ शब्द का प्रयोग हुआ है । ‘धर्षो  
धृते नरे पत्तौ’ । यहाँ पर धर्ष और पति शब्द को पर्यायवाची  
कहा है और पति शब्दका पत्तौ रूप लिखा है ।

व्यास स्मृति में भी पतये प्रयोग है । ‘दासीवादिष्ट-  
कार्येषु भार्या भर्तुः सदा भवेत् । ततोऽसाधनं कृत्वा पतये  
विनिषेद्य तत् ॥ २-२७ ॥

यहाँ पतिके प्रति भार्यके कर्त्तव्य बतलाये हैं । यहाँ  
भी सगाई बाला पति अर्थ नहीं किया जा सकता है ।

शशीनीव हिमार्तानां घर्मार्तानां रवाविच ।

मनो न रमते रुदीणां जरा जीर्णेन्द्रिये पत्तौ ॥

मित्रज्ञाम—हितोपदेश ।

इम श्लोक के अर्थ में अपतौ निकालने की चेष्टा करके  
श्रीलालजी ने धोखा देने की चेष्टा की है । इनना ही नहीं यहाँ  
पर भी अपनी आदत के अनुसार उलटा चोर कोतवाल को  
डॉटे की कहावत चारनार्थ की है । आप कहते हैं कि ‘यहाँ भी  
सगाई बाल ( अपति ) बूढ़े दूल्हे की बात है’ । ताज्जुब यह है  
कि यहीं पर यह बात भी कहते जाते हैं कि विवाह तो १२-१६  
की उम्र में हुआ होगा । जब विवाह के समय वर की उम्र आप  
१६ बतलाते हैं तब क्या वह जन्म भर तो पति बना रहा और  
बुढ़ापे में अपति बन गया ? यतिहारी हैं इस कल्पना की !  
लेकिन जरा यह भी देखिये कि श्लोक किस प्रकारण का है ।

कौशाम्बी में चन्द्रनदाम सेठ रहता था । उसने बुढ़ापे  
में धनके बलसे लीलावती नामकी एक विष्णुपुत्री से शादी  
करली, परन्तु लीलावती को उस बूढ़े से सन्तोष न हुआ; इस-  
लिये वह व्यभिचारियी होकर गुप्त पाप करने लगी । इसी  
मौके पर यह श्लोक कहा गया है जिसमें ‘पत्तौ’ रूप का प्रयोग

है । अब पाठक हो सोचें कि क्या वह बुझा सगाई बाला दूलहा था ? श्रीलालजी धोखा तो देते ही है परन्तु उसके भीतर कुछ मर्यादा रहे तो अचला है ।

खँॅर, ये सब ग्रमाला इतने ज्ञानदर्शक हैं कि 'पतौ' रूप में किसी को सन्देह नहीं रह सकता । इसलिये पाराशर ने विधवाविवाह का विधान किया है, यह स्पष्ट है । इसके अनिरिक्त मनुस्मृति के प्रमाण दिये गये हैं । आवश्यकता होने पर और भी प्रमाण दिये जा सकते हैं । जैन विद्वान् यह कह सकते हैं कि हम हिन्दू स्मृतियाँ नहीं मानते परन्तु उन्हें यह कभी भूलकर भी न कहना चाहिये कि उनमें विधवाविवाहका विधान नहीं है । हिन्दू पुराण और हिन्दू स्मृतियाँ विधवाविवाह की पूरी समर्थक हैं ।

### आक्षेप ( ग )—

नान्यस्मिन् विधवा नारी नियोक्तव्या द्विजातिभिः ।

अन्यस्मिन् हि नियु जाना धर्म इन्युः सनातनः ॥

नोद्धाहिक्षेपु मन्त्रेषु नियोगः कीर्त्यते क्वचित् ।

न विवाहविधावुल्लः विधवावंदनं पुनः ॥

मनुस्मृतिके ये दोनों श्लोक विधवाविवाहके विशद हैं ।

( श्रीलाल )

**समाधान**—इम कह चुके हैं परिस्थिति के अनुसार अनेक तरह की आशाएँ एक ही स्मृतिमें पाई जाती हैं । इसलिये अगर एक पुस्तक में एक विषय में विधि निषेध है तो उसका समन्वय करने के लिये अपेक्षा दूँड़ना चाहिये । अन्यथा जिस मनुस्मृति में स्त्री पुनविवाह की आशा है और उसे संस्कार कहा है उसी में उसका विरोध कैसा ? स्मृतियाँ में समन्वय और मुख्यगोणताका बड़ा मूल्य है । खँॅर, परन्तु इन श्लोकों को तो श्रीलालजीने ठीक ठीक नहीं समझा है अन्यथा ये श्लोक

कभी उद्धृत न किये जाते। पाठक इनके अर्थ पर विचार करें, पूर्वापर सम्बन्ध देखें और नियोग तथा विधवाविवाह के भेद को समझें। ये श्लोक नियोगप्रकरण के हैं।

नियोग में सन्तानोपत्ति के लिये सिर्फ़ एक बार सभाग करने की आज्ञा है। नियोग के समय दोनों में सम्मोग किया विलकुल निर्लिपि होकर करना पड़ती है तथा किसी भी तरह की रसिकता से दूर रहना पड़ता है। देखिये—

ज्येष्ठो यवीयसो भार्यो यवोमान्वाग्रजन्मियम् ।

पतितो भवतां गन्त्वा नियुक्तावश्यनापदि ॥६-५३॥

अगर विधवा क सन्तान हो (अनापदि=सन्तानाभाव विना) तो उसका ज्येष्ठ या देवर नियोग करें तो पतित हो जाते हैं।

देवराडा सपिङ्डाडा किया सम्युक्त्युक्त्या ।

प्रजेपिताधिगन्तव्या सन्तानस्य परिज्ञये ॥ ६-५४ ॥

सन्तान के नाश हाजाते पर गुरुजनों की आज्ञाम् विधि-पूर्वक देवर से या और सपिङ्ड से (कुनुम्बी स) इच्छुत सन्तान पैदा करता चाहिये। (आवश्यकता हाने पर एक से अधिक सन्तान पैदा की जाती है। हिन्दु पुराणों के अनुसार धृतराष्ट्र पांडु और विदुर नियोगज सन्तान हैं)।

विधवायां नियुक्तम्भृतान्तो धार्यतां निशि ।

एकमुत्पादयेत्पुत्रं न द्वितीयं कथचन ॥ ६-५० ॥

विधवा में (आवश्यकता होने पर सध्ववामें भी) सन्तान के लिये नियुक्त पुरुष, सारे शरीर में घी का लेप करे मौन रक्ष्ये और एक ही पुत्र पैदा करे।

विधवायां नियोगार्थे निर्वृत्ते तु यथाविधि ।

गुरुवच स्नुपावच वर्तेयातां परम्परम् ॥ ६-५२ ॥

( २०६ )

नियोग कार्य पूरा हो जाने पर फिर भौजाई या बहु के समान एवित्र सम्बन्ध रखते ।

नियुक्ती तौ विधि हित्वा वर्तेयातां तु कामतः ।

ताकुमौ पतितौ स्यातां स्तुषागगुहतल्पगौ ॥६-६३॥

यदि नियोग के समय कामवासना से वह सम्भोग करे तो उसे भौजाई या भ्रातृवधू के साथ सम्भोग करने का पाप लगता है, वह पतित हो जाता है ।

पाठक देखें कि यह नियोग कितना कठिन है । साधारण मनुष्य इस विधिका पालन नहीं कर सकते । इसलिये आगे चलकर मनुस्मृति में इस नियोगका निषेध भी किया गया है । वेहो निषेधपरक श्लोक पंडित लोग उद्धृत करते हैं और विधिपरक श्लोकों को साफ छोड़ जाते हैं ।

हिन्दू शास्त्र न तो नियोगके विरोधी हैं, न विधवाविवाह के । उनमें सिर्फ नियोग का निषेध, कलिकाल के लिये किया है क्योंकि कलियुग में नियोग के योग्य पुरुषों का मिलना दुर्लभ है । यही बात दीकाकारने कही है—“अथं च स्वोक्तनियोग-निषेधः कलिकालविषयः” । बृहस्पति ने तीन श्लोकों में तो और भी अधिक खुलासा कर दिया है । इसलिये हिन्दूशास्त्रोंसे विधवाविवाह का निषेध करना सर्वथा भूल है ।

आधेप ( घ )—चाणिक्यने पुनर्विवाह की आज्ञा नहीं दी परन्तु पति के पास जाने की आज्ञा दी है । विद्वल लाभे का अर्थ छोड़कर दूसरा पति करने का अर्थ तो इस अन्धेरी दरबार को हो सूझा ।

समाधान—धीलालजी आन बूझकर बात को छिपाते हैं अन्यथा “यथादत्तमादाय प्रमुञ्चेयुः” आदि वाक्यों से पूर्वविवाह सम्बन्धके दृट जानेका साफ विधान है । लैर, पहिली बात तो यह है कि उन वाक्योंका अनुवाद छपी हुई पुस्तक में

से लिया गया है । हमारे विषय में अर्थ बदलने की कुकल्पना आप मस्ते हो कर, परन्तु अनुवादक के विषय में इस कल्पना की काई ज़रूरत नहीं है । इसके अनुवादक वेदरत्न विद्याभास्कर, न्यायनीर्थ, सांख्यतीर्थ और वेदान्त विशारद हैं ।

दूसरी बात यह है कि 'विद्वल् लाभे' धातु का प्रयोग विवाह अर्थ में होता है । मनुस्मृति में विन्देत देवरः का पर्याय वाक्य भर्तुः सोदर भ्राता परिणयेत् किया है । इसी तरह श्लोक ६-६० में 'विन्देत सहशं पति' का 'बरं स्वयं वृणोत्' पर्याय वाक्य दिया है । खुद कौटिलीय अर्थशास्त्र में विद्वल् धातु का प्रयोग वरण के अर्थ में हुआ है । जैसे—ततः पुत्रार्थी द्विनीयो विन्देत अर्थात् पहिली लड़ी से अगर १२ वर्ष तक पुत्र पैदा न हो तो पुत्रार्थी दूसरी शादी करले । यहाँ विन्देत का अर्थ शादी करे ही है । इसी तरह और भी बहुत से प्रयोग हैं । पहिले हमने थोड़े से प्रमाण दिये थे, अब हम ज़रा अधिक देंगे । उन में येसे प्रमाण भी होंगे जिनमें विद्वल् का अर्थ पास जाना न हो सकेगा ।

"मृते भक्तरिधर्मकामातदानीमेवास्याप्याभरणं शुल्क  
शेषं च लभेत ॥ २५ ॥ लब्ध्वा वा विन्दमाना सवृद्धिकमुमयं  
दाप्येत ॥ २६ ॥ अर्थात् पति के मरने पर ब्रह्मचर्य से रहने  
वाली लड़ी, अपना लड़ी धन और अवशिष्ट शुल्क ( विवाह के  
समय प्राप्त धन ) ले ले । अगर इस धन को प्राप्त कर वह  
( विवाह ) विवाह करे तो उससे व्याज सहित वापिस ले  
लिया जाय ।

पाठक विचारें कि यहाँ "विन्दमाना" का अर्थ विवाह करने वाली है न कि पति के पास जाने वाली क्योंकि पति तो मर चुका है । और भी देखिये—

'कुदुम्बकामातु भस्तुरपतिदसं निवेशकाले लभेत ॥ २७ ॥

निवेशकालं हि दीर्घप्रवासे व्याख्याम्यायः ॥२८॥ यदि विधवा दूसरा घर बसाना चाहे अर्थात् पुनर्विवाह करना चाहे तो श्वसुर और पति द्वारा दी हुई सम्पत्ति को वह विवाह समय में ही पा सकती है । विवाह का समय हम दीर्घ प्रवास के प्रकरण में कहेंगे ।

इसी दीर्घप्रवास प्रकरण के बाक्य हमने प्रथम लेख में उद्धृत किये थे । इससे मालूम होना है कि वहाँ पुनर्विवाह का ही ज़िकर है न कि पति के पास जाने का ।

“श्वसुरं प्रातिलोम्येन वा निविष्टा श्वसुरं पतिदत्तं जीयेत्” ॥ २९ ॥ श्वसुरको इच्छाके विरुद्ध विवाह करने वाली वधु से, श्वसुर और पति से दिया गया धन ले लिया जाय ।

इससे मालूम होता है कि महाराजा चन्द्रगुप्त के राज्य में श्वसुर अपनी विधवा वधु का पुनर्विवाह कर देता था । अगर श्वसुर उसका पुनर्विवाह नहीं करता था तो वह वधु ही अपना स्त्रीधन छोड़कर पुनर्विवाह कर लेती थी ।

ज्ञानिहस्तादभिमृष्टाया ज्ञातयो यथागृहीतं दद्युः ॥ ३० ॥ न्यायोपगतायाः प्रतिपत्ता स्त्रीधनं गोपायेत् ॥ ३१ ॥ अगर उसके पीहर वाले ( पिना स्नाना आदि ) उसके पुनर्विवाह का प्रबन्ध करें तो वे उसके लिये हुए धन को दे दें, क्योंकि न्यायपूर्वक रक्षार्थ प्राप्त हुई स्त्री की रक्षा करने वाला पुरुष उसके धन की भी रक्षा करे ।

पतिदायं विन्दमाना जीयेत ॥ ३२ ॥ धर्मकामाभुजीत ॥ ३३ ॥ दूसरे पतिकी कामना वाली हस्ती पतिका हिस्सा नहीं पा सकती और ब्रह्मचर्य से रहने वाली पासकती है ।

पुत्रवती विन्दमानास्त्रीधनं जीयेत ॥ ३४ ॥ तत् स्त्रीधनं पुत्रा हरेपुः ॥ ३५ ॥ पुत्रभरणार्थं वा विन्दमाना पुत्रार्थं स्फाती कुर्यात् ॥ ३६ ॥ कोई स्त्री पुत्र वाली होंकरके भी अगर पुनर्विवाह

करे तो वह स्त्री धन नहीं पास करती । उसका स्त्री धन उसके पुत्र ले लें । अगर पुत्रोंके भरण पोशण के लिये ही वह पुनर्विवाह करे तो वह अपनी सम्पत्ति पुत्रोंके नाम लिख दे ।

हम नहीं समझते कि इन प्रकरणों में कोई पुनर्विवाहका विधान न देखकर पति के पास जाने का विधान देख सकेगा । इस ग्रन्थ में परदेश में गये हुए दीर्घप्रवासी पति को तो छोड़ देने का विधान है, उसके पास जाने की तो बात दूसरी है ।

तीचन्वं परदेशं वा प्रस्थितो गाजकिलिष्ठी ।

प्राणाभिहन्ता पतितस्त्वायाः कलीयोऽपिवा पति ।

नीच, दीर्घप्रवासी, गाजद्राही, वातक, पतित और नयुं सक पतिको स्त्री छोड़ सकती है । हमें खेद के साथ कहना पड़ता है कि श्रीलालड़ी या उनके साथी किसी भी विषय का न तो गहरा अध्ययन करते हैं न पूर्वपर सम्बन्ध देखते हैं और मनमाना चिल्कुल बेबुनियाद लिख मारते हैं । स्त्री, अब हम हास्यप्रवास और दीर्घप्रवास के उद्धरण देते हैं जिनके कुछ अंग पहिले लेख में दिये जा चुके हैं ।

‘हस्यप्रवासिनां शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मणानां मार्याः संवत्सरोत्तर कालमाद्यन्ते रशप्रजाता, संवत्सराश्चिकं प्रजाताः ॥२६॥ प्रतिविहिताद्विगुणं कालं ॥२७॥ अप्रतिविहिता, सुखावस्था विभृपुः परं चत्वारिंश्वर्णरथष्टौ वाक्षातय । तनो यथादत्तमादाय प्रमुञ्चेयुः ॥ २८ ॥

योड़े समय के लिये बाहर जाने वाले शूद्र वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मणों की स्थिर्याँ अगर पुत्रहीन हों तो एक वर्ष और पुत्रवती इससे अधिक समय तक प्रतीक्षा करें । यदि पति आजीविका का प्रयत्न कर गया हो तो इससे दूने समय तक प्रतीक्षा करें । जिनकी आजीविका का प्रयत्न नहीं है, उनके बंधु बाँधव चार वर्ष या आठ वर्ष तक उनका भरण पोशण करें ।

इसके बाद प्रथम विवाह के समय में दिया हुआ धन वापिस लेकर दूसरी शादीके लिये आज्ञा देंदे ।

पाठक देखें कि यहाँ 'प्रमुखेयः' किया है । इसका अर्थ 'छोड़ दें' ऐसा होता है । पति के पास भेज दें ऐसा अर्थ नहीं होता । पति के पास से पिता के पास, या पिता के पास से पति के पास आने जाने में मुख्य या छोड़ देने का व्यवहार नहीं होता । इसलिये सम्बन्ध विच्छेद के लिये ही इस शब्द का व्यवहार हुआ है ।

आह्मणमधीयानं दश वर्षाण्यप्रजाता, द्वादश प्रजाता  
राजपुरुषमायुः त्यादाकाङ्क्षेत ॥३०॥ सवर्णतश्च प्रजाता नाप  
वादं लभेत ॥ ३१ ॥

एहने के लिये विदेश गये आह्मण की सन्तानहीन स्त्री दशवर्ष तक, संतान बाली १२ वर्ष तक और राजकार्यप्रबासी की जीवनपर्यन्त प्रतीक्षा करे । हाँ, अगर किसी समान वर्ष के पुरुष से वह गर्भवती होजाय तो वह निन्दनीय नहीं है ।

यहाँ पर प्रतीक्षा करने के बाद पति के पास जाने की बात नहीं लग सकती । जब ऐसी हालत में परपुरुष से गर्भवती होजाने की बात भी निन्दनीय नहीं है तब उनके पुनर्विवाह की बात का ना कहना ही क्या है ।

कुटुम्बदिलापे वा सुखावस्थैविमुक्ता यथेष्ट विन्देत  
जीवितार्थम् ॥ ३२ ॥ कुटुम्बकी सम्पत्ति तष्ट हाने पर या उनके द्वारा छोड़ जाने पर जीवन निर्वाह के लिये इच्छानुसार विवाह करे ।

थीलालजी विन्देत का अर्थ करते हैं पतिके पास जावे । इस सिद्धकर लुके हैं कि विन्देत का अर्थ 'विवाह करे' है । साथ ही इस प्रथम का सारा प्रकरण ही स्त्री पुनर्विवाह का है यह बात पहिले उद्धरणों से भी सिद्ध है । 'यथेष्ट' शब्द से भी

विवाह करने की बात सिद्ध होती है । इच्छानुसार पति के पास जावे—यहाँ इच्छानुसार शब्द का कुछ प्रयोगन ही नहीं मालूम होता, जब कि, इच्छानुसार विवाह करे—इस वाक्य में इच्छानुसार शब्द आवश्यक मालूम होता है ।

आपद्गतावार्थविवाहकुमारी परिगृहीतारमनाल्याय  
प्राप्तिं श्रूयमाणं सप्तनीर्था न्याकाङ्क्षेत ॥३३॥ संवत्सरं श्रूयमा-  
णमाल्याय ॥३४॥ प्राप्तिमध्यमाणं पञ्चनीर्थान्याकं डूक्षेत ॥३५॥  
दश श्रमणाणम् ॥३६॥ एक देशदत्त शुल्कं ब्रीणीतीर्थान्यश्रूय-  
माणम् ॥३७॥ श्रूयमाणम् सप्तनीर्थान्यकाङ्क्षेत ॥३८॥ दत्त शुल्कं  
पञ्चनीर्थान्यश्रूयमाणम् ॥३९॥ दश श्रयमाणम् ॥४०॥ ततः परं  
धर्मस्थैर्विसृष्टा यथेष्टम् विन्देत् ॥४१॥ निर्धनता से आपदग्रस्त  
कुमारी ( अक्षतवानि ) चिसका चार धर्मविवाहों में से कोई  
विवाह हुआ और उसका पति बिना कहे परदेश चला गया  
हो तो वह सात मासिकधर्म पर्यंत प्रतीक्षा करे । कहकर गया  
हो तो एक वर्ष तक । प्रवासी पति की स्थिर न मिलने पर पाँच  
मासिकधर्म तक । स्थिर मिलने पर दश मासिकधर्म तक प्रतीक्षा  
करे । विवाह के समय प्रतिक्षात धन का एक भाग ही जिसने  
दिया हो ऐसा पति विदेश जानेपर अगर उसकी छावर न मिले  
तो तीन मासिकधर्म तक और स्थिर मिलने पर सात मासिक  
धर्म तक उसकी प्रतीक्षा करे । अगर प्रतिक्षात धन सारा देविया  
हो तो स्थिर न मिलने पर तीन और स्थिर मिलने पर सात  
मासिकधर्म तक प्रतीक्षा करे । इसके बाद धर्माधिकारी की  
आड़ा लेकर इच्छानुसार दूसरा विवाह कर ले ( यहाँ भी  
यथेष्ट शब्द पड़ा हुआ है । ) । साथ ही धर्माधिकारी से आड़ा  
लेने की बात कही गई है । पुनर्विवाह के लिये ही धर्माधिकारी  
की आड़ा की झ़रत है न कि पति के पास जाने के लिये । फिर

( २१५ )

जिस पति की खबर ही नहीं मिली है उसके पास वह कैसे जा सकती है ?

दीर्घप्रवासिनः प्रदजितस्य प्रेतस्य वा भार्यास्मतीर्थी-  
न्याकांक्षेत ॥ ४३ ॥ संवत्सरं प्रजाता ॥ ४४ ॥ ततः पतिसोदर्थं  
गच्छेत् ॥ ४५ ॥ बहुषु प्रत्यास्त्रं धार्मिकं भर्म समर्थं कनिष्ठम्-  
भार्यं वा । तद्मावेऽप्यसोदर्थं सपिराङ्कुल्यं वासत्रम् ॥ ४६ ॥  
एतेषां एव एव क्रमः ॥ ४८ ॥

दीर्घप्रवासी, संन्यासी या मर गया हो तो उसकी स्त्री  
सप्त मासिकधर्म तक उसकी प्रतीक्षा करे । अगर सन्तान वाली  
हो तो एक वर्ष तक प्रतीक्षा करे, इसके बाद पति के भाई के  
साथ शादी करले । जो भाई पतिका नज़दीकी हो, धार्मिक हो,  
पालन पोषण कर सके और पती रहित हो । अगर सगा भाई  
न हो तो पति के बंश का हो या गोत्र का हो ।

यहाँ तो श्रीलाल जी पति के पास जाने की बात न  
कहेंगे ? क्योंकि पति तो संन्यासी हो गया है या मर गया है ।  
फिर पति के भाई के पास जाने की आज्ञा क्यों है ? अपने भाई  
या पिता या श्वसुर के पास जाने की क्यों नहीं ? फिर पति  
का भाई भी कैसा ? जिसके पती न हो । क्या अब भी श्रीलाल  
जी यहाँ विवाह की बात न समझेंगे ।

आज्ञेप ( ३ )—आचार्य सोमदेवजी ने जिन स्मृतिकारों  
के विषय में लिखा है वह सब चर्चा सगाई बाद की है ।  
वैष्णवों के किसी प्रन्थ में भी विधवाविवाह की आज्ञा नहीं है ।

( श्रीलाल )

समाधान—“विकृतपत्यृढापि पुनर्विवाहमर्हतीति स्मृ-  
तिकाराः” विकृतपति के साथ विवाही गई लड़ी भी पुनर्विवाह  
कर सकती है । स्मृतिकारों के इस वक़दर में सगाई की ही  
धुन लगाये रहने वाले श्रीलाल जी का साहस धन्य है ।

‘तावद्विवाहो नैवस्याद्यायवत्सपदी भवेत्’ तब तक विवाह नहीं होता जब तक सप्तपदी न हो जाय। इसलिये जिस लोगों को विवाही गई कहा है वह अभी तक वापदता ही बनी हुई है, ऐसी बात श्रीलाल जी ही कह सकते हैं। फिर पुनर्विवाह शब्द भी पड़ा हुआ है। यह पुनर्विवाह शब्द ही इतना स्पष्ट है कि विशेष कहने की ज़रूरत नहीं है। खैर, श्रीलाल जी इस वाक्य का जो चाहे अर्थ करें परन्तु उनने यह बात मानली है कि सोमदेव जी को इस वाक्य में कुछ आपत्ति नहीं है। अन्यथा उन्हें इस वाक्य के उद्धृत करने की क्या ज़रूरत थी, जब कि खराड़न नहीं करना था। वैष्णवों के प्रन्थों में पुनर्विवाह की कैसी आज्ञा है यह बात हम इसी लेख में विस्तार से सिद्ध कर चुके हैं।

### प्रश्न अटूर्डसवाँ

इस प्रश्न में यह पूछा गया था कि अगर किसी अबोध कन्या के साथ कोई बलात्कार करे तो फिर उसका विवाह करना चाहिये या नहीं। हमने उत्तर में कहा था कि ऐसी हालत में कन्या निरपराध है। इसलिये विधवा-विवाह के विरोधी भी ऐसी कन्या का विवाह करने में सहमत होंगे; क्योंकि उसका विवाह पुनर्विवाह नहीं है, आदि। श्रीलाल जी का कहना है कि ‘उसी पुरुष के साथ उसका विवाह करना चाहिये या वह ब्रह्मचारिणी रहे, तो सरा मार्ग नहीं ज़ंचता।’ जब तक मिथ्यात्व का उदय है तब तक श्रीलालजी को कुछ ज़ंच भी नहीं सकता। परन्तु श्रीलालजी, न ज़ंचने का कारण कुछ भी नहीं बतला सके हैं इसलिये उनका यह बक्तव्य दुरा-प्रह के सिवाय और कुछ नहीं है।

**आक्षेप ( क )—ऐसी कन्या का विवाह बलात्कार करने**

( २१७ )

वाले पुरुष के साथ ही करना चाहिये । पाण्डु और कुन्ती के चारित्र से इस प्रश्न पर प्रकाश पड़ता है । ( विद्यानन्द )

समाधान—पाण्डु और कुन्ती का सम्बन्ध बलात्कार नहीं था जिससे हम पाण्डु को नीच और राक्षसी प्रकृति का मनुष्य कह सकें । और ऐसी हालत में पाण्डु अपात्र नहीं कहा जा सकता । बलात्कार तो शैतानियत का उग्र और बीभत्सरूप है । बलात्कार निकू<sup>१</sup> कुशील ही नहीं है, किन्तु वह घोर राक्षसी हिंसा भी है । इसलिये बलात्कार के उदाहरण में पाण्डु-कुन्ती का नाम लेना भूल है । हम पूछते हैं कि बलात्कार, विवाह है या नहीं ? यदि विवाह है तो फिर विवाह करने की आवश्यकता क्या है ? अगर विवाह [नहीं] है तो वह कन्या अविवाहिता कहलाई; इसलिये उसका विवाह होना चाहिये ।

आन्तेर ( य )—बिलाव अगर दूध को जूठा करदे तो वह अपेय हो जाता है, यद्यपि इसमें दूध का अपराध नहीं है । इसी प्रकार बलात्कार से दूषित<sup>२</sup> कन्या भी समझता चाहिये । ( विद्यानन्द )

समाधान—इस व्यापार में अनेक ऐसी विषमताएँ हैं जो दूध के समान कन्या को त्याज्य सिद्ध नहीं करतीं । पहिली तो यह है कि दूध जड़ है । दह अगर नाली में फैंक दिया जाय तो दूध को कुछ दुःख न होगा । इसलिये हम दूध के निरपराध होने पर भी उसकी तरफ से लापर्वाह रह सकते हैं । परन्तु कन्या में सुख दुःख है । उसकी पर्वाह करना समाज का कर्तव्य है । इसलिये कन्या के निरपराध होने पर हम ऐसा कोई विधान नहीं बना सकते, जिससे उसको दुःख या उसका अपमान हो ।

दूसरी विषमता भोज्य भोजक की है । खी को हम

भोज्य कहें और पुरुष को भोजक, यह बात सर्वथा अनुचिन है। क्योंकि जिस प्रकार स्त्री, पुरुष के लिये भोज्य है उसी प्रकार पुरुष, स्त्री के लिये भोज्य है। इसलिये स्त्री जूठी हो और पुरुष जूठा न हो, यह नहीं कहा जा सकता। जब पुरुष जूठा होकर के भी स्त्री के लिये भोज्य रहता है तो स्त्री भी क्यों न रहेगी ?

तीसरी बात यह है कि स्त्री पुरुष के सम्बन्ध को आत्मेपक ने गोग मान लिया है जबकि वह उपभोग है। भोग का विषय एक बार ही भोगा जाता है, इसलिये उसमें जूठा-पन आजाना है; परन्तु उपभोग अनेकबार भोगा जाता है। सभ्य आदमी अपना ही जूठा भोजन दूसरे दिन नहीं खाना जबकि एक ही वस्त्र को अनेकबार काम में लाना रहता है। अगर स्त्री को भोज्य माना जाय तो जिस स्त्री को आज भोगा गया। उसको फिर कभी न भागना चाहिये। तब नो हर एक पुरुषको महीने में चार चार छुः छुः स्त्रियोंकी आवश्यकता पड़ेगी अन्यथा उन्हें जूठी स्त्री से ही काम चलाना पड़ेगा।

स्त्री और पुरुषके सम्बन्धमें तो दानोंही सुखानुभव करते हैं, इसलिए कौन किसका जूठा है यह नहीं कहा जा सकता। फिर भी जो लोग स्त्रियों में जूठेपन का व्यवहार करते हैं वे माता को भी जूठा कहेंगे, क्योंकि एक बच्चे ने एक दिन जिस माता का दूध पीलिया वह दूसरे दिन के लिये जूठी हो गई। और दूसरे बच्चे के लिये और भी अधिक जूठी हो गई। इतना ही नहीं इस दृष्टि से पृथ्वी, जल, वायु आदि जूठे कहलायेंगे, सारा संसार उच्छ्वष्य हो जायगा, क्योंकि किसी भी इन्द्रिय का विषय होने से जब पदार्थ उच्छ्वष्य माना जायगा तो उपर्युक्त करने से पृथ्वी, जल और वायु जूठी कहलायगी और आँखों से देख लेने पर सारा संसार जूठा कहलायगा। यदि

( २१६ )

रसना इन्द्रिय के विषय में ही उचित्कृष्ट अनुचित्कृष्ट का व्यवहार किया जाय तो कन्याको हम उचित्कृष्ट नहीं कह सकते, क्योंकि वह चबाने खाने की वस्तु नहीं है, जिससे वह जूठे दूधके समान समझी जाय ।

### उन्तीसवाँ प्रश्न ।

“बैवर्णिकाचार से तलाक के रिवाज का समर्थन होता है ।”—यह बात हमने संक्षेप में सिद्ध की थी । परन्तु ये दोनों आक्षेपक कहते हैं कि उसमें तलाक की बात नहीं है । भले ही तलाक या ( Divorce ) आदि प्रचलित भाषाओं के शब्द उस ग्रन्थ में न हों परन्तु वैवाहिक सम्बन्ध के त्याग का विचार अवश्य है और इसी को तलाक कहते हैं—

अप्रजां दशमे वर्षे स्त्री प्रजां द्वादशे त्यजेत् ।

मृतप्रजां पञ्चदशे सद्यस्त्वप्रियवादिनीम् ॥११-१६७॥

व्याधिता स्त्रीप्रजा वन्ध्या उन्मत्ता विगतार्त्त्वा ।

अदुष्टा लभते त्यागं तोर्थनो न तु धर्मतः ॥११-१६८॥

अगर दस वर्षे तक कोई संतान न हो तो दसवें वर्षमें, अगर कन्याएँ ही पैदा होती हों तो बारहवें वर्षमें, अगर संतान जीवित न रहती हो तो १५वें वर्ष में स्त्री को छोड़ देना चाहिये और कठोर भाषिणी हो तो तुरन्त छोड़ देना चाहिये ॥ १६७ ॥ रोगिणी, जिसके केवल कन्याएँ ही पैदा होती हों, वन्ध्या, पागल, जो रजस्वला न होती हों ऐसी स्त्री अगर दुष्ट न हो तो उसके साथ संभोग का ही त्याग करना चाहिए; बाकी पत्नीत्व का व्यवहार रखना चाहिए ॥ १६८ ॥ इससे मालूम होता है कि १६७ में श्लोक में जो त्याग बतलाया है उसमें स्त्री का पत्नीत्व सम्बन्ध भी अलग कर दिया गया है । यह तलाक नहीं तो क्या है ?

श्रीलाल जी कहते हैं कि दक्षिण में तलाक का रिवाज ही नहीं है। सौभाग्य से दक्षिणप्रान्त आज भी बना हुआ है। कोई भी आदमी वहाँ जाकर देख सकता है कि चतुर्थ पंचम संतवाल आदि दिग्मधर जैनियों में विधवाविवाह और तलाक का रिवाज आमतौर पर चालू है या नहीं। बल्कि वहाँ पर विधुर कुमारियों के साथ शादी नहीं करते। इसलिये कुमारियों के साथ पहिले किसी अन्य पुरुष की शादी करदी जाती है इसके बाद तलाक दिलाया जाता है फिर उस विधुर के साथ उस तलाक वाली मधी की शादी होती है। इसके अनिवार्य अन्य स्त्रियाँ भी तलाक देती हैं, पुनर्विवाह करती हैं॥

दक्षिणप्रान्त में तलाक का अभोव बतला कर श्रीलाल जी या नो कृपमण्डूकता का परिचय दे रहे हैं या समाज को धोखा दे रहे हैं।

### तीसवाँ प्रश्न ।

पुराणों में विधवा-विवाह का उल्लेख क्यों नहीं मिलता, इसके कारणोंका सप्रमाण दिग्दर्शन किया था। दोनोंही आक्षेपकों से यहाँ पर भी कुछ खण्डन नहीं बन सका है। परन्तु इन प्रश्नमें विद्यानन्द जीने तो सिर्फ अपनी अनिच्छाही ज़ाहिर की है, परन्तु परिणाम श्रीलालजी ने अराह खण्ड लिख मारा है। बल्कि धृष्टदत्तका भी पूर्ण परिचय दिया। जैनजगत् आदि पथों का काला मुँह करने का उपदेश दिया है। खैर, यहाँ हम संक्षेप में अपना वक्तव्य देकर आक्षेपोंका उत्तर देंगे।

अ—पुराणों में विधवा-विवाह का उल्लेख नहीं है और विधुर विवाह का उल्लेख नहीं है। परन्तु यह नहीं कहा जासकता कि पहिले ज़माने में विधुर विवाह नहीं होते थे। न यह कहा जासकता है कि विधवाविवाह नहीं होते थे।

आ—आजकल भी प्रथम विवाह के समय ही विशेष समारोह किया जाता है। द्वितीय विवाहके समय विशेष समारोह नहीं किया जाता। इसी तरह पहिले ज़माने में भी स्त्री पुरुषों के प्रथम विवाह के समय विशेष समारोह होता था; द्वितीयादि विवाहों के समय नहीं। रामचन्द्र आदि के प्रथम विवाह का जैसा उल्लेख मिलता है वैसा द्वितीयादि विवाहोंका नहीं मिलता। इसी तरह स्त्रियोंके भी प्रथम विवाहका उल्लेख मिलता है द्वितीय विवाहों का नहीं।

इ—पुरुषोंके द्वितीयादि विवाहोंका जो साधारण उल्लेख मिलता है वह उन के बहुपतनीत्व का महत्व बतलाने के लिए है। पुराने ज़मानेमें जो मनुष्य जितना बड़ा वैभवशाली होता था वह उतनी ही अधिक स्त्रियाँ रखता था। इसीलिए चक्रवर्ती के १६ हज़ार, अर्द्धचक्रीके १६०००, बलभद्रके ८००० तथा साधारण राजाओंके सैकड़ों स्त्रियाँ होती थीं। स्त्रियाँ अपना पुनर्विवाह तो करतीं थीं, परन्तु उनका एक समय में एक ही पति होता था; इसलिये उनके बहुपतनीत्व का महत्व नहीं बतलाया जासकता था। तब उनके दूसरे विवाहका उल्लेख क्यों होता ?

ई—आजकल लोग अपनी लड़कियों का विवाह जहाँ तक बनता है कुमार के साथ करते हैं, विधुरके साथ नहीं। लास-कर श्रीमान् लोग नो अपनी लड़की का विवाह विधुरोंके साथ करापि नहीं करते। परन्तु इस परसे यह नहीं कहा जासकता कि आज विधुरविवाह नहीं होता, या विवाह करने वाले विधुर जातिल्युत समझे जाते हैं। इसी प्रकार पुराने समय में लोग यथाशक्ति कुमारियों के साथ शादी करते थे और श्रीमान् लोग नो विधवाओं के साथ शादी करना ही नहीं चाहते थे। परन्तु इससे विधुर विवाह के समान विधवाविवाह का भी निषेध नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि स्त्रियों को विवाह के

बाद एक कुटुम्ब छोड़कर दूसरे कुटुम्ब में जाना पड़ता है । इसलिये भी श्रीमन्त घरानों की स्त्रियाँ पुनर्विवाह नहीं करती थीं, क्योंकि ऐसी अवस्थामें उन्हें गृहीब घरमें जाकर रहना पड़ता था । चूँकि श्रीमान् लोगों को तो कुमारियाँ ही मिल जाती थीं इसलिये वे विधवाओं से विवाह नहीं करते थे । गृहीब घरानों में होने वाले वैवाहिक सम्बन्धों का महत्व न होने से शास्त्रों में उनका उल्लेख नहीं है ।

उ—प्रायः कुमारियाँ ही स्वयम्भर करती थीं और स्वयम्भर बड़े र विग्रहोंके तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के स्थान थे; इसलिए शास्त्रों में स्वयम्भर का ज़िकर आता है । विधवाओं का स्वयम्भर न होने से विधवाविवाह का ज़िकर नहीं आता ।

ऊ—हिन्दू पुराणों में द्रौपदी के पाँच पति माने गये हैं। दिगम्बर जैन लेखकोंने द्रौपदीके प्रकरणमें इस बातका खण्डन किया है । हिन्दू शास्त्रों के अनुसार मन्दोदरीका भी पुनर्विवाह हुआ था, परन्तु मन्दोदरी के प्रकरण में उसके पुनर्विवाह का खण्डन नहीं किया गया। इससे मालूम होता है कि दिगम्बर जैन लेखक बहुपनित्व (एक साथ बहुत पति रखना) की प्रथा के विरोधी थे, परन्तु विधवाविवाह के विरोधी नहीं थे ।

श—हमारे पुराण जिस युग के बने हैं उस युग में भारत में सतीप्रथा ज्ञार पकड़ रही थी, विधवाविवाहकी प्रथा लुप्त होरही थी । ऐसी अवस्थामें दिगम्बर जैन लेखकोंने ज़माने का रुख देखकर विधवाविवाह वाली घटनाओंको अलग कर दिया, परन्तु कोई आदमी विधवाविवाह को जैनधर्मके विरुद्ध न समझले, इसलिये उनने विधवाविवाहका विरोध नहीं किया।

ल—हिन्दू पुराणों से और स्मृतियों से वैदिक धर्मावलम्बियों में विधवाविवाह का रिवाज सिद्ध है । गौतम गणधर ने हिन्दू पुराणों की बहुतसी बातोंका खण्डन किया, परन्तु

( २२३ )

विधवाविवाहका खरडन नहीं किया । इससे भी विधवाविवाह की जैनधर्मानुकूलता मालूम होती है ।

ए—प्रथमानुयोग, पुण्य और पापका फल बतलाने के लिये है, इसलिये उसमें गीतिरिवाजों का उल्लेख नहीं होता है । इसलिये उसमें ऐसे किसी भी विवाहका उल्लेख नहीं है जो असाधारण पुण्य या पुण्य फल का द्योतक न हो । ऊपर हम कह चुके हैं कि विधवाविवाह में ऐसी असाधारणता न होने से उसका उल्लेख नहीं हुआ ।

ऐ—ऐसी बहुत बातें हैं जो जैनधर्मके अनुकूल हैं, शास्त्रोंके हैं, परन्तु पुराणों में जिनका उल्लेख नहीं है—जैसे विवाहमें होनेवाली सम्पदी, वैधव्यदीक्षा, दीक्षान्वय क्रियाएँ आदि ।

ओ—परम्परासेवन आदि का जिस प्रकार निन्दा करने के लिये उल्लेख है, उस तरह शास्त्रमें विधवाविवाहका खरडन करने के लिए उल्लेख नहीं है ।

ओ—भगवान महावीर के छारा जितना प्रथमानुयोग कहा गया था उतना आजकल उपलब्ध नहीं है । सिर्फ मोटी मोटी घटनाएँ रह गई हैं इसलिए भी विधवाविवाह सरीखी साधारण घटनाओं का उल्लेख नहीं है ।

उपर्युक्त बारह छेदकोंमें मेरे वक्तव्य का सारांश आगया है और आक्षेपोंका खण्डन भी हो गया है । फिर भी कुछ बाकी न रह जाय, इसलिये आक्षेपकोंके निःसार आक्षेपोंका भी समाधान किया जाता है । लेखनशैली की अनभिज्ञता से श्रोतालजी ने जो आक्षेप किये हैं उन पर उपेक्षा दृष्टि रखी जायगी ।

आक्षेप ( क )—दमयन्तीने अपने पति नको दूँढ़ने के

लिये स्वयम्बर रचदिया तो आ हिन्दु शास्त्रोंमें पुनर्विवाह सिद्ध होगया ? [ श्रीलाल ]

समाधान—दमयन्ती पुनर्विवाह चाहती थी, यह हम नहीं कहते; परन्तु उस समय हिन्दुओं में उसका रिवाज था यह बान सिद्ध होजाती है। दमयन्ती के स्वयम्बर का निमन्त्रण पाकर किसीने इसका विरोध नहीं किया—सिर्फ़ दमयन्ती के पति नल को छोड़कर और किसी को इसमें आश्र्य भी न हुआ। सब राजा महाराजा स्वयम्बर के लिये आये। यदि विवाह-विवाहका रिवाज न होता तो राजा महाराजा क्यों आते ?

आक्षेप ( ख )—अन्तराल में चाहे धर्म कर्म उठ जाय परन्तु सज्जातीयविवाह नष्ट नहीं हुआ करता है। [ श्रीलाल ]

समाधान—अन्तरालमें धर्मकर्म उठ जाने पर भी अगर सज्जातीय विवाह नष्ट नहीं हुआ करता तो इससे सिद्ध हो जाता है कि सज्जातीय विवाह से धर्मकर्म का कुछ सम्बन्ध नहीं है। ऐसी हालत में सज्जातीय विवाह का कुछ महत्व नहीं रहता।

सज्जातीय विवाह का बन्धन तो पौराणिक युग में कभी रहा ही नहीं। जातियाँ तो सिर्फ़ ध्यापारिक ज्ञेन्त्र के लिये थीं। भगवान् प्रश्नपदेव के समय से जातियाँ हैं और उनके पुत्र सन्माट् भरतने ३२००० विवाह म्लेच्छ कन्याओं के साथ किये थे। तीर्थঙ्करों ने भी म्लेच्छों के साथ वैवाहिक सम्बन्ध किये थे। अनुलोम और प्रतिलोम दोनों तरहके उदाहरणोंसे जैन-पुराण भरे पड़े हैं। विजातीयविवाह और म्लेच्छ कन्याओं से होने वाले विवाहके फलस्वरूप होने वाली सन्तान मुकिगामी हुई है इसकेमी उदाहरण और प्रमाण बहुतसे हैं। यहाँविजातीय विवाह का प्रकरण नहीं है। विजातीय विवाह की अर्चा उठाकर श्रीलाल जी धूप के डरसे भट्टी में कूद रहे हैं। अन्त-

( २२५ )

राल में विजातीय विवाह रहे चाहे जाय परन्तु जब उस समय जैनधर्म की प्रवृत्ति नहीं थी तब वैदिकधर्म के अनुसार विधवाविवाह का रिवाज अवश्य था और पोछे के जैनी भी उन्हीं की सन्तान थे ।

**आक्षेप ( ग )**—मुसलमानों में भी सैयद का सैयद के साथ और मुगल का मुगल के साथ विवाह होता है ।

( श्रीलाल )

**समाधान**—विधवा विवाह के विरोध के लिये ऐसे ऐसे आक्षेप करने वाले के होश हवास दुरुस्त हैं इस बात पर मुश्किल से ही विश्वास किया जा सकता है । सैयद सैयद से विवाह करे इसमें विधवाविवाह का खगड़न क्या हो गया ? बल्कि इससे तो यही सिद्ध हुआ कि जैसे मुसलमान लोग ( श्रीलाल जी के मतानुसार ) सजातीय विवाह करते हुये भी विधवाविवाह करते हैं तो अन्यत्र भी सजातीय विवाह होने पर भी विधवाविवाह हो सकता है । इसलिये अन्तराल में सजातीयविवाह के बने रहने से विधवाविवाह का अमाव सिद्ध नहीं होता । फिर मुसलमानों में विजातीयविवाह न होने की बात तो धृष्टिना के साथ धोखा देने की बात है । जहाँगीर बादशाह की माँ हिन्दु और बाप मुसलमान था । मुसलमानों में आधे से अधिक हिन्दूरक्तमिश्रित हैं । आज भी मुसलमान लोग चाहे जिस जाति की स्त्री से शादी कर लेते हैं ।

**आक्षेप ( घ )**—विजातीयविवाह से एक दो सन्तान के बाद विनाश हो जाता है । बनस्पतियों के उदाहरण से यह बात सिद्ध है ।

**समाधान**—आक्षेपक को बनस्पति शास्त्र या प्राणि शास्त्र का ज़रा अध्ययन करना चाहिये । प्राणिशास्त्रियों ने

( २२६ )

विजातीय सम्बन्धों से कैसी विचित्र जातियों का निर्माण किया है और उनकी कैसी वंशपरम्परा चल रही है, इस बात का पता आप को थोड़े अध्ययन में ही लग जाता। किसी मूर्ख माली की अधूरी बात के आधार पर सिद्धान्त गढ़ लेना आप ही सरीखे कृपमंदूर का काम हो सकता है। खैर, मान लीजिये कि विजातीय सम्पर्क को वंश परम्परा नहीं चलती, परन्तु मनुष्य में तो विजातीयविवाह की वंशपरम्परा चलती है। जहाँगीर हिन्दू माँ और मुसलमान बाप से पैदा हुआ था। इसके बाद के भी अनेक बादशाह इसी तरह पैदा हुए जिनकी परम्परा आज तक है। कई शताब्दियों तक तो वह वंश राज्य ही करता रहा। बाद में ८८५७ के स्वतन्त्र-युद्ध के बाद भा उसी वंश के बहुत से मनुष्य गृहीतों को हातत में गुज़र करते थे और उनमें बहुत से आज भी बने हुए हैं। यदि यह सिद्धान्त मान लिया जाय कि विजातीयविवाह की मन्त्रान परम्परा अधिक नहीं चलती तो इससे विजातीय विवाह का निषेध नहीं होगा किन्तु मनुष्यों में होने वाला विजातीयविवाह, विजातीय नहीं है अर्थात् मनुष्यमात्र एक जाति के हैं यही बात सिद्ध होगी। क्योंकि मनुष्यों में विजातीय सम्बन्ध से भी वंश परम्परा चलती रहती है।

**आक्षेप ( डॉ )—**क्या श्रेणिक के समय में रामायण आदि ग्रन्थ बन गये थे ?

**समाधान—**ये ग्रन्थ बहुत प्राचीन हैं यह बात ऐतिहासिक प्रमाणों से सिद्ध है। साथ ही अपने पद्मपुराण में भी यह लिखा है।

देविये पद्मपुराण द्विनीय पर्य—

थूर्यंते लौकिके ग्रन्थे राज्ञसाः रावणादयः ॥ २३० ॥

एवंविधे किलग्रन्थं रामायणमुदाहृतं ॥ २३७ ॥

अश्रद्धेयमिदं सर्वं वियुक्तमुपपत्तिमिः ॥ २४८ ॥

ये सब श्रेणिक के मुंह से निकले हुए वाक्य हैं। रामायण का नाम तक आया है। श्रेणिक ने रामायण की अन्य बातों की तो निन्दा की, परन्तु विधवाविवाह को कहों भी निन्दा न की, न गोतम ने ही निन्दा की, इससे विधवाविवाह की जैनधर्मानुकूलता सिद्ध होती है।

**आक्षेप ( च )**—जब कुछु न बना तो एक श्लोक द्वी बना कर लिख दिया। इस मायाचार का कुछु ठिकाना है !

( श्रीलाल )

### समाधान—

यथा च जायते दुःखं सद्गायामात्मयोषिति ।

नरान्तरेण सर्वेषामियमेव व्यवस्थितिः ॥ १४-१९२ ॥

इस श्लोक में यह बताया गया है, कि परस्त्री रमण से परस्त्री के पति को कष्ट होता है इसलिये परस्त्री सेवन नहीं करना चाहिये। यह श्लोक पद्मपुराण का है जिसे श्रीलाल जी ने मेरा कह कर मुझे मनमानी गालियाँ दी हैं। इतना ही नहीं ऐसे अच्छे श्लोक के खण्डन करने की भी असफल चेष्टा की है। परन्तु इससे हमारा नहीं पद्मपुराण का खण्डन और आचार्य रविषेण का अपमान होता है।

इस श्लोक से यह बान सिद्ध होती है, कि परस्त्री रमण से पति को कष्ट होता है, इसलिये वह पाप है। इसी आधार पर यह कहा जाना है कि विधवाविवाह से पति को कष्ट नहीं होता, क्योंकि पति मर गया है इसलिये विधवाविवाह पाप नहीं है। ऐसी सीधी बान भी श्रीलाल जी न समझे तो बलिहारी इस समझे की।

श्रीलाल जी ने यह स्वीकार किया है कि 'अपनी विवा-

हिता को छोड़ कर शेष सब में व्यभिचार है चाहे वह कुमारी हो सधिवा हो या विधिवा हो'। श्रीलालजी के इन वक्तव्य का हम पूर्ण समर्थन करते हैं और इसीसे विधिवा-विवाह का समर्थन भी हो जाता है। जिस प्रकार कुमारी के साथ रमण करना व्यभिचार है, किन्तु कुमारी को विद्याहिता बना कर रमण करना व्यभिचार नहीं है। उसी प्रकार विधिवा के साथ रमण करना व्यभिचार है परन्तु विधिवा के साथ विवाह कर लेने पर उसके साथ रमण करना व्यभिचार नहीं है। विधिवा के साथ विवाह करने पर उसे अविवाहिता नहीं कहा जा सकता, जिससे यहाँ व्यभिचार माना जावे। इस तरह श्रीलालजी के वक्तव्य के अनुसार भी विधिवा-विवाह उचित ठहरता है।

**आक्षेप ( ल )**—महर्षिगण आठ विवाह बताने वालों की हम मानें या नौमी प्रकार का ये विधिवा-विवाह बताने वाले तुम्हारी मानें।

**समाधान**—विधिवा-विवाह नवमा भेद नहीं है किन्तु जिस प्रकार कुमारीविवाह के आठ भेद हैं उसी प्रकार विधिवा-विवाह के भी आठ भेद हैं। इस विषय में पहिले विस्तार से लिखा जा चुका है।

**आक्षेप ( ज )**—प्राचीन समय में लोग विधिवा होना अच्छा नहीं समझते थे। यदि पहिले समय में विधिवा-विवाह का गिराज होता तो फिर विधिवा शब्द से इतने डरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ( विद्यानन्द )

**समाधान**—आज मुसलमानों में ईसाईयों में या अन्य किसी समुदाय में, जिसमें कि विधिवा-विवाह होता है, क्या विधिवा होना अच्छा समझा जाता है? यदि नहीं तो क्या वहाँ भी विधिवा-विवाह का अमावस्या लिखा हो जायगा? आजकल या

प्राचीन ज्ञाने में क्या लोग अपनी खी का मरजाना अच्छा समझते थे ? यदि नहीं तो विधुर हाना भी बुरा कहलाया । तब तो विधुर-विवाह का भी अभाव सिद्ध हो जाना चाहिये ।

प्राचीन ज्ञाने में विधवा को अच्छा नहीं समझते थे, इससे विधवा-विवाह का अभाव सिद्ध नहीं होता बल्कि सद्वाव सिद्ध होता है । विधवा होना अच्छा नहीं था, इसलिये विधवा विवाहके द्वारा उसे सध्वा बनाते थे । क्योंकि जो चीज़ अच्छी नहीं होती उसे हटाने की कोशिश होती है । निराग अगर रोगी हो जाय तो उसे फि निराग बनाने की कोशिश की जाती है । इसी प्रकार सध्वा अगर विधवा हो जाय तो उसे फिर सध्वा बनाने की कोशिश की जाती थी । इस तरह विद्यानन्द का तर्क भी विधवा-विवाह का समर्थन ही करता है ।

इस प्रश्न में कुछ आक्षेप ऐसे भी हैं जो कि पहिले भी किये जा चुके हैं और जिनका उत्तर भी विस्तार से दिया जा चुका है । इसलिये अब उनको पुनरुक्ति नहीं की जाती ।

### इकतीसवाँ प्रश्न ।

‘सामाजिक नियम या व्यवहार धर्म बदल सकते हैं या नहीं’ इसके उत्तर में हमने कहा था कि बदल सकते हैं, क्योंकि व्यवहार धर्म साधक है । जिस कार्य से इमें निश्चय धर्म की प्राप्ति होगी वही कार्य व्यवहार धर्म कहलायगा । प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता और प्रत्येक समय की परिस्थिति एकसी नहीं होती । इसलिये सदा और सब के लिये एकसा व्यवहार धर्म नहीं हो सकता । अनेक प्रकार के मूलगुण, कभी चार संयम, कभी पांच संयम, किसी को कमण्डलु रखना,

किसी को नहीं रखना आदि शास्त्रोक्त विधान व्यवहार धर्म की विविधता बतलाते हैं ।

सामाजिक नियमों के विषय में विद्यानन्द कहते हैं कि “सामाजिक नियम व्यवहार धर्म के साधक हैं अतः उनमें तबदीली करना मोक्ष मार्ग की ही तबदीली है……सामाजिक नियमों में रहोबदल करने और मोक्षमार्ग में रहोबदल करने का एक ही अर्थ है ।” परन्तु इनके सहयोगी परिणत श्रीलाल जी कहते हैं कि “सामाजिक नियम भिन्न भिन्न देशों में और भिन्न भिन्न कालों में और भिन्न भिन्न जातियों में प्रायः भिन्न भिन्न हुआ करते हैं ।……लौकिक विधि उसी रूप में करना चाहिये जैसी कि जहाँ हो ।” इस तरह ये दानों आक्षेपक आपस में ही भिड़ गये हैं । यह कहने की ज़रूरत नहीं कि विद्यानन्दजी ने सामाजिक नियम का कुछ अर्थ ही नहीं समझा और वे प्रलापमात्र कर गये हैं । सामाजिक नियमों के विषय में श्रीलालजी का कहना ठीक है और वह हमारे वक्तव्य की दोका मात्र है । श्रीलालजी कहते हैं कि सामाजिक नियम धर्म की छाया में ही रहते हैं । हमने भी लिखा था कि सामाजिक नियम धर्मपापक होना चाहिये । अब व्यवहार धर्मविषयक मतभेद रह जाता है, इसलिये उसके आक्षेपों का समाधान किया जाता है ।

**आक्षेप ( क )—**व्यवहार धर्म निश्चय का साधक है । न संसारी आत्मा की अवस्था पलटती है न निश्चयधर्म की, न उसके साधक व्यवहार धर्म की । ( श्रीलाल )

**समाधान—**किसी भी द्रव्य की शुद्धावस्था दो तरह की नहीं होती परन्तु अशुद्धावस्था अनेक तरह की होती है, क्योंकि शुद्धावस्था स्वापेक्ष है और अशुद्धावस्था परापेक्ष है । पर द्रव्य अनन्त हैं इसलिये उनके निमित्त से होने वाली

अशुद्धि भी अनन्त तरह को हैं। इसलिये उनका उपचार भी अनन्त तरह का होगा। लोक और शास्त्र दोनों ही जगह साध्य की एकता होने पर भी साधन में भिन्नता हुआ करती है। श्रीलालजी का यह कहना बिलकुल झूठ है कि संसारी आत्माओं की अवस्था नहीं पलटती। अगर संसारी आत्मा की अवस्था न पलटे तो सब संसारियों का एक ही गुणस्थान, एक ही जीवसमाप्ति और एक ही मार्गणा होना चाहिये। निम्नलिखित बातों पर दोनों आलेपकों को विचार करना चाहिये।

१—मनुष्य अगर अणुवत् पाले तो वह पानी छानकर और गर्म करके पियेगा, जब कि अणुवती पशु ऐसा न कर सकेगा। वह बहताहुआ पानी पीकरकंभी अणुवती बनारहेगा। व्यवहार धर्म अगर एक है तो पशु और मनुष्य की प्रवृत्ति में अन्तर क्यों ?

२—कोई कमरड़लु अवश्य रक्खेगा, कोई न रक्खेगा, यह अन्तर क्यों ?

३—किसी के अनुसार तीन मकार और पाँच फल का त्याग करके ही [ बिना अणुवतोंके ] मूलगुण धारण किये जा सकते हैं, किसी मत के अनुसार मधु संबन्ध करते हुएभी मूल-गुण पालन किये जा सकते हैं क्योंकि उसमें मधु के स्थान पर दूत का त्याग बतलाया है। इस तरह के अनेक विधान क्यों हैं ? अगर कहा जाय कि इस में सामान्य विशेष अपेक्षा का भेद है तो कौनसा सामान्य और कौनसा विशेष है ? और इस अपेक्षा भेद का कारण क्या है ?

४—२२ तीर्थङ्करों के तीर्थ में चार संयमों का विधान क्यों रहा ? और दो न पाँच का विधान क्यों किया ? [ कोई सामायिकका पालन करे, कोई छोटोपस्थापना का, यह एक

बात है, परन्तु छेदोपस्थान का विधान न होना दूसरी बात है। ]

ऐसे और भी बहुत से उदाहरण दिये जा सकते हैं। परन्तु इन सबके उत्तरमें यही कहा जासकता है कि जिस व्यक्ति में जितनी योग्यता होती है या जिस युग में ऐसे व्यक्तियों की बहुलता रहती है व्यवहार धर्म का रूपभी वैसा ही होता है। हाँ, व्यवहार धर्म हो कैसा भी, किंतु उस की दिशा निश्चय धर्म की ओर रहती है। अगर निश्चय साधकता सामान्य की दृष्टिसे व्यवहार धर्म एक कहाजाय तो किसीको विवाद नहीं है परन्तु वाहारूप की दृष्टि से व्यवहार धर्म में विविधता अवश्य होगी।

अब इस कसौटी पर हम विधवाविवाह को कसते हैं। धार्मिक दृष्टि से विवाह का प्रयोजन यह है कि मनुष्य की कामवासना सीमित हो जाय। इस प्रयोजनकी सिद्धि कुमारी विवाह से भी है और विधवाविवाह से भी है। निश्चय साधकता दोनों में एक समान है। अगर दोनों आक्षेपक निश्चय साधकता सामान्य को दृष्टि में रखकर व्यवहार धर्म को एक तरह का माने तो कुमारीविवाह और विधवाविवाह दोनों एक सरीखे ही रहेंगे। दोनों की समानता के विषय में हम पहिले भी बहुत कुछ कह सुके हैं।

**आक्षेप ( ख )** — जो लोग अजितनाथसे लेकर पाश्वनाथ तक के शासन में छेदोपस्थापनाका अभाव बतलाते हैं उनकी विद्वत्ता दयनीय है। ( विद्यानन्द )

**समाधान** — मेरी विद्वत्ता पर दयात कीजिये, दया कीजिये उन बहुकर स्वामी की विद्वत्ता पर जिनने मूलाचारमें यह बात लिखी है। देखिये—

बाबीसं तिथ्ययरा सामाइय संजमं उथिदिसन्ति ।

छेदुष ठावणियंपुण मयवं उसहो य वीरोय ॥ ५३३ ॥

‘अर्थात् बाईस तीर्थकुर सामायिक संयम का उपशेष देते हैं और भगवान् ऋषभ और महाबीर छेदोपस्थापना का। अगर आप बट्टकेर स्वामी की विद्वत्ता पर दया न बतला सकें तो अपनी विड्वत्ता को दयनीय बतलायें, जो कृप-मण्डूक की तरह हंस के विशाल अनुभव को दयनीय बतला रही है।

**आक्षेप ( ग )**—विना व्यवहारका आलम्बन लिये मोक्ष मार्ग के निकट पहुंच नहीं हो सकती। ( विद्यानन्द )

समाधान—व्यवहार का निषेध में नहीं करता, त कहीं किया है। यहाँ तो प्रश्न व्यवहारके विविध रूपों पर है। कुमारीविवाह में जैसी व्यवहार-धर्मता है वैसी ही विधवाविवाह में भी है। यहाँ व्यवहार के दो रूप बतलाये हैं—व्यवहार का अमाव नहीं किया गया।

**आक्षेप ( घ )**—जब पथ भ्रष्टता हाँचुकी तो लक्ष्य तक पहुंच ही कैसे होगी ?

समाधान—मार्ग की विविधता या यान की विविधता पथभ्रष्टता नहीं है। कोई बी० बी० सी० आ० लाइनसे देहली जाता है, कोई जी० आ० पी० लाइन से, कोई एकसप्रेस से, कोई मामूली गाड़ी से, कोई फर्टफ्लास में, कोई थर्ड-फ्लास में, परन्तु इन सब में पर्याप्त विविधता होने पर भी कोई पथभ्रष्ट नहीं है; क्योंकि समय-भेद मार्ग-भेद होने पर भी दिशाभेद नहीं है। विधवाविवाह, कुमारीविवाह के समान निर्गत कामवासनाको दूर करता है। इसलिये दोनोंकी दिशा एक है, दोनों ही लक्ष्यके अनुकूल हैं, इसलिये उसे पथ-भ्रष्टता नहीं कह सकते।

( २३४ )

इस तरह विधवाविवाह जैनधर्म के अनुकूल सिख हो गया। मैं विधवाविवाह के प्रत्येक विरोधी को नियन्त्रण देता हूँ कि उसे विधवाविवाह के विषय में अगर किसीभी तरहकी शक्ति हो तो वह ज़रूर पूछे। मैं उसका अन्त तक समाधान करूँगा।



# \* आवश्यक सूचना \*

—•—•—

देहली में एक जैनबाल-विधवा-विवाह-सहायक सभा स्थापित है। वे सज्जन जो विधवाविवाह के सिद्धान्त से सहमत हों या जो सभा के सम्बर होना चाहें या जिन्हें अपने लड़के या लड़की का ऐसा सम्बन्ध कराना स्वीकार हो, वह नीचे लिखे पते पर पत्र-व्यवहार करें:—

मन्त्री—

जैन बाल-विधवा-विवाह सहायक सभा  
दरीबा कलाँ, देहली।

इस पुस्तक के प्रकाशन में अन्यथ प्रकाशित महानुभावों  
के अतिरिक्त थीमान बाबू राजकुमार प्रेमचन्द्र कोल मरचेन्ट  
ने भा., प्रदान किये हैं—धन्यवाद।

—मन्त्री

# \*अन्य उपयोगी पुस्तके\*

→ १००००० →

१. शिक्षाप्रद शास्त्रीय उदाहरण—लेखक-श्रीमान्  
पणिडत जुगल किशोर जी मुख्तार मूल्य )||
२. विवाह क्षेत्र प्रकाश ” ” मूल्य ।”)
३. जैनजाति सुदशा प्रवर्तक—लेखक-श्रीमान बाबू  
सूरजभान जी ” ” ” ।”)
४. मंगला देवी— ” ” ” ।”)
५. कुवारों की दुर्दशा ” ” ” ।”)
६. गृहस्थ धर्म— ” ” ” ।”||
७. राजदुलारी ” ” ” ॥)
८. विधवा-विवाह और उन के संरक्षकों से अपील  
लेखक—ब० श्रीतल प्रसाद जी ” ” ।”||
९. उज्जलेपोश बदमाश—लेखक-प० अयोध्याप्रसाद  
गोयनीय देहली ” ” ” ।”)
१०. अबलाओं के आँसू ” ” ” ।”||
११. पुनर्लग्न मीमांसा—ले०-बाबू भोलानाथ  
मुख्तार बुलन्दशहर ” ” ” ।”||
१२. विधवा-विवाह मीमांसा ले०-श्री० सच्चिदाची ” ” ।”||
१३. सुधारसंगीतमाला—ले०-प० भूरामल  
मुशरफ जैपुर ” ” ” ।”||
१४. जैन-धर्म और विधवा-विवाह ( पहिला भाग ) ” ” ।”||
१५. जैन-धर्म और विधवा विवाह ( दूसरा भाग ) ” ” ।”||

मिलने का यता :—

ला० जौहरीमल जैन सराफ़, दरीबा कलाँ, देहली

ॐ

# विधवा विवाह समाधान

लेखक :—

श्रीयुत “मध्यसार्ची”

प्रकाशक :—

जैन वाल विधवा महायक मभा

दरगीवा कलाँ, देहली।

शान्तिचन्द्र जैन के प्रबन्ध में  
“चैतन्य” प्रिण्टिङ्ग प्रेस विजनोर में छुपी।

प्रथमावृत्ति	{	पौष	{	मल्य )॥
२०००	)	वीर निर सम्बन्ध २४५५	)	

# \* धन्यवाद \*

-३८२-४३७-

श्रीमान् पं० “सत्यसाची” जी ने इस अपूर्व विष्टता पूर्ण लेख द्वारा जो अनेकों युक्तियों से विधवा विवाह का समाधान किया है, यह सभा उसके उपलक्ष में लेखक महोदय के प्रति अत्यन्त कृतज्ञ है और जिन निम्नांकित सज्जनों ने हमारे उद्देश्य से प्रेम भाव धारण करके इस गहन्य पूर्ण नियन्त्र के छपाने में हमारी आर्थिक सहायता की है यह सभा हृदय से उनकी आभारी है : -

१०) ला० भोलानाथ जैन (दरखशाँ) मुस्तार बुलन्दशहर

१०) ला० काहनचन्द्र गामलाल पंजाबी अमृतसर।

१०) राजकुरुण प्रेमचन्द्र कोल मर्चेंट देहली।

३०) कुल जोड़।

मम्ती  
जैन बाल विधवा सहायक सभा  
देहली।

# विधवा विवाह

[ लेखक—एक “सत्यमाची” ]



विधवा-विवाह के विषय में इस समय काफ़ी चर्चा चल रही है। विधवा विवाह के प्रचारकों का कहना है कि इससे धर्म में विशेष हानि नहीं है और वर्तमान अवस्था को देखते हुए यह अत्यन्त आवश्यक है। विरोधी इसको हर तरह धर्म विरुद्ध कहते हैं, महापातक समझते हैं और उन्हें इस बान का दुख है कि विधवा विवाह प्रचारकों को भेजने के लिये आठवां नरक क्यों नहीं है ? मेर !

सामाजिक दृष्टि से विधवा विवाह कौपा है इस विषय पर मैं इस लेख में विशेष विचार न करूँगा। मुझे तो धार्मिक दृष्टि से इस विषय पर विचार करना है। यथापि मैं पंडित नहीं हूँ फिर भी थोड़ी सी संस्कृत जानता हूँ। धर्म शास्त्रों का भी स्वाध्याय किया है। विद्वानों की सङ्गति का भी सौभाग्य मिला है। इससे मेरी इच्छा हुई कि इस विषय पर मैं भी कुछ अपने विचार प्रगट करूँ। वड़े बड़े विद्वानों के बीच मैं मझ सरीखे जुद व्यक्ति के पड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार की धृष्टिता है, फिर भी समय ऐसा आगया है कि चुप रहना भी बड़े साहस का काम है।

मेरे विचार से विधवा-विवाह धर्म विरुद्ध अथवा पाप

नहीं है। अथवा दूसरे शब्दों में इसे यों कहना चाहिये कि यह उतना ही बड़ा पाप है जितना कि कुमारी विवाह। जो लोग यह कहते हैं कि “विधवा विवाह आदर्श नहीं है, लेकिन……” उनके शब्दों से भी मैं सहमत नहीं हूँ। ‘लेकिन’ ‘किन्तु’ ‘परन्तु’ लगा कर विधवा-विवाह को नीची दृष्टि से देखना मैं समझ का फेर समझता हूँ। आदर्श तो ब्रह्मचर्य है, उससे उत्तरती अवस्था विवाह है: फिर चाहे वह विधवा के साथ हो या कन्या के साथ। विवाह पाप होने पर भी, जिन गुकियों और आवश्यकताओं से हम कुमारी विवाह को उचित समझते हैं, उन्हीं गुकियों और आवश्यकताओं से विधवा-विवाह भी उचित है। कन्या का विवाह इस लिये किया जाता है कि जिससे सन्तान चले और कन्या दुराचारिणी न हो जावे। यद्यपि अभी तक वह दुराचारिणी हुई नहीं है, सिर्फ़ दुराचारिणी होने की सम्भावना है। इसी प्रकार विधवा-विवाह भी इसी लिये किया जाता है जिससे कि सन्तान चले और वह दुराचारिणी न हो जावे। भले ही वह अभी तक दुराचारिणी न हुई हो, सिर्फ़ सम्भावना ही हो।

जो लोग यह कहने लगते हैं कि “विधवाओंने क्या आपके पास दरख़वास्त भेजी है?” उनको यह भी सोचना चाहिये कि कुमारी कन्यायें भी क्या दरख़वास्त भेजती हैं? कुमारियों के विषयमें तो भूलाहन्या और गुप्त व्यभिचार की भी शिकायतें यहाँ सुनने में नहीं आतीं, फिर भी आप उनका विवाह कर देते हैं: तब विधवा समाज तो भूल छत्या, गुप्त व्यभिचार आदि कार्यों द्वारा ज़बरदस्त दरख़वास्ते भेजती हैं, फिर उनका विवाह क्यों न किया जाय? विधवा-विवाह के निषेध के लिये लोग

जल्दी से सीता और अङ्गना का नाम लेने लगते हैं, परन्तु सीता और अङ्गना को वैधव्य कब भोगना पड़ा ? पुराणों में विधवाओं का उल्लेख नहीं के बराबर है और जो मिलती है वे आर्जिका के रूप में । हम मानते हैं कि उस समय भी अनेक विधवायें गृहवास करती थीं, परन्तु इससे भी उनके विवाह का निषेध नहीं होता । भगवान् ऋषभदेव की पुत्रियों (ब्राह्मी, सुन्दरी) ने अखगड ब्रह्मचर्य पाला था । क्या उनका उदाहरण देकर हम कुमारी विवाह का निषेध कर सकते हैं ? और क्या सीता अङ्गनाको भी पापिनी कह सकते हैं ? यदि नहीं तो सीता अङ्गना का उदाहरण देकर हम वर्तमान में विधवा विवाह का भी निषेध नहीं कर सकते । जैसे ब्राह्मी और सुन्दरी का उदाहरण देकर हम कुमारी विवाह और विधवा विवाह का निषेध नहीं कर सकते, उसी प्रकार पवनंजय का उदाहरण देकर पुरुषों के पुनर्विवाह का भी खगड़न नहीं किया जासकता । पवनंजय अङ्गना को वाईस वर्ष छोड़े रहा । फिर भी उसने दूसरा विवाह न कराया । आजकल कितने पुरुष भर जवानी में वाईस वर्ष तक संयम रख सकते हैं ? कियों के लिये तो ब्राह्मी, सुन्दरी, सीता आदि आदर्श हैं, परन्तु पुरुषों के लिये क्या वासुपूज्य, मञ्जिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ महावीर, पवनंजय आदि आदर्श नहीं हैं ? बात यह है कि आदर्श से हम रास्ते का पता लगा सकते हैं, उसकी तरफ मुँह करके चल सकते हैं, लेकिन समाज का प्रत्येक व्यक्ति उसके ऊपर आढ़ नहीं हो सकता ।

जब हम देखते हैं कि अपने तीन तीन चार चार विवाह करने वाले पुरुष विधवा-विवाह का निषेध करते हैं तब हमें

उनकी बेशरमी पर नाज़ुब होता है। अरे भाई ! तुम मर्द हाकर जब काम की ज़रासी चपेट नहीं मह सकते, तो विचारी स्त्रियाँ कैसे महेंगी। जिस काम को तुम स्वयं करते हो, उसी पर तुम दूसरों को दगड़ देना चाहते हो। भला इस बेहयाई का कुछ डिकाना है। जो विधवा विवाह के विरोधी हैं, उन्हें चाहिये कि वे एक अलग समाज स्थापित करें जिसमें न तो पुरुषों का पुनर्विवाह होता हो न स्त्रियों का।

बहुत से लोग विधवा-विवाह के निषेध के लिये स्त्रियों को आगे करने लगे हैं। परन्तु हम कुमारी विवाह के निषेध के लिये सैकड़ों कन्याओं को खड़ा करदें, तो क्या आप कुमारी विवाह बन्द कर देंगे ? बात यह है कि शताव्दियों की गुलामी ने स्त्रियों के शरीर को ही नहीं, किन्तु आत्मा और हृदय को भी गुलाम बना दिया है। उनमें अब इतनी हिम्मत नहीं है कि वे हृदय की बात कह सकें। अमेरिका में जब गुलामी की प्रथा के विरुद्ध अंत्राहमलिंकन ने युद्ध लेंड़ा तो स्वयं गुलामों ने लिंकन माहिव के विरुद्ध अपने मालिकों का पक्ष लिया और जब वे स्वतन्त्र हो गये तो भी मालिकों की शरण में पहुँचे। गुलामी का ऐसा ही प्रभाव पड़ता है। ज़रा स्वतन्त्र नारियों से आप ऐसी बात कहिये, युराप की स्त्रियों से विधवा-विवाह के विरोध करने का अनुरोध कीजिए, तब आपको मालूम हो जायगा कि स्त्रीहृदय क्या चाहता है ? हमारे देश की लज्जालु स्त्री कार्य कर सकती है, पर कह नहीं सकती। एक विधवा सं—जिसके चिह्न वैधव्य पालन के अनुकूल नहीं थे—एक महाशय ने विधवा-विवाह का ज़िकर

किया तो उनको पचासों गालियाँ मिलीं, घर वालों ने गालियाँ दीं और बिनारों की बड़ी फ़ज़ीहत की, परन्तु कुछ दिनों बाद वह एक आदमी के घर में ज़ाकर बैठ गई। इसी तरह ऐकड़ा विधवाएँ अज़ैनों के साथ भाग सकती हैं, भ्रूण-हत्या कर सकती हैं, गुप्त व्यभिचार कर सकती हैं, परन्तु मुँह से अपना जन्म मिड्र अधिकार नहीं मांग सकती। प्रायः प्रत्येक पुरुष को इस बात का पता होगा कि ऐसे कार्यों में स्त्रियाँ मुँह से 'ना' 'ना' करती हैं और कार्य में 'हाँ' 'हाँ' करती हैं। इसलिये स्त्रियों के इस विरोध का कोई मूल्य नहीं है।

अब हम इस विषय में विचार करते हैं कि क्या विधवा विवाह पाय है और अगर पाय है तो कौनसा? विधवाविवाह के विरोधियों का कहना है कि यह व्यभिचार है। अगर पूछा जाय कि व्यभिचार किसे कहते हैं तो उत्तर मिलेगा कि पर-पुरुष या परस्त्री के साथ रमण करना। अगर पूछा जाय कि परपुरुष और परस्त्री किसे कहते हैं? तो उत्तर मिलेगा कि पुरुष का जिस स्त्री के साथ विवाह न हुआ हो वह पर स्त्री, और स्त्री का जिस पुरुष के साथ विवाह नहीं हुआ, वह पर पुरुष है। विवाह के पहिले अगर कोई पुरुष, किसी कुमारी के साथ अनुचित सम्बन्ध करे, तो भी उसे व्यभिचार कहेंगे: लेकिन विवाह होने के बाद वह सम्बन्ध व्यभिचार न कहलायेगा। इस में यह बात मानूस मालूम होती है कि विवाह में ऐसी गृही है जो व्यभिचार के दोष को अपहरण कर लेती है। जो आज परपुरुष है विवाह होने के बाद वह स्वपुरुष बन जाता है, जो आज परस्त्री है विवाह होजाने के बाद वह ही स्वस्त्री बन जाती है। जो विधवा आज परस्त्री है वह विवाह

हो जाने पर स्वमत्री हो जावेगी: जो पुरुष, एक विधवा के लिये आज परपुरूष है वही विवाह हो जाने पर स्वपुरुष होजायगा। फिर अब व्यभिचार कहाँ रहा। क्या स्वमत्री और स्वपुरुष के साथ सम्बन्ध करना भी व्यभिचार है? यदि विवाह हो जाने पर भी हम व्यभिचार व्यभिचार चिलचाते रहें तब तो पूर्ण व्रतचारी के सिवाय सभी व्यभिचारी कहलायेंगे।

कहा जाता है कि विधवा का तो विवाह ही नहीं हो सकता, फिर वह व्यभिचार का दोष कैसे दूर होगा? ठीक है: अगर विधवा का विवाह न हो सके तब तो व्यभिचार का दोष बना ही रहेगा। लेकिन हमें कोशिश तो करनी चाहिये कि विधवा का विवाह हो सकता है या नहीं? यदि कर सकेंगे तो ठीक है, न कर सकेंगे तो वश क्या है। अगर विधवा-विवाह करते ही बज्र पड़ जाय, श्री का जीवन समाप्त हो जाय या पुरुष का जीवन समाप्त हो जाय, मामिकधर्म बन्द हो जाय, श्रीत्व के चिन्ह नष्ट हो जायें तब समझना चाहिये कि विधवा-विवाह हो ही नहीं सकता। अगर ऐसी बात नहीं है तब तो आलसी बन कर पड़े रहने से क्या कायदा है? यदि आप मवयं नहीं कर सकते तो जो लोग कर सकते हैं उन्हें शाशाशी तो दीजिये। जो काम आपके लिये प्रसम्भव है वह उन्होंने सम्भव करके दिखा दिया: यह क्या कम बहादुरी है? यदि आप कहें कि न करना चाहिये, इस लिये नहीं हो सकता तो हम पूछते हैं कि क्यों न करना चाहिये? जब विवाह में यह ताकून है कि व्यभिचार का दोष दूर कर देता है तब, ज़रूरत पड़ने पर उसका उपयोग क्यों न किया जाय?

अनेक भाई कहेंगे कि शास्त्रों में 'कन्यादान' विवाहः' लिखा हुआ है। इस लिये विधवा का विवाह नहीं हो सकता। यदि कन्यादान विवाह का लक्षण माना जावे तब तो गंधर्व विवाह को विवाह ही न कहना चाहिये; क्योंकि उसमें स्त्री और पुरुष परस्पर एक दूसरे को स्वीकार करलेते हैं—कन्या का दान नहीं किया जाता। इससे मानूम होता है कि शास्त्रों में विवाह के जो लक्षण मिलते हैं वे किसी समय की विवाह प्रथा के प्रदर्शकमात्र हैं। विवाह का व्यापक लक्षण है 'स्त्री पुरुष का एक दूसरे को स्वीकार करना'।

कन्या शब्द के ऊपर जब हम नज़र डालते हैं तब हमें इसमें आँख ही रहस्य दीखता है। कन्या शब्द का अर्थ 'मोग' अविवाहिता लड़की करते हैं। लेकिन कन्या शब्द का अर्थ पुत्री भी होता है। विवाहित हो जाने पर भी यह कहा जाता है कि अमुक पुरुष की कन्या है। विवाह में कन्यादान (पुत्रीदान) शब्द के प्रयोग करने का मतलब यह है कि कन्या दान करने का सबसे बड़ा अधिकार पिता को है। पिता का अधिकार है कि वह कुमारी कन्या के समान विधवा का भी दान करे।

दूसरी बात यह है कि 'कन्या' शब्द का अर्थ 'विवाह योग्य स्त्री' है चाहे वह कुमारी हो या विधवा। सैकड़ों वर्षों से भारतवर्ष में कुमारी विवाह का ही विशेष चलन रहा है इस लिये कुमारी आँर कन्या दोनों ही शब्द पर्यायवाची बन गये हैं। देखिये कांपकार ने 'कन्या शब्द का अर्थ 'स्त्री सामान्य' बताया है।

कन्या कुमारिका नायों गणिभेदोपर्धाभिदोः ( विश्वलोचन )। इसमें मानूम होता है कि कन्या कुमारी को भी कहने हैं और स्त्रीमात्र का भी कहने हैं। इसलिये विधवा को भी कन्या कह सकते हैं। यह न समझिये कि यह अर्थ सिर्फ़ कोप में लिखने के लिये ही है, शास्त्रकारों ने इसका प्रयोग भी किया है। इस सा उदाहरण भी लीजिये—

मुश्रीव की स्त्री सुतारा, दो बच्चों की माता हो गई थी, फिर भी साहस्रगति विद्यापथ उसके ऊपर आमत्तथा। वह सोचता है कि वह कन्या ( सुतारा ) मुझे कव मिले गी—‘रुनोगायेनां कन्यां लभ्ये निवृत्तिरिती’। जब दो बच्चों की माता को कन्या कहा जा सकता है तब विधवा को कन्या क्यों नहीं कहा जा सकता? ऐसे व्यापक अर्थ में कन्या शब्द का प्रयोग आर भी मिलता है; जैसे—‘देवकन्या’ आदि। विवाह के लक्षण के फेर में पड़ कर जा लोग विधवा-विवाह का निरेथ करते हैं, उनमें हम कह देना चाहते हैं कि वास्तविक विवाह का लक्षण ‘सद्य वचारित्रमाहोदया डिवहनं विवाहः’ है जिसमें कन्या और विधवा का कोई प्रश्न ही नहीं है। कन्याशब्द का प्रयोग एक सत्य के विवाज के अनुसार है। दृष्ट्यर्थी बात यह है कि शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है।

कई लोग कहने लगते हैं कि “कन्या तो देने की चीज़ है। जिसको घट दी जाती है, वह उसी की सम्पत्ति हो जाती है; फिर किसी दूसरे को लेने का क्या अधिकार है”। इसके उत्तर में हम पहिले यही नियेद्दन करेंगे कि स्त्री किसी की सम्पत्ति नहीं है। जैन धर्म कहता है कि महाबृत न पाल सकते के कारण जैसे पुरुष एवं स्त्री को प्रहण करके अणु-

ब्रत पालना है उसी प्रकार स्त्री भी महाव्रत न पाल सकने के कारण एक पुरुष को ग्रहण कर अणुवत पालती है; इसमें कोई किमी की सम्पत्ति नहीं कहलाती। सीताकी जवाहिरपर्णीका हो चुकी तब रामचन्द्र ने फिर घर में रहने की उनसे प्रार्थना की, परन्तु सीताने रामचन्द्र की प्रार्थना नामजूर की और आर्थिका की दीक्षा लेली। क्या सम्पत्ति, मालिक की इच्छा के विरुद्ध चली जा सकती है? अब जग और भी विचार कीजिये— अगर स्त्री, पुरुष की सम्पत्ति है तो पुरुष के मरने के बाद उसे समस्त सम्पत्ति का स्वामी उसका पुत्र होता है उसी प्रकार उनकी स्त्री का अर्थात् अपनी माता का भी स्वामी तुत कहलायेगा। क्या विवराविश्वाह के विरोधियों को यह रात इष्ट है? यदि वह स्वामी नहीं है तो मातना चाहिए कि वह पिता की सम्पत्ति नहीं थी। उसने तो अणुवत पालन के लिये एक पुरुष का सहारा लिया था; अब वही महाव्रत पालेगी या वैवर्य दीक्षा लेगी अथवा छुटकी प्रतिमा के आगे न बढ़ सकेगा तो तुर्थिश्वाह करेगी। उसने अपनी प्रतिमा के अनुसार पति के जीवन भर साथ दिया। अब वह दृमग प्रवन्ध करने के लिये स्वतन्त्र है। यदि इनने भर भी लोग लो को सम्पत्ति समझें तब यह कहना पड़ेगा कि पति के मरने पर उसका दृमग पति होना ही चाहिये; क्योंकि सम्पत्ति लावारिस्म नहीं रह सकती। अगर वह लावारिस्म रहेगी तब तो प्रत्येक आदमी उसका मन माने स्पष्टमें प्रयोग करेगा। तब हमारी मावहिने<sup>\*</sup> क्या वन जावेंगी? यह कल्पना भी

\* पगिडत नेकाराम शर्मा के शब्दों में आजकल की बहुत सो 'विवराव' पविलिक प्रार्थी—सार्वजनिक सम्पत्ति-

अस्त्र है। यदि प्रत्येक आदमी उनका उपयोग न कर सके गा तो यह कहना पड़ेगा कि “अस्वामिकस्य द्रव्यस्य दामादो मेंद्रिनीपतिः” जिसका कोई स्वामी नहीं होता उसका स्वामी राजा होता है। आजकल हमारे यहाँ राजा हैं—अंग्रेज़ लोग, तब सब विश्वाश्रों के स्वामी वे ही हो जावेंगे।

क्षियों को सम्पन्नि समझने वाले दानवों से हम पूछते हैं कि नुम लोग अपनी इन गन्दी कल्पनाओं से अपनी मां बहिन और बेटियों को कितना नीचे गिरा देते हों? उनका केसा अपमान करते हों, उनके सर्तात्व पर कैसे आक्ते प करते हों। इसकी कल्पना करते ही आँखों में खून टपकते लगता है और जी चाहता है कि.....।

कुछ लोगों का यह कहना है कि जिस प्रकार मनुष्य अनेक थालियों में भोजन कर सकता है लेकिन हमारी भूटी थालीमें दूसरा पुरुष भोजन नहीं करता, उसी प्रकार एक पुरुष अनेक भियों का सेवन कर सकता है, लेकिन अनेक पुरुष एक स्त्री का सेवन नहीं कर सकते, क्योंकि पुरुष भोजक है और स्त्री भोज्य है। यदि स्त्री को थाली मान लिया जाय तो भी विश्वाविवाह का विरोध नहीं होता। क्योंकि जिस प्रकार मांजने थोने के बाद थाली फिर काम में लाई जाती है और दूसरे पुरुष के भी काम में आ सकती है, उसी प्रकार मासिक धर्म के बाद द्वितीय पुरुष के साथ स्त्री का सम्बन्ध होना अनुचित नहीं कहा जा सकता।

दूसरी बात यह है कि स्त्री पुरुष का भोज्य भोजक सम्बन्ध नहीं है; यदि है तो दोनों ही भोजक और दोनों ही भोज्य हैं। सीधी बात यही है कि भोग के कार्य में दोनों को बन गई हैं। घर बालों से लेकर बाहर तक के सभी पुरुषों की कुटूंबिय उन पर रहती है। स० जा० प्र०।

सुख होता है: अगर भोज्य भोजक सम्बन्ध होता तो भोज्य (स्त्री) को सुख न होना चाहिये था: अगर स्त्री को भोज्य माना जाय तो स्त्री को कुशील के पाप का वन्ध न होना चाहिये: क्योंकि भोगने वाला तो पुरुष है स्त्री ने तो भोग किया ही नहीं है, फिर पाप कैसा? तीसरी वात यह है कि वेश्या को भी हमें निर्दीप मानना पड़ेगा, क्योंकि वह तो भोज्य है। जैसे थाली का एक पुरुष झूँठा करे या दस, वह अपवित्र होती है, किन्तु इसमें उनका दोष नहीं माना जाता। इसी प्रकार वेश्या का दोष या अपराध भी नहीं मानना चाहिये। रही अपवित्रता की वात, सो तो स्वत्वा वित्वा और वेश्या सभी अपवित्र हैं। क्योंकि आपके मत से वे भी झूँठी थाली के समान हैं। ऐसी हालत में हमें स्वत्वा वित्वा और वेश्या सबको समान समान और धार्मिक त सामाजिक अधिकार देना पड़ेगा। खैर !

## भोक्ता किसे कहते हैं ?

अब ज़ग इस पर भी विचार कीजिये। गज्जवार्तिक में लिखा है “परद्रव्य वीर्यादान सामर्थ्यं भोक्तृत्वलक्षणम्” दूसरे द्रव्य की ताकूत को ग्रहण करने की सामर्थ्य को भोक्तृत्व कहते हैं। स्त्री पुरुष के भोग में हमें विचार करना चाहिये कि कौन किसकी ताकूत को ग्रहण करता है। अथवा कौन अपनी शक्तियों को ड्याद्व वर्द्धि करता है। विचार करने ही हमें मालूम होगा कि भोक्तृत्व स्त्री में है, पुरुष में नहीं। क्योंकि इस कार्य में पुरुष की जितनी शक्ति नहीं होती है उनसी स्त्री की नहीं। दूसरी वात यह है कि स्त्री की ‘रज’ को पुरुष ग्रहण नहीं कर पाता विलिक पुरुष के वीर्य को स्त्री ग्रहण कर लेती है। ग्रहण करता ही भोक्तृत्व है: यह वात गज्जवार्तिक

के लक्षण से साफ़ मालूम होती है। मतलब यह है कि पुरुष को भोजक और स्त्री का भोज्य कहापि नहीं कहा जा सकता। थाली के उदाहरण के स्थान पर गन्धे का उदाहरण रखने से यह बात और भी अधिक स्पष्ट हो जाती है। पुरुष अगर हस्ती को थाली के अनुसार झूटंगी करके केंक देना चाहते हैं तो स्त्रियाँ भी ऐसा ही कर सकती हैं। इस उदाहरण में बहुपन्ती को शंका का भी समाधान हो जाता है। कहा जाता है कि पुरुष तो एक ही समय में अनेक स्त्रियों को रख सकता है लेकिन एक स्त्री अनेक पुरुषों को नहीं रख सकती। इस तरह स्त्रियाँ हीन हैं। इसका उत्तर गन्धे के उदाहरण में है। अनेक व्यक्ति एक गन्धे के अनेक भागों का चूस सकते हैं; इस लिये वह गन्धा बड़ा नहीं हो जाता और न किसी का दूसरा गन्धा चूसने का अधिकार छिन जाता है। दृसरी बात यह है कि एक पुरुष की अनेक स्त्री होना या एक स्त्री के अनेक पुरुष होना यह देश देश का विवाज है। यहाँ एक पुरुष अनेक स्त्री रखता है; तिव्वत में एक स्त्री अनेक पति रखती है। शक्ति सब में सब तरह की है: उपर्योग होना देशकाल के ऊपर निर्भर है। इसलिये थाली वगैरह के उदाहरण देकर या भोज्य भोजक सम्बन्ध बता कर विधवा विवाह का निषेध करना निर्थक है।

कई लोग कहने लगते हैं कि शास्त्रों में ब्राह्म प्राजा-पत्न्य आदि आठ तरह के विवाह लिखे हैं। उनमें विधवाविवाह का नाम क्यों नहीं है? इसका उत्तर विलकुल सीधा है। ऐसे भाइयों को देखना चाहिये कि इन आठों भेदों में कन्या (कुमारी) विवाह का उल्लेख कहाँ है? तथा सजातीय विवाह, विजातीय विवाह, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह आदि का भी उल्लेख कहाँ है? मतलब यह है कि जैसे कुमारी का

विवाह आठ तरह का होता है, उसी तरह विधवा का विवाह भी आठ तरह का होता है। जैसे सजातीय विवाह आठ तरह होता है, उसी प्रकार विज्ञातीय विवाह भी आठ तरह का ही होता है: सब तरह के विवाहों में ये आठ भेद हो सकते हैं। आश्चर्य हैं इस हल्की सी बात को भी विधवा विवाह के विगोधी समझ नहीं पाते।

कई लोग कहते हैं कि “पुरुषों को प्रकृति ने ही अधिक अधिकार दिये हैं और स्त्रियोंको थोड़े अधिकार दिये हैं। देखो! पुरुष वर्ष भर में सौ दौ सो बच्चे भी पैदा कर सकता है और स्त्री सिर्फ़ एक ही बच्चा पैदा कर सकती है” इसका उत्तर भी बहुत सरल है। यदि ऐसा है तो पुरुषों का पुनर्विवाह तुरन्त रोक देना चाहिये और स्त्रियों को पुनर्विवाह तुरन्त चालू कर देना चाहिये, क्योंकि माँ मन्तान पैदा करने के लिये एक पुरुष से ही काम चल सकता है: इसलिये निन्यानवे अगर न हों या कुवारे रहें तौ भी कोई हानि नहीं है लेकिन स्त्री तो एक भी कुमारी या विधवा हो जायगी तो एक बच्चा घट जावेगा। यह कहां तक न्याय है कि जिस चोज़ की हमें अधिक ज़रूरत है वह तो व्यर्थ पड़ी रहे और जिसकी ज़रूरत हमें थोड़ी है उस की उपादा कदर की जाय। मनलब यह है कि प्रकृति ने जो स्त्री पुरुष में अन्तर उत्पन्न कर दिया है उससे भी मालूम होता है कि विधुर विवाह की अपेक्षा विधवाविवाह सौ गुना अधिक आवश्यक है।

कई सज्जन कहने लगते हैं कि विधवाप॑ तो पाप कर्म के उदय से होती हैं: उन्हें अपने कर्म का उदय शान्ति से सह लेना चाहिये; विवाह करने की क्या ज़रूरत है? बहुत ठीक है, परन्तु दुःख इतना ही है कि यह सारी कर्म की फिलासफी महिलाओं के सिर ही मढ़ दी गई है। जैसे विधवाप॑ पाप

कर्म के उदय से होती हैं, उसी प्रकार क्या विभुर पाप कर्म के उदय से नहीं होते ? फिर लोगों ने जब विभुरपन मिटाने का इलाज उचित समझा है तब वैधव्य मिटाने का इलाज उचित क्यों नहीं समझा जाय । ज्ञानावरण कर्म के उदय से मनुष्य अज्ञानी होता है तब शिक्षा का प्रबन्ध क्यों नहीं किया जाता है । निर्वल को सबल क्यों बनाया जाता है ? हम पूछते हैं कि कर्मों के उदय को सफल बनाने का क्या विरोधियों ने ठेका ले रखा है ? तब तो स्त्री वेद के उदय को सफल बनाने के लिये विधवा का विवाह करना अत्यन्त आवश्यक है । ज़रा और भी विचार कीजिये । यदि असाता वेदनीय आदि के उदय को सफल बनाना आवश्यक है, तब आपके घर में यदि कोई शीमार पड़ जाय तब भूल करके भी उसका इलाज न करना चाहिये । पाप कर्म के उदय को सहकर कर्मों की निर्जन करने का अवकाश देना चाहिये । जो लोग रोगियों की चिकित्सा करने हैं वे वैसे ही पापी हैं, जैसे विधवा विवाह के प्रचारक । अगर पाठशाला खोलने वाले, आहार दान देने वाले, औपथ्रालय खोलने वाले, परिचर्या करने वाले तथा अन्य तरह की आपत्तियों को दूर करने वाले अच्छे हैं—पाप कर्म के उदय को भोग कर कर्मों की निर्जन करने का अवकाश छीनने का पाप उन्हें नहीं लगता—तब विधवा विवाह के प्रचारक भी दोषी नहीं कहे जा सकते ।

असली बात तो यह है कि अगर पापकर्म के उदय से मनुष्य को कोई दुःख उठाना पड़े तो उसे सहना चाहिये । परन्तु दूसरों का यह कर्तव्य नहीं है कि वे पापकर्म के उदय को स्थिर रखने की कोशिश करें और उसे ज़बर्दस्ती सहन करने के लिये वाध्य करें । उस पुरुष को भी सहन करने का ढोग नहीं करना चाहिये । आज समाज में ऐसी कितनी

विधवाएँ हैं जो स्वेच्छा से वैधव्य की वेदना को शान्तरूप से सहने को तैयार हों ? अगर ऐसी देवियाँ हैं तो बड़ी खुशी की बात है, अगर नहीं हैं तब तो उनसे निर्जरा की आशा नहीं की जा सकती । बल्कि दिन रात के आर्त ध्यान से वे नीच गति का ही वंध करती हैं । भ्रूण हत्या और गुप्त व्यभिचार से यह बात स्पष्ट जाहिर होती है कि विधवा विवाह की ज़रूरत है । इस प्रकार के तर्क वितर्क से यह बात साफ़ ज़ादिर हो जाती है कि विधवा विवाह धर्म विरुद्ध नहीं हो सकता । अब ज़रा नज़ीरों पर विचार कीजिये—

देवगति में आम तौर पर विधवा विवाह चालू है । जिन देवियों का पति ( देव ) मर जाता है, वे अपने स्वामी के स्थान पर पैदा होने वाले देव की पत्नी हो जाती हैं । इतने पर भी उनके सम्यक्त्व और शुक्ल लेश्या में कोई अन्तर नहीं आता । न उनके जिन दर्शनादि सम्बन्धी अधिकार कोई छीनता है । यदि कहा जाय कि उनका शरीर वैकल्पिक है जो कभी अपवित्र नहीं होता, तो यह भी कहा जा सकता है कि नाभियों का शरीर रक्त मांसमय औदारिक है जो कभी पवित्र नहीं रहता । चाहे वह अविवाहित रहे या एक बार विवाहित या वहु बार विवाहित । धर्म अधर्म चमड़े में रहने की वस्तु नहीं है; उसका सम्बन्ध आत्मा से है । अरे भाई ! धर्म अधर्म तो चर्मकार भी चमड़े में नहीं ढूँढ़ता, फिर आप लोग क्या उससे भी गये बीते हो ? खैर ! जो कुछ हो, परन्तु इतना तो सिद्ध हुआ कि विधवाविवाह का विरोध, सम्यक्त्व ( जैन धर्म ) और शुक्ल लेश्या से नहीं है । अगर तिर्यक्षगति के ऊपर नज़र डाली जाय तो हमें यह भी मानना पड़ता है कि देशविरति से भी इसका विरोध नहीं है । किन्तु

सब से बड़ी उदाहरण तो हमें अपने धर्म ग्रन्थों में मिलती है। कोई मनुष्य चाहे वह कितना भी व्यभिचारी या पापी रहा हो, उसे मुनि बनने का अधिकार है। कोई स्त्री चाहे वह कितनी ही व्यभिचारिणी रही हो, उसे आर्थिका बनने का अधिकार है। देखो राजा मधु का चरित्र—उसकी रखेत गानी चन्द्राभा ने आर्थिका बन लिये: रुद्र की माना उपेष्ठा एवं मुनि के साथ फंस गई, लड़का पैदा हुआ चाद में वह फिर आर्थिका बन गई। प्रायश्चित्त शास्त्रों में भी ऐसी भ्रष्ट आर्थिकाओं तक को फिर आर्थिका की दीक्षा दे देने का विवात है। मुहृष्टि मुनार तो व्यभिचारिणी स्त्री की सन्तान होने पर भी मोक्ष गया। इन सब उदाहरणों से साफ़ मानूप होता है कि व्यभिचार से भी मनुष्य के अधिकार नहीं छिन सकते। फिर विद्वा विवाह तो व्यक्तिगत व्रत का साधक है। उससे धर्म हानि ना कैसे हो सकती है।

यहाँ हमने खाम खाम बातों पर मन्त्रेष में प्रकाश डाला है। अमीं तो वहुत सी बातें हैं जिनके ऊपर प्रकाश डालना है आशा है समाज के प्रभिज्ञ लेखक और विद्वान् इस विषय पर प्रकाश डालेंगे।

अन्त में हम जैन जगत आदि पत्रों के सम्पादकों से निवेदन करते हैं कि आप लोग मत्त्य के पश्च में बढ़ करके यीच में ही क्यों रह गये?। यह बड़े आश्चर्य की बात है

‘दरवारीलाल जी न्यायतीर्थ के ‘धर्म और लोकाचार’ शीर्षक लेख में इस बात का खुलासा प्रमाण देकर किया गया है। ( लेखक )

\* जिस तरह से हमारी विद्वा वहिने अत्याचारी पुरुष समाज के भय तथा अपने संकोच स्वभाव के कारण

( १७ )

कि आप लोग “विश्वा-विवाह” सरीखे धर्मनुकूल कार्य के भी विरोधी हैं।

जैन गजट आदि पत्र के सम्पादकों से भी हम निवेदन करते हैं कि आप लोग मिथ्यात्व को छोड़ो ! धर्म का निषास स्थान न तो रुढ़ियों में है, न चमड़े में है, न कोरी बाह बाही में है, वह आनंद में है। धर्म के लिये स्त्रियों पर अत्या चार करने की ज़रूरत नहीं है। हृदय को पत्थर बनाने की ज़रूरत नहीं है। ज़बर्दस्ती वैधव्य पलवाना सती प्रथा से भी बढ़ कर पाप है। सनी प्रथा से स्त्रियों को १०-१५ मिनट जलना पड़ता था, वैधव्य से जीवन भर जलना पड़ता है। इसलिये सनी प्रथा यदि मिथ्यात्व है तो ज़बर्दस्ती का वैधव्य महा मिथ्यात्व है। आप लोग मिथ्यात्व से छूटकर महामिथ्यात्व में न फँसिये, बलिक सम्यक्त्व की ओर आइये।

समाज के उन विद्रोहिनीं से भी हम निवेदन करते हैं जिन्हें कि आजीविका की विनता नहीं है—कि आप निष्पक्ष गीति से विचार कीजिये। इस बात को भूल जाइये कि लांग क्या कहेंगे। सत्य के लिये, सिर्फ़ सत्य के लिये व जैनधर्म के लिये निःपत्ति हृदय से विचार कोजियें कि धर्म क्या है। जो लोग यह कहते हैं कि विधवा विवाह को बात मुनते ही पृथ्वी क्यों नहीं फट जाती जिसमें हम समा जाते, उनसे भी हम प्रार्थना करेंगे कि पृथ्वी को फटने का निमन्त्रण देने के पहिले हृदय को फाड़िये और एकान्त में देखियें कि उसमें धर्म प्रेम है या भूठे नाम का प्रेम। यदि वह वाहवाही के लिये मर रहा

अपने हृदय के भाव जुबान से खुलतम बुझा ब्रकट नहीं करती, सम्भव है उसी तरह ये पत्र भी किसी भय या लज्जा के बश सत्य के मार्ग में बढ़ते बढ़ते रुक गये हों। स० जा० प्र०

हो या और कोई ऐहिक स्वार्थ हो तो हमारी बात न सुनिये परन्तु उसमें सदा धर्म प्रेम हो तो जब तक पृथ्वी फटे तब तक हमारे लेख पर विचार कीजिये । विरोध करना हो तो अवश्य कीजिये; नहीं तो हिम्मत के साथ सच बोलिये ।


पुरुष समाज से हम कहेंगे, कि समाज पुरुषों की ही नहीं, लियों की भी है । पापोदय की चिकित्सा पुरुषों के लिये ही नहीं, लियों के लिये भी है । रुढ़ि के लिये सत्यकी हन्त्या मत करो ! किन्तु सत्य के लिये रुढ़ियों को मिटादो ।

देवियों से यह कहेंगे कि आप आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करना चाहती हैं तो बड़ी खुशी से करें; हम आपके सामने सिर झुकाते हैं; किन्तु रो रो कर ब्रह्मचर्य का पालन न करें और ब्रह्मचर्य का ढोंग न करें । वैधव्य का पालन इसलिये करें कि आपको पालन करने की इच्छा है, न कि इसलिये कि समाज विश्वा विवाह को बुरा समझती है । यदि आपको वैधव्य की अपेक्षा गार्हस्थ्य जीवन ही ज्यादः पसन्द है तो अपने पुनर्विवाह के अधिकार का उपयोग करके विशुद्ध ब्रह्मचर्याणुवत पालन करें । धर्मज्ञान शून्य स्वार्थी निर्दय पुरुषों को कोई हक्क नहीं है कि जिसके पालन में वे स्वयं फिसल जाते हैं वही बात दूसरों से जबर्दस्ती पलवाएं । याद रखो ! वे स्वार्थी पुरुष तुम्हें मनुष्य नहीं, जूँड़ी थाली समझते हैं । इसलिये तुम अपने गौरव की रक्षा करो । विश्वास रखो कि मनुष्य जाति की स्थिति के लिये पुरुषों की अपेक्षा लियाँ अधिक आवश्यक हैं ।

आशा है सभी धरेणी के व्यक्ति इस लेख पर विचार करेंगे और पक्ष में या विपक्ष में सम्मति अवश्य देंगे ।



हिन्दू जति की सामाजिक दुर्दशा  
मुधारने का एक मात्र उपाय



# विधवा-विवाह

समाज मुधारक माला

का

तृतीय पृष्ठ

लेखक व प्रकाशक—



मोतीलाल पहाड़ा, कुनाड़ी  
कोटा [राजपूताना]

प्रथम वार  
१८८०

वि० संवत् १४८

स० गौण अनु।  
मात्र





# हिन्दू जाति की सामाजिक दुर्दशा सुधारने का

एक मात्र उपाय—

## विधवा विवाह ।

इस देश में घाल विवाह, वृद्ध विवाह, अनमेल विवाह और कन्या-कथ-विक्रय आदि सामाजिक कुप्रथायें भयंकर रूप धारणा करती जा रही हैं। इन्हीं कुरीतियों के दारणा परिणाम स्वरूप सन् १९२१ की मनुष्य गणना के अनुसार इस देश में समस्त हिन्दू विधवाओं की संख्या २१२५४५४४ थीं। इनमें से केवल २५ वर्ष तक की आयु वाली विधवाओं की संख्या ६७८४४ है कि जिन विचारियों को यह भी मालूम नहीं है कि सुहाग और पति किस खिलौने का नाम हुआ करता है। आज इनका सुहाग सिन्दूर धो दिया गया है और इसके साथ ही इनके नम्हें २ हाथों की चूड़ियाँ भी तोड़ दी गई हैं। रंगोन वस्त्र तो इन विचारियों को दिखाये भी नहीं जात। पहनने के लिये फटो हुई काली साड़ी विछाने के लिये टूटी सोड़ी ही और खाने के लिये टंडो बासी होटो और २-३ रोज़ की बच्ची

खुबी सड़ी बुसी साग हो अब इनके भाष्य में विधाता ने लिखा है दस वर्ष से कम उम्र की विधवाओं को संख्या में ५ वर्ष से कम उम्र की १२०२४ विधवाएं ऐसी दृध मुही नहीं २ वर्षियाँ हैं जो अभी मानसन के दृध का स्वाद भी नहीं भूल पाई है। आगे चलिये, इनमें से २ वर्ष तक की उम्र वाली ४४८ विधवाएं ऐसी हैं जो अभी उन्हें के बलहो चल मरती हैं और जो तोतली २ बोली बोलती हुई माँ को अंगुली पकड़ कर भी खड़ी नहीं हो सकती हैं। कहा तक कहा जाय ? और भी ज़रा हृदय को थाम कर सुनिये, इनमें से १३२ विधवाएं एक वर्ष से नीचे की उम्र वाली हैं। ये शिशु विधवाएं अभी मानृ इन पर ही चिपटी रहती हैं और जिनके मुंह में अभी दृध के भी दांत नहीं आये हैं। दुनियां के किसी देश में श्रीमतन इतनी विधवाएं नहीं हैं जितनी कि इस अभागे देश में और खास वर इस हिन्दू समाज में हैं। सुशिक्ल से वेसा कोई भाष्य शाली वर पाया जावेगा कि जिस में कोई विधवा नहीं हो। प्रत्येक वर विधवा आश्रम इन हुआ है। हा ! हिंखते हुए हृदय टूट जाता है कि इस भारत दमुख्यरा की १५ वर्षों से नीचे उम्र की ३३०००८ हिन्दू विधवा पुत्रियाँ अभी अपने अपने पतियों के साथ २-४ नीज त्योहार भी नहीं व्यनीत कर सकी हैं। इन शीघ्र हो गिरने वाली कुमुम कलियों पर विधवा पन का तुषार पटक दिया गया है। इन बाइयों के सुहाग रपो मुकुट के मणि छो दुर्देव छीन कर ले गया है। घड़ी भर पहले इनको 'सुहागन' कहा जाता थद् सेकिन घड़ी भर दाढ़ हो निर्दृष्टि समाज ने इस लकड़ को छीना लिया; अब इनको हत्यारिनी चंडालिनी और पाति भक्ता आदि नामों से पुकारा जाता है। अब मांगलिक प्रसंगों पर इन बाइयों का मुख देखना भी अपशकुन माना जाता है। इनके श्रिय वस्त्राभूपण छीन कर उन्हें फटे टूटे मैले कपड़े पहनने को दे दिये गये हैं

हास्य विलास और तमाम मनोरंजन को सामयियां इनके लिये मना है। इच्छा न होते हुए भी वर्ष भर में इनसों दस बोस उपवास करने पड़ते हैं। अब इनके समस्त अधिकारों का हरण हो चुका है। न तो पीहर ही में इन विचारियों की कुछ क़दर है और न सुसराल ही में इन अभागिनों को कुछ इज़्जत है। मानो अब तो इन विचारियों का जीवन कुछ जीवन ही नहो है। घर के बाल बच्चों का पाखाना साफ करना, भाड़ तुहारा करना, गाय भेंस बांध देना, घर भर के जूड़े वरतन माँजना तथा सासु ससुर, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, अड़ोसों पड़ोसों की गालियां और भिड़कियां सुनना और इन सबके मुश्रावजे में खाने को बासों रोटी और सड़ी तुसी साग पालेना मात्र ही इनका काम रह गया है। विवाही ये दोना हीना विधवाएं अपने जीवन के समस्त आनन्द, यीधन की समस्त विभूतिओं और हृदय को समस्त इच्छाएं सदेव के लिये समाजक मुखिया पटेल चौधरिया की कूर वलिवेदी यर भेट कर चुकी है और आज वे अपनी दग्ध आहों से इस हिन्दू समाज को नुरे २ शाप दे रही हैं। इनमें से बहुत सी युधतों विधवाएं तो बड़े २ शहरों में अपने मकानों के भरोसा में बैठ कर अपने सौन्दर्य और मनोरंजन को याजारू वस्तुओं के समान बचने को मजबूर हुई हैं और बहुत सी विधवाएं ऐसों भी हैं जो अपने पंच परमेश्वरा और हत्यारे मां वापा को रोती हुई अपनी रात्रों कावर्ट बदल २ कर और आकाश के तारे गिन २ कर व्यतीत कर रही हैं। संकड़ा विधवाएं ऐसी हैं जो कई प्रकार के ब्रह्मोभिन्नों के वशेषून होकर तथा अपनी कामेन्द्रियों को रोक सकते हैं असमर्थ होने से लोक लाज के कारण दिन रात गर्भपान और खूब्जा हत्याएं करती हुई समाज को कलंकित कर रही हैं। हजारों विधवाएं जगह २ ऐसों भी हैं। जो विधमियों तथा अन्यान्य जातियों के घर बसा २ कर अपनी कोख से हमारी ही जड़ काटने वाली संताने पैदा कर रही हैं। संकड़ों जगह देवर भोजाई और

समुर बहु के बहुत बुरे २ किसने भी सुनाई पड़ते हैं। यहाँ तक भी सुना जाता है कि कई युवती विश्वा माताएं अपने दत्तक पुत्रों से अनुचित सम्बन्ध रखती हैं।

इस ब्रह्म विवाह की कुरीति से देश में कन्या-क्रय-विक्रय तो बहुत ही चल पड़ा है। धनी लोग तो ५० बप्ते की उम्र तक पहुंच लुकाने पर भी विवाह की इच्छा रखते हैं और अपनो इच्छा को सफल करने के लिये तीन तीन और चार चार शादियाँ कर लुकते हैं। पति के मरते ही विवाहियों को जो दुर्दशा होती है उसका योड़ा सा चिन्ह ऊपर खींचा गया है। इसके विपरीत पत्नी के मरने पर विधुतों [ रंडबों ] के कारणमें भी किसी से छिपे हुये नहीं हैं। स्त्री के मरने पर समशन ही में सगाह्यों की चरचा लजाने लग जाती है। लड़की के वाप को देने के लिये घैलियों के मूँह खुल जाते हैं, अपनी उम्र कम दिखलाने के लिये रूपयों के ज़ोर से ब्राह्मण दबता जाता है नक़ली जन्म पत्रिका तैयार करने लग जाते हैं। रंडबे जी या तो अब तक दो दो महीनों में दजामत बनवाते थे लेकिन अब तो दुसरे तीलरे दिन ही उस्तरा फिराया जाता है। मूँछे भी खस खसा कराती जाती हैं जरुरत झूई तो बढ़िया खिजाव भी लगाया जाता है। क्रय कीहियं अब तो जमीन में गड़े हुये जेवर भी निकाल २ कर पहने जाते हैं: गर्ज यह कि रंडबे साइच हर तरह से अपना रूप रंग और धन दौलत बनलाने में लग रहते हैं और किसी न किसी द्वारी सी बालिका से शादी करके उसके भावी सुहाग पर अपनी नीच काम वासना का खंजर झोंक ही देते हैं। यकृति के नियमानुसार लड़के और लड़की बराबर ही पैदा होते हैं लेकिन पेसी दशा में जब कि एक पुरुष मरते २ भी तीसरी और चौथी शादी कर लेता है यानी एक पुरुष तीन २ और चार २ लड़कियों को अपनी अद्वाङ्गिनीयाँ बना लेता है तो उधर लड़कियों की कमी पड़ जाती है। इस तरह कुंवारे

युवकों की संख्या बढ़ती है। यह भी कोई मानने के लिये तैयार नहीं होगा किसारे ही कुचार वैहाचारा बने रह कर शान्ति के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हों। अस्तु ! ये लोग भी कई किस्म के पापाचार रखकर समाज में अशान्ति का बीज बपन कर रहे हैं। इस तरह समाज का पतन ही पतन नज़र आ रहा है।

इस पर यदि विचार किया जावेगा तो इस पतन की समस्त ज़िम्मेदारियां इस निर्दयी पुरुष जाति के ही ऊपर हैं। प्रकृति का नियम है कि मनुष्य जाति के सामने जिस प्रकार का आदर्श रखा जावेगा उसी प्रकार उसके हृदय में भावों की उत्पत्ति होगी। जब कि यह निर्लज्ज पुरुष समाज अपनी ४०४० और ५०५० वर्षिक कई मरतवा इससे भी अधिक ६०६० वर्ष की आयुमें अपनी पाशाविक कमिच्छाओं को पूर्ण करने के लिये निर्दयी होकर १०१० और १२१२ वर्ष की सुकुमार और अबोध बालिकाओं के साथ विचाह करके घर पर आते ही बहुत जल्द 'राती जगा' [पकान्त वास] करने में व्याकुन्ज हुआ रहता है तो यह समझ में नहीं आता कि उसे छोटी २ उम्र में होजाने वाली बाल विध्वाओं को जबरन सन्यासिनीयां बनाकर जन्म भर के लिये उनसे कठिन संयम के पालने की आशा रखने का अधिकार ही कसे हो सकता है ? पवित्र नारी जाति के सामने इस निर्लज्ज पुरुष समाज का कैसा निन्दनीय और घृणित आदर्श है। घर में एक १५-२० वर्ष की युवर्ता विध्वा पुत्र बधू काली साझी ओढ़कर और चूड़िशाँ कोढ़कर सन्यासिनी बनी बैठी है लेकिन ५० वर्ष के सुसरा जी शीतलओं के जोर से एक १२ वर्ष की बच्ची को बन्दिनी बनाकर रंग भवन में सुहाग की रात मनाते हैं। घर में एक १० वर्ष की छोटी बहिन दुर्माय से रंडापे की रात काट रही है लेकिन भौजाई के मान पर ३०-३५ वर्ष की उम्र में बड़े दादा भाई तो तीसरी शादी कर ही लाते हैं आज तीज का त्यौहार है चमड़ी के जटक जाने पर भी पचास २

धर्ष की डाकतियाँ सोलह श्रुंगारकरते हैं और दिन में छत्तीस मर्तवा कांच देख २ कर चमकली टिकियाँ लगाती हैं, आंखें नेवरी की झनकार मचाता हुई इधर उधर फुटक २ कर बढ़ती बैठती है, मैहदी स अपने हाथ पांव रखती है, मस्तक को गोटा और लेंस आदि से सजाती है, फूलदार कांचली पहनती है, इत्र में सर्वी हुई बहुत बढ़िया पोशाक से अपने आप को सजाती है और रात को कृत पर दस बीस सिंचयों में बैठकर गहरे शुगार रस के गीत गाती है। कुछ ही देर बाद बाजार से नृङ्ग लकड़ाड़ पनि के भिठाई लेकर आते ही वह रंगीली सजाऊँ बुद्धिया तुपके से दड़ने दाखिल हो जाती है; लेकिन वह आकाश पांव पटकों और धरती की हँस्ती हुई अभागिनी विधवा पुनर्वधु इस हिन्दू समाज को गालियाँ देकर फटी हुई गटाई पर जा पड़ती है। उस विचारी का समस्त सुख और समस्त आनन्द हमेशा के लिये इस संसार से उट गया है। हा ! फूँक फूँक कर पांव रखते हुये भी उसका हंस कर बोलना और भूल कर कमी २ अच्छी सी चीज़ खाने पीने या पहनने ओढ़ते के लिये मांग लेना भा सन्देह की दृष्टि से देखा जाता है। कैसा पाश्चात्यिक दृष्टि है ।

इसमें कोई शक नहीं कि नारी जाति पर होने वाले पुष्ट जाति के अत्याचार एक निष्पत्त जज के इजलास में बिलकुल भी ज्ञान करने के योग्य नहीं है। अगर वास्तव में कोई ईश्वर नाम की शक्ति इस दुनियाँ में है और वह शक्ति निष्पत्त होकर खुली बनाम पुरुष के मुक्रहंम को समाप्त करने में दिलचस्पी लेगी तो उसे निःसंदेह पुरुष जातिको एक दम फर्द जुर्म सुनाकर सख्त से सख्त सजा का फैसला सुनाना पड़ेगा ।

विचारी विधवाएँ अखण्ड सन्यास की मूर्तियाँ बन कर अपने चारिश को आदर्श एवं निर्मल रखती हुई चुपचाप बैठो रहना चाहती

हैं परन्तु यह पुरुष समाज इस पर भी संतुष्ट नहीं होता । वह इन देवियों को आश्रण से गिराने के लिये कई प्रकार के प्रलोभनों को साथ में लिये फिरता है । हा ! कहते हुए हृदय को बड़ा दुःख होता है कि इस पुरुष जातिने ही हमारे समाज मन्दिर को आज सब तरह से व्यभिचार और अत्याचार की कुतिसत लीलाओं का अहा बना रखा है । ऐसी हजारों नजारे देखी गई हैं कि लोग कई प्रकार के प्रलोभनदेकर विधवाओं के साथ अपना अनुचित सम्बन्ध जोड़ कर उन के सतीत्व को नष्ट कर बैठते हैं । दिवारी भोजी भाजी विधवाएँ भी उनके जाल में कैंस कर उन की प्रेमिकाएँ बन जाती हैं । जब संयोग से उन के गर्भ रह जाता है तो वे लोग अपने को बशनामी से बचाने के लिये पहले तो उस का गर्भ गिरवाने का कोशीश में रहते हैं और जहां तक हो सकता है दस बीस रुपया खर्च कर के उस का गर्भ पात करवा ही देते हैं । यदि कभी २ इस में वे सफल न हो सकें तो दूसरी कोशीश उनकी यह रहतो है कि वह विधवा स्त्री कहीं भेरा नाम नज़ेदे बरना जाति बाहर होना पड़ेगा । पंचों के बुजाकर पूढ़ने पर कोइ २ स्त्रियां तो उस पुरुष पर आयन्दा अपना तथा होने वाले सच्चे का भरण पोषण होते रहने का दावा रखने के लिये अपना सच्चा हाल प्रकट कर देती हैं और कोई २ स्त्रियां इस क्रदर भजी मानुष होती हैं कि वह अपने प्रेमी को जाति दण्ड व लौकिक तिरस्कार से बचाने के लिये सारा अपराध अपने ही ऊपर लेहर उसका नाम प्रकट नहीं करती । पस वह पुरुष तो उस विधवा के गर्भ धारण होते ही उससे अब कोस भर दूर रहते जग जाता है और उसेस किसी क्रिस्त के दुःख सुख की पूजतोड़का नाम भी नहीं लेता । या तो वह पुरुष दिन में दस दल मरतवा उसके घर उसके पांव के तलवे चाटने के लिये जाया करता था लेकिन अब तो वह उस गली की तरफ मुँह करके भी नहीं झक्कता । स्त्रियां अगर सच्चा हाल प्रकट करके उस पुरुष का

नाम भी ले दें तो वह पुरुष तो जाति में बदस्तूर बना रहने के लिये कभी भी अपना अपराध स्वीकार करने को तैयार नहीं होता । कुछ भी हो, जिस प्रकार दृश्य में से मक्खी निकाल कर बाहर केकड़ी जाती है उसी तरह वह स्त्री तो फौरन ही जाति में से सर्वंघ के लिये निकाल दी जाती है । पुरुष मियां तो सिर्फ २-४ गोज जातिके बाहर रहते हैं । वह हजरत तो शीघ्र ही पंचों की श्राव्णि नुसार किसी धर्माचार्य जी की व्यवस्था लिखा लाकर तथा उसके अनुभार एक दो उपवास बरके या गौमूलादि पीकर अथवा कहीं नजदीक की तीर्थयात्रा करके और पंचों को कुछ तरावट माल खिलाकर पीछे से जाति में आ बैठते हैं और बदस्तूर अपना व्यवहार चलाने लगते हैं । लेकिन उस स्त्री का उद्घार करने के लिये तरन तारम कहाने वाले पंच परमेश्वरों के पास कोई नियम नहीं है । स्वार्थी पुरुष समाज ने अपने सुभीति के लिये सब कुछ नियम बना रखे हैं, लेकिन विचारी अवलोकन समाज की तरफ तो वह अपनी फूटी आँख से भी नहीं देखना चाहता । वह तो केवल अपनी श्वानवत् नीच काम चासना की त्रुटि के समय ही उसके सामने हाथ जोड़ खड़ा रहने को तैयार रहता है । अब वह पर्तिता कहीं जानेवाली स्त्री जब कहीं भी रक्षा तथा उदर पालन का जरिया नहीं पाती है और न बिरादरी के लोग ही उसका उद्घार करने को तैयार होते हैं तो ऐसी दशा में नहीं अवश्य ही अधिकाधिक गिर जाती है, बेश्या बन जाती है तथा विधर्मियों के घरों में बैठ कर अपनी गौरक्षक कुत्तिसे गौर भक्षक विश्वमी संताने पैदा करने लग जाती है । यही स्त्री अपने साथ दो चार को और भी ले जाती है और ज्यों २ उसको अवसर मिलता है त्यों त्यों वह अपना हमुदाय और हम जोल बढ़ातो रहती है ऐसी एक दो नहीं, सो दो सो और हजार दो हजार नहीं, बल्कि जाखोन जोरे है और सब जानते हैं । सुसाल में तो इन अभा

गिनीयों की पूँछ उसी दिन तक रहती है जब तक कि कमाई करके खिलाने वाले उनके पति देव जीवित रहते हैं। उधर पीहर में भी उनकी इज्जत उसी अवस्था तक यी जबकि उनसे शादी करने के उम्मेदवार दूर २ के बूढ़े हजारों की चैलियां खोल कर आया करतेथे। जहां तक ये निर्धन और बेबस बहिनें, सदाचारिणीयां बन कर समाज में बैठी रहती हैं तब तक तो यह पापी पुरुष समाज उनकी रक्ता के लिये फूटी कौड़ी भी देने को तैयार नहीं होता लेकिन जब यही विधवा बहू बेटियां व्यभिचारिणीयां हो कर और अपने सतीत्व से गिर कर वेद्यायां बन जाती हैं तो फौरन ही उनको शादी के अइमों में बुला कर उनके लिये घैलियों का मुंद खोल दिया जाता है। बूढ़े के साथ लग्न रचाकर धर्म के खेलक बनने वाले बाह्यण देवता भी आजके दिन न मालुम कहां मुंद क्रिपाये रहते हैं। कैसा सृषास्पद व्यवहार है ?

समाज सुधार का प्रश्न उठते ही धर्म के ठेंकदार धर्म की दुहाइयां देने लग जाते हैं। दिन रात हजारों हिन्दू विधवाओं हिन्दू समाज में से निकल २ कर विधर्मी बन रही हैं लेकिन स्वार्थ के सांचे में ढले हुए कीड़ों ने इस गुरु गरजों को क्लाइ कर तथा अपने हृदय को चीर कर नहीं देखा। धर्म की धोर्णी दुर्वाई देने वाले धर्माचार्यों और चिकने चुपड़े बने रहने वाले सकेह पोशा तुगले भक्त पापाचार्यों ! इस समाज की हालत पर अब तो कुद्द तरस लाओ। धर्म शास्त्रों के असूतों की पहचानों। धर्म शास्त्र तो दूसरेशा द्रव्य देत्र, काल और भाव के अनुसार चलने की आज्ञा देते हैं।

“ समाज और जाति के मुखिया लागो ! तुम किस घार निद्रा में सोये हो ? जरा आंखें तो खोल कर देखो तुमारी जाति किस दुरावस्था को प्राप्त हो रही है। साठ २ साल के बुड़े बाबाजी तो

पुत्र पौत्र होने हुए भी अपने काम भोग की तृष्णा को बुझाने के लिये पक सुकुमारी कन्या से विवाह कर सकते हैं। परन्तु कितना अन्याय है, कितना अत्याचार है कि समाज उन अशोध और निर्दोष बाल विधवाओं के आर्तनाद की ओर जरा भी ध्यान नहीं देता है। बुद्धे मूस्ट होकर भी जब तुम्हारा चित्त विषय बासनाओं की ओर दौड़ता है तो क्या तुम समझते हो कि १५-२० वर्ष की वे अशोध तरुणियां जो अपने कुटुम्ब के अन्य सब स्त्री पुरुषों को सांसारिक भोग निलातों में नित्य आसक्त देखती हैं, अपने चंचल चित्त को कानूने रख सकती हैं? क्याउनका दिलनहीं चाहता कि वे भी तुम्हारी नरह मुन्द्र वस्त्राभूषणों को अद्वितीय करें, स्वादिष्ट पदार्थों को खायें, और अन्य सांसारिक वस्तुओं का उपभोग करें, एवं प्राकृतिक कामनाओं को यथा शक्ति तृप्त करें?"

विधवाओं की इस दुर्दशा और हिन्दू जाति के गहरे हास को देख कर देश के मुग्धारकों ने एक स्थर से विधवा विवाह की प्रथा का अपनाने का आदेश किया है। और धास्तव में इस मर्ज़ की यही दवा हो सकती है। लेकिन ज्ञेद है कि अभी बहुत से लोग इस प्रथा से सहमत होते हुए भी 'विधवा विवाह' के नाम को समाज के सामने रखते हुए बरबाते हैं।

प्यारे चीर, समाज सुधार को ! विधवाओं की भयंकर चीज़ ने इस जड़ आकाश का गुंजायमान कर दिया है। यदि इस समाज की रक्ता ही मंजूर है तो अब अपने हृदय के भावों को छिपाते रहने का समय नहीं रहा है। हिन्दुस्तान में सुधार का कार्य इसी लिये रुक्ष हुआ है कि लोग अपने विचारों को दबाये हुये हैं, यह याद रखना कि जो अपने विचारों को दबाता है वह अपनी आत्मा का

\* 'नर हो कि नर पिशाच शीर्षिक एक इस्त पत्रक से ।

खून करता है। विधवा विवाह के मिशन का काम अब बहुत जोर से चलना चाहिये। इस मिशन को क्रियात्मक बनाना पड़ेगा और अब इस प्रथा का प्रचार बहुत तेजी के साथ करना पड़ेगा अब यह विषय किसी भी तरह टाल देने योग्य नहीं रहा है। ज्यों २ इसमें ढील की जारही है त्यों २ ही हमारे सर्व नाश का समय निकट आता जाता है। धर्म के नाम पर शेखी मारने वाले ईर्षा के पुतलों को चिलजोन दो, खूब गालियाँ देने दो, गहरा विरोध करन दो लेकिन स्वयं एक और सुधारक की तरह आईसात्मक मार्वों के साथ अपना कार्य करते रहो। विरोध होना ही सफलता का चिन्ह है, यहीं तो सफलता की लहराती हुई पताका है। किसी दृश्यते हुए को तिराना और गिरते हुए को उठाना महापुण्य कार्य है और इसीदृष्टि विन्दु से यह विधवा विवाह का मिशन धर्म का स्थिति करण अंग है। इसमें धर्म की प्रभावना के तत्व भरे हुए हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि ब्रह्मचर्य और शील ही मनुष्य के लिये धर्म का अष्टु मार्ग है। एस्तु अबक्षे और बुरे की तुलना करने में अपेक्षा नव एक प्रधान वस्तु है। अतः गर्भ पात और भूषण दृश्यायैं करने तथा विधिमियों के घर चप्पा २ कर अपनी कुत्ति से विधिमें संतान पैदा करने की अपेक्षा विधवाओं के लिये विधवा विवाह एक महान् उत्तम और धार्मिक कार्य है। यदि इस मिशन में पांच पीछा रखा तो इस दिन्दू समाज का मात्रम भनाने के लिये तेयार हो जाए। यह खूब याद रखने की बात है कि जिस समाज ने परिवर्तिति के महत्व को न समझ कर उसकी उपेक्षा की है वह इस संसार में अधिक नहीं ठिक लका है। यदि यह प्रथा पहले न थी तो न सहो, प्राचीन होने ही से किसी प्रथा में सर्व अष्टुना नहीं आती। जो प्रथा आज प्राचीन गिनी जाती है वह एक दिन अवश्य ही नवीन थी। नये से नया परिवर्तन भी यदि बुद्धि की परीक्षा में सफल हो सकता है तो उसी सर्व अष्टु है आज की नवीन, प्रथा कुछ ही समय पश्चात् प्राचीनता का रूप धारण कर लेगी।

और तब फिर उम्में कोई भी बात आपत्ति जनक न होगी। अब इस विधवा विवाह के विरोध में होने वाले आंतर्पां की ओर कुछ भी स्वान न देकर हमें अपनी शक्ति को इसके प्रचारमें लगा देना चाहिये। श्रम के ड्रेस का बड़ाना लेकर चिल्टने वाले लोग बास्तव में कल्प कार्य नहीं करते और उनको समाज सुव्वार के प्रश्न से ही कार्य दिल नहीं होते। उनमें यह तो पुरुषों के आपने कहाँ २ मैदान में जाकर बूढ़ों से कन्याओं की रक्षा की है? इन २ विधवाओं के लिये आपने मासिक वृत्तियां निकाल रखी हैं? कौन २ सी विधवाओं के लिये पंचायतों ने अन्न और कपड़े का प्रबन्ध कर रखा है? दो किरोड़ और बारह लाख दिन्दु विधवाओं के लिये कहाँ २ विधवा आश्रम क्रायम कर रखे हैं? बूढ़ों का व्याह रोकने वाली कौन २ सी संस्थाओं का आपने सहायता दी है? समाज में बीस २ और पचोस २ वर्ष के हजारों कुचार युवक विना व्याह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनकी शादी के लिये किस २ ने कितमाँ २ प्रयत्न किया है? बूढ़ों के साथ अपनी छोटी २ कन्याओं को व्याहने वाले माता पिताओं और छोटी २ विवाहितों के साथ व्याह करने वाले बूढ़ों को आपने पंचायत स क्या दण्ड दिलवाया है? विवाह आदि मांगलिक प्रसंगे पर जड़ बहुत सा रुपया महाव्यमिचारिणी और कुशील रचने वाली विश्वाओं का नाच गाना करने में खर्च कर दिया जाता है वहाँ क्या कर्म आपने दस बीस रुपया इन सदाचारिणी असहाया और क्षीरा दीना विधवाओं के प्रति पालन में भी सहायता रूप में दिया है? पस उत्तर में सुखा और बेहुदा सा जब ब मिल जाता है। परन्तु ऐसे लोग इस विषय पर युक्ति पूर्वक विचारने को कभी तैयार नहीं होते। वल्कि ये धर्म का स्तम्भ बनाने वाले तो उलटा विधावाओं का मालूमाई और हड्डपते को तैयार रहते हैं। उनके पतियों का नुकता चाटकर बद में कभी भी उनकी सार सम्हाल नहीं पूछो जाती। हाँ, वेशक अगर उनके पास कुछ पैसा हुआ तो उसको

हड्डपने के लिये गिर्द की सो नजर लगाये रहते हैं । इनसे तो अमेरिका और युरोप के बे ईसाई अच्छे हैं जो प्रति वर्ष करोड़ों रुपया इकट्ठा करके हिन्दुस्तान में भेजते हैं । और इन निराधार विधवाओं का खाने के लिये अन्न और पहनने के लिये कपड़ा देते हैं । चाहे वे किसी उद्देश से देसा करते हों परन्तु उनके इस दण्ड धर्म के आगे हमारे द्या धर्म को बोलने के लिये कुछ गुंजायश नहीं है । बधुओं ! समाज की इन निरपराध विधवाओं को दुर्दशा सुधारना और इस हिन्दू जाति को हास से बचाना अगर मंजूर है तो विधवा विवाह की प्रथा को स्वीकार करना पड़ेगा और जितना जल्दी हो सके उतना ही जल्दी इसको क्रियात्मक ( Practical ) बनाना पड़ेगा । इस एक प्रथा के चल जाने से कई किस्म की कुन्धाएँ एक दम रुक जावेगी । कन्या-क्रय-विक्रय की कुप्रथा । नाश हो जावेगा । पचास २ वर्ष को उधर में पहुंच कर भी अपनो तन्दुरस्तो शादी करने के योग्य बतलान वाले बूढ़ा के लिये उनके योग्य विवाह प्रिलने लग जावेंगे तो कुंचारी कन्याओं का जीवन नष्ट नहीं होगा । विधुओं का विधवाओं से विवाह होने लग जावेगा तो कन्याओं की कमी का सबाल हल होजाने से सब सम्बन्ध योग्य होने लग जावेंगे और विचारे समाज के साँड़ कहाने वाले बवारों के घर वसने लग जावेंगे । विधवाओं का पापमय जीवन शान्त मय हो जावेगा । कुंचारी कन्याओं का व्याह उन्हीं के योग्य अच्छे और कंचारे लड़कों से हो सकेगा । व्यभिचार और दुरचार, गम पात और भूख हत्याओं से जो यह समाज कल्पित हो रहा है वह भी रुक जावेगा । रंडबों को तोन तोन और चार चार मरतवा शादियां करने में जो बार २ बहुत रुपया खर्च करना पड़ता है, वह न करना पड़ेगा । हमारा समाज की मूल पृजों ये विधवा रमणियां, जो हमारे अत्याचारों से घबरा कर विधर्मियों के घर वसाने को वाधित

( १४ )

हो जाती हैं वह बदलूर समाज में बनो रहेंगी . जिस हिन्दू जाति का आज तेजी से हास हो रहा है उसका सौमान्य सूर्यो शीघ्र ही उदय हो जाएगा .

भला हो, समाज सुधार के कट्टर पक्षपाती, सृष्टिकर समाज सुधारक शिरोमणि स्व० ईश्वर चन्द्र विद्यासागर का आत्मा का कि जो बड़ी मुख्तेदी क साथ भारत सरकार से विधवा विवाह का कानून (एकट नं० १५ सं० १८५६ ई०) मंजूर करा गये हैं। विधवा विवाह के विरोध में, विधवा से विवाह करने वाले पुरुष को, अपना पुनर्विवाह करने वाली विधवा को तथा इस शुभ काये में सहायक होने वालों को कोई जातीय दण्ड नहीं दिया जा सकता। बल्कि जो पंच या सुखिया विधवा विवाह के विरोध में ऐसे लोगों को जाति बाहर कर देने हैं वे गज सं दण्ड के भागों बनते हैं। मेरठ में एक विधवा विवाहके समय ब्राह्मण जातिके पटेल चौधरियों ने एक पंचायत करके लगभग ढेढ़ सं आदियियांको एकत्रित किया और पुनर्विवाह करने वाली विधवा पुत्रों के पिता पं० राधेलाल और उनके सहायक पं० घासोराम को जाति बाहर करके उनका जातीय व्यवहार बंद कर दिया। दोनों वहिकृत पंडितों ने स्पैशल मजिस्ट्रेट, मेरठ को अदालत में विगदरी के पटेल चौधरियों के खिलाफ दफा ५०० रुजी रात हिन्द (Section 500, Indian penal code) के अनुसार अलग २ मुकदमे दायर कर दिये। लोकन बहुत विचार के बाद स्पैशल मजिस्ट्रेट साहब ने ता० ३ सितम्बर सं० १८१८ को दोनों मुकदमों में करियादियों को विगदरी के एक मुखिया पर ३०० और दूसरे दोनों मुखियाओं पर २०० (२००) रुपया जुरमाने का हुक्म दिया। जुरमाना अदा न करने की हालत में एक हजार को चार महीने को और दूसरों को तीन २ मास की कैद का आदेश किया। अपराधियों ने स्पैशल मजिस्ट्रेट के इस फैसले से दृष्ट होकर

इलाहाबाद के प्रसिद्ध वकील मिश्टर सत्यचन्द्र मुकरजो को सहायता से सेशन जज, मेरठ को अदालत में अपील की लेकिन विद्वान जज ने अपने २० नवम्बर सन् १९१८ के फैसले में अदालत मातहत की तजबीज बहाल रखी। अपराधियों ने फिर हाई कोर्ट, इलाहाबाद में निगरानी के लिये प्रार्थना की, लेकिन यह निगरानी भी शोश्युत अँनरेबल मिस्टर टी. सी. पेंगट, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इलाहाबाद ने ता० २८ मार्च सन् १९२१ को स्थार्ट करदी। इससे साफ जाहिर है कि विधवा विवाह कानून से भी जायज़ है। अतः किसी को भी यह दुर्साहस न होना चाहिये कि यों ही मतमानों पंचायतें कर के किसी पुरुष को जो ऐसे शुभ कार्य में सहायक होता है, विरादरों से बाहर करने की धमकी दे विधवा उसको निन्दा या अपमान करे।

धन्य है, पंजाब के उस घोर समाज सुधारक वैश्य रईस सर गंगा राम अग्रवाल, राय बहादुर, क. टी. सी. आई., ई.एम.बी. ओ. को कि जिसने लाहौर में विधवा विवाह सहायक समा स्थापित करके हिन्दू जाति को इस घोर पतन से बचाने का बोझ छाथ में लिया है। इस सभा को और से हिन्दुस्तान की ब्राह्मण, ज्ञात्रिय वैश्य और अन्यान्य आतियों में हजारों विधवा विवाह हो चुके हैं तथा बड़ी तेजी से हो रहे हैं और जगह २ प्रान्तों में विधवा विवाह के प्रचार की साक्षा समाएं भी स्थापित होती जा रही हैं। इमें जहाँ तक मालूम हुआ है, दया प्रेमी सर गंगाराम साहब ने इसके प्रचार के लिये लग भग १५-२० हजार रुपयासाक्षाना आमदनी की अच्छी जायदाद निकाल रखी है।

( १६ )

आहंसा धर्म के मानने वाले वेष्टणव और जैनी भाइयों ! श्रव घड़ुली  
पाप हो चुका है । यदि इस पाप के अपराध से बचना चाहते हो तो  
अपनी द समाज में विधवा विवाह जारी करके अपने पापों का प्राय  
श्चित कर डालो ।

नोट:—इस दृष्टि से जहां हिन्दू विधवाओं की संख्या बहुताई है उसमें सुनातन  
धर्म जैनी, आर्य समाजी, सिक्ख, प्रश्नसमाजी और बौद्ध विधवाओं  
की संख्या भी शामिल है जो हिन्दू महासमा के नियमानुसार हिन्दू  
जाति हाँ में माने गये हैं । लेखक

शान्ति !

शान्ति !!

शान्ति !!!



दामोदर प्रेस, रावतपाड़ा आगरा ।



## जैन समाज का सौभाग्य ।

विधवाओं की संख्या जिस क़दर अद्वितीय धर्मनियायी जैन समाज में है उतनी हिन्दुस्तान की किसी जाति में नहीं पायी जाती । जहाँ सनातन धर्मियों में प्रति सैकड़ा १९.१, आर्यममाजियों में १४.९, नव समजियों में १२.८, सिवखों में १३.५ और बौद्धों में ११.५, विधवाएँ हैं वहा जैन समाज में २५.५ विधवाएँ हैं । जैन समाज के लिये यह बहुत ही मोत्तेकी बात है । लेकिन यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के पारस्परी सुशारक जैन आद्यों ने इन विधवाओं की दुर्दशा पर दया लाकर अब विधवा विवाह सहायक सभाये स्थापित करना शुरू कर दिया है । यह भी संतोष की बात है कि जैन समाज में जगह जगह इस प्रका की अवश्यकता को अनुभव में लाने वाले वीर सुवारक पैदा होते जा रहे हैं । जो जैनी भाई अपने विधु लड़के और विधवा पुत्रियों का ऐसा गम्भीर करना चाहे उनको नीचे लिये पहों पर पत्र व्यवहार करना चाहिये :—

(१) श्रीयुत य. बृ. कृत्तचन्द्र जैन,  
संत्री, जैन विधवा विवाह रहायक सभा मोतीकट्टा, आगरा (य० ० पी.०)

(२) श्रीयुत य. स्टर चिम्मनलाल जैन, रिटायर्ड बैंकर मास्टर  
उपसंत्री, जैन बाल विधवा विवह सहायक सभा

गली पी.पलदाली, धर्मपुरा, देहली  
हमारे जैनी भाइयों को चाहिये कि वे अपनी विधवा बहन देखियों का दुःख निवारण कर के उनका विवाह कराएं । यह मय जीवन व्यतीत करने और कराने की अपेक्षा शान्तिमय जीवन व्यक्ति करना और कराना ही जैन धर्म का मुख्य सिद्धान्त है ॥

निषेद्ध— मोतीलाल पहाड़्य (जैन, कुनाड़ी) ।

## **कुछ उपयोगी ट्रैक्ट**

- (१) मुहार इक्के विमान- [ ३। ) ६० सैकड़ा ] ..... १ )  
 (२) पूर्ण रंगो लो कलियार्पितूजा- [ २ ) ६० सैकड़ा ] ..... १ ) ||  
 (३) विभूषा विकाह... . .... [ ३। ) ६० सैकड़ा ] ..... १ ) ||  
 (४) सर्वी अतिवी..... . .... [ ५। ) ६० सैकड़ा ] ..... १ )  
 (५) गंडियों का अच... . .... [ २॥ ) ६० सैकड़ा ] ..... १ ) ||  
 (६) कलकाठा..... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... १ )  
 (७) अम दूरी वा सदाचार, क्षिदिघी..... . .... . .... . .... . .... १ )

मिलने का पता - -

**लासोर औ पदाहूया ( कुनाड़ी )**

लेकेटरी, बैश्व सुशाम्क मेडल, कोटा

पो॰ कोटा ( राजपूताना )

ट्रैक्ट नं० १५

जैन जगत के इसी अङ्क का कोड पद्ध

\* ॐ \*

## विधवा-विवाह प्रकाश

लेखक—

रघुवीरशरण जैन अमरोहा

प्रकाशक—

जैन बालविधवा विवाह सहायक सभा  
दरीबा कलां देहली ।

—०\*०—

प्रथमवार } बीर नि० सम्बत् २४५८ { मूल्य  
२००० } दरीबा कलां देहली । ||

विक्टोरिया क्रास प्रेस, दरियागंज देहली ।



“विधवाविवाह” के विरोधी मित्रों से  
नम्र निवेदन  
मित्रों !

आप जो “विधवाविवाह” को बुरा समझते हैं, और समाज सुधार के इस शुभ कार्य में अन्तराय डालकर व्यथा प्राप्ति के सार्गी बनते हैं—इसका मुख्य अत्यन्त से अधिक दुःख है।

क्या आप मुझे आज्ञा देंगे कि……

मैं आपको ‘विधवाविवाह’ का कुछ रहस्य दिखलाऊँ ?

यदि हाँ तो लीजिये —

मैं आपके चरणकमलों में यह “विधवाविवाह प्रकाश” नामक ट्रैक्ट भेज करता हूँ। माथ ही निवेदन है कि आप इस पर ठगड़े दिल में विचार करें। मुझे आशा है कि इस पर निष्पत्ति में विचार करने पर आपको ‘‘विधवा विवाह’’ का कुछ रहस्य भलक जायगा। और आप आपने को हितमार्ग पर लगा पर अपना कल्याण करेंगे। मावना है कि आपका कल्याण हो।

—लेखक,

## \* \* \* \* \* विधवा विवाह-प्रकाश \* \* \* \* \*

यह बात सर्वे पर प्रगट है कि आजकल “विधवा विवाह” की चर्चा देशव्यापी होती जा रही है। एक समय वह था जब कि लोग “विधवा विवाह” को महा पानक समझते थे, और इसके नाम मात्र से कांपते थे; परन्तु अब वह समय नहीं रहा है, सब इसकी आवश्यकता का अनुभव कर रहे हैं, यहाँ तक कि सुधार मार्गमें सबमें पीछे रहने वाले सनातन धर्मी व जैन धर्मी बड़े बड़े विद्वान् व नेता भी इसके प्रचार में तन मन धन से अग्रसर हैं।

जैनसमाज में भी कुछ समय में यह चर्चा चल रही है। कतिपय रुद्धिदास इसका विरोध करते हैं और इसके समर्थकों व प्रचारकों को कोस २ कर समाज को भड़काने का प्रयत्न करते हैं; परन्तु उनका विरोध सभ्य और शिक्षित समाज की दृष्टि में कुछ मूल्य नहीं रखता। दुर्भाग्य में वे अभी तक मिथ्यात्व के उदय में “विधवा विवाह” के रहस्य का नहीं समझ पाये हैं, वे रुद्धियों को ही धर्म मान बैठते हैं यही कारण है कि वे “विधवा विवाह” को पाप कह कर व्यर्थ ही पाप के भागी बनते हैं।...लैर ? सौभाग्य से जैनसमाज को “सनातन जैन ( धर्मी ) व” “जैन जगत ( अजमंर )” पत्रों का दर्शन होता रहता है जिनमें पूज्य ब्र०शीतलप्रसाद जी व साहित्य

( ३ )

लिख रहा हूँ। बड़े २ विद्वानों के बीच में सुभ जेसे लुद्र व्यक्ति का पड़ना धृष्टता ही है, परन्तु क्या किया जाय, समय ऐसा आगया है कि चुपकी साधना भी एक बड़े साहस का काम है।

मैं विद्वान नहीं हूँ, परन्तु थोड़ा सा अवश्य पढ़ा हुआ हूँ। सत्य का पुजारी हूँ। जो बात बुद्धिकी कस्ती पर ठीक उत्तरती है उसे अपनाता हूँ। मैं अपने मैं गलतियों का होना स्वीकार करता हूँ, परन्तु जबतक वह गलती संयुक्त रीतिसं मेरे सामने न लाई जाय, तब तक मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता। धर्माक्षयों, प्रलोभनों सामाजिकदंड व समाजों के कारण अपनी बात को, जिसे मैं सत्य समझता हूँ, वापिस लेना मेरी शक्ति में बाहर है।

पाठकों में सप्रेम निवेदन है कि वे मेरे लेख पर शांति में विचार करें और असत्य को तिलांजली देकर सत्यको अपनावें।

## १. विधवा विवाह व्यभिचार नहीं है।

हमारे विरोधी मित्र “विधवा विवाह” को व्यभिचार बतलाते हैं, वे कहते हैं कि “विधवा विवाह” में व्यभिचार की निवृत्ति नहीं हो सकती। यहां मैं पहिले यही विचार करूँगा कि उनका यह कहना कहां तक सत्य है?

व्यभिचार का लक्षण शास्त्रकारों ने यह बतलाया है:—  
‘निजं विहाय परेणत्याकं भोगत्वं व्यभिचारत्वं’

अर्थात्—“अपने पति को छोड़ कर अन्य के साथ विषय संबन्ध करना व्यभिचार है।”

जिसके साथ नियमानुसार विवाह हुआ हो वही स्वपुरुष या स्वखी है। और जिसके साथ नियमानुसार विवाह न हुआ हो वही स्वपुरुष या परखी है।

रन्तु पं० दशारीलाल जी “विधवा विवाह” पर प्रकाश डालते रहते हैं; परन्तु फिर भी जैनसमाजमें “विधवा विवाह” के विरोधी लोग माँझद हैं, इस बातका मुँझ अत्यन्त आश्चर्य व रुद्र है। निमित्त तो प्रबल है परन्तु ज्ञानावर्णीय कर्म के पर्दे ने उनकी ज्ञान-शक्ति को इतना हीन बना दिया है कि वे उनसे कुछुलाभ नहीं उठा सके हैं। रुद्र ! महा रुद्र !!

“विधवा विवाह” के विरोधियों को इसका नाम मात्र भयंकर है। उनके लिये “विधवा विवाह” ठीक ऐसा ही है जैसा कि गोड़ के लिये सिंह। उनहीं में के एक प्रतिष्ठित महाशय “विधवा विवाह” पर अपने लिखित व्याख्यान के प्रारम्भ में निम्नलिखित शब्द कहते हैं, जिनमें पाठक अनुमान कर सकते हैं कि आपको “विधवा विवाह” कितना भयंकर है:—

“सज्जनो ! आज इस विषय में सभापति महोदय ने मुझको व्याख्यान देने की आशा दी है—उस शब्द के नाम मात्र में मुझ अत्यन्त ग्लानि और पाप होने की सम्भावना है, परन्तु आज्ञा का उल्घन मेरी शक्ति से बाहर है……………।”

आप कहते हैं इस “विधवा विवाह” के नाम मात्र से पाप होने की सम्भावना है वाहरी बुद्धिमत्ता (?) तंरी इस अपूर्व गृह फिलासफी ( philosophy ) को समझने में बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि भी बंकाम है। पाठक आपकी इस अद्भुत फिलासफी पर विचार ना करें।

मेरी राय में “विधवा विवाह” पाप नहीं है। इससे धर्म में कोई रुकावट व हानि नहीं हो सकती, और वर्तमान अवस्था को देखते हुए तो यह अत्यन्त से अधिक आवश्यक है। मैं इस लेख में “विधवा विवाह” पर ही विचार करूँगा। मैं पाठकों को विश्वास दिलाता हूँ कि यह लेख उच्छृंखलता से या किसी समाज व दल को नीचा दिखाने के लिये नहीं

इसमें ज्ञान होता है कि विवाह से दो परपुरुष व परख्ती, स्वपुरुष व स्वख्ती होजाने हैं। यदि वे विवाह से पहिले विषय में बन करें तो यह, उनका व्यभिचार होगा; परन्तु यदि वे ही विवाह के पश्चात विषय में बन करें तो यह, उनका व्यभिचार नहीं होगा। इस तरह विवाह, व्यभिचार दोष को अपहरण करने का “अव्यर्थ” साधन है।

जो कुमारी आज परख्ती है, और जो पुरुष आज परपुरुष है, वे ही विवाह होजाने पर स्वपुरुष व स्वख्ती होजाते हैं, तब जो विश्वास आज पगली है और जो पुरुष आज परपुरुष है, वे विवाह के बाट स्वपुरुष व स्वख्ती क्यों नहीं हो सकते? जबकि विवाह में व्यभिचार दोषक आहरण की शक्ति है और कुमारियाँ के विषयमें इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रयोग विश्वासीं के विषय में क्यों नहीं किया जा सकता? और भी देखिए —

पूज्य जैनाचार्य श्री स्वामी अकलंक देव ने ‘राजवार्तिक’ में विवाह का लक्षण इस प्रकार बतलाया है:—

**“सद्वेद्य चारित्र मांहोदयाद्विवहनं विवाह”**

अर्थात् — “मानवेदनीय और चारित्र मोह के उदय से खी पुरुष का एक दूसरे को स्वीकार करना विवाह है” —

विवाह का हो जाना भाता वेदनीय का फल है; क्योंकि इसमें असन्तानी को संतोष हो जाता है; परन्तु विवाह करने की तीव्र इच्छा चारित्र मोह के उदय से होती है। वेद नाम नाकथाय, काम भावना का प्रेरक है। इस कथाय के उदय का जार प्रन्यक खी पुरुष को हुआ करता है। बस! जिस प्रकार

---

\* ‘विधवा’ शब्द का अर्थ है ‘विगता ध्वो यस्यः—अर्थात् जिसका ध्व (पुरुष) दूर होगया (मर गया) हो।

कुमारी का सातावेदनीय व चारित्र के उद्य से विवाह हो सकता है, उसी प्रकार विधवा का भी, जिसमें चारित्र-मोहके उद्य से काम की तीव्र इच्छा धधक रही है, विवाह हो सकता है।

इस प्रकार हमारे विरोधी मित्र यह आलाप अलापते हैं कि जब स्त्री ने एक पति बना लिया, तब वह फिर दूसरा पति कैसे बना सकती है ?

इसके उत्तर में यह कहना ही काफी है कि जब पुरुष एक २ दो २ पत्नियां होने पर भी दूसरी पत्नि बना लेता है तो किर स्त्री विधवा होने पर भी अर्थात् कोई पति न गवने हुए भी दूसरा पति क्यों नहीं बना सकती ? यदि यह हट किया जाय कि विधवाओं को तो पूर्ण व्रतवर्चय पालना ही चाहिए—चाहे वे रो २ कर पालें, चाहे खुशी से पालें—तो यह विशुद्ध अत्याचार है। यदि किसी मनुष्य में अनुग्रान त्याग करने की शक्ति नहीं है, फिर भी उसको यह आज्ञा करना कि तुम्हें तो उपवास करना पड़ेगा—चाहे रा २ कर करों, चाहे राजी से करों, तो उसके लिये यह व्रत नहीं, दंड है। व्रत वही कहलाता है जो इच्छा या सचि पूर्वक अपनी शक्तिअनुसार धारण किया जाए। अतः विधवाओं से, उनमें शक्ति न होते हुए भी जवरदस्ती वैधव्य पलवाना उनके लिये व्रत नहीं, बल्कि दंड है। मैं विरोधी मित्रों से पूछता हूँ कि यह दंड किस अपराध पर उन्हें दिया जाता है ? क्या ‘विधवा हो जाना’ ही उनका अपराध है ? हमें ऐसा कोई कारण व अधिकार नहीं है कि हम उनमें जवरदस्ती वैधव्य पलवाएं।

हमारे विरोधी मित्र यह भी आक्षेप करते हैं कि “सत्त्वर्थि सिद्धि” में “कन्यादानं विवाहः” ऐसा कथन आया है। इसके अनुसार विधवा का विवाह कैसे हो सकता है ? अतः विधवा विवाह व्यभिचार है ?

यह जो “सर्वार्थ सिद्धि” में ऐसा कथन आया है, सामान्य रूप में है; क्योंकि प्रचार में जब कभी विवाह का विचार आता है, उस समय कुमार व कुमारी को ही संयोग आदर्श माना जाता है, इसी भाव में “सर्वार्थ सिद्धि” में ऐसा कथन आया है।

“कन्यादानंविवाहः” इसमें दान का अर्थ रूपये पैसे देने के समान नहीं है; किन्तु ‘माना पिना द्वारा किसी योग्यवर के सुपुर्द कन्या का किया जाना है’ ऐसा अर्थ है। जिसे लांग प्रचार में कन्यादान कहते हैं, वह वास्तव में विवाह है जो योग्य वर के साथ किया जाता है।

यदि कन्या दान को वस्तु दान के समान माना जाय, तो वह जो कन्यादान पाना है, उसी कन्या को किसी दूसरे को देसकता है। क्या यह हमारे विरोधी मित्रों को इष्ट होगा?

यदि “कन्यादानं विवाहः” के ‘कन्या’ शब्द पर सूचमता से विचार किया जाय, तो नया ही रहस्य दीखता है। ‘कन्या’ शब्द का अर्थ केवल ‘कुमारी ही नहीं है वल्कि साधारण स्त्री भी है।

देखिये—श्री वामन शिवराम आपने संस्कृत-अंग्रेजी कोष में पृष्ठ ३३३ के दूसरे कालन में कन्या शब्द के कई अर्थ देते हैं:—

१—An unmarried girl or daughter ( एक अविवाहिता लड़की या पुत्री )

A girl ten years old. ( दस वर्ष की लड़की )

A virgin, maiden. ( अक्षत यानि, या, अविवाहिता )

A woman in general. ( एक साधारण स्त्री )

नीचे लिखे श्लोक में भी ‘कन्या’ शब्द साधारण स्त्री के लिये प्रयुक्त नहीं हुआ है:—

( ७ )

अहल्या, द्रोपदी, तारा, कुंती मन्दोदरी, तथा ।

पंचकन्याः स्मरेन्नित्यं महापातक नाशनम् ॥

यहां पांचों स्त्रियां विवाहिता तथा ज्ञत योनि थीं, फिर भी उन्हें 'कन्या' कहा गया है ।

'पश्च पुराण में सुग्रीवकी स्त्री सुतारा को उस समय कन्या कहा गया है जब कि वह दो बच्चों की माँ होगई थी ।

"केनो पायेन तांकन्यां लप्सये निष्टिदायिनी ।"

जग विचार कीजिये कि जब दो बच्चों की माँ को कन्या कहा है तो फिर विधवा को क्यों नहीं कहा जा सकता ? जिस प्रकार विवाह में कुमारी कन्या दी जा सकती है उसी प्रकार विधवा कन्या भी दी जा सकती है; और यही विवाह है, न कि व्यभिचार ।

और भी देखिये —

विधवा जब विवाह करती है, तब यह प्रगट रूप से करती है, गुप्त रूप से नहीं करती । जब इसमें किसी प्रकार का गुप्तपना नहीं, न किसी प्रकार का भय, तब यह कार्य कभी भी व्यभिचार नहीं कहा सकता क्यों कि व्यभिचार में भय व लज्जा पाई जाती है ।

व्यभिचार एक जुर्म है जिसकी सज्जा गवर्नमेंट (Government) से मिलती है । यदि "विधवा विवाह" व्यभिचार होता तो यह भी एक जुर्म होता और गवर्नमेंट इस पर सज्जा लगाती, परन्तु गवर्नमेंट का कोई कानून ( law ) ऐसा नहीं जिससे "विधवा विवाह" करने व कराने वालों को सज्जा दी जाय । इससे स्पष्ट है कि "विधवा विवाह" व्यभिचार नहीं है । यदि यह व्यभिचार होता तो गवर्नमेंट इसको जुर्म करार देती ।

अतः सिद्ध होगया कि “विधवा विवाह” व्यभिचार नहीं है। यह कहना, कि ‘विधवा विवाह’ में व्यभिचार की निवृत्ति नहीं हो सकती, ऐसा ही सत्य है जैसा कि यह कहना कि सर्व में अन्त्यकार का विनाश नहीं हो सकता, सत्य है! “विधवा विवाह” का आशय विधवा को इत्यरिका व व्यभिचारिणी होने से बचाना है उसको गृहस्थ श्राविका के असुखत में रखकर उसका स्थिति करण करना है।

विधवा का विवाह करके उसको गृहस्थ श्राविका के असुखत में रखकर उसका स्थिति करण करना किसी प्रकार भी व्यभिचार नहीं कहा जा सकता। विधवा को जबगद्दस्ती घेघव्य पलवाना व्यभिचार है। हमारे विरोधी मित्र इसमें बचे हुये नहीं हैं। वे “विधवा विवाह” का विरोध करके बंचारी असमर्थ विधवाओंमें जबगद्दस्ती घेघव्य पलवाकर उन्हें व्यभिचारिणी बना देते हैं, जो कि ‘व्यभिचार’ में भी बढ़कर व्यभिचार है। वस ! यदि हम “विधवा विवाह” के विरोधियों को कहें तो कुछ भी अर्थात् न होगी।

उपरोक्त विवेचन में ज्ञान हुआ कि “विधवा विवाह” और “व्यभिचार” में केवल इतना ही अन्तर है जितना अन्तर “ब्रह्मचर्य” व “व्यभिचार” में है अर्थात् “विधवा विवाह” इतना ही बड़ा व्यभिचार ( पाप ) है जितना बड़ा व्यभिचार “कुमारी-विवाह” है।

## २. क्या कारण है कि पुराणों में “विधवा विवाह” का उल्लेख नहीं मिलता।

“विधवा विवाह” पर हमारे कृपयाङ्क मित्र यह आक्षय भी करते हैं कि “शास्त्रों में कुमारी विवाहका तो वर्णन आता

है, परन्तु “विधवा विवाह” का वर्णन कहीं नहीं मिलता। फिर इसे धर्मानुकूल कैसे कहा जा सकता ? ”

शास्त्रों में यदि “विधवा विवाह” का उल्लेख नहीं मिलता तो यह कैसे कहा जासकता है कि “विधवा विवाह” धर्म विरुद्ध है। उसकी घटना का शास्त्रों में न होना उसकी असिद्धता प्रगट नहीं करता पुण्यणों व शास्त्रों में वही घटनाएँ उल्लिखित हैं जो कुछ महत्व ( importance ) रखती हैं। जहाँ भी कुमारी विवाह का वर्णन आया है। वहाँ कोई महत्व पूर्ण ( important ) घटना अवश्य है। “विधवा विवाह” में कोई महत्व पूर्ण घटना की ‘मम्मावना’ नहीं थी, अथवा कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई, इसलिये उसका उल्लेख भी नहीं हुआ। यदि उसमें कोई महत्व पूर्णघटना होती तो इसका उल्लेख भी शास्त्रकार करते।

घटनाएँ अच्छी भी होती हैं, और बुरी भी। शास्त्रों व पुराणों में दानों प्रकार की घटनाओं का उल्लेख मिलता है। शास्त्रकारों ने जहाँ अच्छी घटना का वर्णन किया है वहाँ उसका अच्छा फल भी दर्शाया है; और जहाँ किसी बुरी घटना ( पाप ) का वर्णन किया है वहाँ उसका बुरा फल दिखाया है। बुरे कार्यों की निन्दा और उनका बुरा फल दिखाने के लिये यह चिवण हुआ है। जहाँ शास्त्रकारों ने पर स्त्री हरण, वेश्या मंदिर आदि अनेक कुरायों का वर्णन किया है, वहाँ ‘विधवा विवाह’ का जरा भी वर्णन नहीं किया। यदि “विधवा विवाह” पाप होता तो शास्त्रकारों ने जहाँ अनेक पापों का वर्णन करके उनकी निन्दा की है। वहाँ कम से कम एक बार तो इसका वर्णन करके इसकी निन्दा करते। मालूम हुआ कि “विधवा विवाह” का पुण्यणों में उल्लेख न मिलना इसकी बुराई को प्रकट नहीं करता। बल्कि इसकी भलाई व साधारणता को प्रगट करता है।

यदि शास्त्रों में “विधवा विवाह” का निषेध रूप में वर्णन आता तब यह बात कुछ विचारणीय हो जाती और इसका युक्ति व प्रमाण में दुष्कृती की कसौटी तर्क वितरकसे परखा जाता और सत्य असत्य का निर्णय किया जाता, परन्तु शास्त्रों में कहीं भी “विधवा विवाह” निषेध नहीं है ।

### ३. ‘विधवा’ और ‘विवाह’ ये दो शब्द कहाँ तक असंगत हैं ?

हमारे विरोधी मित्र ‘विधवा’ और ‘विवाह’ इन दोनों शब्दों को असंगत बतलाते हैं । यदि यह दोनों शब्द असंगत मान भी लिये जायें तब भी ‘विधवा विवाह’ पाप कैसे उठग सकता है ! बात यह है कि जब इन दोनों शब्दों का परस्पर मेल टोजाता है तो इनके छह अकारों के एक समूह में वे बेचारे छुकड़े भूल जाते हैं, इसलिये वे इन दोनों शब्दों को असंगत कहने लगते हैं । मेर..... !

अधिकतर सुनने में आता है कि अमुख विधवा व्यभिचारिणी हो गई, अमुक विधवा के गर्भ रह गया, अमुक विधवा मुसलमान या ईसाई बन गई, अमुक विधवा वेश्या बन गई, इत्यादि २..... । विचार कीजियें, कि यदि ‘विधवा’ और ‘विवाह’ यह दो शब्द असंगत हैं, तो ‘विधवा’ और ‘व्यभिचार’, अथवा ‘विधवा’ और ‘गर्भ’ में तो इनसे भी अधिक असंगत हैं । विधवा के घर नहीं होता और विना घर (पुरुष) के गर्भ नहीं रहसकता इसलिये जब कोई विधवा स्त्री

( ११ )

गर्भवती होगई तो वह सधिवा हो चुकी इसमें कुछ संदेह नहीं। जब 'विधवा' और 'गर्भ' इन दो शब्दों को प्रकृति सङ्गत बनाती है तो फिर 'विधवा' और विवाह इन दो शब्दों का सङ्गत होना कितनी बड़ी बात है ?

## ४. "विधवा विवाह" से शरीर की विशुद्धि नष्ट हो जायेगी"

इस पर विचारः—

हमारे विरोधी मित्र "विधवा विवाह" पर यह भी आशंका करते हैं कि "विधवा विवाह से शरीर की विशुद्धि नष्ट हो जायेगी ।"

इसमें मालूम होता है कि वे शरीर को विशुद्ध मानते हैं। दुःख है कि हमारे मित्र इन छोटी २ बातों में वही २ गलतियां कर बैठते हैं, नहीं तो वे अपवित्र शरीर को विशुद्ध कभी नहीं कहते। शरीरके विषय में यह हर कोई जानता हैः—

"पलरुधिर राध मल थैली, कीकस बसादि तें मैली ।  
नव द्वार वहें घिनकारी, अस देह करे किम यारी ॥"

ऐसी अपवित्र देह को जो विशुद्ध बतलात है, उनकी वुद्धि पर हँसी आती है। उनकी आंखों व वुद्धि की तीव्रता पर गाठक ज़रा विचार तो करें ?

## ५. "स्त्री" "पुरुष" में भोज्य भोजक सम्बन्ध नहीं है ।

हमारे विरोधी मित्र यह आशंका भी करते हैं कि जिस प्रकार एक मनुष्य अनेक धालियों में भोजन कर सकता है, लेकिन एक धाली में कई पुरुष भोजन नहीं कर सकते, उसी

प्रकार एक पुरुष अनेक स्त्रियों का सेवन कर सकता है, लेकिन अनेक पुरुष एक स्त्री का सेवन नहीं कर सकते क्योंकि स्त्री पुरुष में भोज्य भोजक सम्बन्ध है ।

भोग के काम में स्त्री पुरुष दोनों को सुख होता है, यदि उनमें उपरोक्त सम्बन्ध होता तो स्त्री ( भोज्य ) को सुख नहीं होता चाहिये था, अर्थात् पुरुष भोजक ) को ही सुख होना चाहिये था, लेकिन यहां स्त्री पुरुष दोनों को सुख होता है । इसलिये मालूम हुआ कि स्त्री पुरुष में भोज्य भोजक सम्बन्ध नहीं है ।

हमें इस बात का अत्यन्त रवेद है कि हमारे विगोधी मित्र इतनी सरल वानों में, जिनमें युक्ति व प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है गलती कर जाते हैं खैर…… ।

यदि 'दुर्जननाप न्याय' में स्त्री पुरुष में भोज्य भोजक सम्बन्ध मान भी लिया जाय तब भी "विधवा विवाह" में इसमें कोई विगोध नहीं आता । क्यों कि जिस प्रकार थाली को मांझ धोकर साफ कर लिया जाता है । और उसमें दूसरा पुरुष भोजन कर सकता है, उसी प्रकार 'मासिक-घर्म' के बाद स्त्री दूसरे पुरुष के काम में लाई जा सकती है ।'

### ६. अद्भुत न्याय !

हमारे विगोधी मित्र विधवाओं के विवाह का तो खूब विगोध करते हैं, परन्तु विधुरों के विवाह का समर्थन करते हैं । वाह ! वाह !! क्या अच्छा न्याय है ।

जब कि पुरुष पति रखते हुये भी दूसरी पति बना लेता है, तो विधवा पति न रहते हुये भी दूसरा पति क्यों नहीं बना सकती समझ में नहीं आता कि विधुरों का विवाह तो हो जाय । परन्तु विधवाका न हो ! विधुरों को यह रियायत क्यों ? स्त्रियों के लिये तो पुरुषों में भी जियादा रियायत

होनी चाहिये क्योंकि स्त्रियों में पुरुष की अपेक्षा काम की तीव्रता कई गुनी होती है ।

जब हम देखते हैं कि “विधवा विवाह” के विरोधी विधुर हो जाने पर बुढ़ापे में भी अपना दूसरा विवाह कर लंते हैं, परन्तु बाल व युवान विधवाओं का विवाह नहीं होने देते हैं तो हमें उनकी इस करतूत पर बहुत कोश आता है और दिल में आता है कि.....”

## ७. वर्तमान अवस्था में “विधवा विवाह” की आवश्यकता

वर्तमान अवस्था में “विधवाविवाह” ‘अत्यन्त’ से अधिक आवश्यक है हमारे रुढ़ि प्रेमी मित्रों की कृपा (?) से बाल विवाह, वृद्ध विवाह और अनंतल विवाह आदि अनंक कुप्रथाओं ने अडडा जमा रखवा हैं जिसके कारण आज समाज में हजारों की संख्या में विधवाएँ पाई जाती हैं उनका जीवन भी उनकी दया (?) में दयनीय बन रहा है ।

बहुत में मित्र यह कहते हैं कि “कुप्रथाओं में विधवाएँ बनती हैं, इसलिये सबसे पहिले इन कुप्रथाओं को रोकना चाहिये, जब कुप्रथाएँ नष्ट हों जायेंगी, तब विधवाएँ भी न बनेंगी । इसलिये “विधवा विवाह” के प्रचार को बन्द रखकर इन कुप्रथाओं को नष्ट करने में आपनी शक्ति लगानी चाहिये ।”

यदि मान लीजिये कि इन कुप्रथाओं का आज ही अभाव हो जाय तो वर्तमान समय हजारों विधवाओं को उससे क्या लाभ होगा । उनका जीवन तो संकट मय ही रहेगा उनका जीवन जमी सुखी बन सकता है जब कि उनका विवाह किया जाय । इसलिये कुप्रथाओं को बन्द करने के साथ “विधवाविवाह” प्रचार भी आवश्यक ठहरता है ।

कुप्रथाओं का सर्वदा अभाव होने जाने पर भी विधवाएँ बन्द नहीं हो सकती—चाहेवह अल्प संख्या में ही बने—इस लिये उन विधवाओं के विवाह की भी आवश्यता रहेगी अतः “विधवाविवाह” का प्रचार किस तरह बन्द किया जासकता है।

कुप्रथाओं को रोकने के साथ साथ “विधवाविवाह” का प्रचार भी अत्यन्त आवश्यक है, क्यों कि कुप्रथाओं के बन्द होने में विधवाएँ बहुत शोड़ी बनेंगी और विधवाविवाह में उनका जीवन सुखी बन सकेगा।

उपरोक्त विवेचन में मालूम हुआ कि यिना विधवाविवाह के कुप्रथाओं का अभाव भी अधिक लाभदायक नहीं हो सकता जो दोष ‘विधवाविवाह’ में अपहरण हो सकता है वह कुप्रथाओं के अभाव में सर्वथा दूर नहीं हो सकता।

हम चाहते हैं कि तमाम कुप्रथाओं का शीघ्र सर्वथा अभाव हो जाय, परन्तु मित्रों ! ‘विधवाविवाह’ की आवश्यकता हर समय है। मंवर के साथ साथ निर्जरा न हो तो कैस काम चल सकता है ?

### ✽ अंतिम निवेदन ✽

अब मैं अपना लेख समाप्त करता हूँ। मैंने यहां “विधवाविवाह” की खास खास बातों पर संबोध में प्रकाश डाला है। आशा है कि बड़े २ विद्वान् इस विषय पर प्रकाश डाल कर साधारण समाज का भ्रन दूर करेंगे। मैं समझता हूँ कि बुद्धिमान् मनुष्य के लिये इतना ही लेख बहुत काफी होगा, क्योंकि बुद्धिमान् के लिये इशारा ही काफी होता है। जैसा शख्सादी ने कहा भी है “अङ्गमदारा इशारा काफीस्त” अर्थात्—बुद्धिमान् के लिये संकेत काफी है।

---

\* यह फारसी के बड़े उक्तम कवि हो चुके हैं।

मैं आपने मित्रों से निवेदन करता हूँ कि आप आपने हृदय से इस मिथ्या बासना को कि “विधवा विवाह” धर्म विरुद्ध है, दूर कर दीजियें। यदि आप निष्पक्ष रीति से विचार करें तो आपको आपनी गलती ज्ञात हो जायगी। आपको चाहियें कि आप सत्य के कहने में निर्भय बनें। इस बात का अम छोड़ दीजियें कि इसका फल क्या होगा ? सत्य बात के लिये यदि जीवन भी न्योछावर हो जाय तो भी कुछ चिन्ता मत करो। सच्चा वीर वही होता है जो सत्य बात के कहने में कुछ भी नहीं भय खाता। यदि उसको सत्य बात पर जान भी देनी पड़े, तो वह वीरता में हंसते हुए जान पर खंल जाता है। सच्ची बात के कहने में डरना या संकोच करना महा पाप है। जो मनुष्य हठ पूर्वक आपनी झूठी बात पर जमा रहता है और सत्य को ग्रहण नहीं करता, वही नीच है। आपको मिथ्यात्व छोड़ कर सम्यक्तव की ओर आना चाहिये, क्योंकि यही हित का पार्ग है। झूठी बात दर डटे रहना बुद्धिमानी नहीं है। ‘धर्म द्वया’ ‘धर्म द्वया’ की आवाज लगा कर व्यर्थ ही आपनी जिज्ञासा को न थकाइये। धर्म न तो रुद्धियों में है, न एक मांस में, न हड्डी में, न कोरी ‘अहा—हूँ हूँ’ में, न कोरी ‘धर्म द्वया २’ में, वह आत्मा में है। पट के लिये ढोंग बना कर आपनी आत्मा का घात न कीजिये सुधारकों को बुरा कह २ कर साधारण समाज को धांक में न डालिये। विधवा-ओं पर अत्याचार करना छोड़ दीजियें उनका विवाह करने में ही उनका जीवन सुखी बन सकता है और वे ध्यभिचार संबंध सकती हैं, इसलिये आप “विधवा विवाह” का विरोध छोड़ कर इसके प्रचार में जुट कर आपनी सत्यता, वीरता, निर्भयता तथा मनुष्यता का प्रमाण दीजियें। लियों पर अत्याचार करना महाअनर्थ है, विधवाओं में जबरदस्ती वैधव्य पलवाना महा अत्याचार है। यह महा अत्याचार सती प्रथा

से बद्धकर पाप हैः क्योंकि सती प्रथा में रुग्नी को थोड़े समय ही जलना पड़ता है, परन्तु वैघट्य से उन्हें जीवन भर जलना पड़ता है। प्रिय मित्रों! 'रुद्धियों' के लिये 'सत्य' का गला मत छोटो, किन्तु 'सत्य' के लिये 'रुद्धियों' का गला घौंट डालो।

मैं समस्त जैन समाज में भी निवेदन करूँगा कि वह 'विधवा विवाह' को अपनाय, क्योंकि "विधवा विवाह" के प्रचार के बिना जैनियों की उन्नति असम्भव है जैन समाज "विधवा-विवाह" से गहुत दूर है यही कारण है कि संसार की अन्य समस्त जातियों में यह सब से गिरी हुई जाति गिनी जाती है। जैनसमाज को "विधवा विवाह" के प्रकाश की अत्यन्त आवश्यकता है ताकि वह इसके प्रचार में जुट कर अपने को उन्नत बनाय, अतः विद्वानों को चाहिये कि वे इस पर प्रकाश डालें।

आशा है कि पाठकगण इस लेख पर ढंडे दिल से निष्पक्ष विचार करने का कष्ट उठायेंग और इस पर अपनी सम्मति अवश्य देंगे। जो महाशय मेरे लेख से सहमत न हों, वे इसके विरुद्ध अवश्य लिखें। मैं उनके लेख पर शान्ति से विचार करूँगा, क्योंकि मेरा आशय किसी बात पर हठ पूर्वक जमा रहना नहीं है। मेरी नीति तो यह है:—

न पर खण्डन मेरु कुछ मतलब न मण्डन मुहआ अपना।  
सतासत निर्णय करते हैं, कराये जिसका जी चाहे ॥



## धन्यवाद

इस ट्रैक्ट के छुपवाने में निम्न लिखित महानुभावों ने सहायता प्रदान की है, जिनको समाहारादिक धन्यवाद देती है और साथ ही समाज के अन्य स्त्री पुरुषों से निवेदन करती है कि वे भी निम्न श्रीमानों का अनुकरण करके अपनी दुखिया वहिनीं पर तरस खाकर इसी प्रकार सहायता प्रदान करने की उदारता दिखावें:—

- १०) लाला विश्वनाथदास बजाज जैन जगाधरी
  - ५.) लाला जुगलकिशोर जैन बहादुरगढ़
  - ४) गुप्तदान अमरोहा
  - २) लाला मूलचन्द अमरोहा
  - २१) लाला रघुवीर सरण अमरोहा
  - २) लाला मंगतराम जैन स्यादवादी देहली।
- 

२५)



## ✽ अन्य उपयोगी और कांतिकारी पुस्तकें ✽

- १ शिक्षाप्रद ग्राम्बोध उदाहरण—लेखक श्रीमान मृत्यु  
परिटन जुगलकिंशुर जी मुख्तार )॥
- २ विवाह चंच प्रकाश „ „ ।=)
- ३ जेन जानिमुदशा प्रवर्त्तक ल० श्री वावृ सरजभान जी -)
- ४ मगला दर्ढी „ „ „ „ -)
- ५ कुवारा की दुर्दशा „ „ „ „ -)
- ६ शृङ्गस्थ धर्म „ „ „ „ , )॥
- ७ विधवाविवाह आर उनक सरकारों में अपील  
लेखक—द्र० शंतल प्रसाद जी )॥
- ८ उज्जल पाण बड़मास लेखक अग्रध्याप्रसाद गोयलीय -
- ९ अबलाज्ञा क आंस „ „ „ „ , )
- १० पुर्वलग्न मामांसा लघवावृ मालानाथ मुख्तार वुलन्दशहर )॥
- ११ कर्याद वृत्तगान उर्द „ „ „ „ , )॥
- १२ विधवा दिवान समाधान लेखक सव्यमाची )॥
- १३ जेन धर्म आर विधवा विवाह पहिला भाग -)॥
- १४ जेन धर्म आर विधवा विवाह दूसरा भाग )=)
- १५ मुख्तार संगीत माला ल० प० पूरामल मुशरफ जैपुर )॥
- १६ ल्याग मामासा ल० प० ईपचन्द जी वर्णी -)
- १७ प्रार्थना स्त्रात जेन पाठशाला ने विद्यार्थियों तथा कन्या  
पाठशाला क हिनाथी )॥
- १८ इनपा विवाह प्रकाश ल० रमुर्वारशसा जेन अमरोहा )॥
- मिलने का पता—  
जोहर्गमल जेन सराफ दर्रवा कलां, देहली ।

# विधवाओं और उनके संरक्षकों से अपील ।

लेखक—

जैनधर्मभूषण धर्मदिवाकर ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजी

प्रकाशक—

जैन बाल-विधवा विवाह सहायक सभा  
दरीबा कलां देहली ।

संवत् १६८५

मुद्रक—

गयादत्त प्रेस, क्लोथ पारकेट देहली ।

## \* मेरे दो शब्द \*

प्रिय पाठकगण ! सब मे प्रथम अपनी विधवा बहिनों की पुकार मुनिये और फिर हृदय पर हाथ रखकर विचारिये कि क्या कभी आपने उनकी आहोंका नोटिस लिया ? नहीं, कदापि नहीं, हाय शोक ! महाशोक !! देखिये वह आपने भाइयों से क्या प्रार्थना करती है —

किस काम का जिन्हरी तुरहारी । रक्षा न हुई अगर हमारी ॥  
ताल्वार का बक्क अब नहीं है । कांटा सा जिगर में जागुजी है ॥

मैं आपने को बड़ा ही भारवान समझता हूं कि जैन धर्म-मूरण धर्मदिवाकर व्रतचारी शीतलप्रसादजी ने मेरे अन्धकार रूपी परदे को हटा कर मुमार्ग पर लयाया । मैं इस विधवाविवाह के अनि विपरान था और मैंने इसके बा 'जैन ला' के खिलाफ हिन्दा 'जैन गज़ट' में लेख भी दिये, परन्तु नयोगवश हमारे आरगेनाइजिंग इन्सेंक्टर श्रामान् वाच बलवतराय जैन का एक व्रात्यर्णी विधवा से विवाह निश्चिन हुआ, उसमें मुझे शामिल हाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ उस समय पूज्य व्रतचारा जा से कुछ देर शका समाधान हान पर मेरा भ्रम दूर हागया और मैंने समय काल और व्यवस्था का देखकर यह प्रण किया कि जैन जाति का उद्धार तभी हो सकता है जबकि विधवा बहिनों की कठणा नाद के सामन मस्तक भुकाया जाय और जैन शास्त्रोक्तानुसार उनका शुभविवाह कराने हुये जैन जाति का उत्थान कियाजाय और चौधरी चौकड़ायनों के फरे और भय से जैन जाति के सबे सपूत्रोंको बचाया जाय ।

मैं अधिक न लिखते हुए ₹००८ श्री महार्वार भगवान के दरबार में प्रार्थना करता हूं कि वह मेरे नवयुवक भाइयों को ऐसी सुवृद्धि प्रदान करें जिससे कि वह छाती ठांक कर मैदान में आए और इस शुभकार्य में हमारा हाथ बटायें कि जिस प्रकार हम जैनजाति की भवतेर में पड़ी नव्या का पार लेजाएं ।

जयोतिषमार्तगड (पं०, शीतलप्रसाद जैन, F.A.A., रिवाड़ी) ।

## विधवाओं और उनके संरक्षकों से अपील

इकीम करोड़ की हिन्दू जाति की आवादी में जब २ दो करोड़ से अधिक विधवाएं हैं तब ११। साहे ग्यारह लाख की जैन संख्या में १। लाख विधवाएं हैं जब कि विशुग मात्र ६१ हजार है। परन्तु कुमारे पुरुष ३ लाख हैं और कुमारी विधियाँ ?=५००० अर्थात् दो लाख में कम हैं। जो जैन समाज को मरने से बचाना चाहते हैं उनको सन १८८५ की जैन मर्दूम शुमारी की रिपोर्ट को भली प्रसार पढ़ डालना चाहिये। उससे साफ विदित हो जायगा कि जैन लोग जो २००० आठ हजार प्रति वर्ष यह रहे हैं इसका बड़ा भारी कारण यह है कि जैन जाति में कुमारियों की संख्या कम होने पर भी उनका विवाह कुमारों और विवरों से करना होता है। पृथिवी का प्रभुत्व होने से वह जिस तरह बनता है एक दक्ष विवाह के पीछे स्त्री के मरने पर दूसरी दक्ष कुमारी कन्या को विवाह लेने हैं। यदि कदाचित् यह स्त्री भी मर गई तो तीसरी दक्षे फिर अपनी पुत्री व पोती के समान किसी कुमारी को व्याह लेने हैं। किसी २ पुरुष को जीवन में ३ या ७ दक्षे कुमारी को विवाहने का प्रसंग आजाता है। इस प्रकारकी व्यवस्था का कड़वा फल यह होता है कि बहुतसी जवान विधवायें जो बड़ी उम्रके पुस्तों को विवाह दी जाती हैं अपने पतिके मरने पर

विना किसी संतान को पेटा किये हुये बेकाम विधवायें रहकर अपना जिम तिम प्रकार जन्म काटती है। समाज में बाल विवाहों की भी कमी नहीं है। निदान १५-१६ वर्ष के बालक ११याँ२ वर्षकी कन्याएँ विवाह दिये जाते हैं। देवयोग से यदि यह बालक मर जाता है तो ये बाल विधवायें भी बेकार अपनी शिन्दगी विनाती हैं। ये भी विना संतानके पेटा किये हुये मर जाती हैं। उधर कुमारी कन्याएँ योंही कम हैं तिम पर उसमें से बहुत भी कन्यायों को विवृग पूर्ण विवाह लेते हैं। कुमारों की संख्या भी अधिक है इसलिये अधिक कुमारे विन विनाहे तथा विना किसी संतान को पेटा किये हुए मर जाते हैं। सन १९२१ की रिपोर्ट बताती है कि २० वर्ष से ७० वर्ष व उपर तक के कुमारे ६२२०६ हैं। जिम जाति में ७० हजार कुण्ठे विन विवाह रह जावे उम जाति की संतानें अवश्य कम होंगी इसमें कोई सटेह नहीं वर्दिमान जैन भाई तथा वहिन विचार सकते हैं कि जैन समाज की संख्या को स्थिर रखने वाला समाज के बालक व बालिकायें हैं। जब इनकी उत्पत्ति कम होगी तब अवश्य संख्या घटेगी जो बुरी दशा मर्दूम शुमारी की रिपोर्ट से भल्कूती है वही बुरी दशा प्रत्यक्ष जैनियों की आशादी को देखने से भल्कूती है। हम जब अपने भ्रगण में किसी स्थान की दशा को जांचने लगते हैं तो

मालूम होता है कि जहाँ आज ५० घर हैं वहाँ २०वरूप वर्ष पीछे २५ घर रह जायगे क्योंकि ये मब ५० घर जोड़वाले नहीं हैं इनमें कितने घरोंमें मात्र कुमारे व विधुर पृष्ठ हैं व कितने घरोंमें मात्र विधवाएं ही हैं।

किसी भी समाज के जीवन को स्थिर रखने के लिये पुस्तों का विवाहित होकर संतान जन्म देना अति शय आवश्यक है। तथा जैन समाज में इस आवश्यकता को केवल पूरा किया जावे। इसका उपाय यही समझ में आता है कुण्डी कन्याएं कुमारों ही को व्याही जावे एवं पहा नियम किया जावे। फिर भी यदि अविवाहित कुमारे रहे तो उनको उम् से छोटी बाल विधवाएं व युवती विधवाएं विवाही जावे। तथा वे पृष्ठ जिनको दुवारा तिवारा या चाँदारा विवाह करना हो वे अपनी उम् में कुछ छोटी विधवाओं को ही विवाहें। समाज में इस व्यवस्था को जारी करने से विना संतान पेटा किये बहुत कम पृष्ठ व स्त्रियों परेंगी। इस व्यवस्था के लिये यह अर्ति आवश्यक है कि विधवाएं अपने जीवन को मफूल करें। विधवाओं को अपना जीवन न्याय मार्गी बताना चाहिये उनको कभी भी व्यभिचार व गुप्त पाप में नहीं फँसना चाहिये। यह न्यमिचार मनुष्य हन्या आदि आदि वोर अनथों का कागण हैं। यदि उनको इस लोरु में मदाचार मय जीवन बिताना है और परलोक में

खोदी गति में नहीं जाना है तो उनको व्यभिचार के पाप में अपने को हर तरह बचाना चाहिये। इस पाप में बचने का उपाय यही है कि वे ब्रह्मचर्य व्रत के पतलव को अच्छी तरह समझ लें।

ब्रह्मचर्य वृत दो तरह में पाता जाना है एक पूर्ण या सर्व देश दृमरे अपूर्ण या एक देश। पूर्ण ब्रह्मचर्य में पुष्प को मन बचन कायमें सर्व स्त्री मात्र का व सर्व प्रकार काम भाव का त्याग होता है इसी तरह स्त्री को मन बचन काय में सर्व पुष्प मात्र का व सर्व प्रकार काम भाव का त्याग होता है। अपूर्ण व एक देश ब्रह्मचर्य में पुष्प जिस स्त्री को समाज व नीतिके अनुसार विवाह लें उस स्त्री के मिश्रण उसके सर्व अविवाहित व विवाहित स्त्रियों का त्याग होता है इसी तरह स्त्री जिस पुष्प को समाज व नीति के अनुसार विवाहले उस पुष्प के मिश्रण उसे अन्य विवाहित व अविवाहित पुष्पोंका त्याग होता है।

स्त्री वियोगी पुष्प को अथान् विशुर को अपने मात्रों को व अपनी शरीर की शक्ति को देखना चाहिये कि इन दो प्रकार के ब्रह्मचर्य में से वह किस को पालने की शक्ति रखता है। यदि वह पूर्ण ब्रह्मचर्य पाल सके तो उसे ब्रह्मचारी रहकर स्वपर कल्याण करने हुये मानव जन्म को मफल करना चाहिये। यदि वह विशुर अपनी शक्ति पूर्ण ब्रह्मचर्य पालने की न देवे तो उसे अरुण्य या

एक देश ब्रह्मचर्य पालना चाहिये और तब उसको किसी योग्य स्त्री से विवाह करके ग्रही जीवन संतोष से विताना चाहिये—वेश्या व पर स्त्री संवन आदि अनेक प्रकार व्यभिचारोंमें अपने को इस तरह बचाना चाहिये।

इसी तरह पुरुष वियोगी स्त्री को अर्थात् विधवा को अपने भावों की व अपनी शरीर की शक्ति को देखना चाहिये कि इन दो प्रकार के ब्रह्मचर्यों में वह किस को पालने की शक्ति गमनी है। यदि वह पूर्ण ब्रह्मचर्य पाल मक्त तो उसको ब्रह्मचारिणी रहकर स्वप्न कल्याण करना चाहिये और अपने पानव जन्म को भले प्रकार मफल करना चाहिये। यदि वह विधवा अपनी शक्ति पूर्ण ब्रह्मचर्य पालने की न देखे तो उसे पुरुषकी तरह अपूर्ण या एकदेश ब्रह्मचर्य पालना चाहिये और तब उस विधवा को उन्नित है कि वह किसी योग्य पुरुषसे विवाह सम्बन्ध करके ग्रही जीवन संतोष से वितावें, मंतानोंको जन्म दे और उन्हें पाले।

माधारण जैन भाइयों ने यह भ्रम बना रखा है कि विधवा को पुनर्विवाह करने का हक नहीं है। हम जहाँ तक जैन शास्त्र, नीति व तर्क को समझते हैं उसमें हम कह मर्कते हैं कि यह मानना कि विधवा को पुनर्विवाह का अधिकार नहीं है किमी भी मुनक्के से सिद्ध नहीं हो सकता है। जो हेतु एक विधुर को पुनर्विवाह करने में है

वही हेतु एक विधवा को पुनर्विवाह करने में है दोनों की अन्तरंग की कामवासना व शारीरिक स्थिति द्वितीय विवाह करने की प्रेरणा करती है। यदि विश्वाश्रों में कदाचित् किसी कागण से रजस्वला होना बंद हो जाता और उन में काम वासना ही न रहती तब तो ऐसा कहा जा सकता था कि जिन कारणों से प्रेरित होकर एक विषुर को पुनर्विवाह करना पड़ता है वे कागण विधवामें नहीं पाए जाते इसलिये उनका विवाह करना निर्णयक है परन्तु ऐसा नहीं है दोनों स्त्री और पुम्पों में ममान कारण है तब जैसे विषुर को पुनर्विवाह करने का दक्ष है वैसे एक विधवा को पुनर्विवाह करने का दक्ष है। यह विधवा विवाह न व्यभिचार है न अन्याय है किन्तु नीति पूर्ण विवाह सम्बन्ध तथा न्याय युक्त मार्ग है। इसमें श्राविका के ब्रह्मचर्य अण्वत्र में अथोन् एक देश ब्रह्मचर्य पालने के प्रण में कोई वाधा नहीं आती है।

बहुत से पुष्ट युवक इस सज्जे मिद्दांत को नयक गण हैं और इस लिये विधवाओं से लाभ करने का तथ्यार है—इस संबन्ध में उनके पत्र नित्य ही विधवा विवाह महायक समाजों के मंत्रियों के पास आया करते हैं परंतु बाल व युवान विधवाओं की समझ में अधी तक यह सज्जा मिद्दांत नहीं बैठा है। वे विचारी भाली विधवाएं व्यभिचार को पुनर्विवाह से बहुत युग समर्पती

है और मन में चाहती भी है कि यदि ब्रह्मचर्य नहीं पलना है तो पुनर्विवाह कर दालें परन्तु समाज की लाज के भय से या संरक्षकों के भय से अपना भाव प्रगट करने से हिचकिचाती है।

यह हिचकिचाना उनके जीवनका नाशक होरहा है इधर लज्जा वश वे पुनर्विवाह को तथ्यार नहीं होती है इधर काम भाव की प्रेरणा वर्ग गत्प पाप में फँस जाती है और अपना उभय लोक का जीवन विगड़ लेती है इसलिये हम उन अममर्थ वाल व युवान विधवाओं में कहेंगे कि वे अपने को अथवा में बचावें या तो वे पूर्ण ब्रह्मचर्य पालें या पुनर्विवाह करके एक देश या अपूर्ण ब्रह्मचर्य पालें। यमनों में फँसकर अपना अमूल्य जीवन न नष्ट करें। हमारी अपील इन भोली भाली विधवाओं के संरक्षकों से भी है—चाहे वे उनके माता पिता हों, भाई वहिन हों या माम श्युर जेठ देवर हों व अन्य कोई सबैधी हों कि वे विधवाओं को यह सज्जा मिढ़ात समझावें—पूर्ण ब्रह्मचर्य पालने के भाव हों तो श्राविकाश्रमों में भेजें या वैग्राह्यके मामानों में रक्खें नहीं तो उनको पुनर्विवाह कराने में तथ्यार करके उनके जीयन को ग्रही जीवन बनवाड़े जिस से व्यधिचार आदि पापों में बचें।

यदि विधवाओं ने और उनके संरक्षकों ने ध्यान

न दिया तो जो खगवियां जैन समाज में हैं वे कभी भी दूर न होंगी—असदाचार, गुप्त पाप बहता जायगा और समाज की संस्था घटनी जायगी और यदि उन्होंने इस सज्जे मिल्दात पर आनंदिया तो कुमारों का, विधुरों का तथा विश्वाश्रों का इन सब का जीवन संतोष रूप हो जायगा- सन्नानों की विशेष उत्पत्ति होगी, समाज की घटी अवश्य दूर होगी और जैन समाज मरने से बचेगी क्योंकि धर्म धर्मात्मा के आश्रय रहता है इससे यदि समाज जीता रहेगा तो धर्म भी देखने में आयगा।

इसलिये जैन धर्म की स्थिति और जैन समाज की स्थिति के लिये विश्वाश्रों को अपना भला या बुग स्वयं विचारना चाहिये और उनके संरक्षकों को भ्रम दूर करके उनके जीवन को संतोषी व आर्तन्यान रहित बनाना चाहिये स्त्री समाज विद्या के विनाअपनेहकों को विलकुल भूल बैठी है। उमको पराधीनता की बेड़ी ने विलकुल गुलाम सा बना दिया है। उनकी दशा उन पर्कियों के अनुसार है जिनको पिंजरों में बहुत काल बन्द रखा जावे— पीछे यदि क्लोडा भी जावे तो वे फिर पिंजरे में बन्द होने को आजाने हैं। इसी तरह स्त्रियों को गुलामी में रहने की आदत पड़ गई है वे इस आदत को क्लोड नहीं सकती हैं यही उनको आपत्तियों में पड़ने का कागण है। हम यहाँ स्त्री समाज को उसके कर्तव्य बताते हैं :—

(१) पहिला कर्तव्य तो यह है कि खूब विद्या पढ़ें, शरीर से परिश्रम करना सीखें, घर के काम बड़ी खुशी में करें, आदा पीसने की, भाड़ देनेकी, अब चुगने की, मफाई रखने की, पानी भरने की, रसोई बनाने की, कपड़ों को साफ रखने की, आदतें बनालें। ध्यार से मीठे वचन बोलने की आदत ढालें। विद्या पढ़ती हुई अपने चरित्र पर पूरा ध्यान रखें। जो कन्या चरित्र पर पूरा ध्यान नहीं देती है वह अच्छी गहस्थ महिला नहीं बन सकती है एक कन्या को शुरू में ही नीचे लिखे आठ पासों से अपना मन अलग रखना चाहिये।

(२) जान वृभक्ति किसी मनुष्य को या पशु पक्षी को मताना न चाहिये न उसके प्राण लेना चाहिये, दया धर्म को पालना चाहिये, काम काज करते हुये देखभाल करके करना चाहिये जितनी जीवों की ज़ज़ा होगी उतना भला होगा। पानी मदा द्वानकर पीना पिलाना चाहिये, दयाभाव रखकर जो कोई भूखे गरीब अपाहज भाई व वहन हाँ उनको भोजन व वस्त्र देना चाहिये भूखे जानवरों को, पक्षियों को खिलाना चाहिये सब में प्रेम रखना चाहिये, गोगी आदमियों की सेवा ठहल करनी चाहिये परन्तु यदि कोई चोर बढ़माश सतावे तब उस पर दया न करनी चाहिये उसको मार भगाना चाहिये और अपने जान माल को व अपने शील को बचाना चाहिये इसलिये

कन्याओं को कुद्र कसग्न भी सीख लेनी चाहिये, लाठी आदि चलाना भी जान लेना चाहिये जिससे मंकट पड़ने पर अपनी ज्ञा कर सके इस तरह अहिंसा शीलवत पालना चाहिये।

(२) मत्य वचन सदा बोलना चाहिये, ऐसा वचन नहीं कहना चाहिये जिसमें दूसरे का नक्सान हो जावे। पर को बुरा करने वाला मत्य वचन भी भूठ है : कड़वा वचन, पर की निन्दा का वचन, गात्री गल्हाज का वचन, कठोर वचन, यह सब भूठ है—स्त्री की सुख की शोभा मत्य हितकारी वचनों से है भूठ बोलना महापाप समझना चाहिये। मत्यवादीकों कोई भय नहीं रहता है। कन्याओं को मीठे वचनों के द्वारा अपने घर वालों वो अपने घण करलेना चाहिये। मीठा हितकारी वचन तो जगत भर से वश कर सकता है।

(३) कन्याओं को कभी भी चोरी करने की आदत न ढालना चाहिये। यह में खाने पीने की सब चीजों को माता पिता से पूछ कर लेना चाहिये नुगकर एक लड्डू भी खाया जायगा तो आदत चर्गी हो जायगी। माँगकर लेना अच्छा है परन्तु चोरी करना अच्छा नहीं है चोरी से जगत में विश्वास उठ जाता है।

(४) कन्याओं को शीलवत की महिमा सीखनी चाहिये जहां तक विवाह न हो वहनों को पूरा व्रद्धचर्य

मन लगाकर पालना चाहिये । अपने मन में कभी भी किसी दृसरे पुरुष से मिलने का बुराभाव न लाना चाहिये न आपम में विवाह शादी की चर्चा लाना चाहिये, न खोटे गीत गाना चाहिये, न उन स्त्रियों की संगत करनी चाहिये जो बुरे चारित्र वाली हैं । कभी लड़कों से व लड़कियों से आपम में हमी पश्चकरी न करनी चाहिये शील धर्म वड़ा धर्म है । जो स्त्री शील विगड़ देनी है उसका पाप द्वितीय नहाँ है । वह यहाँ भी अपना जन्म नाश करना है और परलोक के लिये नगरादि गति बांध लेनी है जग में अपयश पानी है । कन्या को उचित है जब तक विदाइ न हो विद्या पढ़ने में मन लगावे ब्रह्मचर्य पाले, व्रतचारिणी रहे, पान न खावे, खाट पर न मोवे, धून्यागित कपड़े न पहने गाढ़गी से रहे, गदनोंका शौक न करे, मेरे तपाशों में न जावे, कहानी किस्मे न पढ़े, चाजाग वी चाट न खावे, शुद्ध वर का भोजन दो दफे मंतोप से करने । मन अपना विद्यालाभ व धर्म में लगावे रोज भावान का व्यान करे, पूजन करे, शास्त्र पढ़े, गुरु महाराज वा कई स्त्रियों के साथ दर्शन करे, उनका उपदेश सुने, उनको भक्ति पूर्वक दानदेवे नियम आखड़ी लेने रहे, सबेरे व शाम को थोड़ी देर अलग बैठ करके मामायिक व्यान करती रहे । जहाँ तक हो दिन में खावे जो कन्या धर्म में चित रखेगी, सतमंगति में रहेगी वही

ब्रह्मचर्य को पाल सकेगी। ब्रह्मचर्य ही से कन्या का शरीर हड़ बनता है।

(५) पग्गिह की ज्यादा लालसा न रखनी चाहिये घर में जो संतोष से मिले उसे खाकर व पहन कर मनको आनन्द में रखवे।

(६) कभी मांस को न खावें, वह डाकटरी दवा भी न खावें जिन में मांस का मेल हो। मड़ी बुस्सा बासा चीज खाने से भी मांस का टांप लगता है उससे भी जहाँ तक हो चें।

(७) नशा न पीवें, कन्या को चार्टिये कि कभी भूल कर भी शगव न पीवें, भाँग न पीवें, कोकेन न खावें। नशा पागल बना देता है नशे की आटत से प्राणी नशे-बाज बन जाता है जिन डाकटरी दवाओं में शगव पड़ी हो उनको भी न खावें।

(८) मधु न खावें—मधु मकिखयों को कष्ट देकर व उनके बच्चों को मारकर व निचोड़ कर आता है व मांस के समान उसमें कीड़े पैदा होते हैं व परते हैं।

इन आठ बातों का पालन भजे प्रकार करनी रहें जब तक विद्या पड़ें और विवाह न होवे।

(२) दूसरा कर्तव्य यह है कि १६वाँ वर्ष जब शुरू हो तब अपना विवाह कराने का विचार करें १६ वर्ष से पहले विवाह न करावें माता पिता को समझादें कि जन्दी

हम विवाह न करेंगे । तथा जिसके साथ माता पिता ने विवाह ठीक किया हो उस पुरुष को भी समझ लें कि वह २०वर्ष के अनुमान हैं या नहीं, कहीं छोटा तो नहीं हैं या बड़ा तो नहीं हैं जबान सदाचारी कमाऊ वर के साथ विवाह करें- यदि वर पसंद नहीं होतो तुरन्त माता पिता को मना करदें यदि न माने तो ज़िद करें तथा परापराग भाई हों उनको अपने मनका दुख कहकर उनका मठढ से अनमेल विवाह को गंके आज कल लाभी माता पिता पैमं के लोभ से बढ़े व निर्वल पुरुष के साथ विवाह पक्का कर देते हैं इस जुल्म को न होने दें यदि माता पिता न मानें तो पुलिम में खबर देकर या पर्जन्येट को लिखकर इस अन्याय से बचें ।

(३) तीसरा कर्तव्य यह है कि विवाह हो जाने पर कभी भी परपुरुष की चाह न करें अपने पति की हर-नरह भक्ति करें व योग्य मन्त्रान को पैदा करें मन्त्रान की अच्छी आठतें सिखावें । घर में सब में प्रेम रक्षणे किसी से कठोर बचन बोलकर लड़ाई भगड़ा न करें ।

(४) यदि मन्त्रान रहित हों और विवाहापना आंजखे नव अपने मन को देखें कि सचे हृदय से ब्रह्मचर्य पालने की शक्ति हो तबतो पुनर्विवाह न करें परन्तु यदि मन वश में न हो तो कभी भी व्यधिचार में न पड़ें और खुशी से किसी सभा द्वाग पुनर्विवाह कराकर ग्रही धर्म में रहें ।

(६) यदि कदाचित् संतान होने पर भी मन कावू में न आता हो तो समाज के विचारवान भाइयों से मलाह करके संतान का योग्य प्रबंध करके किस पुनर्विवाह करें परन्तु व्यभिचार के नरक में कभी न पड़ें।

प्यारी बहनो—तुम्हारे हित के लिये ऊपर की शिक्षा दी गई है उस पर निर्भय हो चलो, पाप से सदा बचो—यह बात अच्छी तरह याद रखवो कि जैसे विधुर को पुनर्विवाह का अधिकार है वैसे ही विधवा को है। दोनों को श्राविकाचार में अणुब्रती कहते हैं। विधवा विवाह अर्थम् नहीं है इसे नीति व्यवहार समझो व्यभिचार महा अर्थम् है उसमें अपने को कभी न ढालो।

विधवाओं के संरक्षकों को भी इस लेख पर पृग ध्यान देकर विधवाओं के जीवन सुधारने चाहिये।

### आवश्यक सूचना ।

दिल्ली में एक जैन बाल विधवा विवाह सहायक सभा स्थापित हुई है। वे सज्जन जो विधवा विवाह के सिद्धांत से सहमत हो, जो समा के मेम्बर होना चाहें या जिन्हें अपने लड़के या लड़की का ऐसा सम्बन्ध करना स्वीकार हो, वे नीचे लिखे पते पर पत्र व्यवहार करें : -

उपमंत्री--





बोर सेवा मन्दिर  
पुस्तकालय